Preservation Unit
12-8-84
Fumigated
On 8.2.84
Parliament Library

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र]

[Twelfth Session]

31.3.71

सत्यमेव जयते

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 20, मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1970/17 अग्रहायण, 1892 (शक)

No. 20, Tuesday December 8, 1970/Agrahayana 17, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1—19
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
571. भारत में जापान का विनियोजन	Japanese Investment in India	1—5
572. ठेकेदारों द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में विलम्ब	Delay caused by contractors in the construction of Bokaro Steel Plant...	5—10
575. संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के सहयोग से स्कूटरों का निर्माण	Production of Scooters in collaboration with U.A.R. and Yugoslavia ...	10—13
582. मुस्लिम वैयक्तिक कानून में संशोधन	Changes in Muslim Personal Law ...	13
583. चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे इंजन तथा डिब्बों का निर्माण	Manufacture of Engines and Coaches during Fourth Plan ...	14—16
584. इस्पात का आयात	Import of Steel ...	16—19
585. पश्चिम बंगाल के संकटग्रस्त कारखानों का लाभकारी कारखानों के साथ विलय	Amalgamation of Sick Industries with Healthier Units in West Bengal...	19
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		20—134
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
573. छोटी कार के आने का महानगरों के यातायात पर प्रभाव	Impact of addition of proposed Small Car on traffic conditions in Metropolitan cities ...	20

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
574. टोक्यो में औद्योगिक सम्मेलन	Industrial Conference in Tokyo ...	20—21
576. औद्योगिक नीति निर्धारित करते समय राज्य सरकारों से परामर्श	Involving State Governments in formulating Industrial Policy ...	21
577. विदेशों में संयुक्त उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष सैल	Special Cell for promotion of Joint Ventures Abroad ...	21
578. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा अमेरिका को मशीनी औजारों की सप्लाई	Supply of Machine Tools by HMT to U. S. A. ...	21—22
579. दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात संयंत्र में दोष	Defects in Alloy Steel plant, Durgapur...	22
580. मशीन टूल्स के सहायक कार-खाने की स्थापना	Setting up of Machine Tool Accessory...	22—23
581. अन्धे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएँ	Training Facilities for the Blind ...	23—24
586. मार्टिन बर्न द्वारा संचालित लाइट रेलवे के राष्ट्रीयकरण के लिए मांग	Demand for Nationalisation of Light Railways run by Martin Burn ...	24
587. मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Industries in Madhya Pradesh ...	25
588. इस्पात कारखानों के माल गोदामों में पड़े इस्पात के भंडार	Stocks of Steel lying in Stockyards of Steel Plants ...	25
589. इंजनों के संगचल कर्मचारियों द्वारा सरकार को अन्तिम चेतावनी	Ultimatum to Government by Loco-motive Running Staff ...	26
590. इंजीनियरिंग उद्योगों में लोहा और इस्पात के लिए मांग	Demand for Iron and Steel in Engi-neering Industries ...	26
591. रेलवे में कोयले की खपत में कमी	Decline in Consumption of Coal by Railways ...	26—27

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

592. लघु तथा बड़े टायर उद्योगों के बीच अधिक दबाव वाले होज के निर्माण में प्रतिस्पर्द्धा	Competition between Small Scale Industries and major Tyre Industries for manufacture of High Pressure Hoses ...	27—28
593. उत्तरी बंगाल और बिहार से कलकत्ता की मिलों के लिए पटसन लाये जाने हेतु परिवहन सुविधाओं का अभाव	Lack of Transport Facilities for movement of Jute from North Bengal and Bihar to Mills in Calcutta ...	28
594 इस्पात की देश में खपत तथा उसका निर्यात	Internal Consumption and Export of Steel ...	28—29
595. पालघाट तथा कोटा में सूक्ष्म-कर्मी उपकरणों के कारखाने	Precision Instruments factories at Palghat and Kotah ...	29—30
596. निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता	Free Legal Aid to the Poor	30
597. औद्योगिक क्षेत्र में एकाधिकार	Monopoly in Industrial Sector	30—31
598. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के इस्पात गलन विभाग में अनुशासन बनाना	Maintenance of discipline in Steel Melting Shop of Durgapur Steel Plant ...	31
599. लघु उद्योगों द्वारा रेडियो तथा इलैक्ट्रोनिक के सामान का उत्पादन	Production of Radios and Electronic Goods by Small Scale Industries ...	31
600. सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा रोके गये पुर्जे और मिश्रित इस्पात	Tools and Alloy Steel held by Customs Authorities ...	32

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3629. औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1970 में आयोजित आशुलिपिक परीक्षा	Stenography Examination held by Ministry of Industrial Development and Internal Trade in September, 1970 ...	32
3630 रद्दी लोहे के निर्यात पर रोक	Ban on Export of Scrap	32—33
3631. अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अधीन की गई गिरफ्तारियाँ	Arrests made under Untouchability (Offences) Act, 1955 ...	33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
3632. विद्युत परियोजनाओं के लिये ट्रांसफार्मरों की सप्लाई के लिये भारतीय उद्योग समूह द्वारा विदेशों को क्रयादेश	Orders for Supply of Transformers by Indian Consortium for Power Projects to Foreign Countries ...	33—34
3633. लघु उद्योगों को ऋण की सुविधायें	Credit Facilities to Small Scale Industries ...	34
3634. उद्योगों को इस्पात की सामूहिक मूल्य पर बिक्री	Sale of Steel at pooled Price to Industry ...	34—35
3635. निचले राजपत्रित अधिकारियों से अधिक वेतनमान वाले पदों पर पदोन्नति (दक्षिण-मध्य पूर्व रेलवे)	Promotion from Lower Gazetted Officers to Senior Scale Posts (South Central Railway) ...	35
3636. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे उद्यमियों को ऋण सुविधाएं	Credit Facilities to Small Entrepreneurs by Nationalized Banks ...	35
3637. कागज का उत्पादन	Paper Production	35—36
3638. लोहे की कतरनों के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Export Restriction on Scrap	36
3639. बिजली की भट्टियों द्वारा रद्दी लोहे से उत्पादन		36—37
3640. बेकार रेल-पटरियों का निपटान करने के बारे में न्यायालय के आदेश	Courts Orders on Disposal of Unserviceable Rails ...	37
3641. मैसर्ज एलाईड मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से दिल्ली में लेम्बरेटा स्कूटरों का वितरण	Distribution of Lambretta Scooters in Delhi Through M/s Allied Motors Private Limited ...	37—38
3642. मद्रास स्थित इन्टेग्रल कोच फैक्टरी को बोगियों की सप्लाई के लिये दिये गए क्रयादेश	Orders placed with the Integral Coach Factory Madras for supply of Bogies...	38
3643. एम० एस० टर्निंग्स तथा शीट कटिंग्स स्क्रैप का निर्यात	Export of M.S. Turnings and Sheet Cuttings Scrap ...	38—39
3644. सिगरेट उद्योग में पूंजी-निवेश	Investment in Cigarette Industry	39

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3645. फर्मों के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच	C. B. I. Inquiry against Firms	40
3646. विदेशी सहयोग प्राप्त भारतीय कम्पनियों के वार्षिक विवरण	Annual Returns of Indian Companies having Foreign Collaboration ...	40—41
3647. धर्म-परिवर्तन करके ईसाई बनाया जाना	Conversions to Christianity ...	41
3648 सांविधिक राष्ट्रीय ईंधन और ऊर्जा प्राधिकरण की स्थापना	Setting up of Statutory National Fuel and Energy Authority	41
3649. मैसर्स मैकेंजीज लि० के कार्यकरण के बारे में आर्थिक अपराध सम्बन्धी बम्बई शाखा की रिपोर्ट	Report of Economic Offence Wing Bombay on Working of M/s Machenzies Ltd. ...	42
3650. बेरोजगार इंजीनियरों को काम देने के लिए प्रशिक्षण योजना	Training Scheme for Rehabilitating Unemployed Engineers ...	42
3651. कानपुर के टैनिंग एण्ड फुटवियर कारपोरेशन का प्रतिरक्षा मंत्रालय को हस्तान्तरण	Transfer of Tanning and Footwear Corporation of Kanpur to Defence Ministry ...	42—43
3652. राजस्थान में हरिजनों के लिए पक्के घर	Pucca houses for Harijans in Rajasthan...	43
3653. मध्य प्रदेश के नेपानगर में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के सरकारी आवास	Government Accommodation for Class III Employees in Nepanagar, Madhya Pradesh ...	43
3654. टाइल उद्योग में संकट	Crisis in Tile Industry	44
3655. पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries in Backward Areas ...	44—45
3656. तीसरे वेतन आयोग के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों के लिये एक अलग मजूरी बोर्ड बनाने की मांग	Demand for a Separate Wage Board for Railway Employees within the Third Pay Commission ...	45
3657. रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन	Overhauling of the Railway Protection Force ...	45

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3658. रेलवे कर्मचारियों का निलम्बन	Suspension of Railway Employees	46
3659. सीमेंट की बोरियों का वजन	Quantity of Cement Bags	46—47
3660. सरकारी चर्म शोधालय निगम द्वारा उत्पादन	Production by State owned Tannery Corporation ...	47—48
3661. मद्यनिषेध पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on Prohibition	48
3662. दक्षिण कनारा मधु मक्खी पालन सहकारी समिति, बम्बई	South Kanara Bee Keeping Cooperative Society ...	48—49
3663. अखबारी कागज की आवश्यकता तथा उसका उत्पादन	Requirement and production of newsprint...	49—50
3664. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में विवाद पर समझौता	Agreement on dispute in Durgapur Steel Plant	50
3665. भारत-ब्रिटेन प्रौद्योगिकीय सहयोग	Indo-British Technological Collaboration...	51
3666. मध्य प्रदेश में हरिजनों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Harijans in Madhya Pradesh ...	51
3667. दुर्गापुर माईनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन के कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी करना	Charge-sheeting of employees of Mining and Allied Machinery Corporation Durgapur ...	51—52
3668. सूती कपड़ा मशीनों का निर्यात तथा आयात	Export and Import of Textile Machinery...	52—53
3669. ढलवे लोहे का आयात	Import of pig Iron	53
3670. इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 1970 के सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करना	Issue of Appointment Letters to successful Candidates of Engineering Services Examination, 1970 ...	53
3671. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में पूंजी-निवेश	Investment in Durgapur Steel Plant	53—54
3672. पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों को इस्पात तथा कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Steel and Raw Material to Small Scale Industries in West Bengal ...	54

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3673. सिगरेट के कारखानों की स्थापना के लिये आशय-पत्र	Letters of Intent for setting up of Cigarette Factories ...	54
3674. रेलवे में चोरियों को रोकने के लिये गोष्ठी	Seminar on check of thefts on Railways ...	55
3675. रेलवे सुरक्षा दल को रेलवे बोर्ड के अधीन रखने का निर्णय	Decision to place Railway Protection Force under the Railway Board ...	55
3676. रेलवे बोर्ड का एक स्वायत्त प्राधिकार निगम में बदला जाना	Conversion of Railway Board into an Autonomous Statutory Corporation ...	55—56
3677. रेलवे गार्डों की पदोन्नति के अवसर	Chances of Promotion of Railway Guards ...	56
3678. मध्य प्रदेश के इंजीनियरों को लघु उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान करना	Training to Engineers in Small Scale Industries, Madhya Pradesh	56—57
3679. मध्य प्रदेश के उद्योगों की स्थापना करने के लिए आवेदनपत्र	Applications for setting up of Industries in Madhya Pradesh ...	57
3680. जबलपुर में सहायक उद्योगों का विकास	Development of Ancillary Industries in Jabalpur ...	57—58
3681. महिला, बच्चों तथा अपंग व्यक्तियों सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्र द्वारा प्रायोजित सहायता देना	Assistance to Madhya Pradesh for Centrally sponsored Programmes for Welfare of Women, Children and disabled persons ...	58
3682. देशी तथा विदेशी शराब की खपत	Consumption of Country/Foreign Liquor...	58
3683. भिखारियों को रोजगार देने तथा उनका प्रशिक्षण देने हेतु एक फारम स्थापित करना	Setting up a Farm for Employment and Training to Beggars ...	85—59
3684. शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे का बन्द किया जाना	Closure of Shahdara-Saharanpur Light Railway ...	59—60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3685. इस्पात संबंधी भारतीय प्रतिनिधिमंडल की रूस की यात्रा	Visit of Indian Steel Delegation to Russia ...	60—61
3686. मदुरै और ओलावाकोट डिवीजनों में कन्टेनर सेवाएं	Container Services in Madurai and Olavakkot Divisions ...	61
3687. कांती और मोतीपुर रेलवे स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच एक नव निर्मित रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का न रुकना	Non-Stoppage of Trains at Newly constructed Railway Station between Kanti and Motipur Railway Station (North Eastern Railway) ...	61
3688. पूर्वोत्तर रेलवे की नई डिवीजन के कर्मचारियों के लिए आवास	Residential Accommodation for Employees of New Division of North Eastern Railway ...	61—62
3689. चकिया रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर शैड बनाया जाना तथा स्टेशन का पुनर्निर्माण	Provision of a Shed and Remodelling of Chakia Railway Station (North Eastern Railway) ...	62
3690. रेलवे कालोनी दिल्ली, किशन गंज में नागरिक सुविधाएँ प्रदान करना	Civic Amenities in the Railway Colony, Delhi. Kishan Ganj ...	62
3691. रेलवे कालोनी दिल्ली, किशन गंज में बिजली के पुराने उपकरणों को बदलना	Replacement of old electric fittings in Railway Colony, Delhi, Kishan Gang ...	62—63
3692. पंजाब में औद्योगिक एकक	Industrial Units in Punjab	63—64
3693. भारतीय रेलवे के सिगनल तथा दूर संचार कर्मचारियों की मांगें	Demands by the staff of Signal and Telecommunications of Indian Railways...	64
3694. विदेशी सहयोग पर प्रतिबंध	Restrictions on Foreign Collaboration	64
3695. नये इस्पात संयंत्रों में इस्पात की उत्पादन लागत	Cost of Production of Steel at New Steel Plants ...	65
3696. इगतपुरी से आगे नई दिल्ली की ओर रेलवे लाइन (मध्य रेलवे) का विद्युतिकरण	Electrification of Railway line beyond Igatpuri towards New Delhi (Central Railway)	65
3697. फोरम आफ फाइनेन्सियल राइटर्स और रेलवे बोर्ड का सम्मेलन	Conference between Forum of Financial writers and the Railway Board ...	65—66

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3698. बड़े उद्योगों को सामान की पूर्ति करने के लिये छोटे उद्योगों की सहायता	Support to Small Scale Industries for supply of goods to Large Scale Industries ...	66–67
3699. बांदा लखनऊ एक्सप्रैस गाड़ी का देरी से चलना	Late running of Banda Lucknow Express Train ...	67
3700. बांदा में उद्योग (उत्तर प्रदेश)	Industries in Banda (U. P.)	67
3701. रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में गुड्स कैरियर फैक्टरी की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal for setting up of Goods Carriers Factory in Raebareli (U. P.) ...	67—68
3702. रेलवे में स्वचालित सिगनलों के ठीक कार्य न करने के कारण रेल दुर्घटनाएं	Railway accidents due to improper working of Automatic Signals on Railways ...	68
3703. कागज की कमी	Shortage of Paper	68
3704. पश्चिम रेलवे के झुण्ड कांडला सैक्शन में एम्प्लायमेंट नियमों के घटों का उल्लंघन	Violation of Hours of Employment Rules in Jhund-kandla Section of Western Railway ...	69
3705. झांसी डिवीजन के चार स्टेशनों के स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टर पर रेलवे सुरक्षा बल के रक्षकों द्वारा हमला	Station Master and Asst. Station Master of Chatra Station, Jhansi Division assaulted by R,P.F. Rakshaks ...	69—70
3706. मालगाडी के गार्डों की इन्जनों में यात्रा	Travelling of Guards of Goods Train in Train Engines ...	70
3707. नैनी परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	Employment of Local Persons in the Government Establishments at Naini ...	70—71
3708. मुगलसराय से माल डिब्बों से परचियां लुप्त होना	Missing of slips from goods wagons at Mughalsarai ...	71
3709. पूर्व रेलवे की सियालदह डिवीजन में दक्षिण सैक्शन पर कलकत्ता में रेलगाड़ी पर बम का फेंका जाना	Bomb thrown on train in Calcutta at the South Section of Sealdah Division (Eastern Railway). ...	71—72

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3710. बुलधाना रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को मकान भत्ता न दिया जाना	Non-Payment of House rent allowance to Employees of Buldhana Railway Station ...	72
3711. हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल द्वारा सामान का निर्यात	Export of goods by Heavy Electricals Ltd. Bhopal ...	72
3712. चौथी योजना के दौरान राजस्थान में रेल सुविधाएं	Rail Facilities in Rajasthan during Fourth Plan	72—73
3713. इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली सरकारी परियोजनाओं का पूंजीगत मूल्य	Capital cost of Public Sector Project under the Ministry of Steel and Heavy Engineering ...	73—74
3714. बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण	Construction of Bokaro Steel Plant	74—75
3715. चिरयिनकीझू रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) के दर्जे का बढ़ाया जाना	Upgradation of Chirayinkeezhu Railway Station (Southern Railway) ...	75
3716. अलवाई रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर उपरिपुल	Overbridge at Alwaye Railway Station (Southern Kailway) ...	75
3717. वरकला तथा कदाकावूर (दक्षिण रेलवे) रेलवे स्टेशनों का विकास	Development of Varkala and Kadakavur Railway Stations (Southern Railway) ...	76
3718. मध्य प्रदेश में बिड़ला उद्योग समूह	Birla Industries in Madhya Pradesh ...	76—77
3719. चमड़े उद्योग पर रबड़ के जूतों के निर्माण का प्रतिकूल प्रभाव	Adverse affect of Manufacture of Rubber Shoes on leather industry ...	77
3720. चमड़ा उद्योग आयोग	Leather industries Commission	77
3721. छोटे चमड़ा उद्योगों को सहायता	Assistance to Small Leather Industries ...	77—78
3722. ग्वालियर स्टेशन से दीपावली के दिन सवारी गाड़ियों का न चलना	Non-Departure of Passenger Trains from Gwalior Station on Deepavali Day ...	78

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3723.	रेलवे मिक्स्ड मल्टीपर्पज हाई स्कूल गोल्डन रॉक के सहायकों तथा प्रशिक्षित स्नातकों के लिए वेतन-मान	Pay Scales for Assistants and Trained Graduates in Railway Mixed Multi-purpose High School, Golden Rock ...	78
3724.	क्विलोन-एरणाकुलम रेलवे लाइन के साथ-साथ धान की खेती	Cultivation of Paddy on Land along Quilon-Ernakulam Railway Line ...	79
3725.	सितम्बर 1968 को हड़ताल में भाग लेने वाले अस्थायी रेलवे कर्मचारियों को न्यायालयों द्वारा दोषमुक्त किये जाने के बाद उनके वेतन की बकाया राशि का न दिया जाना	Non-Payment of Arrears of Pay to Temporary Railway Employees Acquitted by Courts for Participating in September, 1968 Strike ...	79—80
3726.	सेवा में पुनः लिए गये कर्मचारियों को वेतन को बकाया राशि की अदायगी	Payment of Arrears of Pay to Employees Reinstated in Service ...	80
3727.	वरिष्ठ शंटरों की शाखा लाइनों (जयपुर डिवीजन) पर माल गाड़ियों के चालक पदों पर पदोन्नति	Promotion of Senior Shunters as Drivers for Goods Train on Branch Lines (Jaipur Division) ...	80—81
3728.	कानपुर और दिल्ली के बीच रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Railway Track Between Kanpur and Delhi ...	81
3729.	अमरीका में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों की बिक्री के लिए करार	Agreement for Sale of HMT Products in America ...	81—82
3730.	विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	Setting Up of Departmental Technical Training Centres in Different Regions	82
3731.	केवल मान्यता प्राप्त संघों द्वारा ही रेलवे कर्मचारियों के मुकदमों का लड़ा जाना	Pleading of Cases of Railway Employees by Recognised Unions only ...	82
3732.	वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के स्कूलों में अनुसूचित जातियों के अध्यापक	Scheduled Castes Teachers in Schools in Diesel Locomotive Works, Varansi ...	82—83

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3733. लाइसेंस प्राप्त करने के लिये मध्य प्रदेश के अनिर्णीत आवेदन पत्र	Pending Applications for Licences from Madhya Pradesh ...	83
3734. सरकारी क्षेत्र में गलन रोधियों का निर्माण	Manufacture of Refractories in Public Sector ...	84
3735. बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा कारखाने का बन्द किया जाना	Closure of HMT Plant, Bangalore ...	84
3736. लघु उद्योगों में निर्यात सैल	Export Cell in Small Scale Industries ...	85
3737. लघु उद्योगपतियों को ऋण	Loans to Small Scale Industrialists ...	85--86
3738. उत्तर रेलवे से पीतल के बियरिंगों की चोरी	Theft of Brass Bearings from Eastern Railway ...	86
3739. सरकारी क्षेत्र में स्थित इस्पात कारखाने में हड़ताल के कारण नष्ट हुए घंटे	Man-days Lost due to Strike in Public Sector Steel Plants ...	87
3740. लघु उद्योगों के विकास के लिये सहायता	Aid for Development of Small Scale Industries ...	87
3741. कटिहार रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर विभागीय खान-पान प्रबन्ध का आरम्भ किया जाना	Introduction of departmental catering at Kathiar Railway Station (North Eastern Railway) ...	87—88
3742. सोनपुर रेलवे अस्पताल में जिला मेडिकल आफिसर का पद	Post of District Medical Officer, Sonepur Railway Hospital ...	88—89
3743. मुजफ्फरपुर, गोंडा आदि में विभागीय खान-पान व्यवस्था लागू किया जाना	Introduction of Departmental Catering At Muzaffarpur, Gonda etc. ...	89
3744. त्रिवेन्द्रम तथा एरणाकुलम के मध्य बड़ी लाइन	Broadgauge line between Trivandrum and Ernakulam ...	89—90
3745. रेलगाड़ी परीक्षकों के उच्च श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के अवसर	Avenues of promotion of Train Examiners to Higher Grade ...	90

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3746. ट्रेन एग्जामिनर पदनाम बदल कर इन्सपेक्टर रखना	Change of designation of Train Examiners to Inspectors ...	90—91
3748. भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र	Resignation of Chairman, Indian Law Commission. ...	91
3749. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची का निदेशक बोर्ड	Board of Directors of H.E.C. Ranchi ...	91
3750. उत्तर बंगाल में उद्योगों का विकास	Development of Industries in North Bengal ...	92—93
3751. ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडों की कमी	Shortage of Graphite Electrodes ...	93
3752. अजमेर गुड्स शेड (पश्चिमी रेलवे) में वर्षा के कारण सामान को क्षति	Damage to consignments due to rains at Ajmer Goods Shed (Western Railway) ...	93—94
3753. बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में नगनीछा मन्दिर तथ लालगढ़ जंकशन के मध्य नई रेलवे लाइन	New Railway line between Nagneecha Mandir and Lalgarh Jn. in Bikaner Division (Northern Railway) ...	94
3754. उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में पीली बंगान स्टेशन पर यात्रियों के लिये पीने का पानी	Drinking water for passengers at Pili Bangan Railway Station (Bikaner Division, Northern Railway) ...	94—95
3755. सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर यात्रियों के लिये पीने का ठंडा पानी	Cold drinking water for passengers at Suratgarh Railway Station (Northern Railway) ...	95
3756. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन	Encouragement given to set up industries in rural areas ...	95—96
3757. आन्तरिक व्यापार तथा वाणिज्य के लिए सलाहकार समिति	Advisory Committee for Internal Trade and Commerce ...	96—97
3758. औद्योगिक अनुसन्धान पर व्यय	Expenditure on Industrial Research ...	97
3759. सुन्दरबन (पश्चिमी बंगाल) में लकड़ी एवं बांस पर आधारित उद्योगों का विकास	Development of Wood Based and Bamboo Based Industries in Sunderbans (West Bengal) ...	97–

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3760. 6,000 अश्व शक्ति के डीजल इंजन का निर्माण	Manufacture of 6,000 H.P. Diesel Engine ...	98
3761. पश्चिम बंगाल के कन्टाई क्षेत्र को नमक के उत्पादन के लिये पट्टे पर भूमि देना	Leasing out of Land for Production of Salt in Contai Area (West (Bengal) ...	98 99
3762. औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी समिति	Committee for Industrial Licences ...	99—100
3763. बोकारो इस्पात कारखाने के लिए ईंटों का आयात	Import of Bricks for Bokaro Steel Plant ...	100
3764. इंडियन रेयन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सेलोफोन कागज के निर्माण के लिए लाइसेंस का मांगा जाना	Licence for Manufacture of Cellophane Paper by India Rayon Corporation Ltd. ...	100—101
3765. डालमिया बन्धुओं को औद्योगिक लाइसेंस का दिया जाना	Issue of Industrial Licences to Dalmias ...	101
3766. औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति में परिवर्तन	Changes in industrial Licensing Policy...	101—102
3767. भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा इस्पात उत्पादन में वृद्धि के लिए सुझाव	Suggestions for augmenting Steel Production by Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry...	102
3768. उपभोक्ताओं द्वारा मांग-पत्रों के साथ जमा की जाने वाली राशि का परिकलन करने का आधार	Basis for Calculating Deposits on Indents by Consumers ...	102—103
3769. सुरारेड्डिपालेम और तंगुतुरू (दक्षिण-मध्य रेलवे) स्टेशनों के बीच डीजल मालगाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment of a Diesel Goods Train between Surareddipalem and Tangutura (South Central Railway) ...	103
37,0 लघु उद्योगों के उत्पादों के लिये संयुक्त अरब गणराज्य और पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त किये गये क्रयादेश	Supply orders obtained for small Industries Products from U.A.R. and West Germany ...	103—104
3771. हल्दियावाड़ी-जलपाईगुडी और लटागुडी चंग्राबन्ध के बीच रेलवे लाइन का फिर से चालू करना	Restoration of Railway Line Between Haldibari-Jalpaiguri and Lataguri Changrabandha ...	104

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3772. न्यू कूच बिहार और गुलाकगंज (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के जोड़ने के लिये सर्वेक्षण	Survey to Connect New Cooch Behar and Gulakganj (Northeast Frontier Railway) ...	104—105
3773. नए कूच बिहार से बामनहाट तक बड़ी रेलवे लाइन	Broad Gauge Line from New Cooch Behar to Bamanhat ...	105
3774. न्यू कूच बिहार के रेलगाड़ी परीक्षकों की पुन: नियुक्ति	Re-Posting of Train Examiners of New Cooch Behar ...	105
3775. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में अलीपुर द्वारा और नए कूच बिहार स्टेशनों के बीच शटल गाड़िया चलाना	Shuttle Train Service between Alipurduar and New Cooch Behar Stations Northeast Frontier Railway) ...	106
3776. दिल्ली से बचकर जाने वाली रेलवे लाइन पर नारायणा के निकट ऊपरी पुल	Overbridge on Delhi Avoiding Line Near Naraina ...	106
3777. औद्योगिक लाइसेंसों की छूट-सीमा के बढ़ाये जाने का प्रभाव	Effect of Raising Exemption Limit on Industrial Licensing ...	107
3778. झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हरिजनों के बच्चों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Children of Harijans of Jhuggi Basties ...	107—108
3779. लघु उद्योगों के लिए धन	Funds for small Scale Industries ...	108
3780. स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी श्रेणी के लिये अयोग्य संगचल कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of medically de-categorised running staff ...	108—109
3781. डीजल के धुएं के कुप्रभाव के बारे में आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा अभ्यावेदन	Representation by all India Running Staff Association about ill-effects of diesel smoke ...	109
3782. अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के लोको संगचल कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर पदावनत करना	Mass reversions of Loco Running Staff of Ajmer Division (Western Railway)...	110
3783. दिल्ली के कस्तूरबा महिला आश्रम में कुप्रशासन	Maladministration of Rasturba Mahila Ashram Delhi ...	110—111

अता० प्र० संख्या U. S Q. Nos.			
3784.	हावड़ा-आमता और हावड़ा-सेईखाला रेलवे का हावड़ा की ज़िला परिषद् के साथ करार	Agreement of Howrah-Amta and Howrah-Sheakhala Railways with Zila Parishad, Howrah ...	111
3785.	अनुज्ञप्तिधारी के लिए उद्योगों में स्थानीय रोजगार कार्यालयों से लोगों की भर्ती हेतु शर्त	Condition for licences for employment of people from Local Employment Exchanges in Industries ...	112
3786.	भारी प्रेषणों का श्रमिकों द्वारा उतारा व चढ़ाया जाना	Loading and unloading of heavy consignments by manual labour ...	112
3787.	रेलवे सहकारी संस्थाओं को बड़े ठेकेदारों के समान सुविधायें प्रदान करना	Providing facilities to Railway Cooperative Societies which are given to big contractors ...	112
3788.	हिन्द गल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को इस्पात चादरों की सप्लाई	Supply of Steel sheets to Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd. ...	113
3789.	मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई द्वारा बैरल कारखाने को सिवड़ी से ट्रोम्बे में स्थानान्तरित करना	Shifting of Barrel Plant from Sewri to Trombay by M/s. Standard Drum and Barrel Manufacturing Co., Bombay ...	114
3790.	आन्ध्र प्रदेश में जापान के सहयोग से उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Andhra Pradesh with Japanese Collaboration ...	115
3791.	ग्रामोफोन कम्पनी ऑफ इण्डिया	Gramophone Company of India ...	115
3792	ग्रामोफोन रिकार्डों का मूल्य	Price of Gramophone Records ...	116
3793.	ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया द्वारा विदेशी मुद्रा बाहर भेजा जाना	Remittances of Foreign Exchange by Gramophone Co. of India ...	116
3794.	लखनऊ-मुगलसराय सेक्शन पर चलने वाली पठानकोट-सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड से एक संसद सदस्य द्वारा की गई शिकायत	Complaint Lodged with the Guard of the Pathankot- Sealdah Express Train on Lucknow-Mughalsarai Section by an M. P. ...	117

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3795. रेल गाड़ी छूटने वाले स्टेशन से गाड़ी छूटने से पहले उसकी जांच	Examination of Trains before Leaving Starting Station ...	117—118
3796. इटली के सहयोग के स्कूटर के कारखाने की स्थापना	Setting up of Scooter Plant with Italian Collaboration ...	118--119
3797. बजाज ओटो एण्ड ओटोमोबाइल प्रोडक्ट्स कम्पनीज का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Bajaj Auto and Automobile Products Companies ...	119
3798. स्कूटर समिति की सिफारिशें	Recommendations of Scooter Committee...	119—120
3799. दिल्ली में अनैतिक गतिविधियों में वृद्धि	Increase in Immoral Activities in Delhi ...	120—121
3800. पूर्वोत्तर रेलवे दरभंगा और निर्मली स्टेशनों के बीच चलने वाली गाड़ियों में रोशनी की व्यवस्था	Lighting arrangements in trains running between Darbhanga and Nirmali (North Eastern Railway) ...	121
3801. ट्रेन क्लर्कों और यार्ड मास्टरों के लिए पदोन्नति के नये अवसर	New Channels of Promotion for Train clerks and Yard Masters ...	121—122
3802. दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अधिकारियों पर नक्सलवादियों द्वारा हमला	Assault by Naxalities on the officials of the Durgapur Steel Plant ...	122
3803. रेलवे की लेखा-प्रक्रिया में कथित दोष	Reported Fault with the Accounting Procedure of the Railways ...	122—123
3804. ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक सामान की बिक्री	Sale of Industrial goods in Rural Areas ...	123
3805. भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर रेल-दुर्घटना	Rail Accident at Bhubaneswar Railway station ...	123—124
3806. सिगनल कर्मचारियों के सम्बन्ध में रेलवे दुर्घटना जांच समिति (1968) की सिफारिशें	Recommendations of Railway Accidents inquiry committee (1968) Re : Signalling staff ...	124
3807. रेलवे में सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिये कोटे का निर्धारण	Allotment of quota for Promotion of Assistants in Railways to the post of Section Officers ...	124

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
3808. कागज का उत्पादन	Paper Production ...	124—125
3809. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में चेकोस्लोवाकिया के कर्मचारी	Czechoslavak Workers in H. E. C., Ranchi ...	125
3811. इटावा स्टेशन पर खान-पान प्रबन्ध का ठेका	Catering Contract at Etawah Station ...	125—126
3812. पूर्व रेलवे के लेखा क्लर्कों की पदोन्नति के लिए परिशिष्ट II परीक्षा का परिणाम	Result of Appendix II Examination for promotion of Accounts Clerks of Eastern Railway ...	126
3813. हिन्दुस्तान एम्बेसेडर कार में खराबियां	Defects in Hindustan Ambassador Car...	126—127
3814. रेलवे डाक्टरों की शिकायतें	Grievances of Railway Doctors ...	127
3815. मन्धार सीमेंट फैक्टरी में सीमेंट का उत्पादन	Production of Cement in Mandhar Cement Factory ...	127—128
3816. किशनगंज स्टेशन पर बेकार पड़ा स्वचालित सिगनल पैनल	Automatic Signalling Panel Lying Idle at Kishan Ganj Station ...	128
3817. आन्ध्र खादी बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदानों और कर्जों की हानि	Loss of Grants and Loans given by Andhra Khadi Board ...	129
3818. चौथी योजना में खादी का नियतन	Allocation for Khadi in Fourth Plan	129
3819. मंगलोर स्टेशन पर गुड्स-शेड तक सीधी रेल लाइन	Direct Line to the Goods Shed, Mangalore Station ...	129—130
3820. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को उपदान देना	Gratuity to Employees of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ...	130
3821. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि के अंशदान को वापिस लौटाया जाना	Refund of C. P. F. contribution to Workers of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ...	130—131

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3822. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के प्रबन्ध को लेना	Taking over Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ...	131
3823. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में निधि का दुर्विनियोग	Misappropriation of funds in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ...	131
3824. रेलवे कर्मचारियों की सहकारी समितियों द्वारा भोजन सम्बन्धी व्यवस्था	Catering establishments by Co-operatives of Railway staff ...	131—132
3825. इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के विद्युतीकरण विभाग द्वारा छंटनी किये गये कर्मचारियों का पुनः स्थापन	Reinstatement of Employees retrenched by Electrification Department, Allahabad Division (Northern Railway) ...	132
3826. लाइसेंस प्राप्ति के लिये केरल सरकार से प्राप्त आवेदन पत्र	Applications received from Kerala Government for licences ...	132—133
3827. त्रिवेन्द्रम तथा क्विलोन रेलवे स्टेशनों की पुरानी इमारतों का पुनर्निर्माण	Reconstruction of old Railway Station building between Trivandrum and Quilon Railway Stations ...	133
3828. तेल्लिचेरी रेलवे स्टेशन के प्रथम गेट पर उपरिपुल	Overbridge at first Gate of Tellicherry Railway Station ...	133—135
अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	135—141
दो पाकिस्तानी स्त्रियों के महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को साथ लेकर पूर्वी पाकिस्तान को भाग निकलने का समाचार	Reported escape of two Pakistani women with important documents to Pakistan ...	135
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua ...	135
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	135—141
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	141—142
सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of Members ...	142
(श्री जनेश्वर मिश्र और श्री अर्जुन सिंह भदौरिया)	(Shri Janeshwar Misra and Shri Arjun Singh Bhadoria)	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अनुसूचित-जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) विधेयक 1967 के बारे में याचिका	Petition re. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1967 ...	142
राज्य विधान-सभा द्वारा पारित संकल्प की सांविधानिक विवक्षा के बारे में वक्तव्य	Statement re. Constitutional Implications of Resolution passed by State Legislative Assembly ...	142
श्री के० हनुमन्तय्या	Shri K. Hanumanthaiya ...	142 -144
सदस्य द्वारा आरोप के बारे में	Re. Allegation by Member	144—145
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee ...	145
प्राक्कलन समिति	Committee on Estimates ...	145
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee ...	145
54 वां प्रतिवेदन	Fifty-Fourth Report ...	145
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1968-69 और अनुदानों की, अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1970-71	Demands for Excess Grants (General) 1968-69 and Demands for Supplementary Grants (General), 1970-71 ...	146
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ...	146
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad ...	148
श्री दे० अमात	Shri D. Amat ...	148
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary ...	149
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri ...	150
श्री को० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana ...	151
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka ...	152
श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghose ...	153
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi ...	159
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ...	160
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ...	160
श्री बेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma ...	161
श्री चित्ति बाबू	Shri C. Chittybabu ...	161
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham ...	162
श्री शिंकरे	Shri Shinkre ...	163
श्रीमती इला पाल चौधरी	Shrimati Ila Pal Choudhuri ...	163
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ...	164

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
विनियोग (संख्या 4) विधेयक पुरः-स्थापित तथा पारित	Appropriation (No. 4) Bill Introduced and passed ...	171
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	171
खंड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1 ...	171
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ...	171
विनियोग (संख्या 5) विधेयक पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation (No. 5) Bill—Introduced and Passed ...	172
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	172
खंड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3, and 1 ...	173
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ...	173
श्री रंगा	Shri Ranga ...	173
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu ...	173
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ...	173
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1968-69 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), 1970-71	Demands for Excess Grants (Railways), 1968-69 and Demands for Supplementary Grants (Railways), 1970-71 ...	174
श्री नन्दा	Shri Nanda ...	176
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka ...	176
श्रीमती इला पाल चौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri ...	177
श्री जि० मो० बिस्वास	Shri J. M. Biswas	178
रूई की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement re. Cotton Situation ...	179
श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Mishra ...	179
खेल-कूद सम्बन्धी नीति के बारे में चर्चा	Discussion on Sports Policy ...	181
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh ...	181
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ...	185
श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj ...	186
श्री क० प्र० सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo ...	187
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok ...	188
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	189
श्री ए० श्रीधरन	Shri A. Sreedharan ...	189
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ...	190
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	190
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha ...	190
श्री भक्त दर्शन	Shri Bhakt Darshan ...	191

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK-SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1970/17 अग्रहायण 1892 (शक)
Tuesday, 8 December, 1970/Agrahayana 17, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्रकुमार शाह ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रतिक्रियावादी तत्वों को हराने के कारण हमें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बधाई देनी चाहिये ।

श्री गणेश घोष : जो कुछ कहा गया है उसके साथ मैं सहमत हूँ ।

श्री बलराज मधोक : हम पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । **(व्यवधान)**

Shri Ramavatar Shastri : I also support Shri Banerjee...**(Interruption).**

Mr. Speaker : We have nothing to do with East Pakistan Elections.

श्री स० मो० बनर्जी : इस देश की प्रतिक्रियावादी शक्तियों को इससे सबक सीखना चाहिये ।

श्री शिव नारायण : इन कम्युनिस्टों की इस देश में कभी सरकार नहीं बनेगी ।

श्री चेंगलराया नायडू : उनकी एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल स्वामिभक्ति है... **(व्यवधान)**

Mr. Speaker : I have called a question. After all what is this going on. If you want I can fix 5·7 minutes for these things.

भारत में जापान का विनियोजन

*571. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 अक्तूबर, 1970 के इकोनोमिक टाइम्स में जापानीज हैविंग सेकिन्ड थौट्स शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) तथा सरकार द्वारा विदेशी विनियोजन पर लगाये गये विभिन्न प्रतिबन्धों के कारण जापान को फारमोसा, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में विनियोजन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है ;

(ग) क्या भारत में लाइसेंस जारी करने से पहले और बाद में बहुत कागजी कार्यवाही करने और लाइसेंस को जारी करने में विलम्ब होने के कारण भी जापानी निवेशकर्ता हतोत्साहित हुये हैं ; और

(घ) क्या इन कठिनाइयों को दूर किए बिना भारत के लिए जापानी विनियोजन से लाभ उठाना कठिन होगा और यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेशसिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : जी नहीं। सरकार का यह विचार है कि अन्य सभी देशों द्वारा निजी पूंजी लगाये जाने के सम्बन्ध में भारत में जो कानूनी स्थिति व नीति सम्बन्धी ढांचा है ; उसके अन्तर्गत भारत में जापान की निजी पूंजी लगाये जाने के लिए काफी गुंजाइश है।

श्री वीरेन्द्रकुमार शाह : माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में हां कहा है और (ख), (ग) और (घ) भागों का उत्तर "नकारात्मक" दिया है। मुझे विश्वास है कि वह इस से फिर नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने भाग (क) में समाचार-पत्र के एक टिप्पण की ओर निर्देश किया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसकी व्याख्या करें। जापान से बाहर पूर्वी देशों में जापानी निवेश 15000 लाख डालर है और उसका केवल 2 प्रतिशत भाग अर्थात् केवल 300 लाख डालर भारत में है। अगले पांच वर्षों में जापान अनुदानों, सहायता तथा निवेश के रूप में 20,000 लाख डालर प्रतिवर्ष का निवेश करेगा। जब मंत्री महोदय ने (ख) से (घ) भागों के उत्तर में "नहीं" कहा है तो क्या उपरोक्त को दृष्टि में रख कर वे सदन को इस दो प्रतिशत निवेश के सम्बन्ध में बताएंगे। ए० बी० एस० मिशन के अध्ययन दल के प्रतिवेदन में भी उन रुकावटों का स्पष्ट उल्लेख है जो निवेश के रास्ते में आती हैं और भी, इंडियन इन्वेस्टमेन्ट सेन्टर के प्रधान, श्री जी० एल० मेहता ने कहा है :

"मुख्य रुकावट परियोजनाओं की स्थापना के लिए लाइसेंस देने तथा मंजूरी देने में है। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए हम पंक्ति में खड़े हैं और इस स्थिति में नहीं कि अपनी शर्तें उन्हें मनवा सकें। क्योंकि अन्य देशों द्वारा प्रस्तुत शर्तें अधिक उपयुक्त होती हैं अतः भारत की अपेक्षा उन देशों में निवेश अधिक आकर्षित होता है।" ए० बी० एस० मिशन के अध्ययन दल के प्रतिवेदन में बताई इस स्थिति के संदर्भ में क्या मंत्री महोदय अपने उत्तर को स्पष्ट करेंगे ?

श्री दिनेशसिंह : माननीय सदस्य किसी विशेष जानकारी की मांग नहीं कर रहे हैं अपितु इस देश में विदेशी निवेश के सम्बन्ध में वह चर्चा आरंभ कर रहे हैं। उनके मन में जो मुख्य चिन्ताएं हैं मैं उनका संक्षेप में उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वास्तविक स्थिति यह है कि विदेशी निवेश के

मामले में हमारा कुछ चयनात्मक दृष्टिकोण है। हमारे उद्योगों के कई वर्ग इस प्रकार के हैं जिनके लिए हम विदेशी निवेश का स्वागत नहीं करते। यह अधिक लाभ वाले उपभोक्ता मद उद्योग हैं जिनके सम्बन्ध में हमारा मत है कि इन के लिए विदेशी निवेश तथा लाभों और लाभांशों का बोझा अपनी अर्थव्यवस्था पर डालना उचित नहीं। अत: इस क्षेत्र में हम विदेशी निवेश को प्रोत्साहन नहीं देते। तब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए हम विदेशी तकनीकी जानकारी की अपेक्षा करते हैं न कि विदेशी निवेश की। कुछ क्षेत्र इस प्रकार के हैं जिनके लिए हम विदेशी निवेश एवं विदेशी तकनीकी जानकारी दोनों की अपेक्षा करते हैं। इनमें से कुछ उद्योग अधिक पूंजी की अपेक्षा करते हैं। इनमें से कुछ उद्योगों में पर्याप्त निवेश की अपेक्षा होती है और कुछ के लिए लम्बी अवधि की अपेक्षा होती है। इनमें भी हम मुख्यांश विदेशी साझेदारी को प्रोत्साहित न करके केवल अल्पांश विदेशी साझेदारी को प्रोत्साहित करते हैं। इनमें से कुछ विदेशी निवेश के अवरोधक कारण हैं। कुछ विदेशी कम्पनियां तभी पूंजी लगाना चाहती हैं यदि मुख्यांश उनके पास हो। यह कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर हमने विचार किया है और व्यापक राष्ट्रीय हित की दृष्टि से हमने यह महसूस किया कि विदेशी निवेश को अनियंत्रित छोड़ देने के स्थान पर उसको विनियमित किया जाना चाहिये और बड़े पैमाने पर निवेश न होने का एक कारण यह हो सकता है परन्तु जब हमने इस सम्बन्ध में निर्णय लिया था तभी हम इस बारे में जानते थे और अभी भी हम यह महसूस करते हैं कि हमें प्रतिबन्धात्मक रवैया अपनाना चाहिये। परन्तु यदि हम व्यापक अर्थ-व्यवस्था पर विचार करें तो हमारा यह मत है कि प्रतिरोधक कारण होने के स्थान पर इससे हमें लाभ ही हुआ है।

श्री वीरेन्द्रकुमार शाह : इस विश्वास के साथ कि भारत सरकार की नीति वही है जो इन्होंने बतायी है, मैं नीति के प्रश्न पर नहीं जाऊंगा। परन्तु क्या मंत्री महोदय इस बात को समझते हैं कि उनके मंत्रालय में ही नहीं परन्तु इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग और वैदेशिक व्यापार जैसे मन्त्रालयों में, जिनका काम लाइसेंस देना है, नीति के ढांचे के भीतर कार्यान्वियन में विलम्ब होता है और नीतियों का गलत अर्थ लिया जाता है। इसी कारण निवेश में, चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी रुकावटें आती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कमियां एवं बेरोजगारी आदि होती हैं। क्या माननीय मंत्री हमें बताएंगे कि इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अनुभाग अधिकारी स्तर से लेकर ऊपर मंत्री तक के स्तर का दृष्टिकोण नकारात्मक न हो और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि नीतियों का समुचित तथा सम्पूर्ण कार्यान्वियन हो वह क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री दिनेश सिंह : सभी आवेदन-पत्रों पर विदेशी निवेश बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है तथा उनका अन्तिम निबटान व्यक्तिगत मन्त्रालयों द्वारा नहीं किया जाता। निर्णय लेने की प्रक्रिया केन्द्रीकृत है।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : परन्तु नकारात्मक रवैये के सम्बन्ध में आपका क्या कहना है।

श्री दिनेश सिंह : नकारात्मक रवैया तो मानसिक अवस्था है जो विरोधी पक्ष की ओर अधिक दृष्टिगत होती है न कि सत्तारूढ़ पक्ष की ओर। हम सार्थक रूप से सरकार चला रहे हैं और नकारात्मक रूप से लगातार समालोचन करते हैं।

श्री पीलु मोडी : हम इस सरकार का सार्थक विरोध कर रहे हैं।

श्री मु० कु० तापड़िया : वह देश पर शासन नहीं कर रहे अपितु इसे चला रहे हैं ।

श्री लोबो प्रभु : लगभग तीन मास पूर्व मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वह तीन महीनों के भीतर लाइसेंस के लिये विचाराधीन पड़े पिछले आवेदन-पत्रों का यदि पूर्णतया निपटान नहीं कर देंगे तो उनकी संख्या अवश्य न्यूनतम कर देंगे । इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ? दूसरे, इस बात को विचार में रख कर कि इस समय औद्योगिक निवेश सबसे कम हो रहा है और इस बात को ध्यान में रखकर कि वित्त के सरकारी क्षेत्र में चले जाने के कारण इस समय धन निवेश के लिए उपलब्ध नहीं, तथा साथ ही इस बात को ध्यान में रखकर कि देश में इस समय फालतू औद्योगिक क्षमता विद्यमान है, सरकार लाइसेंस देने की नीति में निहित प्रतिबन्धों को समाप्त क्यों नहीं कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : क्योंकि देश के लिए जो सामाजिक लक्ष्य हमने नियत किये हैं ऐसा करना उनके अनुकूल नहीं । (अन्तर्बाधा)

श्री पीलु मोडी : अरक्षता सरकार का सामाजिक ध्येय है... (अन्तर्बाधा) ।

श्री रंगा : यह उत्तर ठीक नहीं है । न ही वह उत्तर स्पष्ट है । मेरे माननीय मित्र ने उन सभी कथित सामाजिक ध्येयों का वर्णन किया है जो माननीय मंत्री द्वारा अपने मन में तथा उनके प्रशासन द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिये । इन सब बातों के सन्दर्भ में यह विलम्ब क्यों हो रहा है ? प्रश्न केवल इतना है । उनके लिये यह कहना कि ऐसा करना सामाजिक ध्येयों के अनुरूप नहीं, उचित उत्तर नहीं है... (अन्तर्बाधा) पिछले दिनों उनकी प्रधान मंत्री तक ने यह स्वीकार किया कहा जाता है कि विलम्ब हो रहा है और वे विलम्ब को दूर करने के प्रति अपने प्रशासन को सचेत कर रही हैं । इस सम्बन्ध में आप क्या कदम उठा रहे हैं या उठाने का विचार है ।

श्री दिनेश सिंह : यह प्रश्न जापान के साथ सहयोग से सम्बन्धित है ।

श्री रंगा : नहीं... (अन्तर्बाधा)

श्री पीलु मोडी : यह विलम्ब से सम्बन्धित है । और इन्हें जापान के साथ सम्बद्ध किया गया है । (अन्तर्बाधा)

श्री रंगा : हम यहां उनकी नीति के सम्बन्ध में भाषण सुनने के लिए नहीं आए, हम उनकी नीति जानते हैं (अन्तर्बाधा) । वह इस सम्बन्ध में कुछ कष्ट करें और स्थिति का अध्ययन करके समुचित उत्तर दें... (अन्तर्बाधा)

पीलु मोडी : इसमें कहा है कि क्या अन्य के साथ जापानी निवेशकर्ताओं को भी हतोत्साहित किया जाता है । मैं समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे नेता, प्रोफेसर रंगा को खड़े होकर उनसे उत्तर निकलवाना पड़े । यदि आपने स्वयं ही ऐसा किया होता तो यह अधिक उचित होता ।

अध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद । अब मैं आपका रोल अदा करूंगा... (अन्तर्बाधा)

श्री फ० गो० सेन : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह जापानी सहयोग के साथ कुछ कार्य करने वाले हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह लघु क्षेत्र के उद्योगों में सहयोग की बात पर

विचार कर रहे हैं या भारी उद्योगों में ।

श्री दिनेश सिंह : हमने ऐसी सूचियां प्रकाशित की हैं जिनमें उन उद्योगों के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शक सिद्धान्त दिये गए हैं जिनमें विदेशी निवेश और तकनीकी जानकारी की अनुमति दी जाती है तथा जिनमें विदेशी प्रौद्योगिकी तथा निवेश के आयात की अनुमति नहीं दी जाती । समय-समय पर यह प्रकाशित की जाती हैं और यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें उनकी एक प्रति भेज सकता हूं ।

श्री फ० गो० सेन : मैंने जापान के सम्बन्ध में जानना चाहा था । वह सूची तो बहुत बड़ी होगी ।

Delay caused by contractors in the construction of Bokaro Steel Plant

***572. Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Shashi Bhushan :
Shri Rao Deo Singh :

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether the construction of the Bokaro Steel Plant is being delayed because of the delaying tactics of the contractors;

(b) if so, the action taken by Government to remedy the situation ; and

(c) the time by which the construction of said plant is likely to be completed ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) निर्माण की वर्तमान अनुसूची के अनुसार प्रथम धमन भट्टी का निर्माण दिसम्बर 1971 में तथा सम्पूर्ण प्रथम चरण मार्च 1973 में पूरा हो जाएगा ।

Shri Ramavatar Shastri : It appears from the reply given by Hon. Minister that he wants to put a cover on the misdeeds of those contractors who were awarded contract for the construction of Bokaro Plant. Had it not been so or had he seen yesterday's "Patriot" which says :

"Demands for higher price, Manufactures of Refractories go back on contract", he would not have given such a reply. I do not want to go into details of the news item given by the correspondent, but I want to ask :

(a) whether it is a fact that in the event of Government not agreeing to the price rise for items to be supplied to Bokaro and other Steel Plants, the contractors have threatened to stop supplies in contravention of the provisions of the Contract ? If so, the Government's reaction thereto.

(b) whether it is a fact that M/s Indian Fire Bricks and Insulation Company, who are the biggest contractors have increased the prices by 125% for supplies against current contracts i.e. they are demanding an amount of Rs. 86 lakhs against a Contract of Rs. 35.15 lakhs ? If so, the action taken by the government against the company in this regard ?

Mr. Speaker : You are giving information and not asking a question. Now the time is coming to end. How long you would continue like this ?

Shri Ramavatar Shastri : This is necessary. You should not protect him. The hon. Minister should furnish a correct reply.

Mr. Speaker : There is no question of protecting. I have also to perform my duty. You yourself give information and then ask about its authenticity.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Whatever I have stated in reply to hon. Members question is correct. We have held discussions with contractors. There is no bar from Plants' side. Secondly, there are certain difficulties with regard to supplies of equipment and machinery by these contractors. But government solves these difficulties by inviting the attention of the Management of Bokaro Plant towards these difficulties.

Further, he has asked about M/s Indian Firebricks and Insulation Co. It is correct that this company has supplied 34,000 for Refractories to Bokaro Steel Plant and its cost comes to about 31 lakhs of rupees. After supplying a portion there, they requested the government to increase the price and that they should be paid an amount of Rs. 82 lakhs instead of Rs. 31 lakhs of rupees. The government has not agreed to this request. Recently i.e. in September an agreement was concluded with them in accordance with which they have agreed to supply refractories to the Bokaro Steel Plant on old rates. Therefore, the question of raising the price does not arise.

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that in a meeting held during last July between the officials of the Ministry of Steel and Heavy Engineering and Refractory Owners certain decision was taken after reviewing the whole situation ? If so, what are details thereof ? Is it also a fact that contractors have disregarded that agreement also ? If so, what action has been taken against them ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : As I have already stated, the government has discussed the situation with indigenous suppliers of Refractories to Bokaro Steel. They had requested for increase in prices. But the price has not been increased. Discussions are held on such matters.

Shri Shashi Bhushan : Bokaro has been suffering losses due to frequent changes in Schedules. If the companies, which supply bricks for furnaces of Steel Plant and which have demanded double price now, discontinue supplies, your project would not get completed in time. Is the government considering the takeover of that company or black-listing that company and entrusting the job to others ? I also want to know whether the promises made by Soviet Union for supplies were fulfilled in time or not ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : So far as the first question is concerned the Hon. Member wanted to know whether government would take over the Plant, if the suppliers of refractories do not supply bricks and refractories in accordance with the contract ?

Discussions are in progress and if we find that the company is not agreeing to viable prepositions, the government would not feel hesitant to take over the Plant under the provisions of Industrial Development Regulation Act and improve the supply of Refractories.

So far as the question of receiving supplies from USSR is concerned these are being received as per schedule.

श्री राजदेव सिंह : क्या मंत्री महोदय को विश्वास है कि इस तारीख को किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और क्या उस समझौते में कोई ऐसी शर्त है जिसके अनुसार कंट्रैक्टर को दंड दिया जा सके ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का मतलब कौन सी तारीखों से है। क्या उनका मतलब इस्पात संयंत्र के निर्माण की नियत तारीखों से है ? मैं सदन को इस बात पर आश्वासन दे सकता हूं कि हम निर्माण की तारीखों को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे ।

जहां तक दंड की शर्त का संबंध है यह शर्त तो करार में हमेशा होती ही है ।

श्री रा० की० अमीन : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री के पास समुचित सूचना नहीं है । बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में विलम्ब के कारणों पर अभी हाल ही में ससंद की समिति ने विचार किया है और अपने उत्तर में उन्होंने किसी भी कारण का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है और न ही उन्होंने उस कार्रवाई पर विचार किया है जिसके सम्बन्ध में समिति ने सुझाव दिया है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : कौन सी समिति ?

श्री रा० की० अमीन : सरकारी उपक्रम समिति ने पिछले वर्ष सिफारिश की थी । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रिफ्रेक्टरीज की पूर्ति में देरी का कारण रूस द्वारा दिये उसके डिजाइन हैं ?

दूसरे, क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि रूस द्वारा जो मशीनरी की सप्लाई की जा रही है उसका क्रम भी मुख्य रूप से देरी के लिए उत्तरदायी है ।

कुछ माननीय सदस्य : शर्म, शर्म !

श्री रा० की० अमीन : क्या मैं जान सकता हूं...आप ने भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया है...बोकारो इस्पात संयंत्र को किस तिथि तक पूरा किये जाने का विचार है और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : संसदीय समिति की सिफारिशों पर हम समुचित विचार करते हैं और हमें उसके बारे में पूरी जानकारी है···(**अन्तर्बाधा**)

हमने समिति के विचारों के अनुरूप ही उत्तर दिया है और यह ठीक है ।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की सप्लाई में देरी का कारण रूसी परामर्शदाताओं द्वारा दी गई विशिष्टियां हैं । इसमें कोई शक नहीं कि ये विशिष्टियां बहुत कठिन हैं और रूसी परामर्शदाता रिफरेक्टरियों की विशिष्टियों के सम्बन्ध में बहुत नियमनिष्ठ हैं क्योंकि उनका विचार है कि संयंत्र के कार्यकरण में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और यह आवश्यक है कि इनका पालन किया जाए । परन्तु ऐसे मामले भी हुए हैं कि विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ति नहीं हो सकती तब या तो रूस से उनका आयात किया जाता है या कुछ मामलों में उनके (रूसियों) साथ बातचीत के पश्चात् विशिष्टियों में कुछ शिथिलता की गई है । अतः यह नहीं कहा जा सकता

कि विशिष्टियों के कारण पूर्ति में विलम्ब हुआ है । इस प्रकार की कोई बात नहीं है ।

दूसरे उन्होंने पूछा है कि क्या सोवियत संघ से मशीनरी की पूर्ति समयावलि के अनुरूप नहीं हुई है । सोवियत संघ से मशीनरी की पूर्ति समयावलि के अनुरूप हो रही है तथा इसमें कोई देरी नहीं । वास्तविक देरी तो हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन से उपकरणों की पूर्ति में है । **(अन्तर्बाधा)** पूर्ति न केवल अपर्याप्त रूप से होती है अपितु पूर्ति समयावलि के अनुरूप भी नहीं है ।

श्री चेंगलराय नायडू : पहले बोकारो इस्पात संयंत्र के संबंध में आधे घण्टे की चर्चा भी हुई थी । क्या यह सच नहीं है कि रूसियों द्वारा दिये गये नक्शे भी ठीक नहीं हैं तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को गलत नक्शे दिये जाने के कारण सप्लाई समय पर करने में वह निगम असमर्थ है ? क्या सरकार स्थिति की जानकारी प्राप्त करेगी और सोवियत संघ को यह नक्शे ठीक करने एवं इस प्रकार विलम्ब न करने के लिए कहेगी ?

क्या यह सच है कि इस अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप इस संयंत्र में उत्पादित होने वाला इस्पात चांदी के समान कीमती होगा ?

एक माननीय सदस्य : लगभग ।

श्री ए० सी० जार्ज : खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : आप नये सदस्य हैं । मुझे अपनी अवस्था में इस ओर से उस ओर परिवर्तन करना होता है और फिर आप हर बार खड़े हो जाते हैं । आपके दल की ओर से दो सदस्यों ने पहिले ही प्रश्न पूछ लिए हैं । मुझे अफसोस है ।

श्री ब० रा० भगत : हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के पास कम से कम अगले दो वर्षों के लिये पर्याप्त आदेश हैं तथा उन आदेशों के लिए उनके पास पूरी क्षमता है ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह दोषपूर्ण है ?

श्री ब० रा० भगत : किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है । मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूं । क्या किसी संसदीय समिति ने ऐसा कहा है जिसकी ओर माननीय सदस्य निर्देश कर रहे हैं । अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा है । यदि वे दोषपूर्ण हैं तो इस संबंध में मैं जांच करूंगा । परन्तु हमारी जानकारी में यह बात नहीं आई है । मेरे विचार में पहली बार ऐसा कहा गया है ।

श्री चेंगलराया नायडू : लागत के बढ़ने के संबंध में क्या स्थिति है ? इसकी लागत चांदी के समान होगी ।

श्री ए० सी० जार्ज : इस सदन के माननीय सदस्य ने एक खतरनाक रहस्योद्घाटन दिया है । आज के समाचार पत्र में छपा है कि बोकारों के इस्पात की लागत 4,100 रुपये प्रति टन होगी जबकि हिन्दुस्तान स्टील द्वारा इस समय इसे 1800 रुपये पर बेचा जा रहा है । क्या माननीय मंत्री इस स्थिति का स्पष्टीकरण करेंगे ? श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा कहा है । आज के समाचार पत्र में ऐसा छपा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस्पात की लागत के संबंध में पूछ रहे हैं या पूंजीगत लागत के संबंध में ?

श्री ए० सी० जार्ज : उसमें एक विशेष आंकड़ा, अर्थात् 4,100 रुपये, बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : विक्रय मूल्य के आंकड़े उनके पास नहीं हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : महोदय, वह उत्पादन की पूंजीगत लागत के बारे में पूछ रहे हैं। उत्पादन लागत और पूंजीगत लागत में बहुत अन्तर है। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि श्री वाजपेयी ने कहा कि बोकारो में उत्पादित इस्पात 4,100 रुपये प्रति टन पर बेचा जायेगा। श्री वाजपेयी एक ओजस्वी वक्ता हैं और मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस आधार पर ऐसा कहा। महोदय, बोकारो में निवेश लागत प्रति मिट्रिक टन 2,500 रुपये होगा न कि 4,100 रुपये प्रति मिट्रिक टन जैसा कि श्री वाजपेयी द्वारा बताया गया।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री द्वारा हमें यह बताया गया है कि देरी रूस द्वारा सप्लाई के परिणामस्वरूप नहीं अपितु हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की ओर से है। कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री ने कहा था कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के पास पर्याप्त आदेश नहीं अतः फैक्टरी में उपर्युक्त क्षमता है। हैवी इंजीनियरिंग एकक की स्थापना चैकोस्लोवेकिया तथा रूसी सहयोग से हुई है। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन बोकारो इस्पात संयंत्र की आवश्यकतानुसार सप्लाई समय पर क्यों नहीं कर पा रहा है।

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आदेशों की कमी नहीं है। उनके पास अगले दो वर्षों के लिए आदेश हैं। सभी उत्पादन आदेश पहले हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को दिये जाते हैं। परन्तु हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में उत्पादन समयावलि पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई है। इसके लिये हर संभव प्रयास किया जाता है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा सभी उपकरणों एवं संरचनाओं की सप्लाई समयावलि के अनुरूप हो और पिछड़ गई सप्लाई को भी वे पूरा कर रहे हैं जिससे कि पहली धमन भट्टी को दिसम्बर 1971 तक पूरा किये जाने की समयावलि के संबंध में कोई गड़बड़ी न हो।

श्री बलराज मधोक : हमें अभी बताया गया है कि रूसी विशिष्टियों के अनुरूप रिफ्रेक्टरीज की सप्लाई में देरी नहीं होती। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारतीय निर्माता रूसी विशिष्टियों के अनुरूप रिफ्रेक्टरी ईंटों की सप्लाई सस्ती दर पर कर रहे हैं जबकि रूसी लोग रूसी ईंटें आयात करना चाहते हैं जबकि उनका मूल्य तीन गुणा महंगा है और इसी कारण वे भारतीय रिफेक्टरी ईंटें रद्द कर रहे हैं और यदि हां तो क्या इस संयंत्र के निर्माण में देरी का एक कारण यह भी है ?

श्री ब० रा० भगत : नहीं, स्वदेशी निर्माताओं की क्षमता के अनुरूप क्रयादेश उन्हें दिये जा रहे हैं। वस्तुतः हम अधिक रिफ्रेक्टरी संयंत्रों की स्थापना करके वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने की सोच रहे हैं। स्वदेशी निर्माताओं की क्षमता के अनुरूप आदेश उन्हें दिये जा रहे हैं। यह ही केवल एक सन्तुलन है...

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि रिपोर्ट में यह लिखा है कि भारतीय निर्माताओं द्वारा दी जा रही ईंटों के विशिष्टियों के अनुरूप होते हुए भी तथा उनके सस्ते होने पर रूसी लोग जानबूझ कर उन्हें स्वीकार नहीं करते क्योंकि वे रूस से ईंटों का आयात करना चाहते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इसमें जानबूझकर किया जाने वाला कोई प्रयास नहीं है। निर्माण के स्वरूप तथा आवश्यकता के कारण विशिष्टियां कठिन हैं और जब ईंटें विशिष्टियों के अनुरूप न हों तो कठिनाई होती है। अन्यथा भी कई ऐसे मामले हुए हैं जहां पर एक बार, दो बार तथा तीन बार रद्द होने के बाद भी भारतीय निर्माता विशिष्टियों के अनुरूप माल बना सके हैं और उनके द्वारा की गई सप्लाई को स्वीकार किया गया है।

संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के सहयोग से स्कूटरों का निर्माण

*575 **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के बीच आर्थिक सहयोग करार के अन्तर्गत संयुक्त रूप से स्कूटरों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस वर्ष जुलाई और सितम्बर में हुई त्रिपक्षीय वार्ता में यह स्वीकार किया गया था कि एक मशहूर किस्म के स्कूटर उत्पादन की संभावना तीनों ही देशों को मान्य होगी। स्कूटर के नमूने पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है। बनाए जाने वाले स्कूटर के विशिष्ट नमूने पर तीनों पक्षों द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय कर लिये जाने के पश्चात् ही आगे कार्यवाही की जाएगी।

Shri Beni Shanker Sharma : The hon. Minister has just now stated that the model of the scooter has not been finalised. May I know the price of scooter which would be manufactured with the economic assistance of U.A.R. and Yugoslavia and whether that would be cheaper than the scooters which are sold in the market now-a days ?

श्री मं० रं० कृष्ण : माननीय सदस्य समय से पूर्व स्कूटर का मूल्य पूछ रहे हैं। हमें अभी उस माडल पर निर्णय करना है जो तीनों देशों को स्वीकार्य होगा। प्रत्येक देश कहां तक इन वस्तुओं को बना सकेगा, यह जानने के पश्चात् ही हम मूल्य के बारे में निर्णय कर सकेंगे।

Shri Beni Shanker Sharma : Mr. Speaker, Sir, so far as the general public is concerned they have nothing to do with the model. They want scooter which may be used by the people of middle-class. I want to know the capacity of scooter-manufacturing factories in our country and whether they are producing to their rated capacity and if not, why and the steps being taken in this regard by the government ?

अध्यक्ष महोदय : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है। यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

श्री मं० रं० कृष्ण : स्कूटर की कीमत का सम्बन्ध इन तीनों देशों में जिस कीमत पर स्कूटर प्राप्त होगा उस कीमत से है ।

जहां तक स्कूटर का सस्ते मूल्य पर मिलने का प्रश्न है, हमने इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर कर ली है और 12 फर्मों को आशय-पत्र दे दिये हैं अतः जब उनका उत्पादन आरंभ हो जायेगा तो कीमत का पता लग सकेगा ।

श्री सु० कु० तापड़िया : कीमत कितनी कम होगी ?

श्री वेणी शंकर शर्मा : महोदय, माननीय मंत्री ने मेरे इस प्रश्न का, कि वर्तमान कारखानों की क्या क्षमता है तथा वे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन कर रहे हैं अथवा नहीं, उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य तथा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे अध्यक्ष की बात भी सुनें । ज्योंही माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न पूछा था उस समय मैंने कहा था कि वह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं हुआ था परन्तु मंत्री महोदय ने उसका उत्तर देना आरम्भ कर दिया और वह उसका उत्तर दे चुके हैं । वह स्वयं विस्तारपूर्वक बोल रहे हैं फिर भी मैं उन्हें रोक नहीं रहा हूं । अब मंत्री महोदय उनके प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री मं० रं० कृष्ण : वह प्रश्न पूछें क्योंकि मैं आपकी बात मानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब तो बहुत देर हो गई है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : वर्तमान स्कूटर निर्माता अपनी अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं । वर्ष 1973-74 में देश में लगभग 2,10,000 स्कूटरों की आवश्यकता होगी । वर्तमान लाइसेंस-शुदा कारखाने और सरकारी क्षेत्र में खुलने वाले कारखाने मिलकर देश की मांग को पूरा कर सकेंगे ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : आज की क्या स्थिति है ?

श्री क० नारायण राव : मंत्री महोदय ने बताया है कि अभी वह इस बारे में ही निर्णय कर रहे हैं कि किस प्रकार का स्कूटर बनाया जाये । इस विशेष सहयोग का स्वरूप क्या है, किन-किन स्थानों पर स्कूटर बनाने के स्थल बनाये जाने हैं, इनमें कितनी पूंजी लगाई गई है और विभिन्न भागीदारों में उसे किस प्रकार वितरित किया जायेगा ?

श्री मं० रं० कृष्ण : जिस समिति ने इसका अध्ययन किया है उसने प्रत्येक देश द्वारा जो पुर्जे बनाये जा सकेंगे उनके बारे में निर्णय किया है । लगभग 70 प्रतिशत भारत में, 20 प्रतिशत संयुक्त अरब गणराज्य में और 10 प्रतिशत बढ़िया किस्म के पुर्जे यूगोस्लाविया में बनाये जायेंगे । अन्य अपेक्षित जानकारी के बारे में इस समय कुछ कहना समय से बहुत ही जल्दी है ।

श्री ए० श्रीधरन : जब हमारे पास स्कूटर बनाने के लिए देशी क्षमता और योग्यता है तो क्यों सरकार विदेशों के साथ सहयोग कर रही है । हाल ही में केरल में बेरोजगार इंजीनियरों की एक सहकारी संस्था द्वारा बनाये गये शानदार स्कूटर का दिल्ली में प्रदर्शन किया गया था और औद्योगिक विकास मंत्री......

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न से सम्बद्ध बात कहें ।

श्री ए० श्रीधरन : मैंने केवल एक उदाहरण दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब जगह बनाया जाता है, पंजाब में भी बनाया जाता है । दो देशों के साथ सहयोग के प्रस्ताव के बारे में प्रश्न है । उन्हें प्रसंगयुक्त बात कहनी चाहिये ।

श्री ए० श्रीधरन : देश के भीतर उद्यम को प्रोत्साहन देने के स्थान पर सरकार विदेशों से सहयोग क्यों करना चाह रही है जबकि स्थानीय उद्यम से हमारे बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार भी मिलेगा ?

श्री मं० रं० कृष्ण : भारत में अपेक्षित स्कूटरों के निर्माण के लिये सहयोग की आवश्यकता नहीं है । यदि देशी निर्माता हैं तो हम उन सबको प्रोत्साहित करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार ऐसा करेगी ?

श्री मं० रं० कृष्ण : माननीय सदस्य ने जिस केरल वाले कारखाने के बारे में उल्लेख किया है उसे भी हम सहायता देंगे । परन्तु यह एक त्रिपक्षीय बात है जिसमें दो अन्य देश भी शामिल हैं। अतः उन दोनों देशों को जो स्कूटर स्वीकार्य होगा उसे यहां भी बनाना पड़ेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : किसी करार के अधीन स्कूटरों के उत्पादन के संयुक्त प्रस्ताव का स्वागत करने के साथ-साथ क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि इस समय हमारे देश में प्रति स्कूटर लगभग 1,000 रुपये का प्रीमियम मिलता है ।

एक माननीय सदस्य : 2,000 रुपये ।

श्री स० मो० बनर्जी : 3,600 रुपये के मूल्य वाला स्कूटर 4,500 रुपये या 5,000 रुपये से कम कीमत में नहीं मिल सकता है । यदि हां, तो देश में और अधिक स्कूटर बनाने और उन्हें मध्य वर्ग के उन कर्मचारियों को मुहैया करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जो अपने कार्यालयों से स्कूटर खरीदने के लिये कर्जा ले रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : मौजूदा कारखानों की स्थिति क्या है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न श्री बी० एस० शर्मा के प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : यह श्री श्रीधरन के प्रश्न से मिलता-जुलता प्रश्न है । उन्होंने केरल के बारे में पूछा; माननीय सदस्य समस्त देश के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रीमियम के भाग की क्या स्थिति है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : यह सच है कि इन स्कूटरों को अत्यधिक प्रीमियम लेकर बेचा जाता है । हमने निर्माताओं के समक्ष इस मामले को रखा है । जब सप्लाई में कमी हो जाती है तो कुछ विक्रेता इस कदाचार में लिप्त हो जाते हैं । इस कारण जो लाइसेंस-शुदा स्कूटर बनाये जा रहे थे उनके अलावा हम सरकारी क्षेत्र में एक लाख स्कूटर बनाना चाहते हैं ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : हमें किसी अवस्था में कुछ कार्यवाही करनी है । अभी हमने यह कार्यवाही की है और मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही स्थिति में सुधार हो जायेगा ।

मुस्लिम स्वीय विधि में संशोधन

*582. **श्री हेम बरुआ** :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मुसलमानों के एक वर्ग ने मुस्लिम स्वीय विधि में तब्दीली की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो किन पहलुओं के विषय में तब्दीली की माँग की गयी है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) इस मंत्रालय को ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें मुस्लिम स्वीय विधि में तब्दीली की मांग की गई हो ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि विवाह के सम्बन्ध में मुस्लिम स्वीय विधि को समान रूप देने की मांग की गई थी ?

श्री जगन्नाथ राव : उस सम्बन्ध में हमें किसी एसोसियेशन की ओर से कोई ज्ञापन नहीं मिला है ।

श्री हेम बरुआ : इस देश में समुदायों के बीच विवाह के सम्बन्ध में समान रूप से विवाह किये जाने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री जगन्नाथ राव : स्वीय विधि होने के नाते सरकार महसूस करती है कि समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रख कर उसे समान बनाया जाये ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The former Minister of Law, late Shri Govind Menon stated in a half-an-hour-discussion that the Government of India was taking much interest in enacting a legislation in that regard. May I know the time by which the assurance given by the former Minister would be considered and by what time the Government will do something in this regard ?

श्री जगन्नाथ राव : जब तक समुदाय मौजूदा स्वीय विधि में कोई संशोधन करने के लिए इच्छुक नहीं हो जाता तब तक सरकार यह महसूस करती है कि उसे कोई संशोधन नहीं करना चाहिये ।

Manufacture of Engines and Coaches During Forth Plan

*583. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of narrow gauge engines, passenger coaches and wagons proposed to be manufactured in th ecountry during the Fourth Five Year Plan period ; and

(b) the details of the programme proposed to be chalked out for converting narrow gauge lines into metre gauge or broad gauge lines ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri R. L. Chaturvedi) : (a) It is proposed to manufacture the following narrow gauge locomotives, passenger coaches and wagons during the Forth Plan period:—

Locomotives	...	10
Passenger Coaches	...	139
Other Coaching Vehicles	...	29
Rail Cars	...	20
Wagons	...	1181

(b) No specific policy has been laid down in regard to conversion of narrow gauge lines to either Broad Gauge or Metre Gauge. Each case will be considered on its merits, depending on the traffic and financial justification and the availability of funds, duly keeping in view the recommendations of the Uneconomic Branch Lines Committee of 1969 in regard to these lines ?

Shri Yashwant Singh Kushwah : May I know the time by which the manufacture work of locomotives etc. would start and will the number of locomotives which they are going to manufacture, would meet the requirement of narrow gauge lines ?

Shri R.L. Chaturvedi : All these matters are being considered at this time and no final decision has been taken. We have placed certain tentative orders regarding stocks and locomotives. The report of the Uneconomic Branch Lines Committee about Narrow-gauge lines is being considered seriously but it will be properly considered only when one financial position is clear and all these things, the requirement and how far we will be able to meet it, have to be looked into.

So far as the second question is concerned, nothing is possible to say at this stage as to what would be our requirements of Narrow-gauge lines during this Plan and Fifth Plan and how far we will be able to fulfil them.

Shri Yashwant Singh Kushwah : Mr. Speaker, Sir, so many years have elapsed since independance but this Government could not so far decide the time which will be taken in converting Narrow-gauge lines into Broad-gauge lines in the country and nor any final scheme has so far been devised in this respect. The Government have also not so far considered about the requirements of locomotives for these narrow-gauge lines till the time these lines are converted into Broad-gauge lines. They have also not chalked out any final programme for the construction of these locomotives. What steps the Government are taking for immediate removal of this carelessness and in supplying the required materials for meeting the requirements of narrow-gauge lines immediately ?

Shri R. L. Chaturvedi : I have just now stated that we are aware of the requirements and taking action in this regard. Orders have also been placed for certain materials. As soon as the locomotives are ready, they will be provided.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने उसके प्रतिस्थापन के लिए कोई निश्चित, अनुसूचित कार्यक्रम बना रखा है। यह सीधा सा प्रश्न है और मंत्री महोदय इसका 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दे सकते हैं।

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : मूल प्रश्न के उत्तर में मैं यह कह चुका हूं कि रेल के डिब्बों, माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों के लिए हमने अनुसूचित कार्यक्रम बना रखा है।

डा० राम सुभग सिंह : मंत्री महोदय सदन से अनुपस्थित हैं। उप-मंत्री महोदय ने स्वयं नैरो-गैज लाइनों का प्रश्न रखा। जैसा कि श्री ज्योतिर्मय बसु कहते हैं कि सदन यह जानता है कि शाहदरा-सहारनपुर नैरो-गैज प्रणाली को बन्द कर दिया गया है तथा दूसरी नैरो-गैज रेलवे भी बंद की जाती है। सैंकड़ों कर्मचारियों और लाखों लोगों को इन लाइनों के बंद किये जाने के फलस्वरूप हानि होने वाली है। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उन लाइनों को बन्द न किया जाये।

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : यह सर्वथा एक भिन्न प्रश्न है। मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे मंत्री ने शाहदरा-सहारनपुर रेलवे लाइन के बारे में कुछ सुझाव देकर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है परन्तु उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। ऐसी दशा में मैं कुछ और अधिक नहीं कह सकता हूं।

Shri Hem Raj : In the report submitted about Uneconomic Lines one of the recommendations was there that the Narrow-gauge lines, wherever they are, should be dieselised because coal is hardly supplied there and if it is supplied it reaches there late and much coal goes waste also. May I know whether the Narrow-gauge lines would be dieselised during the Fourth Five Year Plan and diesel locomotives would be introduced on Kangra Valley Railway lines so that goods could be transported in a shorter time ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को प्रश्न का क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास न करने के लिए निवेदन करता हूं। यदि मैं किसी सदस्य से यह कहता हूं तो मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तत्पर रहते हैं; वह मेरी बात सुनते नहीं हैं। नैरो-गैज इंजनों, सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों के बारे में प्रश्न चल रहा है परन्तु अब तो नैरो-गैज रेलवे लाइनों के बारे में भी प्रश्न किये जा रहे हैं।

श्री हेमराज : मैं नैरो-गैज रेलवे लाइनों पर डीजल के इंजन चलाये जाने के बारे में पूछ रहा हूं··· (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। वह तो इसे हिमाचल प्रदेश ले जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : महोदय, आपने अभी-अभी कहा है कि माननीय सदस्य प्रश्न के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा क्या मैं जान सकता हूं कि एक माननीय सदस्य जो मंत्री पद पर आसीन हैं, क्या उनके लिए इस प्रश्न को उठाना और समस्या उत्पन्न करना उचित है। भूतपूर्व मंत्री के नाते क्या वह, जिन्होंने गोपनीयता की शपथ ली है, यह प्रश्न कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका था कि शपथ बहुत पुरानी पड़ गई है। वह विरोधी दल के

नेता हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मंत्री होने के नाते इस सदन में मैंने घोषणा की थी कि किसी भी रेलवे लाइन को बंद नहीं होने दिया जायेगा और शाहदरा-सहारनपुर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में एक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया जायेगा परन्तु वर्तमान सरकार अपने सदाचार के कारण उस बात का उल्लंघन कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : यह भूतपूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री के बीच कोई वाद-विवाद नहीं है । कृपया प्रश्न उत्तर दें ।

श्री हेमराज : मैंने डीजल के इंजन चलाये जाने के बारे में पूछा था ।

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी : माननीय सदस्य द्वारा डीजल के इंजनों के बारे में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मैं कह चुका हूं कि जहां कहीं संभव हो सकेगा और ज्योंही डीजल रेल कारें तैयार हो जायेंगी त्योंही उन्हें लगा दिया जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, Sir, may I ask about part (b) of the question? Fortunately at that time Shri Rohan Lal Chaturvedi was holding the portfolio of the Deputy Minister of Railways and he assured in this very House that the Ministry of Railways was surveying the feasibility of converting Shahdara-Saharanpur Narrow-gauge line into Broad-gauge line; whether that survey has been completed ?

Secondly, that Railway line has been lying closed for the last four and a half months, Is the hon. Minister of Railways awaiting the day when the people of that concerned area start agitation at his residence and will Shri Chaturvediji reply only on that day ?

Shri R. L. Chaturvedi : It had already been replied to and we are getting it surveyed but its examination has not yet been completed.

इस्पात का आयात

*584. **श्री सु० कु० तापड़िया ।** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उद्योगों ने यह आग्रह किया है कि इस्पात का आयात चुनी हुई किस्मों के आधार पर किया जाये;

(ख) देश में इस्पात कुल कितनी मात्रा में उपलब्ध है तथा उद्योगों में इस्पात की कुल कितनी आवश्यकता है; और

(ग) मांग और पूर्ति में कितना अन्तर है और उसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) लोहे और इस्पात के लिए आयात नीति हमेशा सुविशिष्ट आधार पर बनाई जाती

है। उद्योग विशेष अथवा उद्योग समूहों द्वारा इस्पात की मांग भी सामान्यतः उन्हीं वर्गों के लिए होती है उनकी उन्हें आवश्यकता होती है।

(ख) स्टीयरिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार 1970-71 में 55 लाख टन की घरेलू मांग का अनुमान था और उपलब्धि लगभग 50 लाख टन होने की संभावना है। स्टीयरिंग ग्रुप की रिपोर्ट के पश्चात् मांग बढ़ जाने के कारण घरेलू आवश्यकताएं उस समय लगाये गये अनुमान से कुछ अधिक हो सकती हैं।

(ग) उपलब्धि और मांग के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) आंतरिक उत्पादन की बाधाओं से निबटना जिससे उन्हें शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जा सके।

(2) निर्यात का नियमन।

(3) सामान्य आयात नीति के अतिरिक्त विभिन्न आयात कार्यक्रम को शुरू करना। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) वास्तविक उपभोक्ताओं के पास मौजूद आयात लाइसेन्स में तदर्थ वृद्धि।

(ख) वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा कुछ वर्गों के आयात में उनके 1969-70 कुल खपत के 50 प्रतिशत तक विशेष अनुमति और सभी वर्गों के साधारण इस्पात के पक्के निर्यात आदेशों के लिए पूर्ण आयात की अनुमति।

(ग) सरकारी उपक्रमों द्वारा थोक आयात की व्यवस्था।

श्री सु० कु० तापड़िया : श्रीमान जी, मैं सीधे प्रश्न पर ही आता हूं। इस्पात की कमी होने की वजह से, लगभग छः सप्ताह पूर्व सरकार ने इस आशय की नीति की घोषणा की थी कि निर्माताओं को उनके पिछले वर्ष उपभोग किये गए इस्पात के 50 प्रतिशत के आधार पर सलाखों और अन्य समान वस्तुओं के आयात करने की अनुमति दी जायेगी। यद्यपि छः सप्ताह बीत चुके हैं, परन्तु फिर भी सरकार द्वारा इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है......

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न में कहां से आ गया ?

श्री सु० कु० तापड़िया : यह इस प्रश्न में ही अन्तर्निहित है। यह इस्पात के आयात के बारे में है। सरकार ने एक नीति सम्बन्धी निर्णय किया है, मगर लाइसेन्स जारी नहीं किये जा रहे।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना सीधा सवाल पूछिये।

श्री सु० कु० तापड़िया : छः सप्ताह पूर्व एक नीति सम्बन्धी निर्णय किया जा चुका है। जिन वस्तुओं ने लिए आयात लाइसेन्स जारी करने की घोषणा की जा चुकी है, फिर उनके लिए आयात लाइसेंसों के जारी करने में क्या बाधायें उपस्थित हो रही हैं, और उक्त लाइसेन्सों के कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : नई उदार आयात नीति के अन्तर्गत, 1969-70 के उपभोग के आधार पर जिन लाइसेन्सों को जारी किया जाना है, उन पर विचार किया जा रहा है और उनके बारे में बहुत शीघ्र निर्णय कर लिया जायगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं यह चाहता हूं कि मन्त्री महोदय स्पष्ट उत्तर दें। मेरा प्रश्न तो यह था कि जब नीति सम्बन्धी घोषणा छः सप्ताह पूर्व कर दी गई थी, तो लाइसेन्सों के जारी किए जाने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है और कब तक उन्हें जारी कर दिया जायगा।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है। पहले भी, छः महीने पूर्व 60,000 टन इस्पात का आयात किया गया था। और लगभग 20,000 टन इस्पात का अभी भी अलाटमेंट नहीं किया गया है। जब देश में इस्पात का अभाव है ; फिर भी जो इस्पात देश में पहले ही आ चुका है, उसका शीघ्रतापूर्वक अलाटमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। उसमें जंग लग रही है और अभावग्रस्त उद्योग को इसे आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य बहुत अस्पष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न किस्म के इस्पात की आवश्यकता होती है। मोटर उद्योग को एक विशेष किस्म के इस्पात की आवश्यकता होती है और निर्यात इंजीनियरिंग उद्योग को एक अन्य किस्म के इस्पात की। कुछ किस्मों के इस्पात का वितरण नहीं हुआ है; परन्तु उद्योग की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा चुकी है। निर्यात के बारे में, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इनके बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और बहुत शीघ्र ही अगले 10-15 दिनों में निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : उन्होंने यह कहा कि प्रश्न अस्पष्ट है। उद्योग द्वारा अपनी आवश्यकता के आधार पर किए गए मांग-पत्रों के आधार पर ही इस्पात का आयात किया गया था। इसलिए, इस्पात न लेने का प्रश्न ही कहां उठता है ? आप इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री महोदय को कुछ और कहना है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं अत्यधिक योग्य और शालीन व्यक्तित्व सम्पन्न मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या अभी हाल में इस्पात ट्यूब उद्योग को इस शर्त पर उदारतापूर्वक आयात करने की अनुमति दी गई थी कि वह भारी मात्रा में विदेशों को निर्यात करेगा और उनसे इस बारे में कोई दृढ़ आश्वासन भी नहीं लिया गया था कि अगर इस प्रकार का निर्यात न किया गया, तो उन्हें दण्डित किया जायेगा ? अगर बिना कोई बैंक गारंटी लिए ही, इस प्रकार की गतिविधि जारी रहने दी जाती है, तो अमीचन्द प्यारेलाल फर्म की भाँति धोखाधड़ी होगी। सम्बद्ध व्यक्तियों से मन्त्रालय द्वारा कोई भी वचन लिये बिना ही उद्योग को भारी मात्रा में आयात करने की अनुमति दे दी गई है। अगर इस प्रकार का वचन ले लिया गया होता, तो निर्यात वचनों को पूरा करने में उद्योग द्वारा असफल रहने पर सरकार उद्योग को वचन पालन के लिए बाध्य कर सकती थी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हमें यह मालूम है कि पूरक प्रश्नों में व्यंग्य और आक्षेपों का कोई

स्थान नहीं होता। क्या इसमें बहकाने-फुसलाने की अनुमति है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : यह सच है कि इस्पात की कमी की स्थिति से निपटने के लिए, आयात की उदारतापूर्वक अनुमति दी गई है। आयात, वास्तव में, हुआ नहीं है, परन्तु लाइसेन्स दे दिये गए हैं। जहां तक ट्यूब उद्योग का सम्बन्ध है, वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय ने यह कहा है कि कतिपय पार्टियां ऐसी हैं जिन पर अपने निर्यात वायदों को पूरा करने में असफल रहने के कारण न्यायालय में मामले निर्णयाधीन हैं। न्यायालय में निर्णयाधीन मामलों के कारण उन्हें हो रही कठिनाई के कारण उनकी सहायता करने के लिए, मन्त्रालय ने कहा कि उन्हें कुछ मात्रा में इस्पात का आयात करने की अनुमति दे दी जाय, जिससे कि वे अपने वचनों को पूरा कर सकें। उन मामलों में लाइसेन्स दे दिये गए हैं। कोई गारंटी न लेने अथवा वचनों को पूरा न करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : श्रीमन्, मैं आपसे सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सावधानी बरती गई है कि निर्यात के मामले में असफल रहने पर उन्हें दण्ड दिया जाएगा ? एक निश्चित प्रश्न का निश्चित उत्तर क्यों नहीं मिलता ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सुरक्षा की मांग करता हूं। कृपया बैठ जाइये।

श्री ब० रा० भगत : मैं समझता हूं कि मैंने एक निश्चित उत्तर दिया है। परन्तु अगर वह लाइसेन्स की शर्तों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वे वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय द्वारा जारी किये जाते हैं और वह मन्त्रालय ही इस बारे में ब्यौरा दे सकेगा।

पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त कारखानों का लाभकारी कारखानों के साथ विलय

***585. श्री राम किशन गुप्त :**

श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने सरकार को सुझाव दिया है कि पश्चिम बंगाल के संकटग्रस्त कारखानों को लाभकारी कारखानों में विलय करने की अनुमति दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

छोटी कार के आने पर महानगरों में यातायात का प्रस्ताव

*573. **श्री चं० चु० देसाई :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों तथा बड़े शहरों में यातायात की वर्तमान स्थिति तथा छोटी कार परियोजनाओं द्वारा उत्पादन आरम्भ करने के बाद प्रति वर्ष बड़ी संख्या में छोटी कारों के आ जाने पर अपेक्षित अग्रेतर सुधारों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या योजना आयोग तथा अन्य किसी प्राधिकरण ने महानगरों तथा बड़े शहरों में वर्ष-प्रति-वर्ष छोटी कारों के आ जाने से सड़कों या यातायात बहुत ज्यादा बढ़ जाने की स्थिति का सामना करने के लिए कोई बृहत् योजना तैयार की है ; और

(ग) यातायात को सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश को अनुमानतः कितनी पूंजी खर्च करनी पड़ेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) योजना आयोग के महानगर परिवहन दल (मेट्रोपोलिटन ट्रान्सपोर्ट टीम) ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली के महानगरों में वर्तमान यातायात तथा परिवहन समस्याओं की जांच की है ।

(ख) सड़क यातायात पर छोटी कारों के प्रभाव के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Industrial Conference in Tokyo

*574. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the **Minister of Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the representative of India made a proposal on the 19th September in the Second Industrial Conference held at Tokyo to the effect that the Asian countries should consider the question of sharing with each other their own technical know-how instead of obtaining the same from the developed countries at high rates;

(b) if so, the names of the countries which were in agreement with this proposal; and

(c) the names of such Asian countries from which technical know-how is expected to be received by India according to the said proposal ?

The Minister of Industrial Development and Internal Trade (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir, a suggestion to this effect was made.

(b) The Conference endorsed the suggestion made by us.

(c) The idea is to promote mutual interchange between the countries of the region. Specific arrangements will depend on our needs and the growth of technology in the region.

औद्योगिक नीति निर्धारित करते समय राज्य सरकारों से परामर्श

*576. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नीति का निर्धारण करते समय राज्य सरकारों से परामर्श करने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने हाल ही में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो किए गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक नीतियों के तैयार करते समय तथा औद्योगिक लाइसेन्स की प्रक्रिया में राज्य सरकारों के विचारों पर सदैव समुचित ध्यान दिया गया है। नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

विदेशों में संयुक्त उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष सैल

*577. **श्री यशपाल सिंह** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में संयुक्त उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु उनके मंत्रालय में एक विशेष सैल स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वे देश कौन-कौन से हैं जहां संयुक्त उद्योगों की स्थापना करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सभी देशों में विशेषकर एशिया, अफ़्रीका और लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों में संयुक्त उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा अमेरिका को मशीनी औजारों की सप्लाई

*578. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी तकनीकी विशेषज्ञ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित मशीनी औजारों के स्तर के बारे में सन्तुष्ट हो जाने के पश्चात् इस बात पर सहमत हो गये हैं कि वे भारत को अपेक्षित मशीनें और जानकारी सप्लाई करेंगे और फिर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अमरीकी बाजार में विशेष मशीनी औजार सप्लाई करेगा ; और

(ख) क्या औद्योगिक क्षेत्र में विकसित अन्य देशों के साथ भी भारत की इसी प्रकार की व्यवस्था है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० बंगलौर ने अमेरिका की मण्डी में बेचने के लिए हैवी ड्यूटी इन्जनों की खरादों व बरमा करने, मशीन से तैयार करने व छिद्र करने के काम आने वाले मशीनिंग सैन्टरों के संयुक्त विकास के लिए अमेरिकी टूल कम्पनी के साथ लाइसेन्स संबंधी एक करार किया है। अमेरिकी वितरकों, मशीन टूल्स संबंधी प्रमुख प्रकाशनों के सम्पादकों और मैसर्स विले लेबोरेटरीज के अधिकारियों के एक दल ने हाल ही में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की यूनिटों का निरीक्षण किया और उन्हें विश्वास हो गया कि अमेरिका को जिस कोटि व आधुनिक किस्म की छोटी मशीनों की आवश्यकता है, उनके उत्पादन में वे सक्षम हैं। एच० एम टी० ने रेडियल ड्रिलों की बिक्री व सर्विस के लिए और भारी व आधुनिक रेडियल ड्रिलों के संयुक्त विकास व उत्पादन के लिये भी पश्चिम जर्मनी के मैसर्स हरमन कोल्ब के साथ भी करार किया है। यह समझा जाता है कि गैर सरकारी क्षेत्र में भी कुछ कम्पनियां इसी प्रकार के करारों के लिए बातचीत कर रही हैं।

दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात संयंत्र में दोष

*579. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थित इस्पात मिल तथा मिश्रित इस्पात परियोजना के अन्य के डिजाइन में गम्भीर तकनीकी दोष प्रकाश में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय इंजीनियरिंग तथा डिजाइन ब्यूरो ने इस बारे में खोज की है और पता लगाया है कि इसके लिये सलाहकार उत्तरदायी है अथवा संयंत्र के सप्लाईकर्ता; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० ने दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात कारखानों की कुछ त्रुटियों, विशेषतः शीट मिल कम्पलेक्स की त्रुटियों, पर सरकार का ध्यान दिलाया।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

मशीन टूल्स के सहायक कारखानों की स्थापना

*580. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के लिये कल-पुर्जे बनाने के हेतु सरकार का विचार मशीनी पुर्जों का निर्माण करने वाले दो सहायक कारखाने स्थापित करने का है ;

(ख) प्रस्तावित कारखानों के प्रस्तावित स्थान तथा उनकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता क्या होगी; और

(ग) इस बात को रोकने के लिए कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में ही उद्योगों का जमाव न हो

जाये जिससे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों का अहित हो, कारखानों के स्थान के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) भारत सरकार का हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के लिए पुर्जे बनाने के लिए छोटी मशीनों का सहायक सामान बनाने का संयंत्र स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। फिर भी स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र लिमिटेड, बम्बई (एस० आई० सी० ओ० एम०) तथा तमिलनाडु इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन तमिलनाडु, (टी० आई० डी० सी० ओ०) ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड से छोटी मशीनों का सहायक सामान बनाने के संयंत्र स्थापित करने के लिये संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने का निवेदन किया था। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर ने अब संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करके उन्हें संबंधित निगमों को दे दी हैं।

स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र लिमिटेड बम्बई बाद की हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० से इस योजना की कार्यान्वित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निवेदन किया था। एन० एम० टी० ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना स्वीकार कर लिया है। इस संयंत्र के स्थापना स्थल और उत्पादन क्षमता के ब्यौरे अभी निश्चित किए जाने हैं।

दि तमिलनाडु इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन का विचार इस एकक को तमिलनाडु के उत्तरी अर्काट जिले के आरकोणम में स्थापित करने का है जिसकी 92,00000 रु० के मूल्य की वार्षिक उत्पादन क्षमता होगी।

(ग) इस पर उपयुक्त समय आने पर विचार किया जाएगा फिर भी आशा की जाती है कि ये नियम संयंत्रों की स्थापना करने के स्थलों का सुझाव देते समय इस उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे।

अन्धे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें

*581. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अन्धे व्यक्तियों को और अधिक प्रशिक्षण संबंधी सुविधायें प्रदान करने के संबंध में विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नेत्रहीन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। भारत सरकार ने अलबत्ता देहरादून में नेत्रहीनों के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की है, जिसका चतुर्थ योजना के दौरान और विकास किया जाएगा।

(ख) चतुर्थ योजना में केन्द्र के लिए सोचे गए कुछ नये अनुभागों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) अनुस्थापन तथा गतिशीलता में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम;

(2) शेल्टर्ड वर्कशाप का विस्तार;

(3) कम नजर वाले बच्चों के लिये स्कूल का विस्तार;

(4) अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना; तथा

(5) एक अनुसंधान विन्ग की स्थापना ।

मार्टिन बर्न द्वारा संचालित लाइट रेलवे के राष्ट्रीयकरण के लिए मांग

*586. **श्री रवि राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्टिन बर्न रेलवे हैड आफिस स्टाफ यूनियन ने एक प्रतिनिधि मण्डल ने 12 नवम्बर को उनसे भेंट दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि एक ज्ञापन में उन्होंने मार्टिन बर्न के प्रबन्ध के अन्तर्गत इस समय चल रही पांच लाइट रेलवे के राष्ट्रीयकरण की मांग की है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन लाइनों के समानान्तर मार्गों पर चलने वाली बसों और ट्रकों को नये लाइसेंस न देने के संबंध में वह पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) (i) रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वह शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे, जो कि 1-9-1970 से बन्द कर दी गयी है, के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन में नौकरी देकर या सड़क सेवाएं चलाने के लिए कर्मचारी सहकारी समितियों को परमिट देकर उनकी सहायता करें । यदि इनमें से कोई विकल्प सम्भव न हो तो मुख्य मंत्री से अनुरोध किया गया था कि उस क्षेत्र में बसें चलाने के लिए और परमिट देना बन्द कर दिया जाए और वर्तमान परमिटों को भी यथासंभव कम कर दिया जाये ताकि यह लाइट रेलवे कर्मचारियों की सहकारी समिति द्वारा बिना हानि उठाये चलाई जा सके । मुख्य मंत्री के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ii) रेल मंत्री ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को भी पत्र लिखा है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि पश्चिम बंगाल में स्थित जो लाइट रेलें 1-1-71 से बन्द हो रही हैं उन्हें वह अपने हाथ में लेने और चलाने के बारे में विचार करें ।

(iii) बिहार राज्य की सरकार के साथ कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया गया क्योंकि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उस राज्य में स्थित लाइट रेलों को बन्द किये जाने की संभावना है ।

Development of Small Industries in Madhya Pradesh

*587. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have submitted any scheme for the development of small industries in their state during the year 1970-71 ;

(b) If so, the details thereof and the amount likely to be spent thereon ; and

(c) the type of assistance asked for from Central Government and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The main scheme for development of small scale industries in Madhya Pradesh are :

(i) Loans under State Aid to Industries Act.

(ii) Power Subsidy.

(iii) Investment in share capital of Laghu Udyog Nigam,

(iv) Testing, Quality Marking and Marketing Assistance.

(v) Assistance to technically qualified persons.

For small scale industries schemes, an expenditure of Rs. 27.04 lakhs in 1970-71 was proposed. In addition, Rs. 9.53 lakhs was proposed to be spent on Industrial Estates. The anticipated expenditure on small scale industries during 1970-71 is Rs. 12.83 lakhs and on Industrial Estates during the same year Rs. 7 lakhs. The block assistance from the Centre to the State in the form of loans and grants will take into account this expenditure.

इस्पात कारखानों के माल गोदामों में पड़े इस्पात के भंडार

*588. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों के माल गोदामों में इस्पात के भारी भण्डार पड़े हैं तथा उत्पादकों से सप्लाई बन्द करने की मांग की गई है;

(ख) क्या व्यापारी तथा छोटे उपभोक्ता इस्पात उपलब्ध न होने की शिकायतें कर रहे हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस्पात वितरण पद्धति से उत्पन्न स्थिति के कारणों की जांच की है; और

(घ) उक्त दोषों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इंजनों के संगचल कर्मचारियों द्वारा सरकार को अन्तिम चेतावनी

*589. **श्री मणि भाई जे पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजनों के संगचल कर्मचारियों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार को अन्तिम चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा अन्तिम चेतावनी में की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) ज्ञात हुआ है कि 25 और 26 अगस्त, 1970 को, विजयवाड़ा में हुए सम्मेलन में मान्यता प्राप्त आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया कि यदि उनकी मांगें प्रस्ताव पारित होने की तारीख से 90 दिन के अन्दर स्वीकार नहीं की गईं तो एसोसिएशन अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए सीधी कार्यवाही करेगी ।

ये मांगें दक्षिण रेलवे के लोको रनिंग कर्मचारियों से संबंधित कुछ स्थानीय समस्याओं तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित कुछ सामान्य समस्याओं जैसे वेतनमानों, काम के घंटों, स्वास्थ्य की दृष्टि से असमर्थ घोषित किये गये कर्मचारियों को समाहित करने आदि के बारे में है ।

दक्षिण रेलवे से सम्बन्धित अधिकांश स्थानीय समस्याओं की जांच की गई है और उन पर, आवश्यक कार्यवाही की गई है । सभी रेलों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित अधिकांश सामान्य मांगों पर, मोटे तौर पर, सरकार द्वारा नियुक्त तीसरा वेतन आयोग विचार करेगा और काम के घंटे विनियमों और रनिंग कर्मचारियों के वेतनमानों में परिवर्तन से सम्बन्धित कुछ समस्याओं को रेलवे श्रम न्यायाधिकरण से सुपुर्द कर दिया गया है जिसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इंजीनियरिंग उद्योगों में लोहा और इस्पात के लिए मांग

*590. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में भारत में इंजीनियरिंग उद्योगों द्वारा लोहे तथा इस्पात की कुल कितनी मांग की गई; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों द्वारा उक्त मांग को कहां तक पूरा किया गया तथा कितनी मांग आयात से पूरी की गई ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री बलिराम भगत) : (क) और (ख) : जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इंजीनियरी उद्योगों के लिए मांग और आपूर्ति के अलग-अलग आंकड़े न तो तैयार किये गये हैं और न रखे जाते हैं ।

रेलवे में कोयले की खपत में कमी

*591. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में कोयले की खपत कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1967, 1968, 1969 और 1970 से अब तक रेलवे में कितने कोयले की खपत हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) भाप कर्षण द्वारा ढोये जाने वाले यातायात में कमी और ईंधन के उपयोग में किफायत के लिये किये गये उपायों के कारण ऐसा हुआ है।

(ग) रेलों के कोयले की खपत के आंकड़े वित्तीय वर्ष-वार संकलित किये जाते हैं; 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में रेलों द्वारा कोयले की खपत नीचे बतायी गई है :—

वर्ष		कोयले की खपत (लाख मिट्रिक टनों में)
1967-68	...	169·0
1968-69	...	162·8
1969-70	...	—
(अनन्तिम)		160·9

लघु तथा बड़े टायर उद्योगों के बीच अधिक दबाव वाले हौज के निर्माण में प्रतिस्पर्द्धा

*592. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी टायर कम्पनियां मोटर गाड़ियों के लिये अधिक दबाव वाले हौज का निर्माण तथा विक्रय कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ब्रेक हौज का निर्माण करने के लिये अधिक दबाव वाले हौज का उत्पादन लघु उद्योगों तक समिति कर देने का है ताकि अनुचित प्रतिस्पर्द्धा पर रोक लगे और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) केवल एक मोटर गाड़ी के टायर बनाने वाली कम्पनी, दो बाइसिकल के टायर बनाने वाली कम्पनियां तथा दो अन्य विविध प्रकार के रबड़ बनाने वाली कम्पनियां अधिक दबाव, वाले (हाई प्रेशर) हौज जैसे मोटर गाड़ियों के लिए ब्रेक हौज का उत्पादन तथा विक्रय कर रही हैं।

(ख) तथा (ग) मोटर गाड़ियों के लिए हाइड्रोलिक ब्रेक हौज के उत्पादन में तैयार माल के परीक्षण की सुविधाओं के साथ ही उच्च श्रेणी की तकनीकी जानकारी की एवं निर्माणकारी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती है। इस मद को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं किया गया है और न

ही लघु उद्योगों से अनुचित प्रतिस्पर्द्धा की कोई शिकायत ही प्राप्त हुई है । अतः सरकार का विचार इस वस्तु के उत्पादन को केवल लघु उद्योगों तक ही सीमित करने का नहीं है । फिर भी, यदि कोई लघु क्षेत्र का एकक इस वस्तु के बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं स्थापित कर लेता है तो बड़े क्षेत्र में कोई अग्रेतर विस्तार करने की अनुमति देने से पूर्व इसे भी ध्यान में रखा जायेगा ।

उत्तरी बंगाल और बिहार से कलकत्ता की मिलों के लिए लिये जाने हेतु पटसन लाये जाने के लिए परिवहन सुविधाओं का अभाव

*593. **श्री समर गुह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल गाड़ियों के अभाव के कारण उत्तरी बंगाल और बिहार से कलकत्ता की पटसन मिलों के लिये पटसन के परिवहन में बाधा पड़ रही है ;

(ख) क्या कुछ रेलवे अधिकारियों तथा पटसन मिलों के मालिकों के बीच सांठगांठ के कारण इन क्षेत्रों से पटसन की बुकिंग में जान-बूझकर विलम्ब किया जा रहा है ताकि किसानों को पटसन का कम मूल्य लेने के लिये बाध्य किया जा सके ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने तथा उत्तरी बंगाल और बिहार से कलकत्ता को मालगाड़ी द्वारा पटसन के शीघ्र परिवहन के लिए पर्याप्त कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जहां तक रेलों का सम्बन्ध है, उन्हें जूट की ढुलाई के लिए यथेष्ट मालडिब्बों की सप्लाई का पक्का प्रबन्ध करने में कोई कठिनाई नहीं है । फिर भी, उतारे गये जूट को व्यापारियों द्वारा धीरे-धीरे उठाये जाने के कारण, कौसीपुर रोड मालगोदाम में जो कि कलकत्ता क्षेत्र में जूट का प्रमुख टर्मिनल स्टेशन है, और कुछ मिल साइडिंगों में, भारी मात्रा में माल जमा हो जाने से और उसके परिणामस्वरूप जूट से लदे माल डिब्बों के अधिक संख्या में, अगतिशील रहने से जूट को जल्दी से जल्दी बाहर भेजने के रेलवे के प्रयत्नों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है । जूट कमिश्नर ने जूट-हितों और रेलों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मामले की समीक्षा की थी । इस बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कलकत्ता क्षेत्र के लिए जूट के लदान का नियमन किया जा रहा है ।

Internal Consumption and Export of Steel

*594. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state:

(a) the target of production of steel for internal consumption and export by the end of 1980 ; and

(b) whether it is a fact that the consumption and demand for steel is rapidly increasing all over the world and our export target is very low keeping in view the demand for steel in foreign market ?

The Minister of Steel and Heavy Engineering (Shri B. R. Bhagat) : (a) The Fourth Plan Development Programme includes steeping up of the existing capacity of 9 million

tonnes Ingot steel to about 19 million tonnes by the end of the Fifth Plan period.

(b) The world production of Crude Steel which amounted to 328 million tonnes in 1960 is estimated at 574 million tonnes in 1969. In view of the shortage of steel within the country, the export ceiling on steel for 1970-71 has been placed at 675, 170 tonnes.

पालघाट तथा कोटा में सूक्ष्मकर्मी उपकरणों के कारखाने

*595. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस सरकार के सहयोग से दो सूक्ष्मकर्मी उपकरणों के कारखाने एक पालघाट (केरल) में और दूसरा कोटा में स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कारखाना स्थापित करने के लिए पालघाट में 600 एकड़ भूमि अधिगृहीत कर ली गई थी और बिजली और पानी के कनेक्शन भी दे दिये गये थे तथा कुछ नियुक्तियां भी कर ली गई थीं ;

(ग) पालघाट में कारखाना स्थापित करने के लिये सरकार ने कुल कितना व्यय किया और कारखाने को अब तक स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि रूस सरकार इस सम्बन्ध में अपने वायदों से पीछे हट गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त कारखाने को शीघ्र स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) प्रारम्भ में सरकार ने रूसी सहायता से दो संयंत्र स्थापित करने का निश्चय किया था—पहला कोटा (राजस्थान) में सूक्ष्मकर्मी उपकरण संयंत्र और दूसरा पालघाट (केरल) में यांत्रिक उपकरणों का संयंत्र केरल सरकार ने पालघाट में 588.22 एकड़ भूमि अधिगृहीत करके उसे इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि० को कारखाना खोलने के लिए दे दिया। राज्य सरकार द्वारा पानी और बिजली के कनेक्शन देने की भी व्यवस्था की गई थी। पालघाट में भूमि का विकास करने के लिए 1967 के शुरू में एक छोटे से सैल का भी गठन किया गया था। इस संयंत्र स्थगन के बारे में निर्णय लिये जाने के पूर्व इस पर व्यय हुई कुल राशि 35.14 लाख रुपये है।

जून, 1967 में प्रबन्धकों द्वारा पालघाट परियोजना के कार्यान्वियन पर पुनर्विचार किया गया था जिससे इसका पता चला कि संसाधनों की स्थिति तथा मांग घटने के कारण प्रांसेस उद्योगों में पूंजी विनियोजन कम होने से कोटा और पालघाट संयंत्रों की विशाल क्षमता बेकार पड़ी रह जायेगी। इसके अलावा पालघाट में बनने वाले उपकरण कोटा कारखाने के उत्पादों के पूरक हैं और जिनका पालघाट के उत्पादों के अभाव में विक्रय करना सम्भव न होगा। चूंकि मांग अनुमित मूल्य के लगभग चौथाई भाग तक पहुंच गई थी और यह अत्यंत आवश्यक हो गया था कि कोटा एकक की

जो पहले ही वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन प्रारम्भ कर चुका है आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जाये। अतः चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में पालघाट परियोजना का कार्यान्वयन स्थगित करने और पालघाट संयंत्र में बनने वाले उपकरणों का उत्पादन कोटा संयंत्र में करने का निश्चय किया गया। इससे कम्पनी बोकारो स्टील संयंत्र और तापीय विद्युत संयंत्र की तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी कर सकेगी।

पालघाट में यांत्रिक उपकरणों के संयंत्र की स्थिति पर मांग के रुख और प्रयोक्ता उद्योगों, आदि का निरीक्षण करके चतुर्थ योजना काल के अन्त में और आगे विचार किया जायेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता

***596. श्री श्रीचन्द्र गोयल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन वादकारियों को, जो खर्च करने की स्थिति में न होने के कारण न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, विधिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) (क) इस समय सरकार द्वारा उन वादकारियों को विधिक सहायता देने के सम्बन्ध में कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है, जो उसका खर्च उठाने में असमर्थ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक क्षेत्र में एकाधिकार

***597. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अक्तूबर, 1970 को बम्बई में भारतीय व्यापारियों के संघ में भाषण देते हुये उन्होंने कहा था कि सरकार आर्थिक विकास के विस्तार के लिए औद्योगिक क्षेत्र में धनी परिवार एककों को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार ऐसा किस प्रकार करने का है ; और

(ग) इस बारे में अब तक की गई कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग) बम्बई में भारतीय व्यापारी संघ के समक्ष बोलते हुए औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री ने आर्थिक शक्तियों के संकेन्द्रीकरण को रोकने के बारे में सरकार की नीति को दोहराते हुए कहा था कि उद्योग पर किसी परिवार का अधिकार होना एक सामन्तवादी विचारधारा है, अतः उसके स्थान पर जनता का स्वामित्व होना चाहिये और उनको प्रबन्ध व्यवसायिकों के हाथ

में होना चाहिए । सरकार इसे उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951-65) द्वारा तथा एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 तथा पेटेन्ट अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अपनी औद्योगिक नीति के माध्यम से क्रियान्वित करना चाहती है। इस नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा उसके जो परिणाम अब तक निकले वे सन्तोषजनक हैं।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के इस्पात गलन विभाग में अनुशासन बनाना

***598. श्री रा० रा० सिंह देव :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के इस्पात गलन विभाग के कर्मचारियों द्वारा समुचित अनुशासन का पालन न किये जाने और उनकी अवैध श्रमिक कार्यवाहियों में संलग्न हो जाने की स्थिति में सरकार ने कठोर कदम उठाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की अन्तिम चेतावनी पर कर्मचारी यूनियनों की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) अनुशासन का पालन न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रश्न का संबंध सरकार से नहीं बल्कि कारखाने के प्रबन्धकवर्ग से है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु उद्योगों द्वारा रेडियो तथा इलैक्ट्रोनिक के सामान का उत्पादन

***599. श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले लघु उद्योगों को दिये गये प्रोत्साहन का स्वरूप क्या है ; और

(ख) लघु क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में रेडियो के उत्पादन में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) लघु क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं :—

(1) संगठित क्षेत्र द्वारा निर्मित प्रत्येक सेट पर जिसका मूल्य 165 रु० या इससे कम होता है, 10 रु० उत्पादन शुल्क लगता है जबकि लघु क्षेत्र इस शुल्क से मुक्त है ; और

(2) लघु एककों को पिछले वर्ष की आयात हकदारी में 75 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि करने की अनुमति दी गई है।

(ख) संगठित क्षेत्र	11,000 व्यक्ति ।
उद्योग-निदेशकों के पास पंजीबद्ध एकक	20,000 व्यक्ति ।

सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा रोके गये पुर्जे और मिश्रित इस्पात

*600. **श्री मी० रू० मसानी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने कई लाख रुपयों के मूल्य के उन पुर्जों और मिश्रित इस्पात को नहीं छोड़ा है जो हाल ही में देश में आया बताया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस खेप पर आंकी गई विलम्ब-शुल्क की राशि क्या है ; और

(ग) देश में अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित इस्पात की इस बड़ी मात्रा के मुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने आयातित पुर्जों तथा मिश्रित इस्पात को नहीं रोका है। परन्तु उन आयातकों ने अभी कुछ माल नहीं छुड़ाया है जिन्होंने इस माल का आयात विदेशी व्यापार मंत्रालय द्वारा बनाई गई पंजीकृत निर्यातकों की आयात नीति के अन्तर्गत किया है।

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1970 में आयोजित आशुलिपिक परीक्षा

3629. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय ने सितम्बर, 1970 में एक आशुलिपिक परीक्षा आयोजित की थी और जिसके लिये संघ लोक सेवा आयोग ने कुछ कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र भेजे थे ;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ निम्न श्रेणी के लिपिकों का चयन कर लिया गया है और उन्हें नियुक्ति-पत्र भेज दिये गये हैं ;

(ग) क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय ने उन व्यक्तियों की नियुक्ति और उनके विभागों द्वारा उन्हें छोड़ने के लिए बार-बार अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को न छोड़ने के क्या कारण हैं जबकि उनके प्रार्थना पत्र स्वयं संघ लोक सेवा आयोग ने सिफारिश के साथ भेजे थे ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :(क) से (ग) : जी, हां।

(घ) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग ने अपने कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिकों की कमी होने के कारण अधिकांश को छोड़ने से इन्कार कर दिया है। आवेदन पत्र भेजते समय उन्होंने प्रार्थियों/उम्मीदवारों को यह बता दिया था कि उनका छोड़ा जाना कार्य की स्थिति पर निर्भर करेगा।

रद्दी लोहे के निर्यात पर रोक

3630. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रद्दी लोहे के निर्यात पर लगे प्रतिबन्धों से देश के प्रयोक्ताओं पर यह जिम्मेदारी आई है कि वर्तमान निर्यात प्रतिबन्धों के लगने से पूर्व इकट्ठा किये गये रद्दी लोहे की निकासी की व्यवस्था करें ;

(ख) क्या रद्दी लोहे के व्यापारियों ने शिकायत की है कि उनके बेकार इस्पात और इस्पात की कतरनों के स्टाक के लिए कोई बाजार न होने के कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो बेकार इस्पात और इस्पात की कतरनों के स्टाक के लिए बाजार ढूंढ़ने और रद्दी लोहे के एकत्र किए जाने में कमी को आने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं । रद्दी लोहे के निर्यात पर वर्तमान प्रतिबन्ध बढ़ी हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए लगाए गए थे परन्तु वास्तविक अपक्रय कई बातों पर निर्भर करता है जिनमें मूल्य भी सम्मिलित है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) रद्दी लोहे के नियमित अपक्रय के लिए रद्दी लोहे के व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को परस्पर सन्तोषजनक ढंग से प्रबन्ध करने हैं । सरकार भी इस मामले में जागरूक है ।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अधीन की गई गिरफ्तारियां

3631. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 अक्तूबर, 1970 को समाप्त हुए दो वर्षों में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अधीन सरकार द्वारा कुल कितनी गिरफ्तारियां की गई ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : यह सूचना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है तथा यथा-समय उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा ।

विद्युत परियोजनाओं के लिए ट्रांसफार्मरों की सप्लाई के लिए भारतीय उद्योग समूह द्वारा विदेशों को क्रयादेश

3632. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन कंसोर्टियम फौर पावर प्रोजैक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली ने पूर्वी अफ्रीका स्थित मालावी विद्युत सप्लाई आयोग से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 66 किलोवाट शक्ति के ट्रांसफार्मरों की सप्लाई, स्थापना तथा उन्हें चालू करने और साथ ही 66 किलोवाट सब स्टेशन के लिये पूरा साज-सामान सप्लाई करने के क्रयादेश प्राप्त कर लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन कंसोर्टियम ने विद्युत प्रजनन तथा ट्रांसफार्मर परियोजनाओं के लिए अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं में भाग लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) दि इण्डियन कंसोर्टियम फौर पावर प्रोजेक्ट्स प्रा० प्रा० लि० को, जिसने हाल ही में तेदजानी जल विद्युत योजना के लिए बिजली के ट्रांसफार्मरों तथा पूर्वी अफ्रीका के बिजली सप्लाई आयोग, मालावी द्वारा लिलांगवे विद्युत घर के विस्तार के लिए सब स्टेशन उपकरणों की सप्लाई करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं में भाग लिया था, दोनों ठेके मिल गए हैं। कंसोर्टियम (सार्थ समूह) मुख्य ट्रांसफारमर, जेनरेटर ट्रांसफारमरों, स्टेशन एण्ड यूनिट सर्विस ट्रांसफारमरों, भूमियोजन (अर्थिंग) ट्रांसफारमर, रियेक्टर, मिनिमम आयल सर्विट् मेकर, धातु मढ़े हुए स्विचगियर, कंट्रोल, रिले तथा सिंक्रोनाइजिंग पेनल्प, वोल्ट बैटरीज, बैटरी चार्जेज, इन्स्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मरों, लाइटिनिंग अरेस्टर्सर, इन्सूलेटर स्ट्रिंग्स न्यूटल आर्थिंग रेसिस्टर तथा फाल्ट थ्रोविंग स्विच की सप्लाई करेगा।

(ग) और (घ) . कंसोर्टियम ने अब तक ईथ्योपिया, अर्जेंटाइना, मेक्सिको मालावी, संयुक्त अरब गणराज्य, न्यूजीलैण्ड, कुवैत, बर्मा, तथा सीरिया में विद्यु‌त जनित्रण तथा डिस्ट्रीब्यूटिंग उपकरण की 13 अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं में भाग लिया है।

लघु उद्योगों को ऋण की सुविधायें

3633. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों की कार्य-पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति-हेतु उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) . छोटे पैमाने के उद्योग अपनी कार्यकारी पूंजी के लिए आवश्यक राशि को राज्यीय सहायता अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों से तथा वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त करते हैं।

उद्योगों को इस्पात की सामूहिक मूल्य पर बिक्री

3634. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने हिन्दुस्तान स्टील द्वारा आयातित तथा देशी इस्पात को एकत्रित करने तथा फिर दोनों को उद्योग के सभी क्षेत्रों को एक समान सामूहिक मूल्य पर बेचने की संभावनाओं के बारे में इस्पात मंत्रालय से बात-चीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस मंत्रालय की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) एक ही प्रकार के उद्योग में बड़े उद्योगों के मुकाबिलों में छोटे उपभोक्ताओं को हानि न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए आयातित इस्पात के सामूहिक मूल्य (पूलिंग प्राइज) के बारे में कुछ सुझाव इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय को भेज दिये गये हैं ।

(ख) यह मामला उस मंत्रालय के विचाराधीन है ।

निचले राजपत्रित अधिकारियों से अधिक वेतनमान वाले पदों पर पदोन्नति (दक्षिण-मध्य पूर्व रेलवे)

3635. **श्री सूरज भान** : क्या रेलवे मंत्रीं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-मध्य रेलवे पर निचले राजपत्रित अधिकारियों से अधिक वेतनमान वाले पदों पर पदोन्नति करने के लिए निर्धारित $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत कोटे को पूरा नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) निचले राजपत्रित अधिकारियों में से वरिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे उद्यमियों को ऋण सुविधाएं

3636. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे उद्यमियों को ऋण देने सम्बन्धी कसौटी में ढील देने के प्रश्न को उन्होंने वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है ; और

(क) यदि हां, तो क्या उनको मंत्रालय से इस बीच कोई उत्तर प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

कागज का उत्पादन

3637. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1970 से 1979 के बीच कागज के अभाव को दूर करने के उद्देश्य से सरकार का विचार बहुत शीघ्र ही कागज के उत्पादन में वर्ष 1972 तक 1,30,000

मीटरी टन की वृद्धि करने का एक जोरदार कार्यक्रम आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हाँ।

(ख) जोरदार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत कागज़ उत्पादन क्षमता के विस्तारार्थ 22 कागज़ मिलों से आये आवेदन पत्रों को स्वीकार कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वित हो जाने पर 18 से लेकर 21 महीनों की अवधि में ही सामान्य विभिन्न प्रकार के कागज़ का उत्पादन 1,30,000 मी० टन तक बढ़ जायेगा जबकि कागज के नये कारखाने के स्थापित करने में सामान्यत: चार वर्ष से अधिक का समय लगता है। इस सम्पूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वित करने के लिए लगभग 20 करोड़ रु० की कुल पूंजीगत परिव्यय की संभावना है। जून 1972 तक इस कार्यक्रम के क्रियान्वित हो जाने की आशा है।

लोहे की कतरनों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

3638. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) हैवी मैल्टिंग, (2) नं० 1 शीट कटिंग्स, (3) नं० 2 शीट कटिंग्स, (4) नं० 2 ए शीट कटिंग्स, (5) स्टील टर्निंग्स तथा (6) स्टील स्कल स्क्रैप (मुख्य उत्पादनकर्ता) के संबंध में घरेलू भट्‌टी स्वामियों की अप्रैल से सितम्बर 1970 के दौरान प्रति मास पृथक्-पृथक् आवश्यकता कितनी थी ;

(ख) उक्त श्रेणियों के लोहे की कतरनों की आवश्यकताओं की तुलना में गत वर्ष इन्हीं महीनों के दौरान इन्हीं श्रेणियों के लोहे की कतरनों की आवश्यकता कितनी कम या अधिक थी ;

(ग) क्या सरकार के पास भट्‌टियों में प्रयुक्त होने वाली लोहे की कतरनों के बारे में कोई सही आंकड़े हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो लोहे की कतरनों के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्ध का क्या औचित्य है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) से (घ). इस बारे में उपलब्ध जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिजली की भट्‌टियों द्वारा रद्दी लोहे से उत्पादन

3639. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1970 को बिजली की भट्‌टियों द्वारा रद्दी लोहे की कुल खरीद तथा इस्पात के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई हैं ; यदि हां, तो यह वृद्धि कितने प्रतिशत हुई ;

(ख) 1967, 1968, 1969 और जनवरी/सितम्बर 1970 में बिजली की भट्‌टियां में कितने टन रद्दी लोहे, पूर्णतया स्वदेशी रद्दी लोहे को पिघलाया गया ;

(ग) क्या सरकार के पास बिजली की भट्टियों के मालिकों द्वारा रद्दी लोहे के प्रयोग तथा निर्मित वस्तुओं के बारे में आंकड़े हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो रद्दी लोहे के निर्यात पर प्रतिबन्धों को किस प्रकार उचित ठहराया जा सकता है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) से (घ) . स्टील फर्नेस एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अप्रैल से सितम्बर 1970 की अवधि में विद्युत भट्टियों द्वारा इस्पात के उत्पादन में प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है । तदनुसार रद्दी लोहे का अपक्रय भी अधिक रहा होगा । विद्युत भट्टियों में 1969 के कैलेन्डर वर्ष में स्क्रैप की कुल खपत 422,000 टन थी । अप्रैल-सितम्बर 1970 की अवधि में खपत 379,000 टन थी । पहले के वर्षों के आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं । विद्युत भट्टियां पिण्ड, बिलेट तथा ढलवां लोहा तैयार करती है । घरेलू भट्टियों की बढ़ी हुई मांग के कारण स्क्रैप के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था ।

बेकार रेल पटरियों का निपटान करने के बारे में न्यायालय के आदेश

3640. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालय ने रेलवे को विभिन्न स्थानों पर बेकार पड़ी रेल पटरियों का निपटान न करने के आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो न्यायालय के निर्देशों का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय निपटान के लिए कुल कितनी मात्रा में बेकार रेल-पटरियों का भण्डार पड़ा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त आदेश को रद्द कराने के लिए कानूनी कार्यवाही करने का है क्योंकि ये रेल-पटरियां इस समय अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकती हैं तथा बिलेटों के स्थान पर काम आ सकती हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) फिलहाल रेलों को न्यायालय के एक आदेश द्वारा रद्दी रेल-पटरियां बिक्री के लिए प्रस्तुत करने, बेचने और उनकी सुपुर्दगी देने से रोक दिया गया है ।

(ख) न्यायालय के आदेश की एक प्रतिलिपि अनुबन्ध 'क' के रूप में संलग्न है ।
[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**—4504/70]

(ग) 30.6-70 को लगभग 1.34 लाख मिट्रिक टन थी ।

(घ) सरकार ने न्यायालय से न्यायालय आदेश को हटाने की प्रार्थना कर रखी है ।

मैसर्स एलाइड मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से दिल्ली में लैम्ब्रेटा स्कूटरों का वितरण

3641. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मैसर्ज एलाइड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से लम्ब्रेटा स्कूटरों की सप्लाई जुलाई, 1970 से बिल्कुल बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह वितरण कब पुनः आरम्भ किया जाएगा; और

(घ) इस रोक से कारण पड़े अन्तर को पूरा करने के उद्देश्य से क्या सरकार का विचार दिल्ली के विक्रेता के कोटे में अस्थायी तौर पर वृद्धि करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

मद्रास स्थित इन्टेग्रल कोच फैक्टरी को बोगियों की सप्लाई के लिए दिए गए क्रयादेश

3642. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थाइलैण्ड तथा ताईवान को छोड़कर उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने मद्रास स्थित इन्टेग्रल कोच फैक्टरी से बोगियों की सप्लाई के लिए क्रयादेश दिये हैं ;

(ख) क्या किसी देश से टूरिस्ट कारों तथा डीजल चालित रेल-कारों की सप्लाई के क्रयादेश भी प्राप्त हुए हैं;

(ग) और (घ). यदि हां, तो इन्टेग्रल कोच फैक्टरी में टूरिस्ट कारों तथा डीजल-चालित रेल-कारों की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है तथा क्या उक्त क्रयादेशों की पूर्ति की जा सकेगी; डीजल-चालित कारों का निर्माण कार्य हेतु कितनी शिफ्टों में कार्य किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) कोई नहीं। लेकिन, सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास के मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी, कलकत्ता को 66 बोगियां सप्लाई की थीं, जिन्हें बर्मा से 33 सवारी डिब्बे सप्लाई करने का निर्यात आदेश प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त, अर्जेन्टाइना को 120 बोगियां सप्लाई करने की दर के बारे में अन्तिम रूप से विचार हो रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता।

एम० एस० टर्निंग्स तथा शीट कटिंग्स स्क्रैप का निर्यात

3643. **श्री गजराजसिंह राव** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1969/मार्च, 1970 में प्रतिमास एम० एस० टर्निंग्स तथा शीट कटिंग्स स्क्रैप, प्रत्येक का 10,000 मैगाटन मात्रा में निर्यात किया गया था जबकि उक्त मदों का निर्यात अप्रैल/सितम्बर, 1970 की अवधि में प्रतिबन्धों के कारण घटकर प्रतिमास औसतन 5,000 मैगाटन ही रह गया है।

(ख) क्या यह सच है कि अप्रैल/सितम्बर, 1970 में निर्यात करने से रोकी गई स्टील टर्निंग्स तथा शीट कटिंग्स, प्रत्येक की 30,000 टन माता को घरेलू विद्युत भट्टी मालिकों ने गला लिया है तथा उन्हें इस्पात में परिवर्तित कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो फिर रद्दी लोहे के विक्रेता यह दावा कैसे करते हैं कि उनके पास 50,000-60,000 टन रद्दी लोहा रुका पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त दो मदों के लगभग 50,000-60,000 टन के पड़े भण्डार से रद्दी लोहा विक्रेताओं को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) स्टील फर्नेसस आफ इण्डिया एसोसिएशन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च 1970 के मासिक उत्पादन को आधार मानकर अप्रैल-सितम्बर 1970 की अवधि में विद्युत भट्टियों द्वारा इस्पात का उत्पादन 25000 टन के लगभग बढ़ा है ।

(ग) और (घ) . आयरन एण्ड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन आफ इण्डिया के अनुसार इसके सदस्यों के पास 31-10-1970 को स्टाक में 41000 टन टर्निंग्स तथा बोरिंग्स और 50,000 टन चादर की कतरनें थीं । इन आंकड़ों की सरकार द्वारा जांच नहीं की गई है । जमा स्क्रैप के निपटान का मामला मुख्यतः स्क्रैप के व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को आपस में हल करना है । सरकार भी इस मामले में जागरूक है ।

सिगरेट उद्योग में पूंजी-निवेश

3644. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सिगरेट उद्योग में कुल कितना पूंजी निवेश हुआ है;

(ख) सिगरेट उद्योग में कितने विदेशी नियुक्त हैं तथा उनके वेतन कितने-कितने हैं;

(ग) सिगरेट उद्योग का भारतीयकरण करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा की गई विशिष्ट कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत में प्रतिवर्ष सिगरेटों की कुल कितनी बिक्री होती है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) 2,050 लाख रुपये ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) सरकार की नीति बढ़ती हुई माँग को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्वामित्व की फर्मों द्वारा सिगरेटों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की है । सरकार शत-प्रतिशत भारतीय स्वामित्व की कम्पनियों की स्थापना को भी प्रोत्साहन दे रही है ।

(घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

फर्मों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3645. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री फर्मों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच के बारे में 12 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9322 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों तथा समवायों के नाम तथा पते क्या हैं जिनको, उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने के पश्चात् लाइसेंस जारी किये गए हैं; और

(ख) उनको नये लाइसेंस देने अथवा लाइसेंसों की समयावधि बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) : मैसर्स नेशनल कं० लि०, कलकत्ता के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच प्रारम्भ किये जाने के बाद उनको पटसन के पट्टों के पीछे लगने वाले कपड़े के उत्पादन के लिये लाइसेंस जारी किया गया था । इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :

पटसन के पट्टों के पीछे लगने वाले कपड़े के उत्पादन के लिए 100 ब्राडलूम लगाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु मैसर्स नेशनल कं० लि०, कलकत्ता द्वारा दिये गए आवेदन-पत्र पर लाइसेंस समिति द्वारा 21 फरवरी, 1970 की बैठक में विचार किया गया था । लाइसेंस समिति की सिफारिश पर विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा जून, 1970 में एक लाइसेंस दिया गया था । विदेश व्यापार मंत्रालय को यह जानकारी लाइसेंस जारी करने के बाद ही मिली कि कम्पनी कार्य मंत्रालय के कहने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो फर्म के विरुद्ध जांच कर रहा है ।

मैसर्स नेशनल कं० लि० को जिस वस्तु का लाइसेंस दिया गया वह है पटसन के पट्टों के पीछे लगने वाला कपड़ा । यह वस्तु पूरी तरह से निर्यात के लिये है । पटसन के पट्टों के पीछे लगने वाले कपड़े के उत्पादन के लिए ब्राडलूम स्थापित करने हेतु पटसन मिलों को उदारतापूर्वक लाइसेंस दिये जा रहे हैं । अन्य पार्टियों को इस प्रकार के दो आशय पत्र भी जारी दिये गए हैं ।

विदेशी सहयोग प्राप्त भारतीय कम्पनियों के वार्षिक विवरण

3646. **श्री देवेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग प्राप्त उन भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने वार्षिक विवरण प्रस्तुत कर दिये हैं और जिसकी आवश्यकता अब सरकार को तकनीकी जानकारी तथा रायल्टी के रूप में निधियों के बाहर जाने को रोकने के लिए है; और

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक कोई वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) . विदेशी सहयोग के व्यापारों के कार्यकरण पर अपेक्षित जानकारी इकट्ठी करने

के उद्देश्य से विदेशी सहयोग से चलने वाली भारतीय कम्पनियों से विदेशी सहयोग के बारे में वार्षिक विवरण भेजने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। 312 कम्पनियों से अब तक वार्षिक विवरण प्राप्त हुए हैं। उनकी एक वर्णानुक्रम सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—4505/70] विभिन्न कम्पनियों से जानकारी प्राप्त हो रही है और यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही सभी कम्पनियां विवरण भेज देंगी।

धर्म-परिवर्तन करके ईसाई बनाया जाना

3647. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में जिन हरिजनों को ईसाई बनाया गया है उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में कितने हरिजनों को ईसाई बनाया गया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस मामले में लिखा गया है। उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

सांविधिक राष्ट्रीय ईंधन और ऊर्जा प्राधिकरण की स्थापना

3648. **श्री जी० वेंकट स्वामी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा ईंधन क्षमता पर नई दिल्ली में 7 अक्तूबर, 1970 को समाप्त हुई आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी ने, ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग करने में अधिकतम कुशलता बढ़ाने के लिए देश भर में सुसंगठित अभियान चलाने की योजना बनाने तथा उसका विकास करने हेतु एक सांविधिक राष्ट्रीय ईंधन तथा ऊर्जा प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) गोष्ठी के आयोजक अभी विस्तृत ब्यौरे को अंतिम रूप देने में लगे हैं इसके साथ ही वे गोष्ठी के द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को सरकार के पास भेजना चाहते हैं। सरकार प्रस्तावों के प्राप्त हो जाने पर उन पर विचार करेगी।

मैसर्स मैकेंजीज लि० के कार्यकरण के बारे में आर्थिक अपराध सम्बन्धी बम्बई शाखा की रिपोर्ट

3649. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मैकेन्जीज लि० के कार्यकरण के बारे में आर्थिक अपराध विंग की बम्बई शाखा से हाल ही में कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रिपोर्ट के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं। लेकिन, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की बम्बई शाखा ने रेलवे निरीक्षण अधिकारियों और मैसर्स मैकेंजीज, लि०, बम्बई के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2) के समय 5 (1) (क) और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स मैकेंजीज द्वारा रेलवे के माल-डिब्बों के उत्पादन के दौरान कुछ अनियमितताएं हुई हैं।

जांच-पड़ताल पूरी होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

बेरोजगार इंजीनियरों को काम देने के लिए प्रशिक्षण योजना

3650. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास मन्त्रालय के सहयोग से प्रशिक्षण की कोई नई योजना आरम्भ की गई है जिससे देश के बेरोजगार इंजीनियरों को काम दिया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बड़े नगरों के अलावा यह योजना क्षेत्रीय केन्द्रों में भी चालू की जाएगी; और

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम अथवा कोचीन को इस प्रयोजन के लिए सम्मिलित किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) . जी हां, प्रशिक्षण देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 20 केन्द्रों में होगा।

(ग) केरल राज्य में योजना का प्रशिक्षण केन्द्र लघु उद्योग सेवा संस्थान त्रिचूर में होगा।

कानपुर के टेनिंग एण्ड फुटवियर कारपोरेशन का प्रतिरक्षा मन्त्रालय को हस्तान्तरण

3651. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कानपुर के टेनिंग एण्ड फुटवियर कारपोरेशन को प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत ले लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय कब तक लिया जाएगा।

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में हरिजनों के लिए पक्के घर

3652. **श्री मीठा लाल मीना :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने हरिजनों के लिए 5,000 पक्के मकान बनाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के मार्ग-दर्शन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की कोई सहकारी संस्था बनाई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). यह सूचना राजस्थान सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

Government Accommodation for Class III Employees In Nepanagar, Madhya Pradesh

3653. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) the number of class III employees in Nepanagar, Madhya Pradesh ;

(b) whether proper arrangements have been made to provide them housing accommodation and the places where they are residing ;

(c) whether any arrangements have also been made to supply them drinking water and vegetables daily ; and

(d) If not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry for Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) 1220.

(b) 91% numbering 1110 employees are housed in Company's accommodation.

(c) and (d) : Adequate arrangement exists for supply of drinking water from Company's water works. For vegetables six stalls exist in Township Bazar. There is also a weekly market held on Sundays.

टाइल उद्योग में संकट

3654. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बाजारों में टाइलों की मांग न रहने तथा दूसरे गांवों में मकानों का कम निर्माण होने के कारण टाइल उद्योगों के समक्ष संकट के बारे में समाचार पत्रों में छपे समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या बाजार में टाइलों की मांग को बनाये रखने की दृष्टि से सरकार केरल तथा दक्षिण कनारा में टाइल उद्योग के बारे में तुरन्त जांच करायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) . टाइलों का निर्यात प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है । सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों की निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों को यह निदेश देकर कि वे जहां तक संभव हो छत पर तथा फर्श पर लगाने वाली स्थानीय बनी हुई टाइलों आदि के उपयोग को प्रोत्साहन दें, आवश्यक कार्यवाही भी की गई है ।

पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना

3655 **श्री नि० रं० लास्कर** :

श्री देवराव पाटिल :

श्री मयावन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 78 जिलों को लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना के लिए चुना है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं तथा वे किन राज्यों में स्थित हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कुछ और भी जिले चुने जाने हैं; और

(घ) उनको कितनी सहायता दी जाएगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां, इन 78 जिलों के चुने जाने के बाद कुछ अन्य जिले भी चुने गए हैं जिन्हें छोटे व मझोले उद्योग आरम्भ करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से रियायतें दी जा सकती हैं ।

(ख) विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर ऋण दिये जाने के लिए चुने गये जिले की सूची संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 4506/70]

(ग) और (घ) . वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर ऋण प्राप्त करने के योग्य होने के लिए कुछ राज्यों से भेजे गए अन्य जिलों के बारे में कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं । भारत के औद्योगिक विकास बैंक और भारत के औद्योगिक वित्त निगम द्वारा घोषित रियायतों का विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4506/70] इसी प्रकार की रियायतें देने के प्रश्न पर भारत का जीवन बीमा निगम और इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड विचार कर रहे हैं।

तीसरे वेतन आयोग के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों के लिए एक अलग मजूरी बोर्ड बनाने की मांग

3656. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों की कतिपय श्रेणियों को दूसरे वेतन आयोग के सीमा क्षेत्र में नहीं लाया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि तीसरे वेतन आयोग की घोषणा के समय रेलवे के विचाराधीन ऐसे कतिपय मामले थे;

(ग) क्या रेलवे कर्मचारियों के संगठनों ने तीसरे वेतन आयोग के अन्तर्गत एक अलग मजूरी बोर्ड अथवा एक पेनल बनाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। दूसरे वेतन आयोग ने सभी सम्बद्ध बातों पर विचार करने के बाद भारतीय रेलों के केवल प्रमुख कोटियों के कर्मचारियों के वेतनमानों के सम्बन्ध में सिफारिशें की थीं। रेलवे बोर्ड ने उसी आधार पर सभी अन्य कोटियों के कर्मचारियों के वेतनमानों का निर्धारण किया था।

(ख) जी नहीं। लेकिन वेतनमानों के पुनरीक्षण और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में ज्योंही रेल कर्मचारियों से या श्रमिक संगठनों के जरिये या किसी अन्य स्थान से मांगें प्राप्त होती हैं, तो प्रत्येक मामले के गुण-दोष को देखते हुए सरकार द्वारा उनपर विचार किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) रेल कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन आयोग के अन्तर्गत एक अलग वेतन बोर्ड या एक पेनल गठित करना वांछनीय है अथवा नहीं, इस प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया कि रेल कर्मचारियों के लिए पृथक् दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं होगा और राष्ट्रीय श्रम आयोग भी इस दृष्टिकोण के पक्ष में नहीं था।

रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन

3657. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में रेलवे सुरक्षा दल को पुनर्गठित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्त बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेल सुरक्षा दल के पुनर्गठन जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन रेलों पर सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से सहायक उपाय बरतने के सम्बन्ध में रेलों पर सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पर उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) और (ग) . मोटे तौर पर उच्चाधिकार समिति की सिफारिशें इस प्रकार हैं—

(i) सुरक्षा के उपायों में सुधार ताकि चोरी, उठाईगिरी आदि में कमी हो सके;

(ii) रेल सुरक्षा दल के कानूनी अधिकारों में संशोधन और रेलों पर पुलिस व्यवस्था में सुधार ; और

(iii) रेल सुरक्षा दल के गठन में संगठनात्मक सुधार ।

वास्तव में इस सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है । अतिरिक्त खर्च की गणना तभी की जा सकेगी जब इन स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा ।

रेलवे कर्मचारियों का निलम्बन

3658. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलवे कर्मचारियों को निलम्बित करने के बारे में कोई प्रक्रिया निर्धारित की हुई है तथा क्या रेलवे बोर्ड ने कभी अधिकारियों को सावधान करने के लिए निदेश दिये थे कि बेबुनियाद तथा मनमाने कारणों से कर्मचारियों को निलम्बित न किया जाये ताकि निलम्बित कर्मचारियों के मामले पर उनके पक्ष में अन्तिम रूप से निर्णय लिये जाने के उपरांत उनकी निलम्बन की अवधि के लिए मजूरी का भुगतान न करना पड़े;

(ख) गत तीन वर्षों में इस प्रक्रिया के अनुसार उत्तरी रेलवे में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निलम्बित करने के कितने मामले थे तथा क्या निर्धारित प्रक्रिया अथवा निर्देशों का उल्लंघन करके कोई निलम्बन का मामला आया था; और

(ग) विभागीय जांच से अथवा न्यायालय ने निलम्बन के कितने मामलों को गलत ठहराया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को निलम्बन की अवधि के लिए पूरा वेतन देना पड़ा तथा इस प्रकार कितना भुगतान करना पड़ा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) रेल कर्मचारी को निलम्बित करने के लिए कोई कार्य-विधि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन नियमों के अनुसार ऐसा समर्थ प्राधिकारी द्वारा उनके निर्णय से किया जाता है । फिर भी, रेल प्रशासनों को निदेश जारी किये गए हैं कि रेल कर्मचारियों को निलम्बित करने के सम्बन्ध में स्व-निर्णय, सब पहलुओं पर विचार करते हुए, विवेकपूर्ण लिया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को परेशानी न हो ।

(ख) और (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Quantity of Cement Bags

3659. **Shri P. L. Barupal** : Will the **Minister of Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether the cement bags sold in the market by the various cement factories through their agents do not contain the required quantity of cement but contain cement much less than the quantity indicated on the bags; if so the reasons therefor ;

(b) whether the cement produced in the factories at present is of much inferior quality ; and

(c) whether Government are aware that such cement bags have been distributed particularly in Sriganganagar district (Rajasthan) and for use in the construction of the Rajasthan canal ; if so the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M.R. Krishna) : (a) No, Sir.

(b) & (c) No, Sir. The cement produced in the country conforms to ISI standards.

सरकारी चर्म शोधालय निगम द्वारा उत्पादन

3660. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी चर्म शोधालय निगम स्वदेशी मण्डियों की आवश्यकता को पूरा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) इस समय कानपुर में उनके कारखानों की उत्पादन क्षमता क्या है;

(घ) इस निगम के अन्य केन्द्र कौन से हैं जहां पर कि चमड़े तथा खालों की कमाई और सफाई का कार्य होता है; और

(ङ) क्या इण्डिया लेदर कारपोरेशन मद्रास को इस सरकारी चर्म शोधालय द्वारा ले लिये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) निगम में जून 1969 में उत्पादन शुरू हुआ। निगम ने 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान 33,74,129 रु० के मूल्य के उत्पाद, स्वदेशी मंडियों में बेचे हैं।

(ग) कानपुर में निगम की फैक्टरियों की उत्पादन क्षमता का विस्तृत ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) कानपुर से बाहर कोई नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

कारखाने की क्षमता बताने वाला विवरण

उत्पाद	एकक	वार्षिक क्षमता		
		अधिष्ठापित	लाइसेंस प्राप्त	
जूते	जोड़े	20,10,000	15,00,000	एक पाली
बार्क चमड़े	खाल	1,80,000	5,10,000	वही
क्रोम चमड़ा	खाल	3,60,000	4,50,000	"
बकरी की खालें	कोई नहीं	15,00,000	—	"
औद्योगिक चमड़ा	वट्स	18,000	30,000	"
चर्म बोर्ड	शीट	5,40,000	3,90,000	"
		(3 पाली)	(प्रति पाली)	"
जूते की परिसज्जा	रु०	12,00,000	—	"
चमड़े की बनी वस्तुएं	रु०	4,30,000	—	"
एक्सट्रैक्ट पाउडर	टन	1,200	1,500	"
		(3 पाली)	(3 पाली)	
रबड़ संयंत्र	जोड़े	6,00,000	5,40,000	"
		(2 पाली)	(प्रति पाली)	

Expenditure Incurred on Prohibition

3661. **Shri Kamble :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government on prohibition during the last three years ; and

(b) the progress made so far in this direction by the States in which prohibition is in force ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) & (b) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

दक्षिण कनारा मधुमक्खी पालन सहकारी समिति, बम्बई

3662. **श्री लोबो प्रभु :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई स्थित खादी तथा मधुमक्खी पालन निदेशक द्वारा गत वर्ष दक्षिण कनारा मधुमक्खी पालन सहकारी समिति को उनकी 32,000 रुपये की उचित मांग के स्थान पर केवल 9450 रुपये की ही मंजूरी दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) यह विचार करते हुए कि शहद की अत्यधिक उत्पादन की सम्भावनाओं वाले क्षेत्र में इस समिति के 600 सदस्य कार्यरत हैं, तो पहले से ही पेश की हुई योजना के लिए 52,300 रुपए की चालू मांग को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) दक्षिण कनारा मधुमक्खी पालन समिति द्वारा प्रस्तुत 6 लाख रुपए की योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनी 40 लाख रुपए वाली योजना से आवंटन न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) 1969-70 के वर्ष में समिति को, 9450 रुपए की राशि समिति की क्षमता और मधुमक्खी पालन उद्योग विकास सहायता की स्वीकृत प्रणाली को विचार कर स्वीकृत की गई ।

(ख) 1971-72 के वर्ष की समिति की वर्तमान मांग पर संकुचित विचार किया जा रहा है ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है, सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

अखबारी कागज की आवश्यकता तथा उसका उत्पादन

3663. **श्री दे० अमात :**

श्री केदार नाथ सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागज की वार्षिक आवश्यकता तथा उसका उत्पादन कितना है;

(ख) वर्ष 1969-70 में कितने अखबारी कागज का आयात किया गया तथा वर्ष 1970-71 में कितना करना है तथा किन-किन देशों से यह आयात किया जाएगा;

(ग) इसमें से कितना आयात रुपयों में भुगतान के आधार पर किया गया; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में अखबारी कागज के उत्पादन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) देश में अखबारी कागज की वर्तमान वार्षिक मांग 2,00,0000 मी० टन है और अखबारी कागज का वर्तमान उत्पादन प्रतिवर्ष 40,000 मी० टन है ।

(ख) आयातित अखबारी कागज

वर्ष	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)	देश
1969-70	1,55,081	1857	कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका, स्वीडन, फिनलैंड, सोवियत रूस आदि ।
1970-71 (जून तक)	25,985	316	वही

(ग) रु० में भुगतान करने के आधार पर अखबारी कागज का किया गया आयात ।

वर्ष	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)
1969-70	50,411	609
1970-71 (जून तक)	10,347	122

(घ) (i) देश में अखबारी कागज के वर्तमान एकमात्र कारखाने (नेपा) में प्रतिवर्ष 75000 मी० टन तक की क्षमता बढ़ाने का कार्य चल रहा है और आशा है कि 1971 के अन्त तक यह पूरा हो जाएगा।

(ii) हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज का उत्पादन करने के बारे में मैं० श्री गोपाल पेपर मिल की योजना जिसके विषय में कच्चे माल की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य और इसके बारे में राज्य सरकार के साथ बातचीत करने में काफी प्रगति हुई है, जिसे कार्यान्वित करने के लिए पार्टी द्वारा पहुंच किए जाने की सम्भावना है।

(iii) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का विचार केरल राज्य में 75000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाला अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित करने का है। यह परियोजना, यदि शीघ्र चालू की गई तो 1974-75 तक पूरी हो जाने की आशा है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में विवाद पर समझौता

3664. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों और हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स यूनियन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिससे कतिपय कर्मचारियों को जारी किये गये आरोप-पत्रों सम्बन्धी विवाद समाप्त कर दिया गया है जिसके कारण सितम्बर, 1970 से अन्तिम सप्ताह से कारखाने के इस्पात गलन कक्ष का काम रुक गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या प्रबन्धकों ने ऐसा कोई आश्वासन दिया था कि निलम्बित कर्मचारियों के मामलों पर उदारता से विचार किया जायेगा ; और

(घ) क्या इस समझौते के परिणामस्वरूप पूरा उत्पादन आरम्भ हो गया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) करार की प्रतिलिपि संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4507/70।**]

(ग) यह फैसला किया गया था कि आरम्भ में उन 50 कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिए गए थे और निलम्बित किया गया था उनके मामलों पर नर्मी से विचार किया जाएगा।

(घ) कर्मचारी 1-11-70 को काम पर वापस आ गए थे और 3-11-70 से उत्पादन आरम्भ हो गया था और 9-11-70 तक उत्पादन में स्थिरता आ गई थी। इसके बाद इस्पात पिण्डों का दैनिक औसत उत्पादन 2613 टन रहा है जो 0.945 मिलियन टन वार्षिक बैठता है। कई दिनों में तो उत्पादन 1 मिलियन टन के स्तर से भी बढ़ गया और 1.2 मिलियन टन वार्षिक स्तर तक पहुंच गया।

भारत-ब्रिटेन प्रौद्योगिकीय सहयोग

3665. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**

श्री प्र० के० देव :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ब्रिटेन प्रौद्योगीकीय ग्रुप की हाल में लन्दन में हुई बैठक में उन परियोजनाओं पर विचार करने हेतु जिनमें दोनों देश सहयोग कर सकते हैं, परियोजनाओं की किसी सूची को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). भारत ब्रिटिश तकनीकी दल ने भावी तकनीकी सहयोग और संयुक्त पूंजी विनियोजन के कार्यक्रमों की सम्भावनाओं के बारे में अधिक विस्तार में चर्चा करने के लिए 12 से 16 अक्तूबर, 1970 तक लन्दन में अपनी दूसरी बैठक की। भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए भारत-ब्रिटिश सहयोग की गुंजाइश का आगे पता लगाने के अलावा दल ने उन अवसरों के बारे में भी चर्चा की जो ऐसे नए उद्योगों में, खासतौर से दक्षिण-पूर्वी एशिया और अफ्रीका में बराबर बढ़ते जा रहे हैं जिनमें ब्रिटिश व भारतीय कम्पनियों द्वारा संयुक्त रूप से पूंजी लगाई जा सकती है। बैठक के अन्त में जारी की गई प्रेस-विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4508/70**] दल के द्वारा किए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

Construction of Houses for Harijans in Madhya Pradesh

3666. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether a year ago the Government of Madhya Pradesh had chalked out a scheme for the construction of houses for the welfare of Harijans in the cities of Indore, Jabalpur, Durg, Khandwa, Raipur, Mandsaur, Damoh, Rajandgoan etc. and demanded financial assistance from the Central Government for this purpose;

(b) if so, whether the Central Government have so far given any grant or loan for the purpose to the Madhya Pradesh Government ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) to (c). The details are being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the table of the Sabha as soon as available.

दुर्गापुर माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी करना

3667. **श्री गणेश घोष : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थित माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के 600 कर्मचारियों को अगस्त, 1970 में आरोप-पत्र जारी किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये थे ;

(ग) क्या प्रबन्धक उन आरोप-पत्रों को वापस लेने का विचार कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो आरोप-पत्र वापस लेने की इस कार्यवाही की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अगस्त 1670 में लगभग 700 कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये थे।

(ख) आरोप-पत्र गैर कानूनी हड़ताल के दौरान बिना सूचना दिए कार्य से गैरहाजिर रहने तथा/अथवा अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए दिए गए थे।

(ग) और (ग). आरोप पत्र उपयुक्त स्थायी आदेशों/सेवा नियमों में विशिष्ट अपराधों के लिए की गई व्यवस्था के अनुसार तैयार किये गये हैं और नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। ऐसे मामलों को छोड़कर जहां नियमानुसार वास्तविक कारणों से छुट्टी दी गई है, आरोप-पत्र वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सूती कपड़ा मशीनों का निर्यात तथा आयात

3668. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**

श्री शंकर राव माने :

श्री न० कु० सांघी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) वर्ष 1967,1968, 1969, तथा 1970 के पूर्वार्द्ध में अलग-अलग सूती कपड़ा संबन्धी बड़ी मशीनों और पुर्जों और उपकरणों का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इन वर्षों में अलग-अलग ऐसी बड़ी मशीनों और पुर्जों तथा उपकरणों का कितना आयात किया गया ;

इन वर्षों में सूती कपड़ा संबंधी बड़ी मशीनों और पुर्जों तथा उपकरणों का कितना निर्यात किया गया ;

(घ) इस देश में अप्रयुक्त क्षमता कितनी है ; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

(ङ) सूती वस्त्र उद्योग में मंदी आ जाने के कारण वस्त्र मशीनी उद्योग में पूर्ण रूप से अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने के लिए वस्त्र मशीनों की मांग पर्याप्त नहीं थी। फिर भी, 1970 में लगभग 17 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त क्षमता को निकाल कर लगभग 28 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्त्र मशीनों के उत्पादन की संभावना है।

विवरण

(करोड़ रु० में)

वस्त्र मशीनों की प्रमुख वस्तुओं की अधिष्ठापित क्षमता	वर्ष	उत्पादन		वस्त्र मशीनों की प्रमुख वस्तुओं की अप्रयुक्त क्षमता	वर्ष	आयात	निर्यात
		मुख्य मशीनें	फालतु पुर्जों तथा सहायक सामान			(फालतू पुर्जों तथा सहायक सामान की मुख्य मशीनें)	
15	1967	17.01	20.77	27.99	1967-68	30 13	0.94
	1968	15.07	19.31	29.93	1968-69	17.07	1 83
	1969	19.66	17.02	25.34	1969-70	10.90	5.94
	1970	12.75	11.80		1970-71	2.82	2.53
(जनवरी से जून)					(जून 1970 तक)		(जुलाई, 1970 तक)

ढलवे लोहे का आयात

3669. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशों से ढलवें लोहे का आयात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों से कितनी मात्रा में, और किन शर्तों पर ढलवां लोहा आयात किया जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 1670 के सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करना

3670. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मई, 1970 में ली गई इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) . 1970 की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अगस्त-सितम्बर, 1970 में ली गयी थी न कि मई, 1970 में । आयोग ने अभी परीक्षा-फल घोषित नहीं किया है ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में पूंजी-निवेश

3671. **श्री देवेन सेन** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार के प्रमुख सलाहकार ने प्रधान मंत्री के साथ अपने हाल ही के साक्षात्कार में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में और अधिक पूंजीनिवेश की आवश्यकता पर जोर दिया है क्योंकि इसका राज्य के समूचे औद्योगिक वातावरण पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों को इस्पात तथा कच्चे माल की सप्लाई

3672. **श्री देवेन सेन : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के प्रमुख सलाहकार ने प्रधान मंत्री के साथ अपनी हाल की भेंट में लघु उद्योगों को इस्पात तथा कच्चे माल की सप्लाई में वृद्धि करने की आवश्यकता पर जोर दिया है क्योंकि वर्तमान सप्लाई की मात्रा से पश्चिम बंगाल के लघु उद्योग एक से अधिक शिफ्ट में कार्य नहीं कर सकते ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिगरेट के कारखानों की स्थापना के लिए आशय-पत्र

3673. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिगरेट-कारखानों की स्थापना के लिए कुछ पार्टियों को आशय-पत्र जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध पार्टियों के नाम तथा पते क्या हैं तथा आशय-पत्र उन्हें कब जारी किये गये थे ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने चार भारतीय कम्पनियों को आशय-पत्र जारी किए हैं, अर्थात् :

	जारी करने की तिथि
1. के० नारायणसा, बंगलौर	9-4-1970
2. नेशनल टुबैको कम्पनी, कलकत्ता	26-4-1970
3. मूर्ति एण्ड कं०, मद्रास	6-11-1970
4. कृष्ण मोहन गोयल, कलकत्ता	6-11-1970

Seminar on check of thefts on Railways

3674. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a seminar on ways and means of checking thefts on Railways was organised in Mughalsarai on 2nd November, 1970 and the same was inaugurated by him;

(b) if so, the number of officers and o her persons who participated in it ; and

(c) the total expenditure incurred by Government in connection with the seminar and its justification ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) & (b) . While inaugurating the "Operation Mughal Sarai" on 2.11.70 at Mughal Sarai the Minister for Railways addressed a meeting attended by some Railway Officers and staff, some State Police Officers, Railway Union leaders and members of social voluntary organisations.

At the meeting the Minister inter-alia exhorted the audience to devise ways and means to check thefts in the Mughal Sarai Yard.

(c) Details of the expenditure have yet to be worked out.

Decision to Place Railway Protection Force under the Railway Board

3675. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to bring the Railway Protection Force under the Railway Board;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether any special benefit is likely to accrue to the Railways as a result thereof; and

(d) if so, the details thereof and the date from which Government propose to give effect to the aforesaid decision ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d). The correct position is that the Railway Protection Force is a Central Statutory Force constituted under the Railway Protection Force Act, 1957 and has been functioning under the Ministry of Railways (Railway Board) since its very inception.

रेलवे बोर्ड का एक स्वायत्त प्राधिकार निगम में बदला जाना

3676. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटनाओं पर वांचू समिति ने सुझाव दिया है कि रेलवे बोर्ड को एक स्वायत्त प्राधिकार निगम के रूप में बदल दिया जाये ताकि उसे बाह्य प्रभाव से पृथक् रखा जा सके ;

(ख) क्या सरकार ने उस सुझाव का अध्ययन किया है ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेल दुर्घटना जांच समिति (1968) ने अपनी रिपोर्ट के भाग-11 के पैरा 48 में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं :

"48 ऐसे मामलों में राजनैतिक प्रभाव को समाप्त करने का अधिक क्रान्तिकारी और मौलिक तरीका यह है कि रेलवे बोर्ड को स्वायत्तशासी विधिक निगम बना दिया जाये जैसा कि ब्रिटेन में है। लेकिन इस प्रस्ताव के फलाफल की जांच करना और उसकी वांछनीयता के बारे में कोई घोषणा करना इस समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।"

(ख) और (ग). यह केवल विचार-मात्र है। इस विचार के सन्दर्भ में, इस मामले में कोई निर्णय लेना आवश्यक नहीं है।

रेलवे गार्डों की पदोन्नति के अवसर

3677. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे गार्डों की पदोन्नति के अवसर बहुत ही सीमित हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या गार्डों की यूनियन से इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी नहीं। अपने ही संवर्ग के ऊंचे ग्रेड के पदों में पदोन्नति के अलावा, गार्डों की, सहायक स्टेशन मास्टरों/स्टेशन मास्टरों, सहायक यार्ड मास्टरों, खण्ड नियंत्रकों, सहायक गाड़ी नियंत्रकों, यातायात निरीक्षकों आदि के पदों पर पदोन्नति करने के बारे में विचार किया जाता है। गार्डों की पदोन्नति की वर्तमान सरणि पर्याप्त समझी जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) ऊपर (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

Training to Engineers in Small Scale Industries, Madhya Pradesh

3678. **Shri Ramavatar Sharma** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ministry have formulated a scheme for imparting training to the entrepreneurs possessing Degree or Diploma in Engineering and to provide them financial assistance for setting up industries, provision for which also exists in the Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, the number of such Engineering entrepreneurs of Madhya Pradesh who will be imparting training under the above scheme and whether Government also propose to set up any training centre in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) Yes, Sir.

(b) In Madhya Pradesh, the training is proposed to be imparted at the Small Industries Service Institute, Indore. It is expected that about 100 Engineer Entrepreneur will be trained every year at this Centre.

Applications for Setting Up of Industries In Madhya Pradesh

3679. **Shri Ramavatar Sharma :** Will the **Minister of Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the number of applications received during the last year and in 1970 so far from the enterprises in Madhya Pradesh in the public as well as the Private Sector for setting up new industrial units and for the expansion of the existing ones together with the details of these industries ;

(b) the number of applications which have been considered and in whose cases licences and letters of intent have been issued; and

(c) the number of those applications in regard to which licence and the letter of intent have not been issued and the reasons for not granting licences to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M.R. Krishna) : (a) to (c) During the last year and 1970 (upto 31st October) 70 applications were received for industrial licences for setting up of industries in Madhya Pradesh, out of which 45 were for establishment of new industrial undertakings, 12 for manufacture of new articles and 13 for effecting substantial expansion. Of these applications, 2 were received from the Public Sector and the remaining 68 from the Private Sector. These related to the manufacture of Chemicals, Electrical Equipments, Automobiles.Vanaspati, Cement, Electronics,Beer, Rubber Goods, Paper, Agricultural Machinery, Iron and Steel Products and other industries.

Out of the 70 applications, licence and letters of intent have been issued in one and 3 cases, respectively; 19 have been rejected; 2 have been withdrawn by the applicants and in one case licence was not required and the party has been informed accordingly. The remaining 44 applications are under consideration. 16 of these applications have already been considered by the Licensing Committee and Government's decision is either under issue or expected to be issued shortly. It may be added that 19 applications were received during the period from 1st August, 1970 to 31st October, 1970.

जबलपुर में सहायक उद्योगों का विकास

3680. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को जबलपुर प्रतिरक्षा संस्थानों के समीप सहायक उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) . राज्य सरकार ने कुछ समय पहले जबलपुर के समीप सुरक्षा प्रतिष्ठानों के इर्द-

गिर्द सहायक उद्योगों के विकास करने का प्रस्ताव किया था। विकास आयुक्त लघु उद्योग द्वारा कराये गये अध्ययन से पता चला है कि मशीन शालाओं, ढलाई शालाओं आदि जैसे उद्योगों की स्थापना की गुंजाइश है। इस मामले पर रक्षा उत्पादन मंत्रालय के साथ बात-चीत की जा रही है।

Assistance To Madhya Pradesh for Centrally Sponsored Programmes for Welfare of Women, Children and Disabled Persons

3681. **Shri Ramavatar Sharma :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether the Central Government have been providing 50 per cent to 100 per cent assistance to the Government of Madhya Pradesh for the various Centrally sponsored and Centrally aided programmes aimed at the welfare of women; children and disabled persons, for social security measures, special Employment Exchanges and the welfare of the youth other than students, but no provision for such aid has been made in the 4th Five Year Plan ; and

(b) If so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) and (b) Upto 1968-69 a matching Grant of 50% was being given to the Government of Madhya Pradesh for the Centrally Aided Plan Schemes of Social Welfare for Women, Children and the Handicapped, 100% assistance is being given to the Government of Madhya Pradesh since Third Plan period for Centrally sponsored Scheme of Pre-Vocational Training of children and provision for this programme has been included in the Fourth Five Year Plan. For the rest of the Welfare Schemes, the Central assistance is included in the block grant made to the States.

Consumption of Country/Foreign Liquor

3682. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the consumption of country liquor as well as that of foreign liquor in the various States during the last three years ; and

(b) in figures relating to income of the Government from the contracts awarded to liquor sellers during the said three years ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

भिखारियों को रोजगार देने तथा उनको प्रशिक्षण देने हेतु एक फारम स्थापित करना

3683. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने मैसूर के नमूने पर संघ राज्य क्षेत्र में भिखारियों को रोजगार देने तथा उनको प्रशिक्षण देने हेतु एक फारम स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इससे दिल्ली की सड़कों से भिखारियों को हटाने में कहां तक सहायता मिलेगी ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अन्य राज्यों से भी ऐसी परियोजनाएं आरम्भ करने को कहने का है ताकि देश में भिक्षावृत्ति समाप्त हो सके ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दिल्ली प्रशासन ने 1971-72 के लिए अपने वार्षिक योजना के प्रस्ताव में भिखारियों को तीव्र कृषि कार्यों में प्रशिक्षण देने के लिए एक कृषि फार्म स्थापित करने की योजना शामिल की है।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे भिखारी गृहों के निवासियों का पुनर्वास करने के हेतु उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए कृषि फार्म का उपयोग किया जाएगा।

(ग) भिक्षावृत्ति पूर्णतया राज्य विषय है और इसलिए भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए कार्यक्रमों को शुरू करने और चलाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तो भी, समाज कल्याण की सफल परियोजनाओं से सम्बद्ध जानकारी के आदान-प्रदान के लिए सामान्यतया प्रयत्न किए जाते हैं।

शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे का बन्द किया जाना

3684. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारनपुर के कार्मिक संघ के नेताओं ने यह मांग की कि शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को या तो राष्ट्रीयकरण के आधार पर अथवा इसको सहकारी आधार पर पुनः चलाया जाये ;

(ख) क्या कर्मचारियों की देय राशि का भुगतान करने में असफलता के कारण कंपनी के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की भी माँग की गई है ;

(ग) क्या कार्मिक संघ के नेता अपनी मांग मनवाने के लिए बारी-बारी से अनशन कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) यूनियन के नेताओं ने शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के राष्ट्रीयकरण की मांग की है। इस रेलवे को चलाने के लिए उन्होंने सहकारी समिति बनाने का भी विचार किया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) (i) शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। साथ ही, उसकी यह राय है कि शाहदरा-सहारनपुर लाइट

रेलवे की, सड़क सेवाओं के साथ-साथ, जिनको वस्तुतः राज्य सरकार ने शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे द्वारा, उसके 1.9.70 से बन्द कर दिये जाने से पहले परिवाहित यातायात को सम्हालने के लिए पहले ही बढ़ा दिया है, लाभकारी रूप से नहीं चलाया जा सकता।

(ii) कर्मचारी सहकारिता द्वारा रेलवे को चलाने के सुझाव के संबंध में कर्मचारियों को सलाह दी गयी थी कि रेलवे को चलाने के बजाय इस सहकारिता के आधार पर सड़क परिवहन सेवाएं चलाने की तरजीह दें क्योंकि सड़क-प्रतियोगिता के कारण रेलवे का चलाना लाभप्रद नहीं होगा। इस संबंध में रेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के कर्मचारियों को रोजगार दें अथवा कर्मचारियों की सहकारी समितियों को सड़क के परमिट जारी करें। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि यदि यह संभव न हो तो कोई नये सड़क परमिट जारी न किये जायें और वर्तमान सड़क सेवाओं में इतनी कमी कर दें कि कर्मचारी सहकारिता के आधार पर इस लाइट रेलवे को बिना हानि उठाये चला सकें।

(iii) यह राय व्यक्त की गयी है कि हथी सिंह मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० बनाम भारत सरकार के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के प्रबन्धकों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत छंटनी-मुआवजा न देने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन, सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाये। उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के प्रबंधकों के बीच अभी हाल में हुई एक बैठक में प्रबन्धकों के प्रतिनिधि इस बात के लिए सहमत हो गये थे कि भविष्य निधि के मद में देय सभी रकम और 1-4-70 से 31-8-70 तक के बोनस का भुगतान दिसम्बर, 1970 की समाप्ति से पहले ही कर दिया जायेगा।

इस्पात संबंधी भारतीय प्रतिनिधिमंडल की रूस की यात्रा

3685. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सचिव आर० सी० दत्त की अध्यक्षता में इस्पात संबंधी चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में रूस की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस यात्रा का क्या उद्देश्य था ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यह प्रतिनिधिमण्डल रूस की मंत्री परिषद् की विदेशी आर्थिक संबंधों की राज्य समिति के निमंत्रण पर वहां गया था और इसके सदस्य वहां पर रूस सरकार के अतिथि थे। प्रतिनिधिमण्डल ने इस मंत्रालय के अधीन रूस की सहायता से लगाई गई प्रायोजनाओं से सम्बन्धित पारस्परिक हित के विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया था।

मदुरै और आलोवाकोट डिवीजनों में कन्टेनर सेवाएं

3686. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने दक्षिण रेलवे में वर्तमान कन्टेनर सेवाओं का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) उस रेलवे में किन-किन स्थानों पर कन्टेनर सेवा लागू की गई हैं ; और

(ग) मदुरै और आलोवाकोट डिवीजनों (केरल क्षेत्र) के अन्य किन-किन स्टेशनों पर यह सेवा आगामी वर्ष (1970-71) में लागू की जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) मद्रास और बैंगलूरू, मद्रास और बम्बई, बैंगलूरू और बम्बई तथा मद्रास और कलकत्ता के बीच नियमित कन्टेनर सेवा चालू की गयी है। परीक्षण के तौर पर, आरूमुगनेरि से बम्बई, बम्बई से तिरूच्चिराप्पल्लि, बम्बई से पालघाट और बैंगलूरू तथा एरणाकुलम के बीच भी कुछ कन्टेनरों का लदान किया गया है।

(ग) फिलहाल कोई नहीं।

Non stoppage of trains at newly constructed railway station between Kanti and Motipur Railway stations (Northern Railway)

3687. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a new station has been constructed between Kanti and Motipur Railway Stations on Muzaffarpur-Narkatiganj line of the North Eastern Railway ;

(b) if so, whether Government are aware of the reasons for which trains are not stopped there and why that station, the name of which should be Nariyar Station, has not been named so far ; and

(c) the time by which all formalities regarding the said new halt station would be completed and trains would start stopping there ?

Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No Earthwork to be done by Shramdan by the local people has still to be completed.

(b) and (c). Trains at the proposed halt will start stopping after the construction work is completed and the name of the halt is decided. The name of the halt is under consideration of the State Government and their decision is awaited.

Residential Accommodation for Employees of New Division of North Eastern Railway

3688. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the category-wise number of Railway employees appointed in the new Division

of North Eastern Railway from outside after the setting up of this Division and the number of employees out of them provided with residential accommodation and the number of those who are yet to be provided with the same ; and

(b) whether any action has been taken by Government to overcome the shortage of accommodation particularly in the case of Class III and Class IV employees and if so, the details thereof ?

Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Provision of a Shed and Remodelling of Chakia Railway Station (North Eastern Railway)

3689. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for not providing a Shed and not remodelling the Chakia Station on the Muzaffarpur-Narkatiaganj section of the North Eastern Railway ; and

(b) whether Government had chalked out any scheme for construction of a shed at and remodelling of Chakia Station ; if so, the reasons for not implementing it ?

Minister of Railways Shri Nanda : (a) The passenger amenity works like provision of shed over platform are taken up on a programmed basis in consultation with Zonal Railway Users' Amenities Committee, who take into consideration the comperative needs of other stations requiring similar facilities and availability of funds. There is however, already a waiting hall measuring 41′ X 26′ to cater to the needs of passenger traffic which is considered adequate. There is no proposal to remodel the station building as it is considered adequate to deal with the present passenger traffic.

(b) Does not arise.

रेलवे कालोनी दिल्ली, किशनगंज में नागरिक सुविधाएँ प्रदान करना

3690. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशनगंज रेलवे कालोनी कल्याण एसोसिएशन ने उनको इस आशय का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था कि उक्त रेलवे कालोनी में नागरिक सुविधाओं, जैसे समाज सदन, पुस्तकालय, घास वाले पार्क, टैक्सी स्टैन्ड आदि की व्यवस्था की जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ये सुविधाएँ उक्त कालोनी को कब तक मुहैया की जायेंगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

रेलवे कालोनी दिल्ली, किशनगंज में बिजली के पुराने उपकरणों को बदलना

3691. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कालोनी, किशनगंज में बिजली के तार बहुत पहले लगाये गये थे ;

(ख) क्या इन तारों की उपयोगिता समाप्त हो गयी है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कालोनी में बिजली के अन्य उपकरण जैसे पंखे, रेग्यूलेटर

आदि भी बहुत पुराने हैं तथा संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या इनको बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) किशनगंज में टाइप III के 500, टाइप II के 520, और टाइप I के 910 क्वाटर हैं। टाइप III के क्वार्टरों में 1950 से पहले तार लगाये गये थे और बाकी क्वार्टरों में 1950-56 के दौरान तार लगाये गये।

(ख) इन मकानों में लगे हुए तारों का निरीक्षण किया गया है और वे अच्छी दशा में पाये गये सिवाय टाइप II के 125 क्वार्टरों के, जिनमें दीमक के कारण तारों के नीचे लगी पट्टियां और उनके ढक्कन खराब हो गये हैं।

(ग) इन क्वार्टरों में लगे 1000 से अधिक पंखों में से अधिकतर संतोषप्रद ढंग से काम कर रहे हैं।

(घ) और (ङ). उत्तर के उपर्युक्त पैरा (ख) में उल्लिखित टाइप II के 125 क्वार्टरों में फिर से तार लगाने का काम 1971-72 के दौरान किये जाने का विचार है।

पंजाब में औद्योगिक एकक

3692. **श्री यशपाल सिंह :**

श्रीमती निर्लेप गघौर :

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने हाल ही में पंजाब सरकार को सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने का एक औद्योगिक एकक स्थापित करने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित औद्योगिकों एकक का नाम क्या है तथा यह कहां स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक हो जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) प्रश्न में बताए गए रूप में प्रधान मंत्री द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। कुछ सप्ताह पहले पटियाला की एक सभा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने राज्य में भारी उद्योगों की स्थापना करने की मांगों का उल्लेख करते हुए पंचवर्षीय योजनाओं और विभिन्न राज्यों से मुकाबले की मांगों के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लिये गए निर्णयों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंनें कृषि व लघु उद्योग क्षेत्र में पंजाब द्वारा की गई अत्यधिक प्रगति का भी उल्लेख किया था और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना (इन्फ्रा-स्ट्रक्चर) बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय रेलवे के सिगनल तथा दूर संचार कर्मचारियों की मांगें

3693. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

श्री देवेन सेन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के सिगनल तथा दूर संचार कर्मचारी अपने संघ की मान्यता नियत कार्य-समय, समयोपरि भत्ते, पदोन्नतियों आदि की मांगे कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लगभग चालीस कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में 10 नवम्बर, 1970 को बड़ोदा हाउस में उत्तर रेलवे के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय रेलवे के कर्मचारियों ने सरकार को उनकी मांगें पूरी करे या कार्यवाही करने की चेतावनी दी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मांगों को पूरा करना चाहती है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सरकार द्वारा इन सभी मांगों की जांच की जा चुकी है और यथावश्यक कार्रवाई की गयी है । जहां तक इस एसोसियेशन को मान्यता देने का प्रश्न है, सरकार की यह नीति नहीं है कि कोटिवार एशोसियेशनों को मान्यता दी जाये ।

विदेशी सहयोग पर प्रतिबंध

3694. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारत में कारोबार उद्योगों की स्थापना तथा उनके विस्तार के लिए विदेशी कम्पनियों से सहयोग प्राप्त करने की इच्छा से भारतीय उद्यमियों पर कुछ नये प्रतिबंधों की घोषणा की है ; और

(ख) क्या सरकार ने उन कतिपय उद्योगों की परिभाषा भी की है जहां इन नये प्रतिबंधों के अनुसार कार्य करना होगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नये इस्पात संयंत्रों में इस्पात की उत्पादन लागत

3695. **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम, होसपेट तथा विशाखापत्तनम में प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों के स्थान के बारे में निर्णय करते समय इनमें से प्रत्येक संयंत्र में इस्पात की उत्पादन लागत का कोई अनुमान लगाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन अनुमानों का ब्यौरा क्या है, और उक्त उत्पादन लागत, वर्तमान गैर-सरकारी तथा सरकारी संयंत्रों में से प्रत्येक के इस्पात की वास्तविक उत्पादन लागत की तुलना में क्या है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी (इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री) : (क) और (ख) . सेलम, हास्पेट, तथा विशाखापत्तनम के प्रस्तावित इस्पात कारखारों के स्थल के बारे में निर्णय करते समय जिन महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया गया था उनमें कच्चा माल इकट्ठा करने की लागत भी एक थी जिसका उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ता है । जब विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार हो जाएगा तो प्रत्येक कारखाने की अनुमानित उत्पादन लागत का पता लग जाएगा ।

इगतपुरी से आगे नई दिल्ली की ओर रेलवे लाइन (मध्य रेलवे) का विद्युतिकरण

3696. **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे पर इगतपुरी से आगे नई दिल्ली की ओर रेलवे लाइन के विद्युतिकरण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) कार्यक्रम के निष्पादन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). 25 किलोवोल्ट ए० सी० प्रणाली से रेलपथ के बिजलीकरण के काम का विस्तार इगतपुरी से भुसावल तक पहले ही कर दिया गया है । आगे भुसावल और इटारसी के बीच जो मध्य रेलवे में भुसावल से नई दिल्ली तक के मार्ग का एक भाग है, रेलपथ का बिजलीकरण करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है और यदि इसे वित्तीय एवं परिचालनिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण तथा तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक पाया गया तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में बिजलीकरण के अनन्तिम कार्यक्रम में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

फोरम आफ फाइनेन्सियल राइटर्स और रेलवे बोर्ड का सम्मेलन

3697. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे राजस्व में सुधार की योजनाओं पर चर्चा करने और उन्हें तैयार करने के उद्देश्य को लेकर इस वर्ष अक्तूबर के महीने में फोरम आफ फाइनेन्सियल राइटर्स और रेलवे बोर्ड का एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसे ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, एक सम्मेलन हुआ था।

(ख) फोरम आफ फाइनेन्सियल राइटर्स के साथ बातचीत करने का उद्देश्य यह था कि उन्हें रेलों की सामान्य वित्तीय स्थिति से अवगत कराया जाये और उनके विचारों को समझा जाय।

बड़े उद्योगों को सामान की पूर्ति करने के लिए छोटे उद्योगों को सहायता

3698. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे उद्योग, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्योगों की उपकरणों तथा अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता के बड़े भाग को पूरा करने में समर्थ बन सकें क्या इसके लिए सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा लघु उद्योगों को प्रभावी समर्थन देने हेतु कोई बड़ा अभियान चालू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्तावित योजनाओं का निश्चित रूप क्या है; और

(ग) बड़े सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों की आवश्यकताओं की 1969-70 तक किस हद तक पूर्ति की गई और कितनी पूर्ति वर्ष में लघु उद्योगों द्वारा की जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार लघु क्षेत्र में सहायक एककों के विकास को अत्यधिक महत्व देती है। ऐसे सहायक एककों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के अध्यक्षों की एक विचार-गोष्ठी अप्रैल, 1970 में बंगलौर में हुई थी। गोष्ठी में पारित संकल्प के अनुसरण में सरकार ने सहायक एककों के विकास को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को पत्र भेजे हैं। गोष्ठी में पारित किये गये संकल्पों को सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल तिरुचिरुपल्ली ने उस उपक्रम के लिए सहायक एकक स्थापित करने के लिए एक परिसंवाद का आयोजन किया था। दूसरा परिसंवाद बिहार सरकार के तत्वावधान में 5 और 6 दिसम्बर तो रांची में होने जा रहा है। विकास आयुक्त, लघु उद्योग के सहायक डिवीजन के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के हेतु पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है जिससे उन लघु एककों की जो सहायक एककों के रूप में काम कर रहे हैं, पर्याप्त विस्तार सेवा की जा सके। विकास आयुक्त लघु उद्योग द्वारा जहाँ कहीं भी इस समय सहायक एककों के स्थापित करने की गुंजाइश है, आदर्श योजनाएं तैयार की जा रही हैं। लाइसेंस समिति को जो मार्गदर्शी निदेश दिये गये हैं उनमें इसका पहले ही उल्लेख कर दिया गया है कि जिन वस्तुओं को लघु उद्योग के सहायक एककों में कुशलतापूर्वक बनाया जा सकता है, उन्हें लघु क्षेत्र के लिए अलग कर दिया जाय। सहायक एककों को किस प्रकार से सहायता दी जाए इस प्रश्न की सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

(ग) अनुमान है कि 1969-70 के दौरान लघु एककों ने 25 करोड़ रु० के मूल्य के हिस्से और पुर्जे बड़े पैमाने के उद्योगों (सरकारी तथा गैर-सरकारी) को सप्लाई किये हैं। 1970-71 के दौरान लगभग 31 करोड़ रुपये का माल सप्लाई किया जायेगा।

Late running of Banda-Lucknow Express Train

3699. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for which the Banda-Lucknow Express train runs late invariably; and

(b) whether Government propose to make adequate arrangements for the safety of the passengers in the said train because several incidents of looting etc. have taken place in the said train ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) A variety of factors such as heavy incidence of alarm chain pulling, frequent communication failures following thefts of telephone wires etc. affect the punctuality performance of 109 Dn/110 Up Banda-Lucknow Express and other trains on this route.

(b) Government Railway Police Guards have been provided.

Industries in Banda (U.P.)

3700. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have recently received some suggestions regarding the setting up of some factories in Banda (U.P.); and

(b) if so, the action taken by Government so far in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development & Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) & (b). Government have not received recently any specific suggestions for setting up of factories in Banda (U.P.). However, at the request of the U.P. Govt. the Small Scale Industries Organisation have recently undertaken a survey of Banda District but the report has not yet been finalised.

Proposal For Setting Up of Goods Carriers Factory in Raebareli (U.P.)

3701. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether a factory for manufacturing goods carriers is proposed to be set up in Raebareli District of Uttar Pradesh with Russian collaboration;

(b) if so, the time by which the said factory is expected to be set up;

(c) the expenditure to be incurred on the setting up of the said factory; and

(d) its annual capacity of manufacturing goods carriers and its employment potential ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) A letter of intent has been granted to M/s. Insov Auto Ltd., for the setting up of a new industrial undertaking for the manufacture of Light Commercial Vehicles with Russian collaboration at Sandila, District Hardoi in the State of U.P. The Company has recently stated that they are considering location of the factory at either Sandila or Rai Bareilly or Naini in U. P. State and that the final selection will be made by them after joint inspection of each of the sites by the collaborators and their experts.

(b) It is not possible to indicate at this stage the time by which the proposed factory will be set up.

(c) The total investment on land, buildings and machinery has been indicated by the company in their application as Rs. 12.86 crores.

(d) The letter of intent has been granted for the manufacture of 12,000 Nos. per annum of light commercial vehicles (of 1—3½ ton capacity). It has been indicated in the industrial licence application that the scheme will generate a direct employment of 15,000 workers in course of five years.

रेलवे में स्वचालित सिगनलों के ठीक कार्य न करने के कारण रेल दुर्घटनाएँ

3702. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में स्वचालित सिगनल ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं जिसके कारण अनेक दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन सिगनलों की मरम्मत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

कागज की कमी

3703. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज की कमी होने के कारण कुछ विश्वविद्यालय अपने उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र नहीं दे पाये; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). विश्वविद्यालयों द्वारा प्रमाण-पत्रों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले कागज की कमी और उसके फलस्वरूप होने वाली कठिनाइयों के विषय में कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

पश्चिम रेलवे के झुण्ड काण्डला सैक्शन में एम्पलायमेंट नियमों के घंटों का उल्लंघन

3704. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा बम्बई के सहायक आयुक्त ने दिसम्बर, 1969 के अपने निरीक्षण प्रतिवेदन के मद संख्या 45 में पश्चिम रेलवे के झुण्ड-काण्डला सैक्शन में 'एम्पलायमेंट' नियमों के घण्टों के उल्लंघन के बारे में खराब टिप्पणी की है;

(ख) क्या श्रम प्रवर्तन अधिकारी (सेन्ट्रल) अलीपुर ने भी 24 जुलाई, 1970 के अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में इस विषय पर खराब टिप्पणी की है;

(ग) क्या इन गम्भीर त्रुटियों की ओर रेलवे प्रशासन का ध्यान दिलाया गया है; और

(घ) इनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). जी हाँ, पश्चिम रेलवे के झुण्ड-कांडला खण्ड पर ऐसे मामले हुए हैं जिनमें कर्मचारियों की कमी और कुछ अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण आवधिक विश्राम की व्यवस्था नहीं की जा सकी। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि इस सम्बन्ध में कार्य घंटा नियमों के उपबन्धों का यथावत पालन किया जाये।

झांसी डिवीजन के चार स्टेशनों के स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टर पर रेलवे सुरक्षा बल के रक्षकों द्वारा हमला

3705. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 सितम्बर, 1970 को मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के चार स्टेशन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के तीन रक्षकों ने, सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में घुसकर स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टर पर हमला किया और बन्दूक दिखाकर उनसे रेलवे की 100.70 रुपये की नकद राशि छीन ली थी;

(ख) क्या मध्य रेलवे पर चार स्टेशन का अन्य स्टेशनों के साथ टेलीफोन सम्पर्क इस घटना के कारण दो घंटे तक भंग रहा था और वहाँ गाड़ियाँ रुकी रही थीं; और

(ग) क्या रेलवे सुरक्षा बल के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासन ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अपनी ड्यूटी पर काम कर रहे कर्मचारियों पर भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 30-9-70 को रेल सुरक्षा दल के 3 सदस्यों और छाता स्टेशन के कर्मचारियों के बीच सीमेंट के परेषणों को उतारने के सम्बन्ध में उचित कार्यविधि का पालन न किये जाने के सिलसिले में झगड़ा हो गया था। रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों ने बन्दूक दिखा कर रेलवे की नगदी नहीं छीनी।

(ख) छाता स्टेशन का टेलीफोन सम्पर्क थोड़ी अवधि के लिए टूट गया था। गाड़ियों का आना-जाना भी लगभग डेढ़ घंटे के लिए रुका रहा।

(ग) रेल सुरक्षा दल के कार्मिकों को निलम्बित कर दिया गया और छाता स्टेशन से उन्हें तुरन्त हटा दिया तथा उन्हें आरोप-पत्र दे दिये गये। छाता के स्टेशन मास्टर के विरुद्ध अनियमितता बरतने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है।

रेल सुरक्षा दल के कार्मिकों और स्टेशन के कर्मचारियों—दोनों द्वारा की गई शिकायतों पर, सरकारी रेलवे पुलिस, मथुरा ने मामले दर्ज कर लिये हैं, जिनकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा छाता रेलवे स्टेशन पर निगरानी रखी जा रही है।

मालगाड़ी के गार्डों की इन्जनों में यात्रा

3706. **श्री शशि भूषण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के सरहाट-बालीगंज, बालीगंज कनकुरगाची के डमडम जंक्शन सेक्शनों पर मालगाड़ियों के गार्डों को सबसे पिछले डिब्बे अथवा ब्रेक वेन के बजाय गाड़ी के इंजन में यात्रा करने की नियमित रूप से अनुमति दी जा रही है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या ऐसी प्रक्रिया से रेलवे के सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होता है; और

(ग) क्या ऐसी सहयोग वाली प्रक्रियाओं को रोकने के लिए कोई उपचारी कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) ये खण्ड बदमाशों की कार्यवाही के लिए कुख्यात क्षेत्र हैं और इन खण्डों पर कार्यरत कई गार्डों के साथ हाथापाई की गयी है और उनके सामान को लूट लिया गया है। जब रात के समय रेल सुरक्षा दल के अनुरक्षी नहीं रहते हैं और गाड़ी में पूर्ण रूप से निर्वात ब्रेक लगे होते हैं, तब गार्ड जान-माल के भय के कारण, अक्सर, गाड़ी इंजन में यात्रा करते हैं।

(ख) जी नहीं। विशेष परिस्थितियों में, गार्ड अपने ब्रेक वानों में सवारी नहीं करते। फिर भी ऐसे मामलों में संरक्षा की दृष्टि से यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूरी की पूरी गाड़ी पहुंच गयी है स्टेशनों के केबिनों द्वारा अन्तिम वाहन की संख्या नोट कर ली जाती है।

(ग) गाड़ियाँ चलाने वाले कर्मचारियों के कर्त्तव्य-निर्वाह में कानून विरोधी तत्व बाधा न डालने पायें इसके लिए पुलिस प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए उनसे सम्पर्क स्थापित किया गया है।

Employment of Local Persons in the Government Establishments at Naini

3707. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether the Administrative Reforms Commission has recommended that local

persons should be given preference in the matter of giving employment in public sector establishments;

(b) if so, whether Government have issued any instructions for its implementation; and

(c) if so, the extent to which these instructions are being implemented in the Government of India's establishments in Naini, Allahabad under the administrative control of his Ministry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) No, Sir.

(b) Instructions have been issued to the Public Sector Undertakings that appointments to posts carrying a salary of not more than Rs. 500/- per mensem should normally be made through the local employment exchanges.

(c) Bharat Pumps & Compressors Pvt. Ltd., which is the only undertaking under the control of this Ministry situated at Naini, Allahabad, is still in the initial stages of construction and are cognisant of the Government instruction in the matter.

Missing of Slips from goods wagons at Mughalsarai

3708. Shri Janeshwar Misra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at a meeting of the Railway employees at Mughalsarai on 3rd November, he disclosed that the persons responsible for the safety of Railway goods are committing thefts;

(b) whether it is also a fact that on getting several goods wagons opened he found the slips missing; and

(c) if so, the action being taken in this regard ?

Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) No,

(c) Does not arise.

पूर्व रेलवे की सियालदह डिवीजन में दक्षिण सैक्शन पर कलकत्ता में रेलगाड़ी पर बम का फेंका जाना

3709. **श्री सामिनाथन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे की सियालदह डिवीजन के दक्षिण सैक्शन पर कलकत्ता में गाडी पर 14 नवम्बर, 1970 को एक बम फैंका गया था;

(ख) यदि हां, तो उससे रेलवे को कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या उस दुर्घटना में कोई यात्री भी मारे गये थे; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) चल स्टाक की मद में 2,000 रुपये की क्षति हुई ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

Non-Payment of House Rent Allowance to Employees of Buldhana Railway Station

3710. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Western Railway Administration had stopped paying house rent allowance to the employees of Buldhana Railway Station in the months of July, August, September and October, 1970;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken in the meanwhile to make payment of house rent allowance and whether the payment has since been made to the employees ?

Minister of Railways (Shri Nanda) : (a to c). Payment of House Rent Allowance to the employess of Udhna (not Buldhana) Railway Station beyond 31.7.70 was discontinued due to expiry of the three year term of the original sanction. However, on receipt of appropriate dependency certificate from the civil authorities covering further period beyond 31.7.70 necessary sanction has since been accorded for the payment of House Rent Allowance covering the period from 1.8.70 to 31.7.73.

Export of Goods by Heavy Electricals Ltd. Bhopal

3711. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

the quantity and value of goods manufactured by the Heavy Electricals Limited, Bhopal which have been exported so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna): Messrs. Heavy Electricals (India) Limited, Bhopal, have so far exported 56 Nos. of 11 KV Switch-gear, 30 Nos. of Capacitor, 16 Nos. of Motors; one No. of Motor Starter, one No. of Tap changers, besides the necessary spares for the above, and Micanite sheets. The total value of goods exported so far is Rs. 4.41,410.00.

Rail Facilities in Rajasthan during Fourth Plan

3712. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the places in Rajasthan where Railway lines are proposed to be laid during the Fourth Five Year Plan; and

(b) the expenditure likely to be incurred thereon and the proposed length of the railway lines to be laid ?

Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). The proposals of new lines to be constructed during the Fourth Five Year Plan have not yet been finalised. Hence it is difficult to say at present which places in Rajasthan would be connected by new railway lines during this period. However, a proposal to construct a 32 Km. long new rail link at an estimated cost of Rs. two crores, from Debla to Singhana to serve the Khetri Copper Complex and the Fertilizer Plant is under consideration. A final location Engineering Survey is now in progress and the work is likely to be taken up in 1971-72.

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली सरकारी परियोजनाओं का पूंजीगत मूल्य

3713 **श्री शंकरराव माने :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी परियोजनाओं के परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार पूंजीगत मूल्य क्या है ; और

(ख) परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार इन परियोजनाओं में कुल कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रत्येक योजना में वास्तव में कितने व्यक्ति काम करते हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क)और (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

परियोजना	परियोजना प्राक्कलन (10 लाख रुपये)	परियोजना प्रतिवेदन में अनुमानित जनशक्ति	वास्तविक रोजगार (30-6-70 को)
१	२	३	४
1. हिन्दुस्तान स्टील लि०			
(क) भिलाई इस्पात कारखाना			
1 मिलियन टन की अवस्था	1,100	7,300	—
2.5 मिलियन टन तक विस्तार	1,046	12,040	25,458
(ख) राउरकेला इस्पात कारखाना			
1 मिलियन टन की अवस्था	1,280	6,800	—
1.8 मिलियन टन तक विस्तार	776	10,600	20,897

(ग) **दुर्गापुर इस्पात कारखाना**			
1 मिलियन टन की अवस्था	1,150	9,800	—
1.6 मिलियन टन तक विस्तार	662	अनुमान नहीं लगाया गया	20,072
(घ) मिश्र इस्पात कारखाना दुर्गापुर	648	3,990	4,293
2. बोकारो इस्पात कारखाना	7,700	13,100	अभी निर्माणाधीन है
3. भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड	1,146	15,193	19,163
4. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	175	4,244	6,273**
5. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्ज़ लिमिटेड	140*	अनुमान नहीं लगाया गया	1,029
6. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्ज़ लि०	48	1,652	1,332
7. तुंगभद्रा स्टील प्राइवेट लि०	सरकार ने चालू कारखाने को सम्भाला था।		

टिप्पणी : सामान्यतः विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदनों के अनुमानों में कई कार्य, जैसे सामान्य प्रशासन, बस्ती, खानें आदि शामिल नहीं थे जिनके लिए बाद में सरकार द्वारा संशोधित प्राक्कलनों के अनुमोदन के समय व्यवस्था की गई थी। अतः ऊपर चौथे कालम में दिखाये गये आंकड़ों में इन कामों में हुई नियुक्तियां शामिल नहीं हैं।

**कोई विस्तृत परियोजना प्रतित्रेदन तैयार नहीं किया गया था। इसमें केवल संयंत्र की अनुमोदित पूंजीगत लागत दिखाई गई है।

*31-3-1970 को।

बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण

3714. **डा० रानेन सेन** :

श्री दे० वि० सिंह :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस इस्पात संयंत्र की पहली भट्टी कब तक चालू हो जायेगी ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यद्यपि प्रावस्था भाजित निर्माण कार्यक्रम में भी कहीं-कहीं कुछ देरी तथा कमी हुई है, बोकारों में काम की सामान्य गति में काफी सुधार हुआ है जिससे देरी पूरी हो जायेगी और कारखाना वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जाएगा ।

(ख) प्रावस्था भाजित निर्माण कार्यक्रम में देरी मुख्यतः विशेष प्रकार की इस्पात की प्लेटों की सप्लाई में कठिनाइयों, औद्योगिक अशान्ति और देशीय निर्माताओं द्वारा उष्मसहों और उपस्करों की समय पर आपूर्ति न कर सकने के कारण हुई है ।

(ग) कार्यक्रम के अनुसार प्रथम धमन भट्ठी मार्च, 1972 तक उत्पादन करना आरम्भ कर देगी ।

चिरयिनकीझू रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) के दर्जे का बढ़ाया जाना

3715. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल के त्रिवेन्द्रम जिले के चिरयिनकीझू रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). चिराइनकिजहू नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है । सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय कोल्लम—त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल खण्ड पर चिराइनकिल फ्लैग स्टेशन से है । फिलहाल इसको पार-स्टेशन में बदलने का कोई विचार नहीं है क्योंकि इस स्टेशन से होने वाले यातायात की जरूरत पूरा करने के लिए वर्तमान उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त हैं ।

अलवाई रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर उपरिपुल

3716. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के एरनाकुलम जिले में अलवाई स्टेशन पर उपरिपुल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

बरकला तथा कदाकाबूर (दक्षिण रेलवे) रेलवे स्टेशनों का विकास

3717. **श्री क० अनिरुद्धन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बरकला और कदाकाबूर रेलवे स्टेशनों में सुधार करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Birla Industries in Madhya Pradesh

3718. Shri Atam Das : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the names of Birla group of Industries set up in Madhya Pradesh and the capital invested in those industries;

(b) the particulars of industries to be set up in Madhya Pradesh in respect of which the Birlas have applied for grant of licences during the last three years; and

(c) the particulars of licences issued to them and the number of applications for licences which are still pending ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M.R. Krishna) : (a) Up-to-date information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) & (c). During the period from 1967 to 1970 (upto 31st August), 11 applications were received from undertakings belonging to or controlled by Birla Group for industrial licences for setting up industries in Madhya Pradesh. The industries, to which these applications relate, are as follows :—

Industry	No. of applications received
Electrical Equipment	5
Electronics	2
Metallic Yarn	1
Textiles	1
Cement	1
Steel Wire	1
Total	11

Out of these applications, 7 have been rejected and the remaining 4 are under consideration. No licence or letter of intent has been issued. However, 2 licences were issued to companies belonging to Birla Group, which relate to applications received prior to 1967. One of these licences was granted to M/s. Universal Cables Ltd., for the manufacture of new article, **viz** Mining and Querry Trailing Cables and the other to M/s. Gwalior Rayon Silk Mfg. (Wvg.) Co. Ltd., for manufacture of new articles, **viz.** Caustic Soda and Dicalcium Phosphate. Both the licences related to conversion of earlier letters of intent.

Adverse Affects of Manufacture of Rubber Shoes on Leather Industry

3719. Shri Atam Das : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether the small scale leather industries in Madhya Pradesh have been affected adversely as the leather industrialists were not given loans by the nationalised banks to enable them to increase their production;

(b) whether it is a fact that certain licences for the manufacture of rubber shoes have been issued in Madhya Pradesh; and

(c) if so, whether it would not result in throwing a large number of small leather industrialists out of employment and whether Government have taken any steps to keep this industry running ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) No, Sir.

(b) No Industrial Licence has been issued so far for the manufacture of rubber shoes in Madhya Pradesh.

(c) Does not arise.

Leather Industries Commission

3720. Shri Atam Das : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Leather Industries Commission in futures on the lines of the Khadi Village Industries Commission; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development & Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) No, Sir.

(b) The Development Council for Leather and Leather Goods Industries co-ordinates the activities of the various agencies looking after the various aspects of leather and leather goods industries.

Assistance to Small Leather Industries

3721. Shri Atam Das : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lakhs of small leather shoe makers belonging to the

Scheduled Castes have been rendered jobless as a result of granting of licences to the manufacturers of plastic shoes in the country; and

(b) whether Government propose to give financial and other assistance for running small leather industries and for making improvements therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) No, Sir.

(b) Financial and other assistance are already being provided by Government for small scale leather industries.

Non-Departure of Passenger Trains from Gwalior Station on Deepavali Day

3722. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for which passenger trains were not run from Gwalior Station on Central Railway to Bhind, Shivpuri and Sheopur Kalan on the morning of Deepawali day; and

(b) the details of steps taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Derailment of two locomotives and a travelling water tank in Gwalior narrow gauge yard at about 01.45 hours on 29.10.70 resulting in the passage towards Bhind, Shivpuri and Sheopur Kalan being blocked.

(b) Action was taken immediately to obtain relief trains from Gwalior and Jhansi and with their assistance, rerailment was completed at 14.30 hours after which train services were restored to the extent feasible.

रेलवे मिक्स्ड मल्टीपर्पज हाई स्कूल गोल्डन राक के सहायकों तथा प्रशिक्षित स्नातकों के लिए वेतन-मान

3723. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मिक्स्ड मल्टीपर्पज हाई स्कूल, गोल्डन राक, के सचिवालय सहायकों एवं प्रशिक्षित स्नातकों की ओर से उन्हें उचित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ। सर्वश्री ए० नटराजन, अध्यापक और एम० दुरैराजन सचिवालय सहायक की ओर से अभ्यावेदन मिले थे।

(ख) इनकी जाँच की गई थी और यह पाया गया कि उन्हें वही वेतनमान दिये गये हैं, जिनके लिए वे वर्तमान आदेशों के अधीन हकदार हैं।

क्यीलन-एरणाकुलम रेलवे लाइन के साथ-साथ धान की खेती

3724. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्यीलन एरणाकुलम रेलवे लाइन में ट्रैक के साथ-साथ धान उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि तथा उपयोगी बिल कुछ ठेकेदारों को लीज़ पर दे दिये गये हैं;

(ख) इन जमीनों को लीज पर देने के लिए क्या अनुदेश है; और

(ग) क्या इन अनुदेशों का क्यीलन-एरणाकुलम के रेल पथ निरीक्षण द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) कोल्लम-एरणाकुलम स्टेशनों के बीच के स्टेशनों के मध्य में पड़ने वाली रेलवे की खेती योग्य अतिरिक्त भूमि निकटवर्ती भूमि के मालिकों या किसानों को लाइसेंस पर दे दी गई है। उनमें से कुछ ठेकेदार भी हो सकते हैं।

(ख) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार स्टेशन के बाहर रेल पथ के दोनों ओर की रेलवे की अतिरिक्त भूमि "अधिक अन्न उपजाओ अभियान" के सम्बन्ध में बाहरी पार्टियों को लाइसेंस पर देने के लिए राज्य सरकार को तरजीह दी है। जहाँ किसी कारणवश ऐसा करना संभव नहीं होता, यह भूमि रेल प्रशासन द्वारा सीधे लाइसेंस पर दे दी जाती है जिसमें पास की भूमि के मालिकों/किसानों को तरजीह दी जाती है। जहाँ निकटवर्ती भूमि के मालिक/किसान इच्छुक नहीं होते या जमीन का प्लाट बड़ा और इकट्ठा होता है वहां वह भूमि अन्य आवेदकों को लाइसेंस पर दे दी जाती है।

(ग) जी हाँ।

सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले अस्थायी रेलवे कर्मचारियों को न्यायालयों द्वारा दोषमुक्त किये जाने के बाद उनके वेतन की बकाया राशि का न दिया जाना

3725. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के अस्थायी उन कर्मचारियों को जो 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये थे तथा जिन पर मुकदमा चलाया गया था परन्तु जिन्हें न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है, को उनके निलम्बन अवधि के वेतन की बकाया राशि नहीं दी गई; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थायी कर्मचारियों तथा अस्थायी कर्मचारियों में इस प्रकार भेदभाव बरतने का क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). इन अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं निलम्बित नहीं की गयी थीं बल्कि उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। सरकार की सामान्य नीति के

अनुसरण में उन्हें ड्यूटी पर फिर से लगा दिया गया था । उनकी सेवा को समाप्त करने की तारीख और उन्हें ड्यूटी पर फिर से लगाने की तारीख के बीच उनकी अनुपस्थिति की अवधि को सरकार के सामान्य निर्णय के अनुसार 'छूट की अवधि' के रूप में माना गया है । इसलिए वे कथित अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक पाने के हकदार नहीं हैं ।

स्थायी कर्मचारियों के मामले में भारतीय रेल स्थापना के संहिता, भाग II के नियम 2044 के अनुसार गिरफ्तारी और मुकदमा चलाये जाने के कारण उनकी निलम्बन की अवधि के भुगतान को नियमित कर दिया गया है ।

सेवा में पुनः लिये गये कर्मचारियों को वेतन की बकाया राशि की अदायगी

3726. **श्री जि० मो० विस्वास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व रेलवे कर्मचारियों को, जिन्हें अवैध रूप से नौकरी से हटा दिया था और बाद में पुनः सेवा में ले लिया गया था, उनके वेतनों की बकाया राशि की अदायगी केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, जोकि उनकी सेवा में लिये जाने की तिथि से पीछे की तरफ गिनी जायेगी और ऐसा किस नियम के अधीन किया गया है;

(ख) रेलवे प्रशासन को कर्मचारियों से जब कोई धन लेना होता है तो क्या वही नियम लागू होता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) :(क) जी हाँ, लेकिन अदालत द्वारा निर्णीत अलग-अलग मामलों में जहाँ केवल घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त किया जाता है, वहाँ भुगतान फैसले की तारीख से पिछले तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है । मर्यादा अधिनियम, 1963 की अनुसूची में अनुच्छेद 7 के अधीन बकाया रकमों की अदायगी तीन वर्ष की अवधि तक ही सीमित है ।

(ख) और (ग). जी नहीं । किसी कर्मचारी से देय रकम की वसूली मर्यादा अधिनियम, 1963 की अनुसूची में अनुच्छेद 112 के अनुसार की जाती है, जिसके अनुसार मर्यादा अवधि 30 वर्ष है ।

वरिष्ठ शंटरों की शाखा लाइनों (जयपुर डिवीजन) पर मालगाड़ियों के चालक पदों पर पदोन्नति

3727. **श्री जि० मो० विस्वास**

श्री मीठा लाल मीना :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे पर जयपुर डिवीज़न में शाखा लाइनों पर कुल कितनी मालगाड़ियाँ हैं जहां पर कि अनपढ़ चालकों को नियुक्त किया जा सकता है;

(ख) क्या वरिष्ठ अनपढ़ शंटरों की पदोन्नति द्वारा सभी पद भर दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी वरिष्ठता की अवहेलना करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कानपुर और दिल्ली के बीच रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

3728. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर और दिल्ली के बीच रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो शेष लाइन पर विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). कानपुर और टूण्डला के बीच रेल पथ के बिजलीकरण का काम हो रहा है और 1971-72 में इस खण्ड पर बिजली लग जाने की आशा है। जहाँ तक टूण्डला और दिल्ली के बीच रेल पथ के बिजलीकरण का सम्बन्ध है इस काम को चौथी पंचवर्षीय योजना के बिजली-करण कार्यक्रम में शामिल किया जा चुका है। इस काम को 1971-72 के बजट में शामिल करने का प्रस्ताव है। फिर भी अभी यह नहीं कहा जा सकता कि टूण्डला-दिल्ली-खंड के बिजलीकरण का काम कब तक पूरा हो जायेगा।

अमरीका में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों की बिक्री के लिए करार

3729. **श्री रवि राय :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी के आगामी पांच वर्षों में अमरीकी बाजारों में पांच करोड़ रुपये की वार्षिक बिक्री करने के लिए कैलिफोरनिया वाइली लेबोरेटरीज़ के साथ लाइसेंस सम्बन्धी करार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). हैवी ड्यूटी इंजिन लेथों तथा सूराख करने, पीसने तथा वेधन वाली मशीनों का

केन्द्र बनाने हेतु और इन उत्पादों को पश्चिमी गोलार्ध में बेचने के लिए मैसर्स वाइले लेबोरेट्रीज, सिनसिन्नाती, ओहये, अमरीका की पूर्ण स्वामित्व वाली एवं सहायक कम्पनी मैसर्स अमरीकन टूल वर्क्स कम्पनी के साथ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने एक लाइसेंस करार किया है। माँग का मूल्यांकन करने के लिए बाजार के रुख का अध्ययन किया जा रहा है तथा इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि कितनी बिक्री हो सकेगी। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा मैसर्स अमरीकन टूल्स वर्क्स कम्पनी के मध्य हुआ करार वाणिज्यिक संविदा की किस्म का है, अतः तत्संबंधी ब्यौरे को प्रकट करना उपयुक्त नहीं है।

Setting up of Departmental Technical Training Centres in Different Regions

3730. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Departmental Technical Training Centres have been set up for the employees in the different regions of the Railways; and

(b) if so, the number of trainees who passed their examination during the last three years, trade wise and the position with regard to their appointments in the respective posts ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) & (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Pleading of Cases of Railway Employees by Recognised Unions only

3731. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any circular has been issued according to which only those Unions, which have been recognised by the Railway Ministry or the Railway Board, can plead the cases on behalf of the Railway employees; and

(b) if so, whether a copy thereof would be laid on the Table of the House ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No, Sir; the accepted procedure has always been that only recognised unions/Federations can negotiate with the Railway Administrations on behalf of the railway employees.

(b) Does not arise.

Scheduled Castes Teachers in Schools in Diesel locomotive Works, Varanasi

3732. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that primary and high schools are functioning in Diesel Locomotive Works, Varanasi :

(b) if so, the number of teachers, designation-wise working in those schools; and

(c) the number of teachers among them who belong to the Scheduled Castes designation-wise ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a(Yes.

(b) & (c). Information is furnished as under.

Category of teacher	High School			Primary Schools		
	No. of teachers belonging to other castes	No. of S/C	Total	No. of teachers belonging to other castes	No. of S/C	Total
Head Master	1		1	3	1	4
Head Mistress						
Teachers	28	2	30			
Asst. Teachers	...		...	30	5	35
Art teacher	1		1			
Physical Instructor	1		1			...

Pending Applications for Licences from Madhya Pradesh

3733. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the number of applications for the grant of licences for setting up industries in Madhya Pradesh pending consideration of the Central Government;

(b) whether Government propose to dispose of those applications within a fixed time; and

(c) if so, the details thereof ?

(a) **The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna)** : (a) Out of the applications received upto 31st October, 1970, for industrial licences for setting up industries in Madhya Pradesh, 45 are pending for disposal, out of which 16 have already been considered by the Licensing Committee and Government's decision in these cases is either under issue or expected to be issued shortly. Of the 45 applications, 19 were received during the period from 1st August, 1970 to 31st October 1970.

(b) & (c). As each application has to be examined in detail from various angles, it is not possible to rigidly adherto any time-limit within which the pending applications could be disposed of. However, efforts are being made to dispose of the applications as quickly as possible and to streamline procedures. Further, powers have also been delegated to administrative Ministreies to dispose of certain type of cases without reference to the Licensing Committee. Meetings of the Licensing Committee are held frequently, once in every fortnight. The reasons for the delay are periodically discussed with the representatives of the various Ministries and directions are given by the Chairman of the Licensing Committee emphasising on all concerned the need for special attention for expeditious disposal of applications. Considerable progress has been made in recent months in the disposal of pending applications. Further measures for streamlining the procedures are under consideration.

सरकारी क्षेत्र में गलन रोधियों का निर्माण

3734. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गलन रोधियों का निर्माण करने के लिए एक संयंत्र सरकारी क्षेत्र में लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी स्थापना कहाँ की जाने की सम्भावना है; और

(ग) उसका अनुमानित परिव्यय क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में ताप-सह ईंटों के एक कारखाने का निर्माण तथा उसके लिए स्थान का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। आशा है इस बारे में निर्णय शीघ्र ही हो जाएगा।

(ग) लगभग 13 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा कारखाने का बन्द किया जाना

3735. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में नवम्बर के आरम्भ में तालाबन्दी की घोषणा कर दी गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो तालाबन्दी किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) विवाद को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी हाँ।

(ख) अनुदेशों के बावजूद 9 नवम्बर, 1970 के प्रातः 9 बजे से काम बिल्कुल ठप्प हो गया कुछ कर्मचारी हिंसा की घटनाओं पर उतर आए और निरीक्षण अधिकारियों को पीटने लगे। इस प्रकार की हिंसात्मक घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि कर्मचारियों की जान तथा कारखाने की सम्पत्ति को विशद् खतरा उत्पन्न हो गया है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत प्रबन्धकों के पास 9 नवम्बर, 1970 के साढ़े ग्यारह बजे प्रातः से तालाबन्दी घोषित करने के सिवाय कोई चारा न था।

(ग) 29 नवम्बर, 1970 को प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों में समझौता हो गया। समझौते की मुख्य शर्तें संलग्न हैं।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**—4509/70]

लघु उद्योगों में निर्यात सेल

3736. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के उत्पादनों के निर्यात हेतु विशेष निर्यात सेल स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कौनसे लघु उद्योग आयेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) (क) हाल ही में लघु उद्योग विकास संस्थान में एक निर्यात प्रकोष्ठ का गठन किया गया है ।

(ख) निर्यात प्रकोष्ठ वर्तमान और भावी दोनों प्रकार के लघु निर्यातकों के लिए सलाहकार सेवा चलायेगा । इसमें विपणन (मार्केटिंग) सम्बन्धी जानकारी इकट्ठा करना, उसका संकलन करना तथा इस प्रकार के निर्यातकों की विशेष कठिनाइयों का हल सुझाना सम्मिलित है । प्रकोष्ठ छोटे उद्यमियों में निर्यात प्रवृत्ति जाग्रत करने में मदद करेगा तथा छोटे निर्यातकों का प्रपुंज क्रया-देशों से लाभान्वित होने के उद्देश्य से एक सार्थ संघ (कन्सार्टिया) गठित कराने की व्यवस्था करेगा ।

(ग) लघु उद्योगों के अन्तर्गत आने वाले सभी उद्योग इस प्रकोष्ठ की सहायता पाने के हकदार होंगे ।

लघु उद्योगपतियों को ऋण

3737. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लघु उद्योगपतियों को 2.5 प्रतिशत की दर पर बड़ी मात्रा में दिये जाने वाले ऋण को बन्द करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बड़ी संख्या में लघु उद्योगपति प्रभावित होंगे ;

(ग) उक्त निर्णय लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण): (क) **जी नहीं ।**

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

उत्तर रेलवे से पीतल के बेयरिंगों की चोरी

3738. **श्री कं० हाल्दर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी से अक्तूबर, 1970 के बीच उत्तर रेलवे से 607,500 रुपये की कीमत के पीतल के बेयरिंग की चोरी हुई;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में ये आंकड़े कितने हैं;

(ग) क्या यह सच है कि शरारती व्यक्ति तारों के ऊपर से रस्सा डाल देते हैं जिससे फ्यूज़ उड़ जाते हैं और गाड़ियां लगभग चार घंटे तक रुकी रहती हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी चोरी आदि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी हां। जनवरी से अक्तूबर, 1970 के दौरान 14.65 लाख रुपये की कीमत के पीतल के बेयरिंग चुराये गये जबकि 1969 की इसी अवधि में 9.46 लाख रुपये के बेयरिंग चोरी हुए थे।

(ग) जी हां। जनवरी से अक्तूबर, 1970 की अवधि में ऐसे 34 मामले हुए जिनमें ऊपरी कर्षण तारों के ऊपर रस्सी फेंकी गयी थी जिससे 34 गाड़ियों में से प्रत्येक औसतन लगभग डेढ़ घंटे तक रुकी रही।

(घ) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) प्रभावित खण्डों पर सघन पैदल गश्त चालू की गयी है।

(ii) महत्वपूर्ण और असुरक्षित स्थानों पर स्थिर सशस्त्र टुकड़ियां तैनात कर दी गयी हैं।

(iii) बारम्बार अचानक छापे मारे जाते हैं।

(iv) बहुत अधिक प्रभावित क्षेत्रों में गश्ती रेलगाडियों की व्यवस्था की गयी है।

(v) अपराधियों और चुराई गई सम्पत्ति को लेने वालों के सम्बन्ध में गुप्त सूचना इकट्ठी करने के लिए अपराध आसूचना शाखा के कर्मचारी तैनात किये गये हैं।

(vi) कोयला खानों से खाली डिब्बों और भरे डिब्बों को लाने वाले पायलटों के साथ मार्ग रक्षियों की व्यवस्था की गयी है।

(vii) सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में रेल सुरक्षा विशेष दल की टुकड़ियां लगाकर दल की संख्या बढ़ा दी गयी है और इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिए कुछ स्थानों पर कैम्प भी चालू किये गये हैं।

सरकारी क्षेत्र में स्थित इस्पात कारखानों में हड़ताल के कारण नष्ट हुए घंटे

3739. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में सरकारी क्षेत्र में स्थित तीनों इस्पात कारखानों में से प्रत्येक कारखाने में हड़ताल तथा तालाबन्दी के कारण कितने काम घन्टे नष्ट हुए ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री बलिराम भगत) : 1 नवम्बर 1969 से 31 अक्तूबर 1970 की अवधि में सरकारी क्षेत्र में हिन्द स्टील लिमिटेड के तीन इस्पात कारखानों में से प्रत्येक कारखाने में हड़ताल/तालाबन्दी के कारण नष्ट हुए श्रम-दिन नीचे दिए गए हैं : —

भिलाई इस्पात कारखाना	—
राउरकेला इस्पात कारखाना	21,664
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1,92,629

लघु उद्योगों के विकास के लिए सहायता

3740. **श्री महेन्द्र माझी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों को विकास हेतु विशेष सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पिछले कई वर्षों में लघु उद्योगों के विकास के लिए कई प्रकार के विकासार्थ अनुदान दिए गए हैं और उनकी सहायता सम्बन्धी अनेक अभ्युपाय अपनाए गए हैं। राज्य उद्योग सहायता अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली ऋण सुविधाओं, प्रक्षिशण और सामान्य सेवा सुविधाओं, औद्योगिक बस्ती में निवास व्यवस्था आदि कार्यक्रमों के विकास के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा सहायता दी गई है। इन कार्यक्रमों के पूरक के रूप में स्टोर खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले रियायती मूल्य सम्बन्धी सुविधाओं, लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं के साथ ही औद्योगिक विस्तार सेवाओं सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यक्रमों, किराया खरीद शर्तों पर पूर्ति आदि की व्यवस्था की गई है।

कटिहार रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर विभागीय खान-पान प्रबन्ध का आरम्भ किया जाना

3741. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के कटिहार रेलवे स्टेशन से खान-पान के गैर-सरकारी

ठेके को समाप्त कर उसके स्थान पर विभागीय खान-पान सेवा आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्णय को अभी तक क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) कटिहार स्टेशन पर 1-10-1966 से विभागीय खान-पान व्यवस्था शुरू करने का निर्णय किया गया था।

(ख) इस प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि प्रभावित होने वाले कुछ ठेकेदारों ने न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया, जिससे रेलवे द्वारा उन्हें बेदखल करने तथा रेल परिसरों में उनके कारोबार में व्यतिरेक पैदा करने पर रोक लग गई। इसलिए कटिहार स्टेशन पर केवल बहुत थोड़ी-सी खान-पान स्थापनाओं को विभागीय नियंत्रण में लिया जा सका। बाद में अन्य बातों के साथ-साथ रेलवे खान-पान एवं यात्री सुविधा समिति, 1967 ने सिफारिश की थी कि रेलें, पहले अपनी वर्तमान खान-पान सेवाओं को मज़बूत बनायें और विभागीय खान-पान व्यवस्था का और विस्तार करने पर तभी विचार किया जाये जब मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय कारगर सिद्ध हो जायें। इसलिए, यथास्थिति बनाये रखने का विनिश्चय किया गया।

उन महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर, जिनमें पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का कटिहार स्टेशन भी शामिल है, जहाँ विभागीय खान-पान की व्यवस्था वित्तीय दृष्टि से सक्षम सिद्ध हो, विभागीय खान-पान व्यवस्था लागू करने के प्रस्तावों पर इस समय विचार किया जा रहा है।

सोनपुर रेलवे अस्पताल में जिला मेडिकल आफिसर का पद

3742. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोनपुर के अस्पताल के जिला मैडिकल आफिसर के पद को वाराणसी डिवीजन में किसी स्थान पर स्थानान्तरित किया जा रहा है हालांकि समस्तीपुर डिवीजन में काम करने वालों की संख्या वाराणसी डिवीजन के कर्मचारियों से दुगुनी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सोनपुर रेलवे अस्पताल के बाह्यरोगी विभाग (ओ० पी० डी०) में रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की रोजमर्रा की हाजिरी तथा अस्पताल में दाखिल होने वाले रोगियों की संख्या को देखते हुए वहाँ पर जिला मैडिकल आफिसर के पद का सृजन पूर्णतया उचित है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या कारण है कि जिला मैडिकल आफिसर के पद को समस्तीपुर डिवीजन से वाराणसी डिवीजन में स्थानान्तरित किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ। सोनपुर के मण्डल चिकित्सा अधिकारी का पद हटाकर वाराणसी ले जाने का निश्चय किया गया है।

(ख) और (ग) : सोनपुर के मण्डल चिकित्सा अधिकारी के पद को हटाकर वाराणसी ले जाने का निश्चय पूर्वोत्तर रेलवे पर मण्डल कार्य प्रणाली चालू करने के परिणामस्वरूप किया गया था, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों के बीच काफी समायोजन करना पड़ा। मण्डलीकरण के परिणामस्वरूप सोनपुर अस्पताल का दर्जा अब मण्डल अस्पताल का नहीं रहा बल्कि यह अब केवल एक उप-मण्डल अस्पताल रह गया है। इस कारण से और कुछ अन्य कारणों से भी जैसे कि क्षेत्राधिकार में कमी, सोनपुर में रेलवे की आबादी में संभावित कमी, वाराणसी के बढ़े हुए क्षेत्राधिकार और काम आदि, की वजह से सोनपुर में मण्डल चिकित्सा अधिकारी के पद को बनाये रखने का औचित्य नहीं रहा था।

मुजफ्फरपुर, गौंडा आदि में विभागीय खान पान व्यवस्था लागू किया जाना

3743. **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान-पान (वैंडिंग) जाँच समिति ने यह सिफारिश की थी कि विभागीय खान-पान व्यवस्था केवल बड़े स्टेशनों पर ही लागू होगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने छपरा जंक्शन स्टेशन से फलों के विक्रय सहित खान-पान सम्बन्धी ठेके को खत्म करने का तथा वहाँ पर विभागीय खान-पान व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो मुजफ्फरपुर, गौंडा, कप्तानगंज और महेन्द्र घाट तथा पहलीजा घाट के बीच चल रही स्टीमर सेवा के उपरि भाग में विभागीय खान-पान व्यवस्था लागू न किये जाने के क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) कोई खान-पान (वैंडिंग) जाँच समिति नियुक्त नहीं की गई थी। सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय रेलवे खान-पान और यात्री सुविधा समिति, 1967 से है। इस समिति ने यह सिफारिश नहीं की थी कि केवल बड़े स्टेशनों पर ही विभागीय खान-पान की व्यवस्था की जाये।

(ख) और (ग). यह विनिश्चय किया गया है कि उन महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर भी विभागीय खान-पान की व्यवस्था की जाय जहाँ पर इस व्यवस्था से वित्तीय प्रतिफल मिलता रहे। लेकिन अभी तक किसी स्टेशन विशेष पर विभागीय खान-पान व्यवस्था चालू करने का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

त्रिवेन्द्रम तथा एरणाकुलम के मध्य बड़ी लाइन

3744. **श्री प० गोपालन** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम-एरणाकुलम रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के विषय में यातायात इंजीनियरिंग सर्वेक्षण की रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने सर्वेक्षण की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) से (घ). रेलवे बोर्ड द्वारा रिपोर्टों की इस समय जाँच की जा रही है। जाँच पूरी हो जाने के बाद इस लाइन के परिवर्तन के बारे में अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

रेलगाड़ी परीक्षकों के उच्च श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के अवसर

3745. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के अधीन रेलगाड़ी परीक्षकों को 250-380 रुपये तथा इससे अधिक के वेतनमान वाले उच्च श्रेणी के पदों पर पदोन्नत करने के केवल 6 से 8 प्रतिशत अवसर हैं;

(ख) क्या भारतीय रेलवे के उक्त चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के अधीन चार्जमैन फिटर इंचार्ज आदि को पदोन्नति के 63 प्रतिशत अवसर प्राप्त हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो उक्त भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त भेदभाव को दूर करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) और (घ). चूंकि यांत्रिक विभाग में गाड़ी परीक्षकों और चार्जमैनों के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ, वेतन-संरचना तथा पदोन्नति-सरणियाँ अलग-अलग हैं, अत: कर्मचारियों की इन दो अलग-अलग कोटियों के विभिन्न ग्रेडों में पदों का एक जैसा प्रतिशत वितरण अपनाना सम्भव नहीं है। सरकार का विचार है कि इस विषय में यदि वेतन आयोग कोई सिफारिश करता है तो उसका इन्तजार किया जाये ।

ट्रेन एग्जामिनर पदनाम बदल कर इन्पेक्टर रखना

3746. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने दोनों रेलवे संघों के साथ हुई बातचीत के दौरान

ऐसा संकेत किया था कि बोर्ड ट्रेन एग्ज़ामिनर पदनाम को बदल कर इन्स्पेक्टर रखने के लिए तैयार है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). गाड़ी परीक्षकों द्वारा पेश की गई मांगों में से यह भी एक मांग थी और दोनों फैडरेशनों के प्रतिनिधियों के साथ इस मामले पर बातचीत हुई थी। इस प्रकार का कोई करार नहीं किया गया था कि पदनाम बदल दिया जायेगा, लेकिन फिर भी फैडरेशनों के साथ हुई बातचीत को ध्यान में रखकर मामले पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र

3748. **श्री समर गुह** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो जिन परिस्थितियों में उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, उनका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का निदेशक बोर्ड

3749. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के निदेशक बोर्ड की अभी नियुक्ति की जानी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कारपोरेशन को निदेशक बोर्ड के बिना चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद सफी कुरेशी) : (क) और (ख). भारी इंजीनियरिंग निगम लि०, रांची के अन्तर्नियमों के अनुसार पूर्णकाल निदेशकों के अलावा कम्पनी के सभी निदेशक वार्षिक सामान्य बैठक के दिन अपने पद से सेवा मुक्त हो जाते हैं। कम्पनी की 1970 की वार्षिक सामान्य बैठक 29-9-70 को हुई थी और तदनुसार सभी अंशकाल निदेशक उसी दिन से अपने पद से सेवा मुक्त हो गये थे। नये अंशकाल निदेशकों की नियुक्ति शीघ्र ही की जायेगी। फिर भी दो पूर्णकाल निदेशक नामतः अध्यक्ष तथा निदेशक (वित्त) काम कर रहे हैं और कम्पनी के काम को चला रहे हैं।

उत्तर बंगाल में उद्योगों का विकास

3750. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिले उद्योग की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं;

(ख) क्या उत्तर बंगाल में औद्योगिक विकास के लिए सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उत्तर बंगाल में उद्योगों के विकास के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य मुख्य मंत्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद् की राज्य समिति द्वारा, पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु राजस्व सम्बन्धी और वित्तीय प्रोत्साहनों का अध्ययन करने वाले दोनों कार्यकारी दलों की रिपोर्टों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार सहित राज्य सरकारों से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले जो :—

(1) वित्तीय संस्थाओं में रियायती दर पर आर्थिक सहायता पाने; और

(2) केन्द्र से चुने हुए जिलों में स्थापित किये जाने वाले नये एककों में विनियोजित कुल अचल पूंजी का 1/10 भाग प्रत्यक्ष सहायता अथवा अनुदान के रूप में पाने की अर्हता रखते हों, सम्बन्धी अपने प्रस्ताव भेजने का निवेदन किया गया था ।

पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावों के अनुसार उत्तरी बंगाल सरकार के 5 जिलों का निम्न प्रकार वर्गीकरण किया गया था :

(1) आर्थिक और औद्योगिक दोनों दृष्टियों से विकसित जिले	जलपाईगुडी और दार्जिलिंग
(2) आर्थिक दृष्टि से विकसित और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले	पश्चिम दीनाजपुर
(3) आर्थिक और औद्योगिक दोनों दृष्टियों से पिछड़े जिले	मालदा और कूच बिहार

राज्य सरकार के अनुसार मालदा और कूच बिहार के जिलों में औद्योगिक विकास के लिए अपेक्षित अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है। तदनुसार राज्य सरकार ने दार्जिलिंग जिले, (पुरुलिया वांकुरा और मिदनापुर जिलों के अतिरिक्त) को वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर आर्थिक सहायता पाने की अर्हता का प्रस्ताव भेजा था। इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है। जहाँ तक केन्द्र से 10 प्रतिशत प्रत्यक्ष सहायता अथवा अनुदान पाने के हकदार जिलों का प्रश्न है राज्य सरकार ने पुरलिया, बांकुरा और दार्जिलिंग जिलों के नाम सुझाये थे। इनमें से पुरलिया जिले को चुन लिया गया है। उत्तर बंगाल के विकास के विषय में अलग से कोई विशेष प्रस्ताव नहीं मिला है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए अपेक्षित अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों को प्रमुख भूमिका निभानी है, इस पर जोर दिया जाना चाहिये। पर विकास केन्द्रों के पनपने के महत्व और जिम्मेदारी को अनुभव करते हुए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है ताकि विविधतापूर्ण और विकेन्द्रित विकास विधि का सूत्रपात किया जा सके।

ग्रेफाइट इलक्ट्रोडों की कमी

3751. **श्री प्र० के० देव :**

श्री वि० नरसिन्हा राव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रेफ़ाइट इलैक्ट्रोडों की बहुत कमी है; और

(ख) क्या ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडों ने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ग्रेफाइट इण्डिया लिमिटेड से कोई योजना चलाई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस् की कुछ कमी है।

(ख) मैं० ग्रेफाइट इण्डिया को ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडस् तथा एनोडस् के उत्पादन को 5450 मी० टन तक बढ़ाने कि स्वीकृति दे दी गई है।

अजमेर गुड्स शेड (पश्चिमी रेलवे) में वर्षा के कारण सामान को क्षति

3752. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे के अजमेर गुड्स शेड में चालू वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण कितने मूल्य का कितना माल नष्ट हुआ;

(ख) क्या यह सच है कि गुड्स शेड की कोई मरम्मत नहीं की गई है जिससे रेलवे को भारी होनि होती है; और

(ग) क्या मामले की कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) इस वर्षा ऋतु के दौरान 20 परेषण भीगकर क्षतिग्रस्त हुए थे। कुल हानि लगभग 1000 रुपये की हुई।

(ख) जी नहीं। यह हानि वास्तव में लगातार भारी वर्षा के कारण हुई जिसके कारण नालियां और भूगर्त अधिक भर गये और फलस्वरूप पानी खुले हुए पार्श्वों से आकर छतदार शेड के फर्श पर फैल गया।

(ग) कोई जांच नहीं की गयी क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी।

New Railway Line Between Nagneecha Mandir And Lalgarh Jn. in Bikaner Division (Northern Railway)

3753. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a new railway line could be constructed from Lalgarh side via Udasar Village near Military Cantonment by dismantling the railway line between Bikaner and Lalgarh Jn. Stations on Bikaner Division of Northern Railway and constructing a new railway station near Nagneecha Mandir;

(b) whether it is a fact that (i) Bikaner District Congress Committee, (ii) Bikaner Municipal Committee, and (iii) Bikaner Chamber of Commerce etc. have passed a unanimous resolution in regard to dismantling of the present railway line and sent it to his Ministry with the request to shift the present Bikaner Railway Station; and

(c) the time by which the said scheme would be implemented ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). The question of diverting the existing Railway line between Bikaner and Lalgarh and shifting Bikaner Station as an alternative to replacement of certain level crossings on the existing Railway line by road over/under bridges, was examined in detail at a meeting held on 21.12.1961 between the representatives of Rajasthan Government and Ministry of Railways, and again in another meeting held on 12.9.1966 attended by General Manager, Northern Railway, Revenue Minister of Rajasthan, Local members of Parliament, Chairman, Urban Improvement Trust, Chairman, Municipal Board, Bikaner and others. No. final decision has been taken by the State Government. Unless a final decision together with an undertaking to bear the entire cost of survey and construction of the diversion in preference to construction of road over/under-bridges is conveyed by the State Government, it is not possible to indicate the time by which the scheme can be implemented.

Drinking water for passengers at Pili Bangan Railway Station (Bikaner Division, Northern Railway)

3754. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that drinking water is not available to passengers in sufficient quantity at Pili Bangan Railway station in Bikaner Division of Northern Railway;

(b) if so, the steps being taken in this regard;

(c) whether it is also a fact that to quench their thirst, the local inhabitants, passengers and railway employees have to take the underground saline water (dirty) on the said Railway Station and in the nearby market;

(d) whether Government propose to provide filtered water to the passengers and Railway employees by constructing a water tank at the Railway station; and

(e) if so, the time by which this facility would be provided ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Adequate drinking water is available to passengers at the station,

(b) Does not arise.

(c) No, not on the Railway station.

(d) & (e). Do not arise, as arrangements for supply of portable water at the Railway station, already exist.

Cold drinking water for passengers at Suratgarh Railway Station (Northern Railway)

3755. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that proper arrangements of cold drinking water for the passengers do not exist at Suratgarh railway station of Bikaner Division of Northern railway and the existing arrangements of water pitchers are also insufficient;

(b) whether a water cooler would be provided there for the benefit of passengers; and

(c) if so, the time by which it would be provided there ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) (a) Adequate arrangements for supply of drinking water are provided at Suratgarh Railway Station. Sufficient number of water pitchers have also been provided for storage of water at the station.

(b) The present arrangements are considered adequate to meet the needs.

(c) Question does not arise.

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन

3756. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए तथा बड़े-बड़े टाउनशिपों में और अधिक जमाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा दिये गए प्रोत्साहन का स्वरूप क्या है ताकि पिछले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समान औद्योगिक विकास हो सके ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जहां तक सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक एककों के स्थापना स्थलों का प्रश्न है अपेक्षित तकनीकी और आर्थिक सिद्धान्तों को निभाते हुए जहां तक सम्भव हो सकता है उनको अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने की आवश्यकता को हमेशा ध्यान में रखा गया है। गैर सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक प्रायोजनाओं को भी लाइसेन्स देने के विषय में सरकार की नीति ऐसे प्रार्थियों के, जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में नए उपक्रम स्थापित करने अथवा वर्तमान एककों का विस्तार करने के लिए आवेदन करते हैं, के प्रस्तावों की आर्थिक जीव्यता और तकनीकी सम्भाव्यता ठीक पाई जाने की स्थिति में उनके आवेदनों को अधिक महत्व और प्राथमिकता प्रदान करने की रही है। जहां तक लघु उद्योगों का प्रश्न है उनमें से खादी, रेशम उद्योगों और उल्लेखनीय सीमा तक हाथ करघा और हस्त कला शिल्प पहले से ही आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। चूंकि इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम का प्रधान उद्देश्य व्यापक तौर पर देश भर में लोगों को आय और रोजगार की सुविधाएं प्रदान करना है, अतः पारम्परिक लघु उद्योगों तथा आधुनिक लघु उद्योगों के विकास तथा निर्धारित औद्योगिक विभव वाले ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में इनके कार्यान्वयन पर अधिक बल दिया गया है।

योजना कार्यकारी दल (प्लान वर्किंग ग्रुप) द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग आरम्भ करने के लिए सुझाए गये राजस्व और वित्तीय प्रोत्साहनों के संदर्भ में सरकार, पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करनेवाले कार्यकारी दल द्वारा प्रत्येक 9 राज्यों में से दो चुने हुए जिलों तथा अन्य राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों में प्रत्येक राज्य के एक जिले, जिन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा ठहराया गया है, 50 लाख रुपए से कम पूंजी विनियोजन वाले नए एककों को सरकार द्वारा उनकी कुछ विनियोजित पूंजी का $\frac{1}{01}$ वां भाग अनुदान के रूप में देने का प्रस्ताव है। 50 लाख रुपये से अधिक पूंजी विनियोजन वाले एककों की योजनाओं तथा प्रायोजनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा। इसके साथ ही भारत में औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं ने भी पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए कुछ रियायतें देने की घोषणा की है। भारतीय जीवन बीमा निगम और औद्योगिक ऋण और विनियोजन निगम भी इसी प्रकार की रियायतें देने के मामले पर विचार कर रहे हैं।

आन्तरिक व्यापार तथा वाणिज्य के लिए सलाहकार समिति

3757. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्रीमती सुचेता कृपालानी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आन्तरिक व्यापार तथा वाणिज्य के लिए सलाहकार समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति कब नियुक्त की जायेगी;

(ग) उक्त समिति के क्या कार्य होंगे; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त सलाहकार समिति में देश के सभी बड़े व्यापारों तथा वाणिज्य को प्रतिनिधित्व देने का है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सरकार ने आंतरिक व्यापार के लिए एक सलाहकार परिषद स्थापित करने का निश्चय किया है ।

(ख) शीघ्र ही प्रस्तावित परिषद का गठन किए जाने की आशा है ।

(ग) प्रस्तावित परिषद के कार्य होंगे—

(1) आंतरिक व्यापार तथा वाणिज्य से सम्बन्धित प्रश्नों की आवधिक समीक्षा करना ।

(2) आवश्यक वस्तुओं के विक्रय, आसादन, वितरण मूल्य तथा उपलब्धता की समस्याओं एंव आवश्यकताओं पर विचार करना ।

(घ) जी हाँ ।

औद्योगिक अनुसन्धान पर व्यय

3758. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तथा गैर सरकारी क्षेत्र में लगी कुल पूंजी में से कितनी पूंजी सरकारी तथा गैर-सरकारी औद्योगिक अनुसन्धानों पर खर्च की जा रही है;

(ख) दोनों क्षेत्रों में खर्च किये गये अनुसन्धानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसन्धान के लिये आवंटित धनराशि बहुत कम है और यहाँ तक कि अनुसन्धान के परिणाम भी सन्तोषजनक नहीं हैं; और

(घ) विदेशों में औद्योगिक अनुसन्धानों पर कितसे प्रतिशत धन लगाया जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). माननीय सदस्य द्वारा पूछी गई सूचना के कुछ पहलुओं पर विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठी की जानी है और कुछ अन्य पहलुओं के लिए पूर्ण आँकड़े शायद उपलब्ध न हो सकें । फिर भी प्राप्त सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सुन्दरवन पश्चिमी बंगाल में लकड़ी एवं बांस पर आधारित उद्योगों का विकास

3759. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या **औद्योगिक विकास थता आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरवन, पश्चिमी बंगाल में लकड़ी आधारित एवं बांस उद्योगों के प्रसार तथा विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं;

(ख) क्या सुन्दरवन क्षेत्र की औद्योगिक सम्भाव्यता का कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सुन्दरवन क्षेत्र में लकड़ी आधारित एवं बाँस आधारित लघु उद्योगों के प्रसार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सुन्दरवन क्षेत्र में लकड़ी पर आधारित और बाँस पर आधारित उद्योगों के हेतु विभव को आँकने के लिए सरकार द्वारा अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है;

(ग) और (घ). पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुन्दरवन में लकड़ी/बांस पर आधारित उद्योगों के बड़े और मझोले क्षेत्र में विकास के लिए अब तक कोई योजना पेश नहीं की है।

जहाँ तक लघु उद्योग क्षेत्र का सम्बन्ध है राज्य की संशोधित चतुर्थ योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली योजनाओं का विवरण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

6,000 अश्व शक्ति के डीज़ल इंजन का निर्माण

3760. **श्री स० च० सामन्त** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एम० एम० सूरी ने दो इंजन लगाये जाने के स्थान पर 6,000 अश्व शक्ति के डीज़ल इंजनों के निर्माण की सिफारिश की है; और

(ख) 5,000 अश्व शक्ति और इससे अधिक के इंजनों का निर्माण तथा प्रयोग प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) 5,000 हार्स पावर और उससे अधिक शक्ति वाले रेल इंजन बनाने के लिए इस समय स्वदेशी उपस्कर उपलब्ध नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल के कन्टाई क्षेत्र को नमक के उत्पादन के लिये पट्टे पर भूमि देना

3761. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में कन्टाई समुद्र क्षेत्र के ए, बी और सी ब्लाकों में नमक के उत्पादन के लिए पट्टे पर कितने क्षेत्र को दिया गया है;

(ख) क्या भूमि को पट्टे पर देने के लिए कई बार प्रार्थना-पत्र माँगे गये थे और बहुत

लम्बे समय से बहुत से प्रार्थना-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं तथा इस कारण नमक के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या वह सच है कि निजी भूमि के होते हुए भी बहुत से मामलों में अनुमति नहीं दी गई है; और

(घ) उक्त ब्लाकों में नमक के उत्पादन के लिए सरकारी भूमि को पट्टे पर देने तथा निजी भूमि के लिए अनुमति देने के लिए क्या योजना तथा कार्यक्रम है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने कन्टाई सागर क्षेत्र (कन्टाई सी बोर्ड) में समुद्र तट के बाहर 2000 एकड़ का क्षेत्र नमक बनाने के लिए पट्टे पर दिया है जिसके लिए नमक आयुक्त (साल्ट कमिश्नर) ने लाइसेंस जारी कर दिया है ।

(ख) से (घ). राज्य सरकार से जानकारी उपलब्ध की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी समिति

3762. **श्री म० अ० अगड़ी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन-पत्रों की जांच के लिए दो समितियां बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उनके कार्य संबंधी ब्यौरा तथा उनके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि क्या निर्धारित की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री

(श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंसों के लिए आये प्रत्येक आवेदन पत्र पर लाइसेंस देने वाली समिति द्वारा विचार किया जाता है जिसकी स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत बनाये औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन तथा लाइसेंसीकरण नियम, 1952 के नियम 10 के अधीन की गई है । आवश्यक जांच-पड़ताल के पश्चात् समिति प्रत्येक मामले पर अलग-अलग अपनी सिफारिशें सरकार को भेजती है । भारत सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों को मान लेने के उपरान्त आशय पत्र । औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाते हैं । 4 अगस्त, 1970 से ऐसे मामलों पर, जो 'अन्तस्थ' क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं अथवा जहां एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम लागू होता है इस अधिनियम के लागू होने के बारे में कुछ संशय दीख पड़ता है, आर्थिक समन्वय की केबिनेट समिति द्वारा विचार किया

जा रहा है । औद्योगिक लाइसेंस के लिए आये ऐसे आवेदन-पत्रों पर जहां फर्मों ने एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं को समवाय कार्य विभाग के यहां पंजीकृत करा लिया है अथवा एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के प्रयोज्यता के बारे में संशय हो, मंत्रिमंडल समिति द्वारा ऐसे मामलों पर विचार करने से पूर्व एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन स्थापित सलाहकार समिति द्वारा भी विचार किया जाता है ।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिए ईंटों का आयात

3763. **श्री विक्रमचन्द महाजन** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के लिए आपेक्षित पक्की ईंटों (बर्न्ट ब्रिक्स) का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य कितना था;

(ग) क्या भारतीय निर्माता इसी किस्म की ईंटें कम मूल्य पर देने को तैयार थे; और

(घ) क्या इस विषय सम्बन्धी किसी विशेषज्ञ समिति का कोई प्रतिवेदन है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बोकारो इस्पात लि० ने बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण हेतु तापसह ईंटों का आयात किया है।

(ख) आयात की जाने वाली तापसह ईंटों का मूल्य लगभग 5.4 करोड़ रुपये है ।

(ग) आयात की जाने वाली तापसह ईंटों में से अधिकतर के लिए पहले देशीय निर्माताओं को ही आर्डर दिए गये थे परन्तु वे ठेकों की शर्तों के अनुसार निर्धारित विशिष्टियों को समय पर सप्लाई करने में असफल रहे अतः निर्माण कार्यक्रम के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए इनका आयात करना बहुत जरूरी था ।

(घ) जी, नहीं ।

इन्डियन रेयन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सेलीफोन कागज के निर्माण के लिए लाइसेंस का मांगा जाना

3764. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेयन कारपोरेशन लिमिटेड ने कागज के निर्माण के लिए परियोजना की स्थापना हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) इसे किस स्थान पर लगाया जायेगा; और

(घ) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) सैल्युलोज फिल्म के उत्पादन की प्रति वर्ष क्षमता 3,650 मी० टन ।

(ग) अपने वैरावल गुजरात स्थित विस्फोट फिलामेंट यार्न संयंत्र में ।

(घ) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

डालमिया बन्धुओं को औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

3765. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1970 से 31 अक्तूबर, 1970 के दौरान डालमिया उद्योग समूह को दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस ग्रुप के नियंत्रणाधीन उन उद्योगों का व्यौरा क्या है जिनको विस्तार की अनुमति दी गई है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा डालमिया उद्योग समूह के अन्तर्गत किसी उद्योग की लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक क्षमता को नियमित किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). डालमिया से सम्बन्धित दो उद्योग समूह हैं एक है—डालमिया (आर० के०) और दूसरा डालमिया (जयदयाल) । 1 जनवरी, 1970 से 31 अक्तूबर, 1970 तक नये उपक्रम की स्थापना, नई वस्तु का उत्पादन या पर्याप्त विस्तार अथवा लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन को विनियमित कराने के लिए इन उद्योग समूहों से सम्बंधित या इनके द्वारा नियंत्रित किसी कम्पनी को कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है । किन्तु उपर्युक्त अवधि में मैसर्स इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लि० को, जो डालमिया (जयदयाल) समूह का एक उपक्रम है, एक आशय-पत्र नई वस्तु अर्थात् स्टील वायर रोडों के गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में उत्पादन के लिए दिया गया है । डालमिया (आर० के०) समूह की कम्पनियों के लिए कोई आशय पत्र नहीं दिया गया है ।

औद्योगिक लाइसेंस देने संबंधी नीति में परिवर्तन

3766. **श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). नई लाइसेंस नीति जो इस वर्ष के प्रारम्भ में घोषित की गई थी, की कार्य प्रणाली की निरन्तर समीक्षा की जाती है। समय-समय पर अनुभव और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब भी आवश्यकता समझी गई, ऐसे सुधार किए जाएंगे। फिलहाल, सरकार लाइसेंस नीति में कोई खास परिवर्तन करने की जरूरत नहीं समझती है ।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा इस्पात उत्पादन में वृद्धि के लिए सुझाव

3767. **श्री वी० नरसिम्हा राव :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार को कई सुझाव दिये हैं;

(ख) उन सुझावों की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). जी नहीं। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमंडल संघ ने देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार को हाल में कोई सुझाव नहीं दिया है। परन्तु लोहा तथा इस्पात सलाहकार समिति की अगस्त 1970 की बैठक में तथा मंत्री के साथ की गई बैठक में फैडरेशन के प्रतिनिधियों ने विद्युत भट्टियों पर आधारित छोटे कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा स्पंज आयरन की उत्पादन क्षमता को विकसित करने के बारे में कुछ सामान्य सुझाव दिए थे ।

उपभोक्ताओं द्वारा मांग पत्रों के साथ जमा की जाने वाली राशि का परिकलन करने का आधार

3768. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ ने सरकार को सुझाव दिया है कि उपभोक्ताओं द्वारा पेश किये जाने वाले मांगपत्रों के लिए जमा-राशि का परिकलन वर्तमान अधिकतम प्रेषक वर्ष के आधार पर न करके पिछले तीन वर्षों में इस्पात के अधिकतम उपभोग वाले वर्ष के आधार पर किया जाना चाहिए; और

(ख) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख). दिनांक 22 मई 1970 के सरकारी संकल्प के अनुसार संयुक्त संयंत्र समिति ने विभिन्न श्रेणियों के मांगकर्त्ताओं द्वारा वित्तीय और अन्य औपचारिकताओं के पालन के लिए कार्य प्रणाली निर्धारित करनी थी। संयुक्त संयंत्र समिति इस विषय पर प्राप्त किसी भी प्रतिवेदन पर अवश्यमेव उचित रूप से विचार करेगी।

सुरारेड्डिपालेम और तंगुतुरु (दक्षिण-मध्य रेलवे) स्टेशनों के बीच डीज़ल मालगाड़ी का पटरी से उतरना

3769. **श्री वी० नरसिम्हा राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अक्तूबर, 1970 को दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाड़ाविट्रगुंटा दोहरी लाइन सेक्शन में सुरारेड्डिपालेम और तंगुतुरु स्टेशनों के बीच डीज़ल मालगाड़ी के कुछ डिब्बे उलट गये थे तथा कुछ पटरी से उतर गये थे।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त दुर्घटना में कुल कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए और मृत व्यक्तियों के परिवारों तथा घायल व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(घ) क्या दुर्घटना के कारणों के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) 28-10-1970 को, अभ्यन ब्रोलु से बेटुगुंटा जाने वाली अभ्यन ब्रोलु अप डीज़ल स्पेशल मालगाड़ी जब सुरारेड्डिपालेम और तंगुतरु स्टेशनों के बीच जा रही थी तो उसके 20 माल डिब्बे पटरी से उतर गये जिनमें से 24 माल डिब्बे 277/8-9 कि० मि० पर उलट गये।

(ग) इस दुर्घटना में कोई नहीं मरा। गाड़ी के गार्ड को मामूली चोट आई। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन आहत गार्ड को कोई मुआवजा देय नहीं था।

(घ) और (ङ). दुर्घटना के कारण की जांच-पड़ताल की जा रही है।

लघु उद्योगों के उत्पादों के लिए संयुक्त अरब गणराज्य और पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त किये गये क्रयादेश

3770. **श्री नारायणन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने लघु उद्योग उत्पादकों के

लिये संयुक्त अरब गणराज्य और पश्चिमी जर्मनी से 14 लाख रुपये के मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो सामान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि जिस माल के क्रयादेश प्राप्त हो गये हैं, लघु उद्योग उस माल को अच्छी किस्म में और समय पर सप्लाई करे ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) :(क) जी हां, । संयुक्त अरब गणराज्य से 15.43 लाख रुपयों की कीमत के पीतल के छड़ों और पश्चिमी जर्मनी से 30 लाख रुपये की कीमत के सी० आई० पाइपों तथा स्पेशल्स क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ।

(ग) निगम क्रेताओं द्वारा निर्धारित उच्च कोटि के माल की क्रेताओं द्वारा स्वीकृति अवधि के अन्दर ही पूर्ति को सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास कर रही है ।

हल्दियावाड़ी-जलपाईगुडी और लटागुडी-चंग्राबन्ध के बीच रेलवे लाइन का फिर से चालू करना

3771. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे पर हल्दियावाड़ी-जलपाईगुड़ी और लटागुड़ी-चंग्राबन्ध के बीच रेलवे लाइनों, जो अक्तूबर, 1968 की भारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थीं, को पुनः चालू करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो कुल अनुमान क्या है तथा रेलवे लाइनों को पुन: चालू करने के लिए कब तक कार्य आरम्भ हो जायगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) का उत्तर देते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तीस्ता नदी में अधिक पानी की निकासी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षतिग्रस्त लाइनों को फिर से बिछाने में तकनीकी और वित्तीय फलितार्थों का मूल्यांकन करने के लिए रेलवे द्वारा तैयार की गयी सर्वेक्षण रिपोर्ट (उत्तर बंगाल में बाढ़ तकनीकी समिति द्वारा यथा अनुमानित) हाल ही में प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की जा रही है ।

न्यू कूचबिहार और गुलाकगंज (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण

3772. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में न्यू कूचविहार और कुलाकगंज को जोड़ने के लिए, जैसी कि स्थानीय जनता ने मांग की थी, कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) सर्वेक्षण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे-मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) धन की कमी होने और पर्याप्त यातायात की कमी के कारण औचित्य न होने से न्यू कूचबिहार से गोलकगंज तक नयी लाइन बनाने का काम इस समय शुरू नहीं किया जा सकता। इसलिये इस लाइन के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू करने का सवाल नहीं उठता।

नए कूचबिहार से वामनहाट तक बड़ी रेलवे लाइन

3773. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में रास्ते के स्टेशनों पर, विशेषकर जूट तथा तम्बाकू के अधिक लदान को सुविधा देने के लिए नये कूचविहार से वामनहाट की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना को रेलवे ने अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल-मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) यातायात की दृष्टि से फिलहाल न्यू कूचविहार—वामनहाट मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का औचित्य नहीं है।

न्यू कूचबिहार के रेलगाड़ी परीक्षकों की पुनः नियुक्ति

3774. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू कूचबिहार स्टेशन से बिना वैध कारणों के बहुत से रेलगाड़ी परीक्षकों को वापस बुला लिया गया है तथा रेलवे अधिकारियों को दिये गये अभ्यावेदन पर यह समझौता किया गया है कि पुनः पूर्व स्थिति बनाई जाये;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों की जांच के लिए पुनः प्रबन्ध किये जायेंगे और क्या न्यू बोन्गाई गांव को स्थानांतरित किये गये व्यक्तियों को कब तक न्यू कूचविहार में पुनः नियुक्त किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे-मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में अलीपुर द्वारा और नए कूचबिहार स्टेशनों के बीच शटल गाड़ियां चलाना

3775. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे को वर्तमान गाड़ियों पर यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए अलीपुर-द्वार और नये कूचबिहार के बीच शटल गाड़ियाँ चलाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित शटल गाड़ी कब से चलाई जायेगी ?

रेलवे-मंत्री (श्री नन्दा) : (क) नहीं, अभी नहीं । नं० 141/142 मिली-जुली गाड़ियों को अलीपुरद्वार से कूचबिहार तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

दिल्ली से बचकर जानेवाली रेलवे लाइन पर नारायणा के निकट उपरि-पुल

3776. **श्री बलराज मधोक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से बचकर जाने वाली रेलवे लाइन पर नारायणा के निकट उपरि-पुल लगभग दो वर्ष से निर्माणाधीन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुख्य पुल का निर्माण बहुत पहले पूरा हो गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुल को सड़क के साथ सम्बद्ध करने के लिये भूमि पर किये जाने वाले कार्य में देरी की गई है जिसके कारण पुल पर यातायात आरम्भ होने में अनावश्यक देरी की जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस उपरि-पुल को पूरा करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि निर्धारित की है तथा इसे यातायात के लिए कब खोला जायेगा ?

रेलवे-मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जी हाँ, पहुंच-मार्गों पर मिट्टी डालने का काम पूरा होने में कुछ विलम्ब हुआ है ।

(घ) जी नहीं । पहुँच मार्गों पर मिट्टी डालने का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है और यह काम अभी चल रहा है । मिट्टी डालने का काम पूरा हो जाने के बाद पुल खास के निकटवर्ती पहुँच-मार्ग पर पटिया बिछाने की व्यवस्था रेलवे द्वारा की जायेगी और उसके बाद पुल खोल दिया जायेगा ।

औद्योगिक लाइसेंसों की छूट सीमा के बढ़ाये जाने का प्रभाव

3777. क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिना लाइसेंस के नये उद्योग स्थापित करने की सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ा कर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि थोड़ी पूंजी वाले लघु उद्योगों पर इस निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त भाग (क) में बताया गया निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). औद्योगिक विकास को और अधिक बढ़ावा देने तथा व्यापक बनाने की दृष्टि से एवं छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये जिससे वे औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में न पड़ कर नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना कर सकें, छूट की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रु० कर दी गयी है। 55 वस्तुएँ लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित कर दी गई हैं तथा साथ ही और भी वस्तुएँ आरक्षित करने का विचार है। लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिये और भी अनेक कई कदम उठाये गये हैं। सरकार यह नहीं समझती कि घोषित की गई नई लाइसेंस नीति में किये गये परिवर्तनों का लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हरिजनों के द्वारा प्रदर्शन

3778. **श्री बलराज मधोक** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 नवम्बर, 1970 को झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हरिजनों के बच्चों ने अपनी दयनीय अवस्था की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान खींचने के लिए उनके निवास-स्थान पर प्रदर्शन किया था;

(ख) क्या उन्होंने अपनी दशा सुधारने के लिये आवश्यक विभिन्न समाज कल्याण के कार्यों का हवाला देते हुए प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उन गरीब बच्चों के कल्याण के लिए उस ज्ञापन में क्या-क्या मुख्य माँगें अथवा सुझाव थे तथा उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). हरिजन बच्चों के एक जलूस ने, जिसका नेतृत्व श्री एम० एल० सोंधी, संसद सदस्य, श्री रामस्वरूप विद्यार्थी, संसद सदस्य तथा अन्य व्यक्ति कर रहे थे, 14 नवम्बर, 1970 को प्रधान मंत्री की कोठी के सामने प्रदर्शन किया था और उन्हें एक ज्ञापन दिया था, जिसमें पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए

पोषकाहार, कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा सहायता तथा पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार सम्बन्धी माँगें शामिल थीं। सरकार को पिछड़े वर्गों के लोगों की, जिनमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, विभिन्न समस्याओं का पता है तथा वह उनके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। चतुर्थ योजना के अधीन इन उपायों को बढ़ाया जा रहा है।

Funds For Small Scale Industries

3779. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that the funds earmarked for National Small Industries Corporation Ltd., for giving encouragement to small scale industries have been reduced; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) (a) & (b). A reduction of Rs. 20 lakhs (out of Rs. 185 lakhs) has been made from the Government funds under loans for the Hire Purchase Scheme. This was done since it is felt that the NSIC should be able to attract funds from the commercial banking sector for the scheme in the above extent or even more.

स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी श्रेणी के लिए अयोग्य संगचल कर्मचारियों की शिकायतें

3780. **श्री मीठालाल मीना** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी श्रेणी के लिये अयोग्य संगचल कर्मचारियों के खपाने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है तथा उनको किस प्रकार के संरक्षण दिये गये हैं और उनके वेतन के संरक्षण, उनको उचित श्रेणी में खपाने तथा उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये 1960 में तथा उससे पूर्व क्या प्रक्रिया थी और वर्तमान प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या संगचल कर्मचारियों को 1960 तक उपलब्ध सुविधाओं में कमी किया जाना भी लोको संगचल कर्मचारियों में असंतोष का एक कारण है; और

(ग) सरकार ने इस श्रेणी के कर्मचारियों को वही सुविधाएं देने के लिये, जो उनको 1960 तक प्राप्त थीं, क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे-मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). स्वास्थ्य के आधार पर अपने कोटि से हटाये गये कर्मचारियों का, जिनमें रनिंग कर्मचारी भी शामिल हैं, वैकल्पिक सेवा नियोजन में समाहित किया जाना भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग—1 के नियम 152 से शासित होता है। 1960 के

बाद, वरिष्ठता के प्रश्न को छोड़कर इस विषय पर मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 1964 तक चालू कार्यविधि के अनुसार वरिष्ठता वैकल्पिक कोटि में समाहित होने की तारीख की वेतन दर के आधार पर निश्चित की जाती थी। 1964 में लागू की गयी संशोधित कार्यविधि के अन्तर्गत, जो अब भी लागू है, वैकल्पिक कोटि में वरिष्ठता समतुल्य अथवा तदनुरूपी पदक्रम में की गयी सेवा की अवधि के आधार पर आंकी जाती है। इस विषय में समय-समय पर जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेश तथा स्पष्टीकरण आदेश भारतीय रेल स्थापना नियमावली (द्वितीय संस्करण) के अध्याय III और अध्याय XXVI में शामिल कर दिये गये हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डीज़ल के धुएँ के कुप्रभाव के बारे में आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा अभ्यावेदन

3781. **श्री मीठालाल मीना** :

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने डीजल के धुएँ का मनुष्यों (कर्मी-दल) पर कुप्रभाव पड़ने के बारे में अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या उक्त एसोसिएशन ने डीजल एल्को लोकोमोटिव अर्थात् रनिंग डीज़ल लोकोस फेसिंग कैब एण्ड को फटे जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे-मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी हाँ, इस बात के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि जब लम्बे छज्जे वाला डीज़ल इंजन चलाया जाता है तो उससे निकलने वाले धुएं से ड्राइविंग केबिन का वातावरण दूषित हो जाता है और इसके फलस्वरूप परिचालन कर्मी दल के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ग) सरकार ने श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और नियोजन विभाग) के कारखाना परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय से सम्बद्ध केन्द्रीय श्रम संस्थान के औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा इस समस्या के अध्ययन की व्यवस्था की थी।

इस प्रयोगशाला द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला कि डीजल इंजन से निकली हुई गैस द्वारा नियंत्रण केबिन का वातावरण दूषित होने से डीज़ल इंजन कर्मी दल के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा विभिन्न प्रकार का जो धुआं जमा होता है वह सामान्यतः स्वीकृत न्यूनतम सीमा के पूर्णतः अंतर्गत होता है।

अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) लोको संगचल कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर पदावनत करना

3785. **श्री मीठालाल मीना :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीज़न में लोको संगचल कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर पदावनति की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन की अनियमित योजना के कारण कर्मचारियों को डीज़ल इंजन सम्बन्धी प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और उन्हें वरिष्ठ होने पर भी पदावनत होना पड़ा था;

(ग) क्या अजमेर डिवीजन में डीज़लीकरण के कार तथा भारतीय रेलवे के अन्य डिवीज़नों में जहां डीज़लीकरण किया गया था; 5 से 6 वर्षों की सेवा करने वाले तथा स्थायी भी किये गये कर्मचारियों की पदावनति कर दी गई है; और

(घ) इस प्रकार की पदावनति को टालने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के कस्तूरबा महिला आश्रम में कुप्रशासन

3783. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के कस्तूरबा महिला आश्रम के कुप्रशासन के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या उक्त आश्रम के अधिकारी आश्रम में रहने वाली महिलाओं के साथ अमानवीय बर्ताव करते हैं ; और

(ग) क्या उक्त आश्रम के प्रशासन के बारे में जांच करने के लिए सरकार का विचार संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने का है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) इस विभाग के प्रशासनाधीन कोई कस्तूरबा महिला आश्रम नहीं है। अलबत्ता, इस विभाग द्वारा प्रशासित विस्थापित, निराश्रित शरणार्थी स्त्रियों के लिए कस्तूरबा निकेतन गृह नाम की एक संस्था है। इस गृह में कोई कुप्रशासन नहीं है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हावड़ा-आमता और हावड़ा-सेईखाला रेलवे का हावड़ा की जिला परिषद के साथ करार

3784. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में हावड़ा जिले की हावड़ा-आमता और हावड़ा-सेईखाला लाइट रेलवे के प्राधिकारियों ने हावड़ा, जिला परिषद् के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौते किये गये हैं और इसका रेलवे के चलने पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) जनता के उपयोग के लिये सेवा की अविलम्बनीयता के आधार पर क्या सरकार का विचार उसे राष्ट्रीयकृत करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) हावड़ा-आमता और हावड़ा-शियाखला रेलवे कम्पनियों का हावड़ा और हुगली के जिला बोर्डों से करार है ।

(ख) करार के महत्वपूर्ण उपबन्ध इस प्रकार हैं :—

(i) जिला बोर्डों द्वारा कम्पनियों को उतनी रकम देनी पड़ती है जितनी कम्पनियों का शुद्ध लाभ प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की दर से मिलने वाले लाभांश के बराबर करने के लिए अपेक्षित होती है । फिर भी, किसी एक वर्ष में अधिकतम देय रकम की मात्रा हावड़ा-आमता रेलवे के मामले में 28,000 रुपये तक और हावड़ा-शियाखला रेलवे के मामले में यातायात के लिए खुली हुई लाइन पर 950 रुपये प्रति मील (यह फिलहाल 16,031 रुपये बनता है) तक सीमित है।

(ii) यदि किसी वर्ष में रेलवे द्वारा अर्जित लाभ 4 प्रतिशत से अधिक होता है तो हावड़ा आमता रेलवे के मामले में इस प्रकार का लाभ रेलवे कम्पनी और जिला बोर्ड के बीच बराबर भागों में बांट दिया जाता है । हावड़ा-शियाखला रेलवे के मामले में अतिरिक्त लाभ का एक तिहाई भाग जिला बोर्ड को दे दिया जाता है और दो तिहाई भाग कम्पनी अपने पास रख लेती है ।

(iii) ज़िला बोर्डों की रेलों की खरीद के लिए 7 वर्ष के अन्तराल पर आवर्ती विकल्प दिया जाता है । दोनों रेलों के लिए ऐसा आगामी विकल्प 26-3-72 को दिया जायेगा ।

करार के फलस्वरूप दोनों रेल कम्पनियों को, जिनकी वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही है, हाल के वर्षों में उपर्युक्त (i) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम वित्तीय सहायता मिलती रही है ।

(ग) जी नहीं ।

अनुज्ञप्तिधारी के लिए उद्योगों में स्थानीय रोजगार कार्यालयों से लोगों की भर्ती हेतु शर्त

3785. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इस प्रकार की नीति बनाने का विचार है जिसके अनुसार उद्योगों के लाइसेंस प्राप्त करने वालों से अपने कुल कर्मचारियों के 50 प्रतिशत की भर्ती आवश्यक रूप से स्थानीय रोजगार कार्यालयों से की जानी अपेक्षित हो, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं०रं० कृष्ण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Loading and Unloading of heavy Consignments by Manual Labour

3786. **Shri Shiv Charan Lal**: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the Railway Administration has recently formulated any rule under which a consignment weighing upto 28 maunds would have to be loaded and unloaded by manual labour instead of the one weighing upto 10 maunds;

(b) whether it is a fact that the said rule is not applicable to the big contractors whereas it is applicable to thc cooperative societies and their labour;

(c) whether his Ministry proposes to compensate a worker if he meets with an accident on account of this discrimination; and

(d) whether Government propose to provide equal facilities to them?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) Instructions were issued to Railway Administrations in 1966 that for the purpose of handling contracts at transhipment points, the Railway Administrations should be generally guided by the fact that a consignment. weighing one tonne or more should be treated as a crane consignment. It was further clarified in 1967 that a consignment should be treated as a crane consignment only when at least one package out of the whole consignment weighed one tonne or more. Railways were also advised that for the contracts already in force, the extent procedure may be continued but in future contracts, the above instructions may be implemented.

(b) The instructions referred to in reply to part (a) were applicable to all contractors at transhipment sheds without any discrimination.

(c) and (d) Do not arise in view of the reply to part (b) above. Further, crane conignment were defined as per instructions referred to in reply to part (a) for purposes of determining the free time admissiable for loading/unloading such consignments in wagons, payment of hand-charges and recovery of crane charges for Railway cranes used etc. Contractors desiring the use of Railway cranes for loading and unloading of consignments weighing less than 28 maunds could still make use of available cranes on payment of the prescribed charges.

Providing Facilities to Railway Co-operative Societies Which are given to Big Contractors

3787. **Shri Shiv Charan Lal**: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway Co-operative Societies are provided with the same facilities which are provided to the big contractors ;

(b) whether it is also a fact that ten maund-cranes are provided to the old contractors for loading and unloading of goods, whereas this facility is not being provided to the societies and their labourers ; and

(c) the reasons for this discrimination and the action proposed to be taken by Government in providing all the facilities to Societies which are given to big contractors ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). Facilities provided to a contractor on the Railways depend upon the nature of the contract and there is no discrimination in this matter against a Co-operative Society. In fact, Registered Co-operative Societies are allowed certain additional facilities for carrying out contracts awarded by Railways.

(c) Does not arise.

हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को इस्पात चादरों की सप्लाई

3788. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री मैसर्स हिन्द गेल्वेनाइजिंग कम्पनी (प्राइवेट) को इस्पात की चादरों की सप्लाई के बारे में 3 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1249 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्द गल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा अपने पहले के रिकार्डों के अनुसार दी गई सूचना की इस बीच जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). मै० हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं० (प्रा०) लिमिटेड द्वारा 1011·2 मी० टन के कोटा प्रमाणपत्र पर इस्पात की प्राप्ति, उत्पादन तथा डिलिवरी को बताने वाला एक विवरण (अनुबन्ध-1) संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**—4510/70]

मै० अमीचंद प्यारेलाल तथा मै० रामकृष्ण कुलवंतराय से की गई निर्बाध बिक्री से खरीदी गई शीटों का महावार ब्यौरा इस प्रकार है :—

माह	परिमाण (मी० टन)	संभरणकर्ता का नाम
फरवरी, 1962	0·360	मै० अमीचंद प्यारे लाल लि०
अप्रैल, 1962	8·600	—वही—
मई, 1962	24·920	—वही—
जून, 1062	127·435	—वही—
मार्च, 1963	99·330	मै० रामकृष्ण कुल्वंत राय ।
	260·645	

इस सम्बन्ध में श्री जार्ज फरनेन्डीज़ द्वारा लोक सभा में 30-4-68 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8983 के भाग (घ) के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा करते हुए 12 नवम्बर, 1968 को सभापटल पर रखे गये विवरण की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

जहां तक रिकार्ड रखने का सम्बन्ध है, यह कथितव्य है कि आयातकर्ताओं को यह अधिकार देते हुए कि वे अपनी रुचि के ग्राहकों/उपभोक्ताओं को माल बेच सकते हैं, लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय से निर्बाध बिक्री के आदेश जारी किये गये थे और इस प्रकार निर्बाध रूप से माल की बिक्री के निपटान को बताने वाला कोई रजिस्टर तैयार नहीं किया जाता है ।

यही लोक सभा में 5-8-69 के अतारांकित प्रश्न संख्या 358 तथा लोक सभा के 25-11-69 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1314 के उत्तर में पहले दिये गए आश्वासन को पूरा करने में दिया गया है ।

मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई द्वारा बैरल कारखाने को सिवड़ी से ट्रोम्बे में स्थानान्तरित करना

3789. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई, द्वारा बैरल कारखाने को सिवड़ी से ट्रोम्बे में स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में 25 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 589 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) इस फर्म ने मैसर्स स्टैण्डर्ड वैक्युम रिफाइनरी कम्पनी की बिटुमेन ड्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अपने बैरल कारखाने को सिवड़ी से ट्रोम्बे के स्थित अपने उक्त कारखाने में बिटुमेन ड्रम्स बनाना कब आरम्भ किया ;

(ख) कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण उन्हें अपने बैरल कारखाने को चालू हालत में सिवड़ी से ट्रोम्बे में स्थानान्तरित करना पड़ा जब कि उनके पास बिटुमेन ड्रम्स बनाने के लिए पहले से अतिरिक्त कारखाना था और वे अपने सिवड़ी स्थित बैरल कारखाने को वहां से हटाये बिना ही मैसर्स स्टैण्डर्ड वैक्युम रिफाइनरी कम्पनी की आवश्यकता को पूरा कर सकते थे ; और

(ग) क्या उनके मामले में सरकार का विचार आगे जांच कराने का तथा अपने निष्कर्ष को सभा-पटल पर रखने का है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). 10 मार्च, 1970 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 333 के उत्तर में यह बताया जा चुका है कि मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई ने अपने तेल बैरल कारखाने को जुलाई, 1959 में सिवड़ी से ट्रोम्बे में स्थानांतरित कर लिया था । परन्तु उन्होंने ट्रोम्बे में बिटुमेन ड्रम्स का उत्पादन खरीदी गई अतिरिक्त मशीनों से किया था । क्योंकि कारखाने के स्थानान्तरण की आज्ञा अक्तूबर, 1958 में दी गई थी और बिटुमेन ड्रम्स को बनाने के लिए लाइसेंस जुलाई, 1959 में स्वीकार किया गया था, अत: अग्रेतर जांच की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

आन्ध्र प्रदेश में जापान के सहयोग से उद्योगों की स्थापना

3790. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जापान के राजदूत ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ जापान के सहयोग से उस राज्य में उद्योगों की स्थापना की सम्भावना के सम्बन्ध में वार्ता की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (घ) अगस्त के अन्तिम सप्ताह में आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की एक सहायक कम्पनी इण्डो-निपन प्रिसीजन बाल बियरिंग कारखाने के उदघाटन के अवसर पर भारत में जापान के राजदूत हैदराबाद आये थे और मुख्य मंत्री से मिले थे । उस समय जापान सरकार के निमंत्रण पर मुख्य मंत्री जी की जापान की प्रस्तावित यात्रा के लिए प्रबन्ध किए जा रहे थे अतः मुख्य मंत्री जी ने आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के विचाराधीन मोटर गाड़ियों के टायरों व ट्यूबों, नाईलोन तन्तु धागे और कुछ इलेक्ट्रानिक पुर्जों के उत्पादन की परियोजनाओं में, जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु निगम ने भारत सरकार को आवेदन किया हुआ था । जापानी सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए राज्य सरकार की रुचि का संकेत दिया था । जब जापान के राजदूत मुख्य मंत्री से मिले तो इन परियोजनाओं पर तथा अन्य सामान्य हितों की बातों पर विचार विमर्श किया गया । इस बातचीत के दौरान उसके वर्तमान जापानी सहयोगियों की सहायता से इण्डो-निपन प्रिसीजन बियरिंग के विस्तार के प्रश्न पर भी विचार किया गया ।

मोटर गाड़ी टायरों तथा ट्यूबों और नाईलोन तंतु धागे के उत्पादन के लिए आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने सहयोग प्राप्त करने हेतु कुछ जापानी फर्मों से बात की है । इण्डो-निपन प्रिसीजन बियरिंग के विस्तार के प्रस्ताव पर आगे की कार्यवाही भी की जा रही है । परन्तु अन्तिम निर्णय निगम द्वारा लिया जायेगा और प्रस्तावित दोनों परियोजनाओं के बारे में औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों पर निर्णय ले लिए जाने तथा जापानी सहयोगियों द्वारा इन्डो-निपन प्रिसीजन बियरिंग के विस्तार पर परियोजना रिपोर्ट तैयार कर लिये जाने के पश्चात् विदेशी विनियोजन बोर्ड की स्वीकृति ली जायेगी ।

ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया

3791. श्री मधु लिमये : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया (ई० एम० आई० ग्रुप आफ कम्पनीज) द्वारा कलाकारों के साथ किये जा रहे विचित्र करारों की ओर दिलाया गया है जिसमें कलाकार को किन्हीं अन्य कम्पनियों के लिए अनुचित रूप से लम्बे समय तक रिकार्ड तैयार

न करने पर मजबूर किया जाता है क्योंकि उन कम्पनियों का उद्योग तथा बाजार पर अत्यधिक प्रभाव है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह कम्पनी अपने विक्रेताओं तथा वितरकों को, यह भय दिखाकर कि उनका ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया द्वारा बहिष्कार कर दिया जायेगा ; किसी अन्य कम्पनी के रिकार्डों को न बेचने और न वितरण करने के लिये मजबूर करती है ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बम्बई प्रदेश के कुछ विक्रेताओं को इस कम्पनी द्वारा इस प्रकार दंडित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कलाकारों, विक्रेताओं, वितरकों तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामोफोन रिकार्डों का मूल्य

3792. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया (ई० एम० आई० ग्रुप आफ कम्पनीज) जो कि इन वर्षों में वास्तविक एकाधिकार का लाभ उठाती रही है, ने ग्रामोफोन रिकार्ड़ों का मूल्य अनुचित स्तर पर निर्धारित कर दिया है और उसने निस्सहाय ग्राहकों का निर्दयतापूर्वक शोषण किया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि अच्छी किस्म के काफी देर तक बजने वाले रिकार्डों के उत्पादन का मूल्य $6\frac{1}{2}$ रुपये से कम है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्राहकों को ये रिकार्ड 36 रुपये अथवा इतने अधिक कीमत में बेचे जाते हैं ;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रमुख वितरकों को भी काफी कीमत देनी पड़ती है जो कि प्रति रिकार्ड 27 रुपये के आसपास है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन रिकार्डों का पर्याप्त रूप से मूल्य कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है, सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया द्वारा विदेशी मुद्रा बाहर भेजा जाना

3793. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया (ई० एम० आई० ग्रुप आफ कम्पनीज) का इन सब वर्षों में ग्रामोफोन रिकार्ड के मामले में वस्तुतः एकाधिकार रहा है ;

(ख) गत तीन वर्षों की अवधि में इस कम्पनी ने लाभांश, रायल्टी, तकनीकी सहयोग के लिए शुल्क तथा अन्य शुल्क के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी ;

(ग) क्या सरकार ने देश में ही इस उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए सहायता देने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रयत्नों के क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) संगठित क्षेत्र में इस समय ग्रामोफोन के रिकार्ड्स बनाने वाले एकमात्र एकक में ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ). एक भारतीय कम्पनी को देशीय तकनीकी जानकारी से ग्रामोफोन रिकार्ड्स बनाने की स्वीकृति दी गयी है। इस कम्पनी ने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है।

लखनऊ-मुगलसराय सेक्शन पर चलने वाली पठानकोट-सियालदह एक्सप्रैस ट्रेन के गार्ड से एक संसद् सदस्य द्वारा की गई शिकायत

3794. **श्री मधु लिमये** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 सितम्बर, 1970 की लखनऊ/मुगलसराय सैक्शन पर चलने वाली पठानकोट-सियालदह एक्सप्रैस के गार्ड के पास रखी जाने वाली शिकायत पुस्तक में किसी संसद् सदस्य ने कोई शिकायत डाली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका पाठ क्या है ;

(ग) क्या शिकायत के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेल गाड़ी छूटने वाले स्टेशन से गाड़ी छूटने से पहले उसकी जांच

3795. **श्री मधु लिमये** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री गाड़ियों और एक्सप्रैस गाड़ियों के छूटने वाले स्टेशनों से उनके चलने के पहले उनके उचित रखरखाव तथा मरम्मत आदि की वर्तमान व्यवस्था क्या है ;

(ख) क्या विशेषतया तीसरी श्रेणी के डिब्बों में प्रकाश, पंखे, टैंकों में पानी, दरवाजे,

खिड़कियों तथा अन्य दूसरे पुर्जे आदि की जांच करना अनिवार्य है ;

(ग) क्या यह सच है कि बैटरियों की स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती जा रही है ;

(घ) क्या प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) से सम्बद्ध बातों के सम्बन्ध में किसी रेलवे अधिकारी अथवा कर्मचारी, विशेषतया श्रेणी एक और दो के अधिकारियों पर विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के पदनाम क्या हैं और उनके द्वारा कार्य ठीक प्रकार से न किए जाने के लिए क्या दंड निर्धारित किये हुए हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) डाक और एक्सप्रैस सहित सभी सवारी गाड़ियों की रेकों की प्रस्थान स्टेशनों की नामित लाइन पर पूरी तरह जांच की जाती है और सब दोषों का रिकार्ड रखा जाता है। तब दोषों को ठीक कर दिया है और जाने वाली गाड़ियों के लिए रेकों को प्लेटफार्म पर लाने से पूर्व डिब्बों की पूरी तरह सफाई की जाती है, शौचालयों को रोगाणुओं से मुक्त किया जाता है और टंकियों में पानी भर दिया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी हां। पर्यवेक्षकों तथा अन्य अनुरक्षण-कर्मचारियों पर, जिनकी रेकों के अनुरक्षण का काम प्रत्यक्षतः सौंपा जाता है, जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है।

(ङ) जिन पर्यवेक्षकों पर ठीक मरम्मत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रहती है, यदि वे गलती कर बैठते हैं, तो उन्हें दंड दिया जाता है। जिस प्रकार की चूक रहती है, उसी के अनुसार दंड का स्वरूप भी अलग-अलग होता है।

इटली के सहयोग से स्कूटर के कारखाने की स्थापना

3796. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इटली की प्रैगियों तथा इलोसेन्टी फर्मों के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में एक स्कूटर बनाने का कारखाना स्थापित करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो देश में उपलब्ध जानकारी को देखते हुए इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो स्कूटर का कारखाना सरकारी क्षेत्र में कब और कहां स्थापित किया जायेगा तथा इसकी कुल प्रारम्भिक लागत क्या होगी तथा इसकी वार्षिक अनुमानित क्षमता क्या होगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) परीक्षित विदेशी डिजाइन पर आधारित स्कूटरों का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में स्थापित एकक में किये जाने के निर्णय के अनुसरण में, परीक्षित डिजाइन के स्कूटरों के उत्पादन के लिए सहयोग हेतु प्रस्ताव रुचि रखने वाली विदेशी पार्टियों से मांगे गये हैं जिनमें इटली भी सम्मिलित है। इन प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति जिसका गठन सरकार ने सरकारी क्षेत्र में विशेष रूप से उपयुक्त देशी डिजाइन तथा स्कूटर उत्पादन के कार्यक्रम बनाने के लिए किया था इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि स्कूटर का देश में विकसित कोई भी नया डिजायन तत्काल उपलब्ध नहीं है और स्कूटर के नये डिजाइन को प्रारंभ से विकसित करने में लगभग 4 या 5 वर्ष का समय लगेगा। इसके पश्चात् प्रायोजना का आयोजन तथा उसके कार्यान्वियन में और भी 3 या चार वर्ष लग सकते हैं। देश में पहले ही स्कूटरों की अत्यधिक मांग है और प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथा इसके निर्यात की अच्छी संभावनाएं भी हैं अतएव यह सोचा गया कि इस मांग को पूरा करने के लिए अनेक वर्षों तक पूर्ण देशी डिजाइन के लिए प्रतीक्षा करना वांछनीय नहीं है। समिति की इस सिफारिश पर कि डिजाइन देश के वेस्पा, लेम्ब्रेटा स्कूटरों के उत्पादकों से प्राप्त किये जायें सरकार ने विचार किया पर उसे भी संभव नहीं पाया। अतएव सरकार ने निश्चय किया है कि उचित आधुनिक परीक्षित डिजायन ऐसी विदेशी पार्टी से प्राप्त किया जाये जो रुचि रखती हो तथा उत्पादन यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाये।

(ग) प्रस्ताव यह है कि दो पारी के आधार पर प्रारंभ में 100,000 स्कूटर प्रतिवर्ष उत्पादन के लिए एक एकक सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाये जिसमें विस्तार के लिए भी प्रावधान हो। इस स्थिति में यह बता सकना संभव नहीं है कि संयंत्र की अनुमानित लागत क्या होगी और कब तक स्थापित किया जा सकेगा। प्रस्तावित संयंत्र के स्थापना स्थल का प्रश्न स्कूटर का माडल निश्चित हो जाने तथा विदेशी सहयोग के निश्चित हो जाने पर है।

बजाज ओटो एण्ड ओटोमोबाइल प्रोडक्ट्स कम्पनीज का राष्ट्रीयकरण

3797. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर समिति ने बजाज ओटो एण्ड औटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स कम्पनीज के राष्ट्रीयकरण की शिफारिशें की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों को लागू करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूटर समिति की सिफारिशें

3798. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटर समिति की किन विशेष सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है ; और

(ख) दोनों मामलों में उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति सरकारी क्षेत्र में विशेष रूप से उपयुक्त देशी डिजाइन तथा स्कूटर उत्पादन के कार्यक्रम बनाने के लिए नियुक्त की थी।

जहां तक उपयुक्त देशी डिजायन का सम्बन्ध है समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि स्कूटर का देश में विकसित कोई नया डिजाइन तत्काल उपलब्ध नहीं है और स्कूटर के नये डिजाइन को प्रारंभ से विकसित करने में लगभग 4 या 5 वर्ष का समय लगेगा, इसके पश्चात् प्रायोजना का आयोजन तथा उसके कार्यान्वियन में और भी तीन या चार वर्ष लग सकते हैं। देश में पहले ही स्कूटरों की अत्यधिक मांग है और प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथा इसके निर्यात की अच्छी सम्भावनाएं भी हैं, अतएव यह सोचा गया कि बड़ी और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अनेक वर्षों तक पूर्ण देशी डिजाइन के लिए प्रतीक्षा करना वाञ्छनीय नहीं है। समिति की इस सिफारिश पर कि डिजायन देश के वेस्पा, लैम्ब्रैटा स्कूटरों के उत्पादकों से प्राप्त किया जाये सरकार ने विचार किया पर इसे संभव नहीं पाया गया। अतएव सरकार ने निश्चय किया है कि उचित आधुनिक परीक्षित डिजाइन ऐसी विदेशी पार्टी से प्राप्त किया जायें जो रुचि रखती हो या उत्पादन यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाये। इसके अनुसरण में, रुचि रखने वाली पार्टियों से प्रस्ताव मांगे गये हैं जो प्रतीक्षित हैं। जहां तक उत्पादन का प्रश्न हैं समिति ने सिफारिश है कि प्रायोजना दो पारी के आधार पर प्रतिवर्ष 100,000 स्कूटर के उत्पादन के लिए स्थापित की जाये जिसमें विस्तार के लिए भी प्रावधान हो। समिति की इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

समिति की अन्य सिफारिशें जो उपयुक्त मुख्य सिफारिश की सहायक हैं उनको भी नोट कर लिया गया है तथा उन्हें भी यथासमय यथासंभव कार्यान्वित किया जायेगा।

दिल्ली में अनैतिक गतिविधियों में वृद्धि

3799. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 और 1969 की तुलना में वर्ष 1970 में दिल्ली में अनैतिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है ;

(ख) 1969 और 1968 की अपेक्षा 1970 में अनैतिक गतिविधियों के कितने मामले सरकार की नजर में आए हैं ; और

(ग) इसके वास्तविक कारण क्या हैं और उन्हें रोकने के लिए वर्ष 1970 में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) 15-11-1970 तक	15-11-1969 तक	15-11-1968 तक
404	362	277

(ग) आचरणों के बारे में सामाजिक मानदण्डों तथा विचारों में आमूल परिवर्तन, जनसंख्या

का बढ़ना और शहरी क्षेत्रों में रहन-सहन का अत्यन्त व्यक्तिवादी ढंग इस वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं । तो भी, जब कभी इस प्रकार की कोई शिकायत अथवा सूचना मिलती है, कानून के अधीन तुरन्त कार्यवाही की जाती है । अनैतिक पणन दमन अधिनियम के अधीन सभी सब डिवीजनल पुलिस अधिकारियों को अधिकार दे दिये गए हैं और उन्हें विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में घोषित कर दिया गया है, जो अपने-अपने इलाकों में, विशेषतया कुख्यात स्थानों पर, निगरानी रखते हैं ।

पूर्वोत्तर रेलवे के दरभंगा और निर्मली स्टेशनों के बीच चलने वाली गाड़ियों में रोशनी की व्यवस्था

3800. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के दरभंगा और निर्मली स्टेशनों के बीच चलने वाली गाड़ियों में रात के समय अब भी रोशनी नहीं होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और कितनी सफलता मिली है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सामान्यतः सभी गाड़ियों में, जिनमें दरभंगा और निरमली के बीच चलने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है । दरभंगा और और निरमली के बीच रात में चलने वाली अधिकांश गाड़ियों में गाड़ी-रोशनी की 110 वोल्ट वाली एण्ड-आन-जनरेशन प्रणाली की व्यवस्था की गयी है । ये संतोषप्रद ढंग से काम कर रही हैं । 24 वाल्ट की परम्परागत प्रणाली वाले रेकों में गाड़ी रोशनी बल्टिग उपलब्ध न रहने के कारण कुछ बाधा पड़ी थी । इस मद की सप्लाई की स्थिति में अब सुधार हो गया है और रोशनी फिर सन्तोषप्रद हो गयी है । इस स्थिति पर पूरी नज़र रखी जा रही है ।

ट्रेन क्लर्कों और यार्ड मास्टरों के लिए पदोन्नति के नये अवसर

3801. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) रेलवे कर्मचारियों के ऐसे वर्ग कौन कौन से हैं जो अ.ने वर्ग से भिन्न वर्गों में पदोन्नति के हकदार होते हैं और ऐसे वर्ग कौन-कौन से हैं जो अपने वर्ग से भिन्न वर्गों में पदोन्नति के हकदार नहीं होते ;

(ख) क्या ट्रेन क्लर्कों और यार्ड मास्टरों का वर्ग अपने वर्ग से भिन्न वर्गों में पदोन्नति के लिए हकदार है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पदोन्नति के अवसर नियत करने का मापदण्ड क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ग) रेलों में अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति सरणियां प्रशासनिक आवश्यकताओं और स्थानीय स्थितियों के अनुसार स्वयं रेल प्रशासनों द्वारा निर्धारित की जाती हैं । इसलिए विभिन्न कोटियों में पदोन्नति की सरणि के सम्बन्ध में वास्तविक परिपाटी हर रेलवे में भिन्न-भिन्न होती है ।

(ख) अपने संवर्ग के ऊंचे ग्रेड के पदों में पदोन्नति के अलावा, गाड़ी क्लर्कों को गार्ड ग्रेड

'सी' सहायक यार्ड मास्टर, सहायक माल डिब्बा संचलन निरीक्षक आदि के रूप में पदोन्नति देने के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। इसी प्रकार, यार्ड मास्टरों को उनके अपने संवर्ग में ऊंचे ग्रेड के पदों पर पदोन्नति की सामान्य सरणि के अलावा, परिवहन विभाग में ऊंचे ग्रेड के पदों पर पदोन्नति की सरणि दी जाती है, जो एक रेलवे में दूसरी रेलवे से भिन्न-भिन्न हैं।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अधिकारियों पर नक्सलवादियों द्वारा हमला

3802. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अधिकारियों पर नक्सलवादियों ने हमला किया था ;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक साल में ऐसे कितने मामले हुए तथा इनमें मारे गए व्यक्तियों की संख्या क्या है ; और

(ग) इस्पात नगर क्षेत्र तथा इस्पात कारखाने में नक्सलवादियों की ऐसी वारदातें रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). दुर्गापुर इस्पात कारखाने के दो अधिकारी कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा की गई हिंसा के शिकार हुए हैं।

(ग) कारखाने के अधिकारी सुरक्षा प्रबन्धों को और भी कड़ा कर रहे हैं तथा पश्चिमी बंगाल सरकार जो कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार है, समाज विरोधी तत्त्वों से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

रेलवे की लेखा प्रक्रिया में कथित दोष

3803. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :

श्री जगेश्वर यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनको रेलवे की लेखा प्रक्रिया में दोष पाये जाने का समाचार मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रक्रिया में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). रेलवे मंत्री ने यह विचार व्यक्त किया है कि चूंकि वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए पूर्व निर्धारित दर पर सामान्य राजस्व को लाभांश का भुगतान करने के बाद बचत/घाटे का अनुमान लगाना अपेक्षित होता है इस लिए रेलवे वित्त की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करने से रेलों में लगायी गयी पूंजी पर

मिलने वाले प्रतिफल की स्थिति कुछ हद तक अस्पष्ट हो जाती है। एक और पहलू, जहां वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में सुधार किया जा सकता है, यह हो सकता है कि विकास कार्यों पर होने वाले खर्च को, जिसे इस समय विकास निधि को प्रभारित किया जाता है, सीधे राजस्व प्रभार मान लिया जाय, क्योंकि इस समय विकास निधि पूरी तरह से खर्च की जा चुकी है।

(ग) वर्तमान व्यवस्था का विशेष रूप से अनुमोदन एक के बाद दूसरी अभिसमय समिति तथा संसद द्वारा किया गया है। वर्तमान अभिसमय समिति जिन बातों की समीक्षा करेगी उनमें रेलों और सामान्य राजस्व के बीच वर्तमान वित्तीय व्यवस्था तथा अन्य संबंधित बातें भी शामिल होंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक सामान की बिक्री

3804. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक सामान की बिक्री के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने बाजारों के स्थापित किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). सरकार उपभोक्ताओं वस्तुओं के ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री और वितरण के बढ़ाने के लिए एक विपणन संगठन के गठन तथा अन्य कई योजनाओं पर विचार कर रही है। इससे उन क्षेत्रों की जिनमें पिछले वर्षों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है अतिरिक्त क्रय क्षमता को प्रणालीबद्ध किया जा सकेगा तथा शिक्षित बेकारों को खुदरा व्यापार और छोटे पैमाने के उद्यमों में काम मिल सकेगा।

भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर रेल दुर्घटना

3805. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 नवम्बर, 1970 को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना में 24 से अधिक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और जांच समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय 5-11-70 को रेतंग और भुवनेश्वर स्टेशनों के बीच 46 डाउन हैदराबाद-हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर से है। इस दुर्घटना में कोई नहीं मरा। लेकिन एक व्यक्ति को गम्भीर चोट आयी और 25 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं।

(ख) कलकत्ता स्थित रेल संरक्षक के अपर आयुक्त के अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार, जिन्होंने

इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी, यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

सिगनल कर्मचारियों के सम्बन्ध में रेलवे दुर्घटना जांच समिति (1968) की सिफारिशें

3806. **श्री देवेन सेन** : क्या रेलवे मंत्री सिगनल कर्मचारियों के बारे में रेलवे दुर्घटना जांच समिति 1968 की सिफारिशों के सम्बन्ध में 14 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6267 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षण संबंधी नियुक्ति तथा सिगनल देने वाले कर्मचारियों की श्रेणियों के बारे में रेल दुर्घटना जांच समिति 1968 की सिफारिश के पेज 141 भाग 11 के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उपरोक्त सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए विशेष रूप से उल्लिखित श्रेणियों के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा निर्णय करने में कितना समय और लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सिगनल और दूर-संचार विभाग के निरीक्षकों और कारीगरों के भर्ती, प्रशिक्षण ग्रेड आदि से संबंधित नियमों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गयी थी । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

रेलवे में सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिए कोटे का निर्धारण

3807. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने पद पर सेवा-काल के आधार पर 28 प्रतिशत असिस्टेंटों को सैक्शन आफिसरो का पद देने संबंधी जून, 1970 के गृह मंत्रालय के परिपत्र को रेलवे बोर्ड ने लागू कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). इस विषय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों में जो संशोधन जारी किये गये हैं सामान्यतः उनके आधार पर, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

कागज का उत्पादन

3808. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय लघु कागज मिल संघ की ओर से कागज़ का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार को एक कार्यक्रम का प्रारूप मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) जी, हां । सुझाये गये प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० (केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम) द्वारा छोटी कागज मिलों को बेची जाने के लिए लगभग 30-40 पुन: सुधारी गई पुरानी कागज मशीनों का आयात करने और इन मशीनों के लिए आवश्यक लुगदी की पूर्ति मध्य क्षेत्र में स्थित उपर्युक्त निगम द्वारा स्थापित मिलों से की जाने की सिफारिश की गई है ।

सरकार सामान्य रूप से कम क्षमता वाले पुराने कागज संयंत्रों की खराबियों/कमियों और काम करने सम्बन्धी अनिश्चितताओं के कारण इनका आयात करने के पक्ष में नहीं है । इसके अलावा इस क्षमता की मशीनें देश में ही बनाई जा सकती है । इसके अतिरिक्त पुरानी मशीनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता निरन्तर बनी रहेगी क्योंकि किसी भी बड़े लुग्दी कारखाने का आयोजन करने और उत्पादन प्रारम्भ होने में कुछ वर्ष का समय लग जायगा ।

Czechoslovak Workers in H. E. C. Ranchi

3809. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of Czech skilled workers who were working in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, have been sent back ;

(b) whether the Minister of External Affairs has received a memorandum against this action from some Members of Parliament ; and

(c) the reasons for sending back the Czech skilled workers and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (c) Neither the Government of India nor the Heavy Engineering Corporation have sent back any Czech representative. There have, however, been some cases where experts had been allowed to return to their country earlier than the time schedule for family reasons, medical grounds etc., in consultation with the Czech Organisation.

(b) Three Members of Parliament had written on 10th September, 1970 to the Minister of External Affairs drawing his attention to some newspaper reports making various allegations about the Ambassador of Czechoslovakia in India and the three-man Skodaexport delegation that visited India in May 1970 to hold discussions with the H. E. C. Ranchi.

इटावा स्टेशन पर खान-पान प्रबन्ध का ठेका

3811. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटावा स्टेशन पर खान-पान प्रबन्ध का ठेका किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सका क्योंकि अधिकारियों द्वारा रखी गई शर्तों को मानने के लिये कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में आगे की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) इटावा स्टेशन पर भोजनालय का ठेका दे दिया गया है और 1-1-1971 से इसके चालू होने की संभावना है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Result of Appendix II Examination for Promotion of Accountants Clerks of Eastern Railway

3812. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Railwyas be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Appendix-II Examination for the promotion of Accountants Clerks of Eastern Railway was held in March, 1970 after a lapse of six years ;

(b) whether it is a fact that the result of the said Examination was published in May, 1970 but the list of unsuccessful candidates was not published then ;

(c) whether it is also a fact that in July, 1970 some of the unsuccessful candidates of the said Examination were again declared successful on the ground that the majority of the Candidates in the said examination faild in "T. A. Coaching paper" ; and

(d) if so, the action taken by Government on the representations sent by some M.Ps. and M. L. As. from Bihar to him as also to the Railway Board and Eastern Railway authorities on this matter ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) A supplementary list of passed candidates was published in June, 1970 on the ground that the marking in "Traffic Accounts Coaching Paper" was of some-what more rigid standard than in other papers.

(d) The matter was examined and no further action was found necessary. The references received in this connection have been, or are being, replied to suitably.

हिन्दुस्तान एम्बेसेडर कार में खराबियां

3813. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई की मैसर्स गैको ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा खरीदी गई हिन्दुस्तान एम्बेसेडर कार की खराबियों के संबंध में शिकायत मिली है और क्या ऐसी ही शिकायतें अन्य लोगों से भी मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान मोटर्स को इन शिकायतों को दूर करने के लिए रजामन्द करने हेतु तुरन्त कार्रवाई करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां, कारों के अन्य मालिकों से भी उनकी कारों में निर्माण संबंधी दोषों के बारे में इसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है तब उनकी सूचना ग्राहकों की सन्तुष्टि पर्यन्त कारों में दोषों को दूर करने के हेतु उत्पादकों को दे दी जाती है ।

रेलवे डाक्टरों की शिकायतें

3814. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें रेलवे डाक्टरों की शिकायतों के संबंध में रेलवे चिकित्सा अधिकारी संघ, नई दिल्ली से कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इन डाक्टरों की मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मांगों को पूरा करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग)' रेलवे डाक्टरों की ओर से की गयी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(1) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना जैसे वेतनमान लागू करना (2) एक "विशेषज्ञ संवर्ग" बनाया जाये, जैसा केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में है (3) बेहतर पदोन्नति सरणि की व्यवस्था करने के लिए ऊँचे ग्रेड के पदों के प्रतिशत में वृद्धि ।

इन मांगों पर पहले विचार किया गया था परन्तु उन्हें मंजूर करना व्यावहारिक नहीं पाया गया, क्योंकि रेलों की संगठनात्मक संरचना और वेतन-मानो के प्रतिरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना से भिन्न हैं । रेलों का संगठन मंडल प्रणाली पर आधारित है और मंडल अधिकारी, जो वरिष्ठ वेतनमान (700-1200 रु०) में होते हैं, मंडल अधीक्षक के अधीन काम करते हैं। कनिष्ठ वेतनमान (400-950 रु०) के सहायक अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों के अधीन काम करते हैं । केवल रेलवे के चिकित्सा अधिकारियों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना वाले वेतनमान अपनाना संभव न होगा । चिकित्सा विभाग के लिए प्रथम श्रेणी में ऊंचे ग्रेड के अधिक पदों का सृजन करना भी, विशेषतया रेलों की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए, संभव नहीं है ।

मन्धार सीमेंट फैक्टरी में सीमेंट का उत्पादन

3815. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 जुलाई, 1970 को चालू होने पर भी भारतीय सीमेंट कारपोरेशन को मन्धार सीमेंट फैक्टरी में पर्याप्त खेगर (क्लिंकर) मिलने पर भी सीमेंट का बिल्कुल उत्पादन नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस फैक्टरी का लागत मूल्य तथा इसकी उत्पादन क्षमता क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रायोजना का स्वीकृत व्यय 451·51 लाख रुपये है। उत्पादन क्षमता 2 लाख मी० टन प्रतिवर्ष है।

किशनगंज स्टेशन पर बेकार पड़ा स्वचालित सिगनल पैनल

3816. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगा एक बड़ा स्वचालित रेलवे सिगनल पैनल पिछले दो वर्ष से बेकार पड़ा है ;

(ख) क्या इसके लिए बनाई गई तीन मंजिली इमारत में इस बीच ताला लगा दिया गया है और प्रशिक्षित कर्मचारी बेकार हो गये हैं ;

(ग) क्या उक्त यंत्र को चलाने के लिए लगभग एक वर्ष से 10,000 रुपये प्रतिमास पर नियुक्त किये गये फ्रांसीसी इंजीनियर पर किया गया व्यय सर्वथा व्यर्थ गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्टेशन पर स्वचालित रेलवे सिगनल प्रणाली को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं। यह उपस्कर अभी इस्तेमाल में लाया जा रहा है लेकिन इस उद्देश्य से कि दिल्ली किशनगंज और शकूरबस्ती के बीच दोहरी लाइन के अनुकूल यार्ड में परिवर्तन करने के काम में कम खर्च हो, कांटों और सिगनलों के परिचालन के लिए एक अस्थायी लीवर फ्रेम भी लगाया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता। इस उपस्कर को लगाने या चालू करने के लिए कोई विदेशी इंजीनियर नियुक्त नहीं किया गया।

(घ) सिगनल रिले और दूसरे उपस्करों, जिनके लिए आर्डर दिया हुआ है, की प्राप्ति के बाद अस्थायी लीवर फ्रेम हटा दिया जायेगा और यार्ड में सभी कांटों और सिगनलों का परिचालन स्टेशन मास्टर के पैनल को अन्तरित कर दिया जायेगा।

आन्ध्र खादी बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदानों और कर्जों की हानि

3817. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7 नवम्बर के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में आन्ध्र खादी बोर्ड द्वारा दिये गए 2 करोड़ रुपये के अनुदानों और कर्जों की हानि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी ही हानियां हुई हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने इसमें प्रयुक्त प्रणाली को जानने और ऐसी हानियों की पूर्ति के लिए कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चौथी योजना में खादी का नियतन

3818. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खादी के संबंध में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेने की आशा करती है जिससे चौथी योजना में खादी के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की बड़ी राशि का देश में नियतन नहीं हो ; और

(ख) खादी उत्पादन के आर्थिक और लोकोपकारी महत्व का निर्धारण करने के लिए आयोग नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों में खादी के विकास के लिए 59 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। सरकार खादी क्षेत्र की आर्थिक कार्य-प्रणाली में सुधार करने तथा आर्थिक सहायता और अनुदान की धीरे-धीरे कटौती करने के लिए भी निरन्तर प्रयत्न कर रही है।

(ख) खादी कार्यक्रम की निरन्तर समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सरकार ने इसकी विस्तृत रूप से जांच करने के लिए 1966 में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। योजना आयोग ने भी 1969 में नए चर्खा कार्यक्रम के आर्थिक पहलू पर प्रतिवेदन देने के लिए एक मूल्यांकन दल की स्थापना की है।

मंगलौर स्टेशन पर गुड्स-शैड तक सीधी रेल लाइन

3819. **श्री लोबो प्रभु** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड ने गुड्स शैड तक सीधी लाइन बिछाने के प्रस्ताव को किन आधारों पर अस्वीकृत किया है ;

(ख) मंगलौर स्टेशन पर केवल दो रिसप्शन लाइन ही होने के क्या कारण हैं जबकि मीटर

रेलों के लिए उप-लाइन का विस्तार करके तथा उन दोनों लाइनों को चालू करके जो आजकल गाड़ी धोने के काम आती हैं जिसके लिए दो अन्य लाइनें पहले ही बनी हुई हैं परन्तु प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं, थोड़ी दूरी तक एक लाइन बनाई जा सकती है ; और

(ग) क्या कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये पानी का एक टैंक बनाने का कोई प्रस्ताव दिया गया है क्योंकि नगरपालिका की पानी की सप्लाई कम है तथा थोड़े समय के लिये ही उपलब्ध है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मंगलौर मालगोदाम तक एक उप-मार्ग वाली लाइन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) मंगलूर यार्ड के ढांचे में परिवर्तन की योजना के अन्तर्गत एक नयी गर्त लाइन, एक धुलाई लाइन और डिब्बे खड़े करने वाली एक लाइन का निर्माण किया जा रहा है । इनके पूरा हो जाने के बाद यार्ड में गाड़ियों को लेने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो जायेगी ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को उपदान देना

3820. **श्री अ० दीपा** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली, के कर्मचारियों को उपदान देने की सुविधा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा उनको कब तक दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के कर्मचारियों को ग्रेचुइटी का लाभ प्रदान करने वाले एक प्रस्ताव की जांच कर रही है ।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि के अंशदान को वापिस लौटाया जाना

3821. **श्री अ० दीपा** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली, द्वारा दिये गये अनुदेश के उपरान्त भी खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों के वेतन से 3 महीने के केन्द्रीय भविष्य निधि के अंशदान, जो अनधिकृत रूप से काटे गये थे, अभी तक वापस नहीं लौटाये गये हैं और क्या गत दो वर्षों से यह मामला अनिर्णीत पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले का कब तक निपटारा किये जाने की आशा है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). इस मामले पर कानून तथा श्रम रोजगार एवं पुनर्वास मंत्रालय के परामर्श से

वचार किया जा रहा है। सरकार को आशा है कि इस मामले में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के प्रबन्ध को लेना

3822. **श्री अ० दीपा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खादी एण्ड विलेज इन्डस्ट्रीज कमीशन, बम्बई से खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली के स्वामित्व को अपने हाथ में लेने और उसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1870 के अन्तर्गत स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब क्रियान्वित किया जाना है ; और

(ग) उसके कारण श्रमिकों की सेवा शर्तों पर कहां तक प्रभाव पड़ने वाला है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में निधि का दुर्विनियोग

3823. **श्री अ० दीपा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों के विरुद्ध निधि के दुर्विनियोग के कुछ मामलों का पता लगाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी राशि का दुर्विनियोग किया गया और इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे कर्मचारियों को सहकारी समितियों द्वारा भोजन सम्बन्धी व्यवस्था

3824. **श्री म० सुदर्शनम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की सहकारी समितियों द्वारा रेलवे में भोजन व्यवस्था के चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). यह विनिश्चय किया गया है कि जिन स्टेशनों पर विभागीय खान-पान व्यवस्था व्यावहारिक न हो और ठेकेदार द्वारा इसका प्रबन्ध कराना पड़े वहां खान-पान/खोमचे के ठेके खाली होने पर उन (i) रेल कर्मचारियों की सहकारी समितियों (ii)

खोमचे वालों की सहकारी समितियों और (iii) स्वयंसेवी संगठनों या महिला समितियों को तरजीह दी जाय जिनका वित्तीय रिकार्ड अच्छा हो और जिन्हें खान-पान व्यवस्था का अपेक्षित अनुभव हो।

Reinstatement of Employees Retrenched by Electrification Department, Allahabad Division (Northern Railway).

3825. **Shri Chandrika Prasad :**

Shri Ganesh Ghosh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a large number of employees of Electrification Department in Allahabad Division of Northern Railway had been retrenched ;

(b) if so, whether some of them had met him and he had given an assurance to reinstate them ;

(c) If so, whether all of them have since been reinstated and if not, the reasons therefor ; and

(d) whether it is a fact that some of the Members of Parliament also met him in this connection and if so, the names of those Members of Parliament and the action taken in this regard ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) : (a) to (d) About 350 employees of Railway Electrification Allahabad were retrenched. Shri S. M. Banerjee alongwith a few employees of the Railway Electrification discussed their case. Sarvshri Chandrika Prasad and Kalyan Prasad also handed over a representation. It was explained to Shri Banerjee that when the work for which the casual labourers were engaged was completed, it was inevitable that they will be retrenched unless there was some similar work on which they can be re-deployed. Every effort has been made to re-engage the suitable casual labourers who had been retrenched. So far, 121 casual labourers have been re-engaged.

लाइसेंस-प्राप्ति के लिए केरल सरकार से प्राप्त आवेदन-पत्र

3826. **श्री के० एम० अब्राहम :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने लाइसेंस प्रदान करने के लिये केन्द्र से कुल कितने आवेदन पत्र भेजे हैं जो अभी तक भी अनिर्णीत पड़े हुए हैं और उन आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है जो एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन हैं ;

(ख) लाइसेंस प्रदान करने के लिये निर्णय करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों पर शीघ्र निर्णय करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) केरल राज्य से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस के

लिए 31 अक्तूबर, 1970 तक प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों में से 33 निपटान के लिए अनिर्णीत हैं जिनमें से 5 एक वर्ष से अधिक से अनिर्णीत हैं। 33 आवेदन-पत्रों में से 11 पर लाइसेंस समिति द्वारा पहले ही विचार कर लिया गया है और अब या तो सरकारी निर्णय जारी हो रहा है या शीघ्र ही जारी हो जाने की आशा है। यह ज्ञातव्य है कि 10 आवेदन-पत्र तो 1 अगस्त, 1970 से 31 अक्तूबर, 1970 तक की अवधि में ही प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग). लाइसेंस के लिए आये प्रत्येक आवेदन-पत्र पर विभिन्न पहलुओं से काफी विस्तृत जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता होती है। कई मामलों में तो आवेदक अपनी योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर पूर्ण जानकारी नहीं देते हैं जैसे प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम, विदेशी मुद्रा को पूरा करने के लिए किए गये प्रबन्ध तथा विदेशी सहयोग की शर्तें आदि, अतः प्रायः उन्हें स्पष्टीकरण अतिरिक्त जानकारी के लिए लिखते रहना पड़ता है। आवेदन-पत्रों को यथाशीघ्र निपटाने तथा प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रशासनिक मंत्रालयों को भी कुछ विशेष मामलों को निपटाने के लिए लाइसेंस समिति को लिखे बिना ही शक्ति प्रत्यायोजित कर दी गयी है। लाइसेंस समिति की बैठकें बहुधा होती रहती हैं, प्रत्येक पखवाड़े में एक बार। विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर देरी होने के कारणों पर विचार विमर्श किया जाता है और आवेदन-पत्रों के शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए विशेष ध्यान दिये जाने पर जोर डालते हुए समिति के अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित मंत्रालयों को निदेश दिये जाते हैं। अनिर्णीत आवेदन-पत्रों के निपटान में हाल के महीनों में पर्याप्त प्रगति हुई है।

त्रिवेन्द्रम तथा क्विलोन रेलवे स्टेशनों के मध्य रेलवे स्टेशनों की पुरानी इमारतों का पुनर्निर्माण

3827. **श्री के० एम० अब्राहम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम तथा क्विलोन रेलवे स्टेशनों के बीच कितने रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनकी इमारत 50 वर्ष से अधिक पुरानी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन सभी पुरानी इमारतों का पुनर्निर्माण कराने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) छः।

(ख) जी नहीं।

(ग) हालत के आधार पर पुनर्निर्माण का औचित्य नहीं है।

तेल्लिचेरी रेलवे स्टेशन के प्रथम गेट पर उपरि पुल

3828. **श्री प० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल्लिचेरी रेलवे स्टेशन के प्रथम गेट पर उपरि पुल बनाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस काम को 1972-73 के रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किये जाने की सम्भावना है बशर्ते राज्य सरकार उसे अग्रता प्रदान करे और अपने हिस्से की लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक धन नियत करे ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे । श्री हेम बरुआ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान् जी, नियम 376 (2) के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अगर आप आज के समाचार पत्रों को देखें, तो आपको पता चलेगा कि यह सब कपोल-कल्पना है ।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को चर्चा हेतु स्वीकार किया जा चुका है और सब कुछ पता लग जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस देश में अभी पिछले दिनों चुनाव हुए हैं । हमें उस देश के साथ मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए । ** हमारे सामने ऐसी कहानियां पेश की जा रही हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है । (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : यह आरोप लगाया गया है कि कुछ व्यक्ति अभिलेखों के साथ पाकिस्तान भाग गये । अगर इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तो इसमें क्या बुराई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस आरोप में कोई सचाई नहीं है । आसाम के मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : मन्त्री को भी यह कहने दो ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : आसाम के मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है, उसको दुहराने की एकमात्र जिम्मेदारी श्री ज्योतिर्मय बसु क्यों ले रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह पाकिस्तानी जासूसों के बारे में कैसे जानते हैं ?

श्री नाथ पाई : आसाम के मुख्यमंत्री लोक सभा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, आपको श्री हेम बरुआ और सदन की सुरक्षा करनी चाहिए । श्री हेम बरुआ ने भारत की सुरक्षा से सम्बंधित प्रश्न को उठाया है । अगर हम इस सदन में इस

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।
Expunged as ordered by the Chair.

प्रश्न को नहीं उठायेंगे, तो फिर कौन उठाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ कहा है, वह बिना मेरी अनुमति के कहा है और मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता, उत्तर-पूर्व) : अनेकों बार इस सदन में बातें बिना अनुमति के कही जाती हैं और इस सदन की मर्यादा को लेशमात्र भी आँच पहुँचाये बिना सारी दुनिया में प्रकाशित होती हैं। जब यह अभिमत व्यक्त किया जाता है कि इस सदन की एक विशिष्ट कार्यवाही से भारत और पाकिस्तान के बीच वैमनस्य की भावना पैदा हो सकती है, तो अध्यक्ष पीठ द्वारा इस प्रकार का निर्णय दिये जाने का क्या कराना है ?

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मुझे पाकिस्तान और उसकी जनता के प्रति प्यार है और दोनों देशों के सम्बन्धों को बिगाड़ने की मेरी कभी भी इच्छा नहीं रही है······

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रस्ताव को विचारार्थ इसलिए स्वीकार किया था कि इस प्रकार का समाचार था कि दो महिलायें कुछ महत्त्वपूर्ण और बहुत अधिक गुप्त अभिलेखों के साथ पाकिस्तान भाग गई थीं। गलत या सही, जो भी कुछ है सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दो पाकिस्तानी स्त्रियों के महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को साथ लेकर पूर्वी पाकिस्तान को भाग निकलने का समाचार

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : श्रीमन्, मैं गृह कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"शिलांग में काम करने वाली दो पाकिस्तानी महिलाओं के मेकमोहन लाइन सम्बन्धी दस्तावेजों समेत कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को साथ लेकर पूर्वी पाकिस्तान को भाग निकलने का समाचार"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सर्वेक्षण दल के एक कार्यकारी अधिकारी के आचरण के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर भारत के महा सर्वेक्षक ने जांच आरम्भ की है जो जारी है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यह कहा जाता है कि 21 नवम्बर, 1970 की रात्रि उस अधिकारी ने अपने कार्यालय के कक्ष में दो औरतों के साथ बिताई थी। शिकायतों से संबंधित औरतों को पहचान लिया गया है जो शिलांग की निवासी हैं। ऐसी सूचना नहीं है कि वह पाकिस्तान बच निकली हैं अथवा भारत के सर्वेक्षण के कोई वर्गीकृत नक्शे गुम हैं।

श्री हेम बरुआ : मन्त्री महोदय का वक्तव्य भ्रामक है। पिछले तीन वर्षों में आसाम जासूसी गतिविधियों का अड्डा बन गया है। यह इस वजह से है कि कुछ विदेशियों ने, जिनकी देश के प्रति निष्ठा में संदेह है, आसाम को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाया है। आसाम के मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया है कि इन दो नवयुवतियों ने सम्बद्ध अधिकारी के साथ रात बिताई। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस रात से पहले वह अधिकारी कितनी रातों को उनके साथ सोया अथवा उसने कितनी रातें उन युवतियों के साथ काटीं······(**व्यवधान**)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आखिर, महिलायें महिलाएं हैं चाहे पाकिस्तानी हों अथवा भारतीय और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिये।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इन महिलाओं का जासूस के रूप में कार्य करने और उनके भाग निकलने से सम्बधित है। अधिकारी की उन महिलाओं के साथ रात बिताने की बात कहाँ से आ गई ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हेम बरुआ : पिछली बार एक नेपाली नागरिक के पास से रंगिया रेलवे स्टेशन पर चीनी सिक्के बरामद हुए थे। हमने इस सदन में यह मांग की थी कि शिलांग स्थित पाकिस्तानी सहायक आयुक्त के कार्यालय को समाप्त कर दिया जाये, क्योंकि वह भारतीयों को धन देकर उनसे जासूसी का कार्य लेता था। इसलिये इस कार्यालय को समाप्त कर दिया गया। इस मामले में सम्बद्ध अधिकारी ने काम-भावना अथवा पैसे के कारण गुप्त रहस्यों को प्रकट किया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जायगा। ये महिलायें आसाम की कार—रजि० नं० ए० एस० ए० —6981—से होकर पाकिस्तान भाग गई थीं···(**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) आपको इसका कैसे पता लगा ?

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु सदन की कार्यवाही में अत्यधिक व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं ऐसा कभी भी नहीं करता जब तक कि ** (**व्यवधान**)

श्री हेम बरुआ : श्री ज्योतिर्मय बसु गलतफहमी में है। मैं तो भारत की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हूँ।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार आसाम के मुख्य मन्त्री द्वारा कराई गई जांच के अलावा एक अन्य निष्पक्ष जांच कराने और सम्बद्ध अधिकारी मेजर एस० के० कोहली सहित अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। जार्ज बर्नार्ड शा ने ठीक ही कहा था कि ४० वर्ष से अधिक की आयु का व्यक्ति बदमाश होता है। (**व्यवधान**)

श्री रामनिवास मिर्धा : किसी के भी पाकिस्तान भाग निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके बारे में मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the Chair.

यह घटना 21 नवम्बर को घटी थी। शिक्षा मन्त्रालय को 24 नवम्बर को सूचना प्राप्त हुई थी और 25 नवम्बर को भारत के महासर्वेक्षक ने घटना की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने के बारे में आदेश जारी कर दिये थे। अपेक्षित जांच की जा रही है और अन्य जांच समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कृष्णकुमार चटर्जी (हावड़ा) : 6 दिसम्बर 1970 के "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" समाचार पत्र के अनुसार यह घटना 21 नवम्बर को घटी थी। आसाम विधान सभा में वहां के संयुक्त विरोधी विधायक दल के उपनेता, श्री दुलाल चन्द्र बरुआ ने इस बारे में रहस्योद्‌घाटन किया था। स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए, श्री बरुआ ने आरोप लगाया कि 21 नवम्बर को दो पाकिस्तानी महिलायें प्रभारी अधिकारी, मेजर एस० के० कोहली की सहायता से शिलांग स्थित भारतीय सर्वेक्षण-विभाग के कार्यालय में आईं और उस अधिकारी के साथ रात भर वहां रहीं। सुबह पांच बजे मेजर कोहली द्वारा ए० एस० ए० 6981 नं० की टैक्सी में उन औरतों को स्टील ट्रन्क के साथ डोली ले जाया गया, जहां से वे पाकिस्तान भाग गईं।

सुरक्षा रक्षकों ने इसका विरोध किया और इस घटना की सूचना उप सर्वेक्षण-निदेशक को दी गई। वह इस समस्त घटना पर पर्दा डालना चाहता था।

यह देश की एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। केन्द्र और राज्य दोनों की अपनी-अपनी गुप्तचर सेवायें हैं। मेरा यह आरोप है कि उनकी इस घटना में मिलीभगत थी अथवा वे सतर्क नहीं थे। मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें।

श्री राम निवास मिर्धा : यह सच है कि इस मामले को आसाम विधान सभा में 5 दिसम्बर को उठाया गया था। जैसे ही 24 नवम्बर को सूचना मिली, भारत के महासर्वेक्षक ने २५ नवम्बर को तीन वरिष्ठ अधिकारियों की जाँच समिति नियुक्त कर दी थी। अतः सतर्क और सावधान न रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हेम बरुआ : यह घटना 21 नवम्बर को घटी और सरकार को सूचना प्राप्त हुई 24 नवम्बर को। इसमें काफी अन्तर है।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकुन्दपुरम) : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य को छोड़ दिया है। घटना 21 को घटी और 25 नवम्बर को जाँच समिति नियुक्त की गई। वर्तमान स्थिति यह है कि वे महिलायें अब शिलांग में रह रही हैं। क्या इस बात की संभावना नहीं है कि ये दस्तावेज सीमा पार भेजे गये हों और उनकी फोटो स्टेट प्रतियां तैयार कराने के बाद वे वापस कर दिये गये हों? हैन्डरसन ब्रुक्स रिपोर्ट में भी इस विशिष्ट प्रश्न को उठाया गया था और इस सम्बन्ध में सही स्थिति से अभी तक इस सदन को सूचित नहीं किया गया है। मेरा यह निवेदन है कि जांच-कार्य बहुत शीघ्र होना चाहिए।

श्री राम निवास मिर्धा : जांच कार्य बहुत शीघ्रता से हो रहा है। अब तक की जांच से पता चलता है कि कोई भी "वर्गीकृत" दस्तावेज गायब नहीं है।

श्री कृष्णकुमार चटर्जी : 'वर्गीकृत' दस्तावेज क्या होता है ?

श्री राम निवास मिर्धा : 'गुप्त' दस्तावेज वर्गीकृत होते हैं और वे हर किसी को उपलब्ध नहीं हो सकते ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Mr. Speaker, Sir, I returned from Shillong day before yesterday. I have come to know that Assam is the centre of Espionage activities and there is large scale infiltration. Mr. George has rightly asked that every thing was possible between 21 November and 24th Nov. Though the documents are not missing now; but they might have been passed over to the Persons across the border and returned back after taking photostat copies thereof. Similarly the ladies could have come back from Pakistan. Similarly, Indian officers appointed at Chandigarh aerodrome had gone to Pakistan after taking two months leave and after getting training in Espionage activities, they leaked out secrets to Pakistan.

The Minister has stated that the Surveyor General of India has appointed an Enquiry Committee, but conducting of enquiry is not the business of Surveyor General of India. I want to know whether all the assistance of C. B. I. and Intelligence would be provided to him. I also want to know the details of the complaints against Maj. Kholi.

The Dy. leader of the opposition also alleged that Major Kohli tried to bribe the persons. Why no action has so far been taken against Major Kohli. I want to know whether the Deputy Leader of opposition has been contracted to find out the facts.

What action is being taken to check espionage activities ? It has also been reported that photostat copies of classified and secret documents were taken and later on were sold in Hyderabad. I want to know whether Government has made some arrangements for the safe custody of such documents.

Shri Ram Niwas Mirdha : So far as discussion in the Assam assembly is concerned, I have got with me the detailed statement of Assami's Chief Minister, but it does not seem proper to have a discussion thereon in this house. If need be, the leader of the opposition would also be contacted.

So far as enquiry by C. B. I. is concerned, if Ministry of Education so desires, the help of not only C.B.I., but of all the other Govt. agencies would be provided to the Enquiry Committee.

An hon'ble Member stated that there is a net-work of spies in all other parts of the country as well. I do not think it would be proper to have a discussion on this issue here in the House. If the hon'ble member has some particular information regarding Assam or Chandigarh, he should disclose that so that we could ascertain the facts.

श्री कंवर लाल गुप्त : मेजर कोहली के विरुद्ध क्या विशिष्ट शिकायत है ? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या उन्हें निलम्बित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता । यह इस सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं

है । माननीय सदस्य का किस शिकायत की ओर संकेत है ?

Shri Kanwar Lal Gupta : The difficulty is ** we want to respect you ** you should also show some respect to the members. How could it be tolerated ? **

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देखा है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : What does it mean ? You want that we should leave all the dignities.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता । माननीय सदस्य बैठ जायें । मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

Shri Kanwar Lal Gupta : There is no que tion of tolerating anything * *

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे इस प्रकार से धमका नहीं सकते और न मुझ पर दबाव डाल सकते हैं । मैं भविष्य में इस प्रकार के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता । माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री नाथ पाई (राजापुर : मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि माननीय सदस्य को आपके आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी । मगर दो विशिष्ट प्रश्न पूछे गए हैं—एक तो क्या कार्यवाही की गई और दूसरे क्या आरोप थे ? मेरे विचार में यह उचित ही होगा कि माननीय सदस्य को इनका उत्तर मिले ।

अध्यक्ष महोदय : यह सदन का भी कर्तव्य है कि कभी-कभी अध्यक्ष का बचाव करें और सदैव इस तमाशे को न देखते रहें ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : हम आपका समर्थन करते हैं; मगर यह पूछने में क्या हर्ज है कि मेजर कोहली के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप हैं ?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : हम इस बात से सहमत हैं कि संभवतः उनके विचार मर्यादानुकूल नहीं थे, परन्तु पूछे गये प्रश्न स्पष्ट और निश्चित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ये प्रस्ताव और नोटिस मेरे पास आते हैं और मैं उनका अध्ययन करता हूं और यह जानता हूं कि इसमें से कौन-कौन से प्रश्न उठते हैं । मन्त्री महोदय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे दिया है···

श्री नाथ पाई : मैं आपके प्रति पूर्ण सम्मान की भावना के साथ कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । श्री कंवर लाल गुप्त ने आपके प्रति जो कुछ कहा वह तो अनुचित है और कोई सदस्य उनका समर्थन नहीं करेगा परन्तु जो प्रश्न किया गया है उसका उत्तर तो मिलना ही चाहिए । प्रश्न यह है कि शिकायत क्या है तथा क्या कार्यवाही की गई है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The hon. Minister has carried the questions otherwise what was the need for repeating the question. Kindly ask him to give answer.

**अध्यक्ष पीठ द्वारा कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।
Expunged as ordered by the Chair.

श्री नाथ पाई : श्रीमन्, हमें आपकी मर्यादा का अधिक खयाल है। श्री गुप्त ने जो कुछ कहा वह दुर्भाग्यपूर्ण बात है और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। परन्तु उन्होंने जो प्रश्न पूछा है वह मंत्री महोदय के वक्तव्य पर आधारित है और उसका उत्तर मिलना चाहिए। माननीय सदस्य अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगने को भी तैयार हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Let me know in what way I have offended-the Chair ? I have said nothing against you.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को ऐसा करने की आदत है और मैं इसे सहन नहीं करूंगा। मैंने अगले सदस्य को बोलने को कहा है। मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो यह भी बतायें कि क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा क्या कार्यवाही की गई।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अब तक क्यों सोती रही; उसने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच क्यों नहीं कराई; इतने महत्वपूर्ण मामले में मंत्री महोदय स्वयं वहां क्यों नहीं पहुंचे; सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित क्यों नहीं किया गया तथा इस मामले में केवल विभागीय जांच ही क्यों कराई गई तथा प्राप्त हुई शिकायत का ब्यौरा क्या है ? मैं चाहता हूं कि सरकार, प्राप्त हुई शिकायत को यहां पढ़कर सुनाये। अन्यथा सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री राम निवास मिर्धा : पहली बात तो यह है कि यह घटना 19 नवम्बर को नहीं बल्कि 21 तथा 22 नवम्बर की रात को घटी थी। शिकायत के स्वरूप को छिपाने की सरकार की कोई इच्छा नहीं है। इस शिकायत के बारे में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय के कुछ व्यक्तियों की ओर से एक तार प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, शिलांग, के मेजर कोहली ने अपने कार्यालय के ही कमरे में 21 तारीख को रात्रि के 11 बजे एक लड़की के साथ बलात्कार किया। उप-निदेशक ने घटना को छिपाया, सुरक्षा-सैनिक को धमकी दी; यहां असन्तोष व्याप्त है। देश की सुरक्षा खतरे में है, मामले की जांच कीजिये।

तार के प्राप्त होते ही उसे भारत के महा-सर्वेक्षक के पास उसी दिन भेज दिया गया और 25 तारीख को एक कर्नल की अध्यक्षता में एक समिति इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त कर दी तथा समिति को कहा कि वह 14 दिसम्बर तक अपनी रिपोर्ट दे। अत: यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार इस बारे में सक्रिय नहीं है तथा जांच नहीं की जा रही है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही कोई कार्यवाही की जायेगी।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराई जायेगी क्योंकि ऐसी घटनाओं से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रियों तथा सदस्यों को आजकल अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनमें अनेक आरोप लगाए जाते हैं। किसी व्यक्ति ने तार भेजा है, मंत्री महोदय ने जांच कराने का आश्वासन दिया। हमसे अधिक आप क्या चाहते हैं।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : सरकार ने स्वीकार किया है कि उक्त व्यक्ति ने रात को दो स्त्रियों को अपने कार्यालय में रखा तथा कुछ अन्य बातें भी बताई गई हैं। इस घटना का सम्बन्धित

मुख्य मन्त्री द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद भी मंत्री महोदय ने उक्त अधिकारी को मुअत्तिल क्यों नहीं किया है ताकि उसे वहां से हटाकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ओर से जांच कराई जा सकती ?

डा० राम सुभग सिंह : मेजर कोहली के वहां होते हुए भारतीय महानिदेशालय उस मामले की ठीक से जांच नहीं कर सकेगा। अतः हमारी मांग है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई जाए तथा उक्त अधिकारी को मुअत्तिल किया जाए। (**व्यवधान**)

श्री राम निवास मिर्धा : प्रारम्भिक जांच करने के बाद इस सम्बन्ध में निर्णय किया जाएगा। इस तरह की तो हमें अनेक तार तथा शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

अध्यक्ष महोदय : जांच पूरी हो जाने दीजिए इतनी जल्दी मचाने की क्या आवश्यकता है ? अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे। इसके बाद एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : मैं श्री दिनेशसिंह की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) (क) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 1 अक्तूबर, 1968 से 30 सितम्बर, 1969 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या** 4501/70]

(ख) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का 1 अक्तूबर, 1968 से 30 सितम्बर, 1969 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या** 4501/70]

(दो) (क) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 1 अक्तूबर, 1968 से 30 सितम्बर, 1969 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का, 1 अक्तूबर, 1968 से 30 सितम्बर, 1969 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

विधान परिषद् निर्वाचन क्षेत्र (बम्बई) परिसीमन संशोधन आदेश, 1970

संसद कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री पी० पार्थसारथी) : मैं, श्री जगन्नाथ राव की ओर से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विधान परिषद् निर्वाचन

क्षेत्र (बम्बई) परिसीमन संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक, 22 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र से अधिसचना संख्या जी० एस० आर० 1821 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या** 4503/70]

सदस्यों की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBERS

(श्री जनेश्वर मिश्र तथा श्री अर्जुनसिंह भदौरिया)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि :

मुझे जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ से, प्राप्त दिनांक 7 दिसम्बर, 1970 के एक बेतार संदेश की सूचना मिली है जिसमें बताया है कि लोक-सभा के सदस्य सर्वश्री जनेश्वर मिश्र और अर्जुनसिंह भदौरिया को 7 दिसम्बर, 1970 को 11·30 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन गिरफ्तार किया गया और उन्हें लखनऊ जेल में रखा गया।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम चाहते हैं कि वह अध्यादेश वापस लिया जाए। हम उन नेताओं को मुबारकबाद देते हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक 1967 के बारे में याचिका
PETITION RE. SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967, के बारे में एक याचिका पेश करता हूं जिस पर श्री बी० रामचन्द्र तन्दुरकर गुलबर्ग के हस्ताक्षर हैं।

राज्य विधान सभा द्वारा पारित संकल्प की सांविधानिक विवक्षा के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. CONSTITUTIONAL IMPLICATIONS RESOLUTION PASSED BY STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : 24 नवम्बर, 1970 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न सं० 302 के मेरे उत्तर के सम्बन्ध में, जिसमें बिहार में विधान परिषद् के उत्सादन के संबंध में, चर्चा की गई थी, आपने निम्नलिखित दो प्रश्नों पर विधिक स्थिति जानने की इच्छा व्यक्त की थी,—

(1) किसी राज्य विधान सभा द्वारा जब एक बार कोई संकल्प पारित कर दिया गया

है और लोक सभा को भेज दिया गया है तो, क्या ऐसे कोई सांविधानिक उपबन्ध हैं कि किसी दूसरे संकल्प द्वारा उसे विखण्डित करके वे उसे उस समय लोक सभा से वापस ले सकते हैं जब वह पहले से ही उसके विचाराधीन है ।

(2) सरकार को संकल्प प्राप्त हो जाने के पश्चात्, क्या वह विधान बनाने के लिए बाध्य है या ऐसा करना उसके लिए वैकल्पिक ही है ?

विधि मंत्रालय में इस मामले की और आगे परीक्षा की गई है । संविधान का अनुच्छेद 169 ही एक ऐसा उपबन्ध है जो इन प्रश्नों के विषय से संबंधित है । उक्त अनुच्छेद का खण्ड (1) राज्यों में विधान परिषद् के उत्सादन या सृजन से सम्बधित है, जो इस प्रकार है :

अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-परिषद् के उत्सादन के लिए अथवा वैसी परिषद् से रहित राज्य में वैसी परिषद् के सृजन के लिए उपबन्ध कर सकेगी यदि राज्य की विधान-सभा ने इस उद्देश्य का संकल्प सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित कर दिया हो ।

अनुच्छेद 169 की शब्द-रचना से यह स्पष्ट पता चलता है कि संविधान के निर्माताओं ने यही किया है कि विधान परिषद् के उत्सादन या सृजन के लिए, एक पूर्व-शर्त पूरी हो जाने के पश्चात् अर्थात् संपृक्त राज्य विधान सभा द्वारा अपेक्षित बहुमत से इस आशय का संकल्प स्वीकृत हो जाने पर, संसद् को इस निमित्त आवश्यक शक्ति दे दी है । जब एक बार भी यह पूर्व-शर्त पूरी हो जाए तब अनुच्छेद 169 के उपबंधों के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप संसद को आवश्यक शक्ति प्राप्त हो जाएगी ।

ऊपर निर्दिष्ट दो प्रकार के संकल्पों के अलावा संविधान में ऐसा कोई अन्य प्रकार का संकल्प अनुध्यात नहीं है जिसे पारित कर देने से राज्य विधान सभा पहले पारित किए गए उस संकल्प को वापस लेने के लिए समर्थ हो जाएगी जो लोक सभा के विचाराधीन है । यही प्रथम प्रश्न का उत्तर है ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, अनुच्छेद 169 में सरकार के बारे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है । यदि संसद् चाहे तो वह राज्य विधान सभा द्वारा संकल्प पारित कर दिए जाने पर, उस शक्ति का प्रयोग कर सकती है जो उसे प्राप्त हुई है । सरकार या कोई भी प्राइवेट सदस्य इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए संसद् से अनुरोध कर सकता है । अधिक क्या कहा जाए, चाहे आवश्यक कार्यवाही सरकार द्वारा की गई हो या उस सम्बन्ध का प्रस्ताव प्राइवेट सदस्य द्वारा प्रायोजित किया गया हो, इस मामले में अन्तिम निर्णय संसद् का ही होगा ।

किन्तु इस संबंध में संसद् को अपने विवेक और निर्णय का प्रयोग करना होता है, क्योंकि अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "कर सकेगी" है, न कि "करेगी"। यहां शब्द-रचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उक्त अनुच्छेद के प्रथम भाग (1) में शब्द 'कर सकेगी' प्रयुक्त हुआ है और द्वितीय भाग (2) में 'होंगे' शब्द का प्रयोग हुआ है । 'कर सकेगी' शब्द स्वविवेक का द्योतक है और इस लिए

संसद् राज्य सभा के संकल्प का बिना सोचा-समझे क्रियान्वयन करने के लिए बाध्य नहीं है। संसद् संकल्प का क्रियान्वयन करने के लिए केवल समय का ही चयन नहीं कर सकती अपितु उसके खिलाफ भी निर्णय दे सकती है। अतएव द्वितीय प्रश्न का उत्तर यह है कि वह वैकल्पिक है।

किन्तु, अनुच्छेद 169 के उपबंधों के अनुसरण में संसद् द्वारा कोई विधि बनाने के पूर्व, यदि संबद्ध राज्य की विधान सभा को अपने पूर्व संकल्प को प्रतिसंहृत या उपान्तरित करना हो तो, संसद् के लिए यह अधिक उपयुक्त होगा कि वह इस संबंध में अनुच्छेद 169 के उपबंधों का सहारा न ले।

सदस्य द्वारा आरोप के बारे में
RE. ALLEGATION BY MEMBER

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : श्रीमन्, मैंने अपने पुत्र के बारे में आपको एक पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे श्री शशि भूषण को भेज दिया था; उन्होंने मुझे लिखा था कि वह एक सप्ताह के लिए बाहर जा रहे हैं।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : I had written to you that I am going to meet and talk to you this week. I am collecting certain documents in this connection.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : उस दिन माननीय सदस्य ने अचानक ही वह प्रश्न उठा दिया हालाँकि वह चर्चा से संबंधित नहीं था। अब वह एक सप्ताह अथवा 10 दिन का समय भी अपनी निजी जांच आदि के लिये माँगते हैं तथा उसके लिए खेद प्रकट करने को भी तैयार नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : सभा में यह एक स्वस्थ परम्परा है कि किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाये जाने से पूर्व अध्यक्ष महोदय को पहले लिख कर दिया जाना चाहिये। श्री शशि भूषण ने ऐसा नहीं किया है। अब यह बात सारे देश में फैल गई है तथा अब वह काग़जात एकत्रित करने का बहाना बना रहे हैं। यदि उनके पास समुचित आधार नहीं है तो वह कह दें कि वह इस आरोप को सिद्ध नहीं कर सकते।

Shri Shashi Bhushan : If I am allowed a few minutes I can explain......

अध्यक्ष महोदय : आपने उस दिन अचानक ही यह आरोप लगाया तथा सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आप श्री देसाई पर आरोप लगाते तो दूसरी बात थी परन्तु आपने उनके सुपुत्र का नाम लिया। अतः यह बड़ी अनुचित बात है और इस पर आप पत्र एकत्रित करने के नाम में मुझे एक सप्ताह से प्रतीक्षा करा रहे हैं। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं करूँगा। आप आज काग़ज़ात पेश कर सकते हैं।

श्री शशि भूषण : श्रीमन, मैं आज काग़ज़ात पेश कर दूंगा। **(व्यवधान)**

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

प्राक्कलन समिति

संसद कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्री एम० तिरुमल राव, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के असमाप्त कार्य-काल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्री एम० तिरुमल राव, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के असमाप्त कार्य-काल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

54वां प्रतिवेदन

संसद-कार्य और पोत-परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्तुत करता हूँ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौवनवें प्रतिवेदन से, जो 7 दिसम्बर, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं। अब प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौवनवें प्रतिवेदन से, जो 7 दिसम्बर, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

डा० सुशीला नायर (झांसी) : जिस दिन इस विषय पर चर्चा हुई मैं सभा में उपस्थित थी और आप से बोलने की अनुमति प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। गत सत्र में मैंने इस विषय पर बोलने के लिये आप से समय देने के लिये निवेदन भी किया था और आपने समय देने का आश्वासन भी दिया था। अब आप इस पर चर्चा के लिये कोई उपयुक्त समय निर्धारित करें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य में बताया गया है कि 10 दिसम्बर को सायं 5 बजे इस पर आगे चर्चा होगी। आप चिन्ता क्यों करती हैं ?

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पाँच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1968-69 तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1970-71

Demands for Excess Grants (General), 1968-69 or Demands for Supplementary Grants (General), 1970-71

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 10 तथा 11 पर विचार करेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सुबह हमने बंगाल बंद के बारे में प्रश्न उठाया था। आप सरकार से कहिये कि वह पूर्ण बंगाल बंद के बारे में वक्तव्य दे। लोग राष्ट्रपति शासन के दौरान इस सरकार तथा पुलिस की ज्यादतियों के बारे में अपना असन्तोष प्रकट करना चाहते हैं। सरकार बंगाल में मध्यावधि चुनाव कराये तथा इस आतंक की स्थिति को समाप्त करे।

सभापति महोदय : व्यवस्था रखिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के भुगतान के लिए अतिरिक्त तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगों में व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पन्द्रह से पैंतालीस रुपये तक की अन्तरिम सहायता दी गई है जो कि बहुत ही कम है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने 30 नवम्बर को दिल्ली तथा इसके बाहर वेतन न लेकर अपने रोष का प्रदर्शन किया था और पर्याप्त अन्तरिम सहायता दिये जाने की मांग की थी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मूल मांग यह थी कि उनको अन्तरिम सहायता के रूप में 70 रुपये दिये जायं। हमने इस बारे में अनेक आंकड़े देकर यह सिद्ध किया था कि कर्मचारियों की यह मांग पूर्णतया उचित है। हमने वेतन आयोग के समक्ष भी अपना साक्ष्य दिया था। हमने वेतन आयोग को बताया था कि केन्द्रीय सरकार के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते सहित कुल 141 रुपये प्रतिमास मिलते हैं जबकि एच० ए० एल० में इसी श्रेणी के कर्मचारियों को 195 रुपये और इस्पात कारखानों में 240 रुपये मिलते हैं।

केन्द्रीय सरकार के संगठन वेतन आयोग में अपना विश्वास खो बैठे हैं। हम चाहते हैं कि इस्पात कारखानों के मजदूरों की तरह यहां पर द्वि-पक्षीय समझौता हो। यदि सरकार इस बात पर सहमत नहीं हुई तो मुझे डर है कि हम कर्मचारियों की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे जो कि अपर्याप्त अन्तरिम सहायता के कारण असंतुष्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय माननीय मंत्री इस बारे में भी बतायें कि क्या वह कर्मचारियों के संगठनों के साथ द्वि-पक्षीय समझौता कराने को तैयार हैं।

हाल में लगभग दो लाख व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं। आशा है कि पूर्वी पाकिस्तान में हुए हाल के चुनाओं के परिणामों को देखते हुए वहां से अल्पसंख्यकों का निष्कासन रुक जायेगा। पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को केवल 86 पैसे प्रतिदिन खाने के लिए दिये जाते हैं। यह बड़े शर्म की बात है क्योंकि आजकल 86 पैसे में खाने को कुछ नहीं मिलता है।

राजस्थान विधान सभा में एक सदस्य द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि 70 अथवा 80 बच्चों सहित लगभग 150 विस्थापित व्यक्ति पर्याप्त कपड़े न होने के कारण सर्दी लगने से मर गये हैं। परन्तु माननीय मन्त्री ने यहां पर इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा है कि 50 बच्चों सहित केवल 65 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री इस बारे में यहां पर एक वक्तव्य दें।

पश्चिम बंगाल में इस समय दमन की नीति जारी है। यह सच है कि कुछ समाज-विरोधी तत्त्वों द्वारा हत्या की कार्यवाही की जा रही हैं। मैं महसूस करता हूँ कि वहां पर जितनी जल्दी चुनाव कराये जायें उतना ही अच्छा होगा। पश्चिम में पुलिस ज्यादतियों के बारे में भी जांच कराई जानी चाहिए।

पेंशन प्राप्त लोगों ने यह मांग की है कि उनकी पेंशन में वृद्धि की जाये। कुछ समय पूर्व उसमें दस रुपये वृद्धि की गई थी। आज की महंगाई को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि उनको भी अन्तरिम सहायता का लाभ दिया जाना चाहिये।

इस बारे में वचन दिया गया था कि पेंशन प्राप्त लोगों को भी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाने की अनुमति दी जायेगी। यह वचन लगभग दस अथवा ग्यारह वर्ष पूर्व दिया गया था परन्तु अभी तक इसको क्रियान्वित नहीं किया गया है। पेंशन प्राप्त लोगों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सैनिक महत्व की दो परियोजनाओं के लिए 3·25 लाख रुपये की आवश्यकता है। एक परियोजना के लिए एक लाख रुपये अग्रिम रूप से व्यय किये जा चुके हैं। परन्तु कोई नई परियोजना नहीं बन रही है। हम चाहते हैं कि सैनिक उत्पादन के लिए नये-नये एकक बनें। परन्तु हो यह रहा है कि सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के 33 प्रतिशत सिविल कर्मचारियों को सैनिक कर्मचारी बनाया जा रहा है। प्राक्कलन समिति ने 1956-57 में यह सिफारिश की थी कि इस सेवा को सिविल सेवा ही रहने दिया जाय।

प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा करने से मितव्ययिता होगी? क्या इससे दक्षता बढ़ेगी? यदि किसी चौथी श्रेणी के कर्मचारी को सैनिक कर्मचारी के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो उसको 141 रुपये के बजाय 220 रुपये प्रतिमास देने पड़ेंगे।

एम० ई० एस० के 19000 कर्मचारियों ने एक याचिका दी है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जब तक याचिका समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता तब तक इस मामले को लम्बित रखा जाना चाहिये।

कानपुर के आयुध कारखानों में कोई कार्य नहीं है और मजदूर बेकार बैठे हुए हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूँ कि यह कार्य गैर सरकारी क्षेत्र को नहीं सौंपा जायेगा।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह प्रतिरक्षा कर्मचारियों के साथ इस विषय पर कि कम से कम अथवा अधिकतम उत्पादन कितना होना चाहिये, चर्चा करने हेतु, एक बैठक बुलायें। प्रतिरक्षा उत्पादन का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं दिया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे प्रश्नों का उचित उत्तर दें।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : My area is mostly inhabited by ex-military personnel serving military or Central Government employees. Inspite of that it is neglected one. Natural calamities occurred every now and then. During the time of floods and other natural calamities the Central Government employees should be given three months' salary in advance.

The interim relief given to the Central Government employees is inadequate. The amount of interim relief should be increased.

No Sainik School has been opened in Ballia, Azamgarh and Ghazipur which are mostly inhabited by military personnel. Good military officers can be produced by these areas if a Sainik School is opened there.

Some industries for the retired military personnel should be started in this area. The amount of Pension of the retired persons should also be increased.

There was a proposal to start a sugar factory in this area in the cooperative sector. But nothing has come out so far. I had written to both the Central and State Governments to purchase the shares. I would request the Government to pay special attention towards such neglected areas. A weighing machine should also be set up in this area which is famous for sugar cane growing.

The recommendations of Patel Commission which was appointed by Pandit Jawahar Lal Nehru have not been implimented. The Central Government should do something to save these districts from being eroded by Ganga and other rivers. This job should not be left over to the State Government.

The Central Government should also help the educational institutions of this area which have been facing the crisis due to natural calamities.

The Central Government should also see that the 18 posts which are reserved for poor Harijans are filled in by them only.

श्री दे० अमात (सुन्दरगढ़) : केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में जो दूसरा इस्पात कारखाना लगाने से इन्कार किया है इस बारे मे मैं वहां के लोगों की भावनाओं को तथा उसके बारे में उनके असन्तोष को व्यक्त करना चाहता हूँ। आगामी दस वर्षों में नये इस्पात कारखाने लगाने के लिए परियोजनायें तैयार करने तथा अध्ययन सम्बन्धी लागत के लिए 1,00,000 रुपये रखे गये हैं। यह कार्य व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् को सौंपा गया है।

मेरी समझ में नहीं आता कि नया अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है जबकि मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा हाल में इस सम्बन्ध में अध्ययन किया गया है। यदि यह कार्य राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है तो यह राष्ट्रीय लागत पर किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझ कर उड़ीसा में दूसरा इस्पात कारखाना लगाने के कार्य में विलम्ब कर रही है।

दस्तूर एण्ड कम्पनी ने अपने प्रतिवेदन में बारकोट, बोनायगढ़ और नयागढ़ में कच्चे लोहे के संयंत्र लगाने की सिफ़ारिश की थी। मध्य प्रदेश में रोघाटिन तथा महाराष्ट्र में सूरतगढ़ में ऐसे कारखाने लगाने की सिफ़ारिश की थी। इन सब में से नयागढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ उत्पादन लागत सबसे कम बैठेगी।

1965 में जो सिफ़ारिश की गई थी वह उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा उपभोक्ता के हित में थी। यदि सरकार चाहती तो वह राजनीति से काम लेने के बजाये इनको क्रियान्वित करती। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सिफारिश के पश्चात् भी गलत निर्णय लिया गया है।

नयागढ़ के निकट मालनमटोली में 600 मिलियन टन के उच्च श्रेणी के लौह अयस्क के भण्डार हैं। आजकल एक जापानी अध्ययन दल इस क्षेत्र का दौरा कर रहा है ताकि यहाँ से लौह अयस्क निकाला जा सके। मैं सरकार पर इस बात के लिये जोर देना चाहता हूँ कि अगला इस्पात कारखाना उड़ीसा में लगाया जाना चाहिए। इससे इस पिछड़े क्षेत्र का तेजी से औद्योगिकरण सम्भव हो सकेगा। वहाँ पर सभी प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं। उड़ीसा सरकार को विदेशी सहयोग से इस्पात कारखाना लगाने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं।

मांग 127 में कहा गया है कि दण्डकारण्य में जापान की सहायता से कृषि तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। इसी प्रकार तीनों बड़े कारखाने विदेशों के सहयोग से ही स्थापित किये गये हैं फिर उड़ीसा सरकार को विदेशों की सहायता से वहाँ पर इस्पात कारखाना स्थापित करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं। मैं श्री प्र० के० देव की इस बात से सहमत नहीं हूं कि कारखाना लगाने के लिए उड़ीसा सरकार के पास धन नहीं है। उड़ीसा सरकार लागत का 51 प्रतिशत भाग वहन करने को तैयार है।

उड़ीसा सरकार ने प्रत्येक मामले में सदा केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया है क्योंकि वह केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध में तनाव उत्पन्न करना नहीं चाहती। ऐसे कुछ राज्य हैं जो बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति से विदेशों से कारखाने आदि लगाने के लिए परामर्श कर रहे हैं।

उड़ीसा के गोरमहिशानी तथा मयूरभंज ज़िले में खनन कार्य बन्द किया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : The number of the unemployed is on the increase. This problem has taken serious proportions. In my view this problem can be solved by establishing big as well as small scale industries.

It appears from the newspapers that an industrial production is going down. Our national income has increased only by $2\frac{1}{4}$ per cent. whereas in other countries it has gone up by 10 or 12 per cent.

In my view it is not good to invest huge sums in the public sector without providing for a good management. Checking of the growth of private sector will result in more unemployment. It appears from the figures of the public sector industries that only a few of them are running into profit. We have been put to loss of crores of rupees in the Steel Plants. Bokaro is being delayed and with this delay it's cost is rising.

There are very few industries in Kerala although the percentage of literacy is highest there. There is no industry in North Bihar except sugar. Similar is the case of eastern

Uttar Pradesh. No comparison can be made between eastern and western wings of Uttar Pradesh. Eastern Uttar Pradesh is too backward. I clearly indicates that all parts of the country have not been equally developed.

It has come to my notice that the next budget will be a deficit budget to the tune of six hundred crores of rupees. If this is the position then only God can know what will be the condition of our country. Demand for increased wages is being made from all sections of society. I would suggest the money should be spent only on developmental projects. Non-developmental expenditure should be reduced.

Some concession should be given to the people so that they may convert their black money into white money. Some declaration should be made by the Government in this connection. In this connection I want to submit that not only the business Community but even the doctors, lawyers and other people have black money with them. It is because the people have to support more on education and other things I want to suggest that free education upto matric and B. A. should be provided to children in the country. In this way people will get some relief in the expenditure. The Government should enforce the Dowry Act strictly. Every body has to pay thousands of rupees in dowry to his daughter. This practice should be stopped.

I have no objection if the Government nationalises every inch of our land but they should also take over our liabilities.

I would request the Government not to bow under pressure as it is neither in the interest of the development of industry nor agriculture.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Recently the pay scales of the Government employees and steel workers have been increased. As a result of this increase the State Governments were also forced to increase the pay scale of their employees. In this way they have to bear the extra burden of about two hundred and twenty five crores of rupees jointly. It has resulted in the deterioration of the economic position of the country. Now we have heard that in the next budget new taxes to the tune of crores of rupees will be imposed. Therefore the Government is thinking of holding mid-term poll so that this may not effect the general elections.

Instead of increasing the wages, time and again, the Government should evolve some principles. In this connection I may suggest that Government should increase the wages in accordance with the improvement in the economic position of the country.

The Government should carefully consider the question of turning the big industries in foreign countries so that in our country small and medium scale industries could develop. It will help in solving the unemployment problem.

Floods are causing damages to the tune of crores of rupees in the country every year but the Government have failed to chalk out any systematic programme to check the floods.

Rs. 172 lakhs are being paid to Delhi Corporation as grants for education under demand No. 54. I think the Government has not yet taken any decision about the future of this Corporation but on the other hand the dates have been fixed for holding elections to it.

The Government have admitted itself that from 1st January, 1970 to 6th November, 1970, about 233343 displaced persons have come from East Pakistan. Even now about five hundred people are coming every day. I want to know for how long the Government will continue the practice of receiving those persons and putting up supplementary demands

for them. Some alternative should be found out. We should demand necessary land from Pakistan for their rehabilitation. The Government should not hesitate in demanding land from Pakistan. I do not know why Government is hesitating in raising this question in U. N. O. I would request the Government to adopt some strong policy in this regard.

श्री को० सूर्य नारायण (एल्लूरू) : सभापति महोदय, वित्तमंत्री प्रत्येक वर्ष ही अतिरिक्त माँगें प्रस्तुत करते हैं । इसका कारण यह है कि मंत्रालय का व्यय की मदों पर उचित नियंत्रण नहीं है । अतः मूल्यों में वृद्धि होती है, सरकारी कर्मचारी वेतन-वृद्धि की मांग करते हैं और सरकार वेतन बढ़ाती है जिसके परिणामस्वरूप व्यापारी भी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं । स्थिति दयनीय होती जा रही है । सरकार द्वारा अनुदान दिये जाते हैं परन्तु पता नहीं इनका व्यय कहाँ किया जाता है । इन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है ।

कई करोड़ की लागत से भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई । मेरे विचार से खाद्य निगम से उसके उद्देश्यानुसार लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं । किसान अधिक उत्पादन करता है परन्तु उसे अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है । चावल मिलें किसानों से चावल खरीद लेती हैं और कुछ लाभ लेकर उस चावल को खाद्य निगम को बेच देती हैं । खाद्य-निगम इस मूल्य में अपने खर्चे आदि जोड़कर महंगे मूल्यों पर उपभोक्ताओं को बेचता है । यदि खाद्य निगम का यही उद्देश्य है तब यह उपभोक्ता तथा उत्पादनकर्ता दोनों में किसी के लिये भी लाभप्रद नहीं है । यदि खाद्यान्नों के सम्बन्ध में बनाई गई क्षेत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं होगी । किसान परिश्रम करके, रुपया उधार लेकर के, उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न करता है परन्तु उसे अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता । किसान खाद्य निगम से अपने उत्पादों की खरीद का अनुरोध करते हैं परन्तु खाद्य निगम की लालफ़ीताशाही के कारण वे ऐसा कर सकने में सफल नहीं हो पाते और उन्हें अपने उत्पादों को पहले वाले खरीददारों के हाथों ही बेचना पड़ता है और इस प्रकार किसान घाटे में रह जाते हैं । खाद्य निगम ने मंत्रालय को भेजे जाने वाले अपने प्रतिवेदन में स्थिति का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है और इसी आधार पर मंत्री महोदय ने स्थिति का वर्णन किया है । परन्तु वास्तव में स्थिति कुछ और है ।

कुछ व्यक्तियों के कहने पर 'सुपर बाजार' खोले गये जिनसे सामान्य जनता का कोई हित नहीं हुआ । हमने अपने राज्य में उपभोक्ताओं तथा उत्पादनकर्ताओं की एक समिति बनाई थी, जिससे तीन माह के अन्दर ही आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए । इस सम्बन्ध में सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि वह खाद्य निगम की कार्य-प्रणाली पर उचित नियंत्रण रखे ।

सभापति महोदय : जो अतिरिक्त मांगें तथा अनुपूरक माँगें प्रस्तुत की गई हैं वे खाद्य मंत्रालय तथा खाद्य निगम से सम्बन्धित नहीं हैं और यहाँ खाद्य मंत्री भी उपस्थित नहीं हैं । चर्चा का विषय बहुत सीमित है ।

श्री को० सूर्यनारायण : अधिकांशतः इन सब के लिए वित्तमंत्रालय ही उत्तरदायी है । उपभोक्ता भंडार इसी मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।

मंत्रियों में हमारे मध्य डा० कुलाराव भी हैं। वे देश का हित सदैव ध्यान में रखते हैं। वे कार्यक्रमों तथा नीतियों को इस प्रकार क्रियान्वित करते हैं कि देश को अधिकाधिक लाभ हो। हमें उनकी उन योजनाओं के निष्पादन का समर्थन करना चाहिए जो देश के लिए कल्याणकारी हैं। हमारा कर्त्तव्य केवल भाषण देने से ही समाप्त नहीं हो जाता। हमें देश के विकास तथा प्रगति को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकारों को सहयोग देना चाहिए।

बंगाल में निर्वाचन के बारे में कहा गया है। वहां के निवासी राज्य में शान्ति स्थापना के लिए तड़फ रहे हैं। प्रत्येक दिन हत्यायें हो रही हैं। हमें वहां की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रत्येक सम्भव कार्यवाही करनी चाहिए, निर्वाचन आदि की बात उसके पश्चात् ही उठ सकती है। हमें दृढ़ निश्चय के साथ इस समस्या को सुलझाना चाहिए।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : इस्पात की कमी से निर्यात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस्पात पर बहुत सी वस्तुयें आधारित हैं। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि कमी को या तो आयात के द्वारा पूरा किया जाय या इस्पात का उत्पादन बढ़ाया जाय ताकि दूसरे देशों के साथ सप्लाई के जो करार किये हुए हैं वे पूरे हो सकें। हमें इस कमी के कारण विदेशी मुद्रा की दुहरी हानि हो रही है—एक, वस्तुयें सप्लाई न कर सकने के कारण और दूसरे, नये क्रयादेश प्राप्त न होने के कारण। इस कमी को शीघ्र अति शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बिजली के लिए कृषकों की माँग में अनेक बाधायें उपस्थित की जाती हैं। सिंचाई के लिए यदि बिजली की अधिकाधिक सुविधा प्रदान की जायगी तो इससे उत्पादन बढ़ेगा और देश की बहुत सी कमियां पूरी हो जायेंगी।

परियोजनाओं के बारे में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे शीघ्र अति शीघ्र पूरी हों, नहीं तो प्रत्येक वर्ष इनमें लागत लगाते रहने पर भी आय नहीं होगी। नई योजनाओं को एक साथ आरंभ करने के स्थान पर हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि बड़ी परियोजनायें पहले पूरी कर ली जायें और उनसे आय होने लगे। बोकारो इस्पात संयंत्र में जितने व्यय का अनुमान लगाया गया था उससे कहीं अधिक व्यय हो चुका है और यह अभी पता नहीं है कि इससे उत्पादन कब आरम्भ होगा।

खेतड़ी ताँबा परियोजना पर 70 करोड़ रुपये की लागत आ चुकी है और इसमें 8 या 9 वर्षों से अधिक समय लग चुका है परन्तु अभी तक उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है। परियोजनाओं पर आने वाले व्यय के लिए समस्त धनराशि एक साथ उपलब्ध नहीं कराई जाती है। जितनी धन राशि परियोजना पर व्यय होती है वह सब ही एक साथ उपलब्ध करा दी जानी चाहिए जिससे कार्यनिष्पादन शीघ्र हो सके।

देश में ट्रैक्टरों का आयात किया जा रहा है। यदि ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए इस व्यापार से सम्बद्ध फर्मों को लाइसेंस दे दिया जाय तो बहुत सी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है।

बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार को बहुत बड़ी राशि व्यय करनी पड़ती है। परन्तु सरकार इतनी धनराशि एक बार ही व्यय नहीं करती है जिससे कुछ नदियों की बाढ़ को सदैव के लिए

रोका जा सके। मेरा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वर्ष थोड़ी-थोड़ी राशि लगाने के बजाय हम एक साथ पूरी राशि यदि लगा देंगे तो कार्यनिष्पादन शीघ्र हो जायेगा और उससे आय भी होने लगेगी।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : चालू वर्ष 1970-71 के लिए फरवरी में जो बजट पेश किया गया था उसमें कई सौ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था, अब फिर सरकार ने 26 करोड़ रुपये की अतिरिक्त माँगें पेश कर दी हैं। इस भ्रष्ट तथा जन-विरोधी कांग्रेस सरकार से और क्या अपेक्षा की जा सकती है ?

प्रतिदिन के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य इतने अधिक बढ़ते जा रहे हैं कि साधारण मनुष्य के लिए निम्नतम स्तर का जीवन-यापन करना भी संभव नहीं हो रहा है। क्या इन अनुपूरक माँगों का साधारण व्यक्ति के जीवन-यापन से कोई सम्बन्ध है ?

कच्चा माल न मिलने के कारण बहुत से उद्योग बन्द हो रहे हैं और इस प्रकार करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। क्या सरकार ने इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कोई कार्यवाही की है ? रूई न मिलने के कारण कपड़ा मिल-मालिकों ने मिलें बन्द करने की धमकी दी है। ढाई लाख जूट कर्मचारियों ने नियोजकों द्वारा करार पूरे न किये जाने के कारण कल से हड़ताल कर दी है। केन्द्रीय मत्स्य आयोग बन्द होने वाला है जिससे सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। सरकार ने ऐसे मजदूरों के रोजगार के लिए क्या उपाय किए हैं ?

निराश सरकारी कर्मचारियों ने अपने वेतन लेने से इन्कार किया है। क्या उनकी माँगें अनुचित हैं ? उन्होंने सरकार से अन्तरिम सहायता के रूप में 70 रुपये प्रति मास की मांग की है। उनकी यह मांग मंजूर नहीं की गई है।

वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले बढ़ती हुई कीमतों को रोकने का आश्वासन दिया था। क्या उन्होंने इस उद्देश्य के लिए कोई नीति बनाई है ? क्या उन्होंने बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लाभ पर नियंत्रण रखने के लिए कोई कार्यवाही की ? नहीं।

प्रधान मंत्री ने कुछ महीने पहले बड़े पैमाने पर भूमि सुधार करने की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ ? भूमि सुधार के बारे में कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों के क्या विचार हैं ?

जिस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय गरीब जनता को बड़ी उम्मीदें दिलाई गयी थीं। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कितने प्रतिशत ऋण दलित वर्ग को दिए हैं ?

चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या हुआ ? जब तक मुद्रा-स्फीति तथा बढ़ती हुई कीमतों को नहीं रोका जायगा तब तक जनता को कोई सुविधा प्राप्त नहीं होगी। जब तक योजना पूरी होती है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। साधारण व्यक्ति परेशान होकर हड़ताल आदि का सहारा लेते हैं और सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, उद्योग सुरक्षा दल, सीमा सुरक्षा दल तथा सशस्त्र सिपाहियों को भेज कर साधारण मनुष्यों की भूख तथा असंतोष सम्बन्धी निराश अभिव्यंजना को

पैरों तले कुचलवा देती है । लहू की प्यासी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कांग्रेस मंत्रियों के संकेत पर लोगों को गोली से उड़ा देती है । बंगाल में यही सब कुछ हो रहा है ।

पश्चिम बंगाल के राष्ट्रपति शासन के क्या परिणाम निकले हैं ? केन्द्रीय सरकार के आदेश पर पश्चिम बंगाल प्रशासन ने पुलिस द्वारा गोली चलाने की कोई भी जांच न कराने के आदेश दिए हैं । ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भी ऐसे आदेश नहीं दिए थे । यह तथ्य प्रधान मंत्री के सम्मुख लाया गया तो उन्होंने कह दिया कि इस सम्बन्ध में उन्हें कुछ भी पता नहीं है । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सदन के बहुत से सदस्यों के सम्मुख इस तथ्य को स्वीकार किया है । पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा नृशंस हत्यायें की जा रही हैं । परन्तु ये हत्यायें महंगाई को कम नहीं कर सकती हैं ना ही जीवितों की क्षुधा शांत कर सकती हैं । यही कारण है कि वहां आज भी दंगे तथा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं । बिना मुकदमा चलाये जेल में रखना तथा सम्पत्ति छीन लेने की नीति का निश्चित ही उल्टा प्रभाव होगा ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1968-69 के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	1	श्री लोबो प्रभु	विदेशी प्रतिनिधि मण्डलों की संख्या तथा स्वरूप जिनसे कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ है ।	100 रु०
5	2	,,	बजट अनुमानों के प्रति जिन में अनुपूरक अनुदान द्वारा 45 करोड़ रुपये की वृद्धि के पश्चात् भी 4·5 करोड़ रुपये की कमी पड़ गई, उपेक्षा बरतना ।	100 ,,
39	3	,,	मंत्रियों के दौरों के व्यय में वृद्धि क्योंकि ये दौरे राजनैतिक उद्देश्यों से किये जाते हैं क्योंकि उन से जनता की बिल्कुल भी सेवा नहीं होती ।	100 ,,
48	4	,,	पाकिस्तान से निष्क्रान्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास में असफलता ।	100 ,,
54	5	,,	रिक्त हुए पदों पर नियुक्तियों तथा नामे डाली गयी रकमों का सही-सही पूर्वानुमान लगाने में असफलता ।	100 ,,
80	6	,,	राज्य की सड़कों, विशेषकर गाँव की सड़कों, का विकास राष्ट्रीय तथा अन्य राजपथों के साथ समन्वित करने में असफलता ।	100 ,,

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
93	7	श्री लोबो प्रभु	वर्ष के अन्तिम दो महीनों में उतावली से किए गये कार्यों में त्रुटियों के कारण असंगत व्यय ।	100 रु०
54	8	श्री शिव चन्द्र झा	खादी उद्योग का वर्तमान संकट दूर करने में विफलता ।	100 ,,

अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) वर्ष 1970-71 के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
25	8	श्री लोबो प्रभु	दुबई तथा अन्य संधि सम्बद्ध राज्यों के साथ जो योजना-बद्ध तस्करी के अड्डे हैं व्यापार करार जिससे उन्हें इस प्रकार के वैध व्यापार की आड़ में अपनी गतिविधियों को छिपाने का अवसर मिलेगा ।	100 रु०
60	10	,,	जांच का इस प्रकार का कार्य क्षेत्र तथा आकार, जिससे उसका अपना उद्देश्य तो प्राप्त नहीं हो सकेगा अपितु उससे उद्योगों में पूंजीनिवेश तथा उनके विकास में बाधा उत्पन्न होगी ।	100 ,,
70	11	,,	पाकिस्तान में हिन्दुओं को अपनी भूमि तथा सम्पत्ति छोड़ कर भागने के लिए मजबूर किया जाना जबकि भारत में उनके पुनर्वास का पाकिस्तान द्वारा अपने ऊपर कोई उत्तरदायित्व न लेना जिसके लिए पाकिस्तान से सीधे या संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिये कोई मांग नहीं की गई है ।	100 ,,
71	13	,,	1964 में किये गये व्यय का अन्तिम रूप से हिसाब तैयार करने में विलम्ब तथा आकस्मिक वाउचरों के बिना ही भुगतान करने के लिए सहमत होना ।	100 ,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
82	14	श्री लोबो प्रभु	कार्यालय के आकस्मिक व्यय में तथा सूचना पद्धति की स्थापना में फ़िज़ूलखर्ची ।	100 रु०
114	18	,,	श्रमनीति जिसके कारण न केवल 55 लाख रुपये की वह हानि हुई है अपितु व्यापार को और भी अधिक हानि हुई है।	100 ,,
70	20	श्री वेणी शंकर शर्मा	पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के लगातार निष्क्रमण को रोकने में असफलता ।	100 ,,
70	21	,,	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को उचित रोजगार प्रदान करने और अच्छे रहन-सहन की सुविधा देने में असफलता ।	100 ,,
70	22	,,	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को लाभप्रद रोजगार अर्थात्, लघु कुटीर अथवा ग्राम उद्योगों में लगाने की आवश्यकता ।	100 ,,
70	23	,,	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता ।	100 ,,
82	24	,,	वेतनों में वृद्धि तथा अन्तरिम राहत के बावजूद भी श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच सम्बन्धों में सामान्यता लाने में असफलता ।	100 ,,
82	25	,,	अन्तरिम राहत नकद रूप में देने की बजाय श्रमिकों को खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें राज सहायता प्राप्त घटी दरों पर देने की आवश्यकता ।	100 ,,
82	26	,,	हमारे इस्पात संयंत्रों में कम-से-कम पांच वर्षों तक के लिए औद्योगिक शान्ति लाने की आवश्यकता ।	100 ,,
105	27	,,	हमारे सैनिक बलों की रूस के शस्त्रास्त्रों, फालतू पुर्जों तथा स्टोरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता तथा कम से कम नई कम्पनी भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड को ऐसी निर्भरता से स्वतन्त्र रखने की आवश्यकता ।	100 ,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
114	28	श्री वेणी शंकर शर्मा	श्रम नीति को नया रूप देने की आवश्यकता ।	100 रु०
70	33	श्री गणेश घोष	पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के भारी संख्या में आगमन को रोकने में असफलता ।	100 ,,
70	34	,,	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की घोर उपेक्षा तथा उन्हें पर्याप्त पुनर्वास सुविधायें दिये जाने में असफलता ।	100 ,,
70	35	,,	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिए पाकिस्तान सरकार से उचित मुआवजे की मांग करने में असफलता ।	100 ,,
82	36	,,	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में श्रमिकों तथा प्रबन्ध के सम्बन्धों में गड़बड़ी ।	100 ,,
82	37	,,	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में श्रमिकों के साथ प्रतिशोध-पूर्ण रवैया ।	100 ,,
82	38	,,	उत्पादन में सुधार करने के लिये दुर्गापुर इस्पात कारखाने में श्रमिकों तथा प्रबन्ध के बीच पुनः अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में असफलता ।	100 ,,
82	39	,,	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में केन्द्रीय औद्योगिक रक्षित बल की आवश्यकता, जबकि वहां पहले ही पूर्णतया प्रबन्ध के नियन्त्रणाधीन औद्योगिक रक्षित बल का पूरा दस्ता था ।	100 ,,
82	40	,,	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के औद्योगिक रक्षा बल के उन सब कर्मचारियों को जिन्हें हाल में बर्खास्त किया गया था, पुनः रोजगार देने में असफलता ।	100 ,,
95	41	,,	कार्यचालन व्यय में कटौती करने की आवश्यकता ।	100 ,,
60	42	रामावतार शास्त्री	जांच आयोग के निर्देश पद निर्धारित करने की आवश्यकता ।	100 ,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
70	43	श्री रामावतार शास्त्री	विस्थापित व्यक्तियों की समस्यायें हल करने में असफलता।	100 रु०
70	44	,,	देवली कैम्प में रहने वाले कुछ शरणार्थियों के प्राणों की रक्षा करने में विफलता।	100 ,,
70	45	,,	देवली कैम्प के शरणार्थियों की मृत्यु के मामले की जांच कराने की आवश्यकता।	100 ,,
82	46	,,	इस्पात कारखाने में होने वाले घाटों को दूर करने में असफलता।	100 ,,
82	47	,,	इस्पात कारखा में होने वाली फ़िज़ूलखर्ची कोनों रोकने में असफलता।	100 ,,
82	48	,,	बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में होने वाले विलम्ब के कारणों को दूर करने की आवश्यकता।	100 ,,
82	49	,,	इस्पात की कमी को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता।	100 ,,
82	50	,,	इस्पात के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में विफलता।	100 ,,
82	51	,,	केरल एवं उड़ीसा में इस्पात के कारखाने लगाने की आवश्यकता।	100 ,,
82	52	,,	बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण के लिए चालू ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने में असफलता।	100 ,,
82	53	,,	बोकारो इस्पात कारखाने के ठेकेदारों की भीतरखान की नीति।	100 ,,
82	54	,,	खनिज लोहे के उत्पादन में वृद्धि करने में असफलता।	100 ,,
82	55	,,	इस्पात के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने में असफलता।	100 ,,
95	56	,,	डाक-तार कर्मचारियों को दी गयी अन्तरिम सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता।	100 ,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
95	57	श्री रामावतार शास्त्री	अन्तरिम सहायता की रकम 15 से 45 रुपये के बजाय 70 रुपये करने की आवश्यकता।	100 रु०
25	58	,,	दुबई तथा अन्य सन्धिबद्ध राज्यों की संगठित तस्करी को रोकने में विफलता।	100 ,,
50	59	,,	दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार।	100 ,,
50	60	,,	दिल्ली नगर निगम को ऋणों एवं अनुदानों के रूप में दी गयी राशि के अपव्यय तथा भ्रष्टाचार की जांच करवाने की आवश्यकता।	100 ,,
50	61	,,	दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत काम करने वाले शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन करने में विफलता।	100 ,,
50	62	,,	दिल्ली नगर निगम को दिये गये ऋणों तथा अनुदानों के अपव्यय को रोकने में असफलता।	100 ,,
50	63	,,	दिल्ली नगर निगम द्वारा गरीबों पर टैक्स बढ़ाने की नीति को बदलने की आवश्यकता।	100 ,,
50	64	,,	दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति की सही नीति अपनाने में विफलता।	100 ,,
60	67	,,	बड़े औद्योगिक गृहों के मामलों की जांच करने के लिए गठित किये गये जांच आयोग के कार्य में शीघ्रता करने की आवश्यकता।	100 ,,

Shri S. M. Joshi (Poona): I would like to draw the attention of the House and particularly of the hon. Minister to Demand No. 60 regarding industrial houses. Even after the Commission has been set up there is no change in the attitude of big business houses and industrialists. Licenses are being granted to such concerns. I have been apprised of the license being given to Shri Birla for the exploitation of bauxite required for his industries. He has been authorised for bauxite exploitation in Madhya Pradesh, and Bihar. There may be certain other places also where such permission has been granted. If we

want to check trade monopolies we should not encourage big industrialists and big business houses. The hon. Minister should pay his attention towards the application moved by Shri Birla and in view of restricting monopolistic trends in the trade. Birla should not be authorized for bauxite exploitation.

Secondly, as regards influx of refugees, I would like to say that it would create certain troubles in our budgetry provisions. There would be deficit financing, how we would make good of it ? Pakistan is following the policy of hatred towards India. That is why a large number of Hindus are migrating from East Pakistan. We, in India cannot follow the same policy. We have got nothing against the Pakistani people, if we have something against, that is with the Pakistan Government. Therefore, we should provide all sorts of necessary rehabilitation facilities to the refugees coming from East Pakistan.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The conditions of primary school teachers in Delhi is really pitiable. They had to arrange a Dharna infront or the house of Shri Atal Bihari Vajpayee in order to express their grievances. The Centre has made an allocation of Rs. 2 crores 64 lakhs to the administration of Delhi Corporation in order to provide more relief and facilities to the primary school teachers in Delhi. I would like to suggest that the Centre should see that their demands are fulfilled while providing funds to meet the purpose. I would also request the Centre that they should discuss the matter of Delhi school teachers promotion with Delhi administration. The Centre should take necessary steps to remove the grievances and prevailing dissatisfaction among the primary teachers.

As regards construction work of Steal and Heavy Engineering industries, the Government should abolish the contract system of material supply. It is only the contractors who are responsible for delay in completion of the Plant because they are not supplying refractories in proper time with the intention to get their contract rates increased. The reactionary elements in this house and in this country do not want the march of the country towards socialism. They are opposing each progressive policy.

The hon. Minister has stated that Russia is supplying all the material in time, then why the completion of the plant is being delayed ? Why the Government is extending construction time limit ? The Government should abolish contract system, this is the only remedy of the problem. We should not bow down to the pressures exercised by the contractors to get their contract rates increased and see that the plant is completed as early as possible.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I want to say that a few words about demand No. 53, 5, 8, 54, 57, 121 and 42. Rs. two hundred crores have been spent to increase the salary of Central Government employees. The interim relief has been given because the prices are shooting up. Why the prices are shooting up ? The prices will continue to rise and the salary of the Government employees will also continue to be raised. Will there be any end to it ? There is also a section of our society living in the far flung villages who are not being ruled by you but by the illiteracy, hunger and ignorance. They work from morning till evening and at present they are leading a life of animals. The so called Minimum Wages Act do not apply to them. They are in crores.

The funds are utilised not for productive purposes but for increasing the salary of Government employees. If the production increases the prices will go down and you may not have to spend the funds for such unproductive purposes.

In a Planning Commission meeting I noticed that Rs. 67 crores have been earmarked for the farmers. No attention is paid to the section of the society *i.e.* farmers

engaged in the productive work. So many Pay Commissions have been set up for Government employees but not a single commission has so far been set up to ameliorate the plight of the farmers. I am pained to note that Rs. 67 crores have been earmarked for the farmers for increasing the production whereas Rs. two hundred crores have been spent for useless purposes like increasing the salary of the Government employees.

In the changed content of things we have to change our policies and divert the national resources towards proceeding electricity, roads and irrigational facilities to the villages. Our friends talk of need based wages. Only the Central Government employees do not need more wages. Our villagers are more needy than these employees.

I want to caution my friends about the danger of doing injustice to the villagers who are filled with patriotic feelings. I will request the Government to mobilise the national resources for the betterment of the villages.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Every year, the hon. Finance Minister comes with excess and supplementary demands before this House which is against sound economic principles.

We should also think of increasing our income. The black money is not only with the business community, it is also with the officers. This money should come out and utilised for productive purposes.

The future set up of Delhi Municipal Corporation should be decided upon by the Government. Decision regarding future set up of MCD should be taken before the next elections of Delhi Municipal Corporation.

Unfortunately, the influx of refugees is still continuing which is putting great strain on our economy. The Government should try to protect the interests of minorities in East Pakistan. We hope that condition will improve after elections in Pakistan. The assistance being given to refugee camps is inadequate which should be Increased and some employment should be provided to these refugees.

Our labour policy is also a failure. Frequent strikes in the industries has adversely effected the production. Some changes are needed in our labour policies to suit the prevailing conditions of the present. The essential supplies at reasonable rates should be ensured to the labourers.

The recent floods had adversely effected the people living nearby the Damodar Valley Project. The Government should formulate multipurpose drainage schemes to avoid future heavy damages from floods.

***श्री चित्तिबाबु** (चिंगलपट) : मैं देश की बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहूंगा । चौथी पंच-वर्षीय योजना के अन्त में भी देश भर में $3\frac{1}{2}$ लाख शिक्षित युवक बेरोजगार होंगे । यदि शिक्षित लोगों को भी रोजगार न मिले तो अशिक्षित लोगों का क्या हाल होगा । यह स्थिति निश्चिय ही देश को क्रांतिकारी प्रवृत्तियों की ओर ले जाएगी ।

* तमिल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित

English translation of the sp eech delivered in Tamil.

समाजवाद का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार स्टेंडर्ड मोटर कम्पनी को, जो पिछले आठ महीनों से बन्द पड़ी है, फिर से खोलने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। इस कम्पनी के 1800 कर्मचारी कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने इस कम्पनी को खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार को कुछ सुझाव भेजे थे। सरकार इस कम्पनी को खोलने के बजाय गैर-सरकारी क्षेत्र को $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की राशि दे रही है, जिससे एक नई कम्पनी खुलेगी। तमिलनाडु सरकार ने इस कम्पनी को खोलने के लिए दो तीन सुझाव दिये थे। केन्द्रीय सरकार से इस बारे में अभी तक कोई भी उत्तर नहीं आया है। सरकार को इस कम्पनी के बन्द होने सम्बन्धी जांच का आदेश देना चाहिए। यदि केन्द्रीय सरकार इस कम्पनी को खोलने के बजाय गैर-सरकारी क्षेत्र की वित्तीय सहायता कर रही है तो मुझे कहना चाहिए कि इसे इस कम्पनी के कर्मचारियों के हितों की कोई भी चिन्ता नहीं है।

कलपाकम के अणुशक्ति संयंत्र में स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया गया। संयंत्र के दूसरे चरण का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया और न ही राशि स्वीकृत की गयी है।

शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की मांग का मैं समर्थन करता हूं लेकिन तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंका तथा बर्मा के शरणार्थियों के पुनर्वास सम्बन्धी 30 लाख रुपये की एक योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी थी। इस राशि की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

केन्द्रीय सरकार ने अब तक कच्छाथिवु द्वीप के सम्बन्ध में अपना निर्णय नहीं दिया। चीन की सहायता से श्रीलंका सरकार वहां तेल की खोज करने का प्रयत्न कर रही है। इस द्वीप में तेल की खोज करने का अधिकार तमिलनाडु सरकार को दिया जाना चाहिए।

तम्बारम, कांजीवरम, आर्कोनाम आदि-अदि स्थानों पर काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वही भत्ते मिलने चाहियें जो बम्बई तथा कलकत्ता में मिलते हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापत्तनम) : महोदय, मांग संख्या 132 में नए इस्पात संयंत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। किन्तु मेरा विचार है हास्पेट, सलेम और विशाखापत्तनम में तीन इस्पात संयंत्रों के लिए यह व्यवस्था तथ्यपरक नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भी यह राशि 1500 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी। इन संयंत्रों को स्थापित करने में भी विलंब किया जा रहा है जितना विलम्ब अधिक होगा उतनी ही उत्पादन लागत में वृद्धि होगी तथा हम एशिया और अफ्रीका के साथ विश्व बाजारों में स्पर्धा नहीं कर पायेंगे। इस प्रकार यदि हम पीछे रहेंगे तो जीवन निर्वाह का सूचकांक बढ़ जाएगा, जिसके लिए महँगाई भत्ता मांगा जाएगा। परिणामस्वरूप, ज्यादा कर लगाए जायेंगे। इस प्रकार एक चक्र सा चलता जाएगा और इस सब का कारण विलम्ब होगा।

यदि मंत्रीगण प्राक्कलन समिति और लोक-लेखा समिति की सिफारिशों पर तत्काल कार्यवाही नहीं करते तो अव्यवस्था बढ़ती जाएगी और प्रशासन में सुधार नहीं हो पाएगा।

यद्यपि सामाजिक न्याय का नारा लगाया जाता है किन्तु केन्द्रीय कर्मचारियों को हाल ही में जिस अनुपात में महंगाई भत्ता दिया गया है वह सामाजिक न्याय नहीं, अन्याय है और फिर केन्द्र को इसके साथ राज्य सरकारों को भी धन देना चाहिए जिससे वे भी अपने कर्मचारियों की मागें पूरी कर सकें।

अनुपूरक अनुदान में 'हार्ड स्टाक' की पूर्ति करने के लिए ठेकेदारों के लिए 11 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। आश्चर्य है कि ऐसे प्रावधानों को अनुपूरक अनुदानों में रखा जाता है। होता यह है कि ठेकेदारों और इन्जीनियरों से मिलकर, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है। अनुदानों में 'सोफ्ट स्टाक' की व्यवस्था नहीं है। किन्तु बाद में 'हार्ड स्टाक' को स्वीकार कर लिया जाता है और ऊंचे दर पर भुगतान किया जाता है। अतः इन दुरुपयोगों को रोका जाना चाहिए।

Shri Shinkre (Panjim) : There is a bitter truth in the speeches of hon'ble members. The Government pays its attention on a matter only when there is either strike or work-to-rule. The Government comes here with snpplementary demands only when it is pressed by aggressive methods.

It is strange that demands of Delhi teachers were acceded to because of strikes and political pressure, but demands of Goa teachers were not paid due attention.

There are so many repatriates from Kenya, Tenjanika and Zanzibar, who have settled in Goa, but no demand has been brought here for providing amenities to them.

I would like to give a constructive suggestion to the Government. We find that whenever there is price-rise, there is corresponding increase in wages also. The Government should also lower down its administrative expenditure.

After nationalisation of Banks, many branches of the bank have been established in the urban areas *i e.* in small towns and cities.

It would have been better if more branches could have been opened in the villages instead of cities. The money so saved could have been spent on other developmental projects.

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्णनगर) : मैं मांग संख्या 24 और 28 पर कुछ कहना चाहती हूं। मांग संख्या 24 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस शीर्षक के अन्तर्गत पेंशनों और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों का पूर्णतया पूर्वानुमान लगा पाना संभव नहीं होता। अन्य देशों में पेंशन आदि में, मूल्य वृद्धि के अनुसार, परिवर्तन कर दिया गया है। किन्तु यहां ऐसा कुछ नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री ने केवल 10 रुपये के तदर्थ भुगतान की घोषणा की थी। मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और पेंशन की रकम वही की वही है। पेंशन भोगी भूखे मर रहे हैं तथा उनके बच्चों के तन पर कपड़ा तक नहीं। वे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। यदि इस अनुदान की राशि को कुछ और बढ़ा दिया जाए तो उन्हें कुछ अधिक पेंशन मिल जाएगी।

मांग संख्या 48 का सम्बन्ध अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से है। कई बार यह मांग की गई है कि सैल्यूलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बदल दिया जाए और वहां उन लोगों के नाम लिखवाए जाएं जिन्हें वहां कैद किया गया था किन्तु इतने अधिक अनुदान के बाद भी पता नहीं वहां कुछ भी किया गया है अथवा नहीं।

मेरा तीसरा प्रश्न मांग संख्या 7 के सम्बन्ध में है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों की बाढ़ सी आ रही है। सीमांत क्षेत्र में बुरी हालत है। प्रधानमंत्री ने एक शिविर का दौरा भी किया था। सर्दी आ रही है और पता नहीं उनके लिए कुछ किया भी गया है या नहीं। इस सम्बन्ध में कम से कम 70 लाख रुपये की आवश्यकता है जिससे उन्हें कुछ सुरक्षा दी जा सके।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सभापति महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। बहुत से महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। मैं इनमें से मुख्य-मुख्य प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की है और कहा है कि आने वाले बजट में या तो भारी कर लगाए जायेंगे या बहुत घाटा दिखाया जायेगा किन्तु मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था का स्तर गिर नहीं रहा है, अपितु ऊपर उठ रहा है। इतना अवश्य है कि इस प्रगति की गति धीमी है। राष्ट्रीय उत्पादों तथा राष्ट्रीय आय को शीघ्रता से बढ़ाने की आवश्यकता है। किन्तु उनका यह कहना निराधार है कि अगले वर्ष भारी कर लगाए जायेंगे।

माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि सदन में बिल्कुल विपरीत बातें भी कही गई हैं। श्री बनर्जी आदि कुछ सदस्यों ने केन्द्रीय कर्मचारियों को और अधिक सहायता देने के लिए कहा है। कुछ अन्य सदस्यों ने सरकार की इस बात के लिए आलोचना की है कि वह केवल अपने कर्मचारियों का ध्यान रखती है। स्वतन्त्र तथा जनसंघ सदस्यों ने कहा है कि इससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। किन्तु यदि आप इनकी वितीय स्थिति को देखें तो आप अनुभव करेंगे कि यह अन्तरिम सहायता आवश्यक थी। इसीलिए वेतन आयोग की स्थापना की गई है। क्योंकि वेतन आयोग का काम अभी बहुत लम्बा है, अतः उसने अपनी अन्तरिम सिफारिशें दी जिसे सरकार ने पूरी तरह मान लिया। कई सदस्यों ने सरकार द्वारा मूल्यों पर नियंत्रण करने की समर्थता पर सन्देह किया है। मूल्य नियन्त्रण, रोजगार स्थिति तथा अर्थ-व्यवस्था के विकास का परस्पर सम्बन्ध है। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमें सरकारी क्षेत्र पर धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए और उन लोगों को अवसर देना चाहिए जो उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी बुनियादी प्रश्न यह है कि इस देश को एकाधिकार प्राप्त व्यक्तियों ने जकड़ रखा था। और अब स्वतन्त्रता के बाद पहली बार यह जकड़ कुछ सीमा तक कम हुई है। यह प्रयत्न अभी जारी है। मुझे विश्वास है कि एकाधिकारी देश के उत्पादन को बढ़ा लेंगे तथा हो सकता है कि कुछ और लोगों को रोजगार दे दें किन्तु अन्ततः क्या इससे देश को लाभ पहुंचेगा? क्या इससे मेहनतकश जनता को आर्थिक स्वतन्त्रता मिल पाएगी? मुख्य प्रश्न यही है जिस पर विचार करना है। अतः यदि हम चाहते हैं कि देश को एकाधिकारी

प्रवृत्तियों से छुटकारा मिले तो हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। कुछ कष्ट उठाना होगा और अर्थ-व्यवस्था में भी मंदी का सामना करना होगा। यह हमारी निश्चित नीति है कि हम एकाधिकारी व्यापार-गृहों को पनपने नहीं देंगे किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उनके व्यापारिक कार्यकलापों या सामान्य उत्पादन पर रोक लगा दी जाएगी किन्तु हम उन्हें उतना नहीं बढ़ने देना चाहते कि वे न केवल अर्थ-व्यवस्था बल्कि देश की सरकार पर भी नियन्त्रण रखने लगें। सरकार की यह नीति है कि देश की अर्थ-व्यवस्था समाजवाद की दिशा में विकसित हो और यह सरकारी क्षेत्र के विकास तथा एकाधिकार को समाप्त करने से हो सकता है। बैंक के राष्ट्रीयकरण से तथा स्वयं कार्य करने वाले इन्जीनियरों आदि को ऋण देने की नई नीति से वे लोग जो अभी तक पूरी तरह से उत्पादन अथवा व्यापार में योगदान नहीं दे पाए थे अब पहली बार इस दिशा में काम कर सकेंगे। कुछ एकाधिकार गृहों पर निर्भर करने के स्थान पर सरकार की नीति यही है कि अधिक से अधिक लोगों को धन सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें। इसमें आर्थिक तौर पर कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं किन्तु हम इस दिशा में बढ़ते जायेंगे और आशा है कि इसके लिए हमें सदन का समर्थन भी मिलेगा।

श्री बनर्जी ने रक्षा उत्पादन का प्रश्न उठाया है। किन्तु मेरे पास जो आंकड़े हैं उनसे पता चलता है कि जनवरी से अक्तूबर के दौरान बेकार कर्मचारियों की संख्या 2835 से घटकर 853 रह गई है। इससे स्पष्ट है कि आर्डनेंस फैक्टरियों ने अपने कर्मचारियों से पूरा-पूरा काम लेने की कोशिश की है। मैं श्री बनर्जी को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार का उन वस्तुओं के उत्पादन का जो आयुध कारखानों में बन सकती हैं, निजी क्षेत्रों को बनाने की अनुमति देने का कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा यही है कि सभी वस्तुएं अंततः इन कारखानों में बनें।

श्री चन्द्रिका प्रसाद तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा उत्तर बिहार के पिछड़ेपन का उल्लेख किया है। आर्थिक विषमता का यह एक सामान्य विषय है और विभिन्न वर्गों में आर्थिक विषमता अस्वास्थ्यकर भी है।

कुछ राज्य विकसित हैं, कुछ अल्पविकसित, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में भी कुछ क्षेत्र विकसित और कुछ अल्पविकसित हैं। सामान्य सरकारी नीति यह है कि क्षेत्रीय विकास के इस असंतुलन के सम्बन्ध में मंत्रालयों ने यह नीति अपनायी है कि जब नए उद्यम आदि स्थापित करना हो तो इस आर्थिक विकास की इस विषमता को ध्यान में रखा जाए। किन्तु माननीय सदस्य जानते हैं कि केवल औद्योगिक आधार पर ही कोई क्षेत्र समृद्ध नहीं हो जाता। दक्षिण बिहार में सभी प्रकार के उद्योग हैं, फिर भी आर्थिक हीनता बनी हुई है। हरियाणा में शायद ही कोई सरकारी कारखाना इत्यादि हो, किन्तु कुछ नीतियों के अनुसरण से तथा वहाँ की सरकार के ग्राम विकास कार्यक्रम के कारण वहां की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है।

हम यह भी जानते हैं कि हमारे सामने कई कठिनाइयाँ हैं, जिनमें साधनों का अभाव प्रमुख है। साधनों को कैसे बढ़ाया जाए ? जब तक सरकारी क्षेत्रों में अधिक से अधिक उत्पादन नहीं बढ़ाया जाता, उन कठिनाइयों का अन्त नहीं होगा।

मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र को लाभ होने की आशा है। हिन्दुस्तान स्टील आदि कुछ उद्योगों को छोड़कर जिनमें कुछ कारणों से काफी हानि हो रही है, इनसे भी लाभ उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है। वैसे हिन्दुस्तान स्टील भले ही काफी हानि उठा रहा हो किन्तु यदि इसके निर्यात पक्ष की ओर से देखें तो पता चलता है कि इसने 40 करोड़ रुपये का इस्पात निर्यात किया है।

कुछ सदस्यों ने बोकारो इस्पात संयंत्र का उल्लेख किया है। इसमें भी कठिनाइयां विदित हैं। हमने निश्चय किया है कि इसमें लगाई जाने वाली अधिकतर मशीनें भारत में बनी होंगी किन्तु आग दुर्घटनाओं आदि कुछ कारणों से मशीनें निश्चित कार्यक्रम के अनुसार नहीं मिल पायीं और निर्माण कार्य में बाधा आ गई। मैं जानता हूँ कि ऐसे कई दल अथवा लोग होंगे जो कहेंगे कि इतनी मुसीबत मोल लेने की क्या आवश्यकता है। ऐसी कई कम्पनियां मिल जायेंगी जो $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत पर ऋण देकर 10 इस्पात सयंत्र लगाने को तैयार हैं। ऐसा हो सकता है किन्तु वे यह कार्य हमारे देश की बागडोर संभालने के लिए करेंगे हमारे लाभ के लिए नहीं।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमारे सामने कठिनाइयां हैं, कुछ गलतियां भी हुई हैं किन्तु उनमें सुधार लाना पड़ेगा। हमने यह निश्चय कर लिया है। कई सदस्यों ने पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का उल्लेख किया है। यह एक गंभीर मामला है और इससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था पर बल्कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। सरकार से हल नहीं कर पा रही है। हम पाकिस्तान से इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं और ऐसा ;गता है कि शायद हमारे प्रयत्न सफल हो जायें। इस मामले को सुरक्षा परिषद् में उठाने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि हमने कश्मीर के प्रश्न पर देख लिया है कि वहाँ क्या होता है। वैसे हमारा प्रयत्न यही है उनको अधिक से अधिक सुविधायें दी जायें तथा उनके पुनर्वास का भी प्रबन्ध किया जाए।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इन शरणार्थियों को एक समय के भोजन के लिए केवल 80 पैसे दिए गए हैं तथा राजस्थान और देवली कैम्प में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे को इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई किन्तु मैं इस की जानकारी अवश्य करूंगा।

अन्त में मैं दिल्ली के शिक्षकों के बारे में कहना चाहता हूँ। दिल्ली महानगर परिषद् के बारे में भी एक शब्द कहना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों वे इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। जब तक दिल्ली प्रशासन से सलाह नहीं कर ली जाती और सदन में इस मामले को नहीं रखा जाता, सरकार इस दिशा में कुछ भी करने को तैयार नहीं। मैं इस सदन को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बारे में जो भी निर्णय किया जाएगा वह गुणों के आधार पर होगा, राजनीतिक आधार पर नहीं।

जहां तक दिल्ली के शिक्षकों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मैंने अनुपूरक मांग रखी है। इन लोगों की यह भी मांग थी कि उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाये किन्तु शायद इन लोगों को

पता नहीं कि केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ अन्तरिम सहायता दिल्ली के शिक्षकों को भी मिलेगी। अतः इनकी यह मांग भी पूरी हो जाती है।

जहां तक पदोन्नति का सम्बन्ध है, गृह मंत्रालय से यह स्पष्ट कर लिया गया है कि प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक माध्यमिक स्कूलों तथा हाई स्कूलों में पदोन्नत किये जाते हैं। उनके लिए एक कोटा निश्चित है। अब माध्यमिक स्कूलों तथा हाई स्कूलों को दिल्ली प्रशासन अपने हाथ में ले रहा है जबकि प्राथमिक स्कूल निगम के प्रशासन में रहेंगे। किन्तु पदोन्नति के सम्बन्ध में उपर्युक्त व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इस दृष्टि से दिल्ली के अध्यापकों की यह मांग भी पूरी हो गई है।

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमान तो बढ़ गये हैं। किन्तु दिल्ली के स्कूलों के पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमानों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस मामले को देखूंगा। अब मैं लगभग सभी प्रमुख बातों का उत्तर दे चुका हूं और मैं अनुरोध करता हूँ कि सभा के सामने प्रस्तुत मांगों पर मतदान हो।

सभापति महोदय : अब सभा में कटौती प्रस्तावों पर मतदान होगा।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 8 और 80 मतदान के लिए अलग से रखे जायें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है, :

"कि उद्योगों के बारे में 2,32,121 रुपये की राशि के अतिरिक्त अनुदान की मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें।"

सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में 9 ; **विपक्ष में** 119
Ayes 9 ; Noes 119

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The Motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
All the Cut Motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये अतिरिक्त अनुदान की निम्नलिखित मांगें (सामान्य) मतदान के लिए रखी गईं तथा पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं :

The following demands for excess grants (generals) for year 1968-69 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक				राशि
					रुपये
1	वाणिज्य मंत्रालय	...	...	...	17,050
5	रक्षा सेवायें, सक्रिय :				
	1—स्थल सेना	...	...	...	12,63,469
	4—रक्षा उत्पादन	...	...	...	64,98,7[illegible]0
6	रक्षा सेवायें, निष्क्रिय	...	...	...	22,31,642
10	भारतीय सर्वेक्षण	...	...	...	3,06,644
18	निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर			...	1,38,072
24	पेंशनें और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ		...	...	8,04,991
28	केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय राज्यक्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	...	...	...	1,08,306
39	मंत्रिमण्डल	...	...	...	50,170
48	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह		...	...	23,34,414
49	आदिम जाति क्षेत्र	...	...	...	56,66,779
53	औद्योगिक विकास और समवाय मंत्रालय		...	...	1,14,150
54	उद्योग	...	...	...	2,32,121
57	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		...	...	3,076
64	खान सुरक्षा महानिदेशक	...	...	...	28,037
69	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय		...	...	1,753
72	इस्पात, खान और धातु मंत्रालय		...	...	6,702
79	परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय		...	...	45,723
80	सड़कें	...	...	...	32,39,484
82	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत		...	...	10,796
85	लोक निर्माण कार्य	...	...	...	21,90

मांग संख्या	शीर्षक			राशि
88	निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय		...	3,53,219
93	डाक और तार—कार्यचालन व्यय	...	...	1,01,39,158
121	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय		...	8,20,032
129	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	...	...	57,680

सभापति महोदय : अब मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) के सम्बन्ध में दिये गये कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूँ।

Shri Shiva Chandra Jha : Cut Motion No. 80 may be put separately.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में 1,00,00,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें।"

जो उपर्युक्त प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे 'हां' कहें।

Shri Shiva Chandra Jha : Sir, I want division on it.

सभापति महोदय : मैं इस पर मतदान की अनुमति नहीं दूंगा।

इसके पश्चात् श्री शिवचन्द्र झा सदन से उठकर चले गए।

Shri Shiva Chandra Jha then left the House.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 80 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 80 was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut motions were put and negatived.

सभापति द्वारा वर्ष 1970-71 के लिए अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें (सामान्य) मतदान के लिए रखी गयीं तथा पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

The following demands for supplementary grants for year 1970-71 (general) were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
25	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,00,00,000
50	दिल्ली	2,56,55,000
60	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,70,000
70	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	4,54,48,000
71	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय ...	9,80,000
82	इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय	5,47,C00
95	डाक-तार कार्यचालन व्यय	11,00,00,000
105	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	68,25,000
114	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम ...	5,00,01,000
127	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय ...	1,20,79,000
132	इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय का पूंजी परिव्यय ...	1,C00

विनियोग (संख्या 4) विधेयक

APPROPRIATION (NO. 4) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस वित्तीय वर्ष के दौरान, जो मार्च, 1969 के 31 वें दिन को समाप्त हुआ, कतिपय सेवाओं पर जितनी रकमें उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक खर्च हुई हैं उनकी पूर्ति करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उस वित्तीय वर्ष के दौरान, जो मार्च, 1969 के 31वें दिन को समाप्त हुआ, कतिपय सेवाओं पर जितनी रकमें उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक खर्च हुई हैं उनकी पूर्ति करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन का

विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उस वित्तीय वर्ष के दौरान, जो मार्च, 1969 के 31वें दिन को समाप्त हुआ, कतिपय सेवाओं पर जितनी रकमें उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक खर्च हुई हैं उनकी पूर्ति करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उस वित्तीय वर्ष के दौरान, जो मार्च, 1969 के 31वें दिन को समाप्त हुआ, कतिपय सेवाओं पर जितनी रकमें उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक खर्च हुई हैं उनकी पूर्ति करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clauses 2-3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

विनियोग (संख्या 5) विधेयक
APPROPRIATION (NO. 5) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री f द्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

खंड 2 और 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए।
Clauses 2-3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : इस सभा में बार-बार यह सुझाव दिया गया है कि सरकारी खर्च में कमी की जाए। वित्त मंत्री हर बार इसके लिए आश्वासन भी देते रहे हैं किन्तु आज तक इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध करें कि वे कम खर्च करें। मितव्ययिता के परिणामस्वरूप जो बचत होगी उसे अन्य विकास-कार्यों में लगाया जा सकता है और बेरोजगारी की समस्या भी हल की जा सकती है।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : हमारी प्रगति की गति उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारा उत्पादन घटता जा रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम 7 प्रतिशत प्रगति की गति के लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। समाजवाद पर भाषण देने मात्र से समाजवाद नहीं आएगा। उसके लिए ठोस कार्य करना होगा। मैं श्री रंगा से सहमत हूं कि खर्च में कम से 5 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय सभी प्रकार के खर्च में 10 प्रतिशत कटौती करेंगे। बड़े अधिकारियों के कमरों में बहुमूल्य दरियां बिछी होती हैं। दावतों में अनाप-शनाप खर्च किया जाता है। मंत्री महोदय भी अपेक्षाकृत छोटे बंगलों में रह सकते हैं। विलास की वस्तुओं में कमी की जा सकती है। जब तक इन सब दिशाओं में खर्च में कमी नहीं की जाएगी तब तक देश की अर्थ-व्यवस्था मजबूत न हो सकेगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री रंगा ने असैनिक तथा गैर-विकास खर्च में कमी करने का सुझाव दिया है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दिशा में हमने प्रयास किए हैं किन्तु हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिली है। इस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। हां, इतना मैं कह सकता हूं कि गत कुछ वर्षों में असैनिक खर्च में वृद्धि नहीं हुई है। साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि उसमें कटौती करने के प्रयत्नों को सफलता

नहीं मिली है। श्री कुन्दू की इस बात से भी मैं सहमत हूं कि देश की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और प्रगति की गति में वृद्धि होनी चाहिए । मैंने भी अपने उत्तर में कहा था कि इसकी आवश्यकता है और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथ ही माननीय सदस्यों से भी मैं यह अनुरोध करूंगा कि वे इस कार्य में हमें सहयोग दें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

अनुदानों की अतिरिक्त माँगें (रेलवे)
और
अनुदानों की अनुपूरक माँगें (रेलवे)

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS)
AND
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)

वर्ष 1968-69 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदान की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं

मांग संख्या	शीर्षक				राशि
					रुपये
16	पेंशनीय प्रभार—पेंशन निधि	...	...	...	10,87,651

वर्ष 1970-71 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुदान की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गयीं

मांग संख्या	शीर्षक				राशि
					रुपये
1	रेलवे बोर्ड	...	...	...	5,08,000

मांग संख्या	शीर्षक				राशि
2	विविध व्यय	...	...	...	25,18,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन	...	...	...	5,87,89,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	...	...	...	14,76,89,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	...	...	...	13,10,17,000
7	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन)	...	...	...	8,26,000
8	संचालन व्यय—परिचालन, कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर	...	...	...	55,48,000
10	संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याण	...	...	...	1,46,50,000
15	चालू लाइन निर्माण—पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	...	...	...	3,000

वर्ष 1970-71 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुदान की पूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	13	श्री जे० एम० इमाम	रेलवे प्रशासन में मितव्ययिता बरतने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	14	,,	दक्षिण रेलवे की हास्पेट यशवन्त नगर रेल लाइन को जयपुर रेल लाइन पर स्थिर चितनादुर्ग चिक तक बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
2	15	श्री आरंगिल श्रीधरन	कालीकट-मंगलौर लाइन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता ।	,,
15	16	,,	दक्षिण रेलवे के कुइलाण्डि रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
15	17	श्री आरंगिल श्रीधरन	तेल्लिचेरी-मैसूर लाइन के बिना विलम्ब निर्माण की आवश्यकता।	100 रु०
15	18	,,	बड़गरा और नादपुरम रेलवे स्टेशनों के बीच किरोड़ पर एक उपरि पुल बनाने की आवश्यकता।	,,
15	19	,,	दक्षिण रेलवे के चेमनचेरी रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म पर छत का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
15	20	,,	बड़गरा रेलवे स्टेशन पर माल गोदाम के पुनर्निर्माण की आवश्यकता।	,,

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : जहां तक अतिरिक्त मांगों का सम्बन्ध है यह, एक थोड़ी सी राशि है और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि बहुत से लोगों ने पेंशन लेना स्वीकार किया है। इस प्रश्न पर लोक-लेखा समिति भी विचार कर चुकी है। पेंशन-भुगतान के व्यय भार के कारण इसकी आवश्यकता पड़ी है। पूरक मांगों को पेश करने का कारण यह है कि कर्मचारियों को मिली अन्तरिम सहायता से रेलवे का 41 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ गया है। फिर भी हमने केवल 36 करोड़ रुपये की अनुपूरक राशि का प्रस्ताव रखा है।

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) : श्रीमन, मैं मंत्री महोदय का ध्यान माल-डिब्बों के अभाव की ओर दिलाता हूं। कहा जाता है कि कोयले की कमी है किन्तु करोड़ टन कोयला कोयला खानों के पास पड़ा है जिसे ढोने के लिए रेल के माल-डिब्बे नहीं मिल पा रहे हैं। माल-डिब्बों की अनुपलब्धता का प्रभाव पटसन उद्योग तथा अन्य उद्योगों पर भी पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में माल-डिब्बों की संख्या में कमी क्यों की जा रही है। यदि आवश्यकता के समय माल-डिब्बे या सवारी- डिब्बे उपलब्ध नहीं कराए जायेंगे तो रेलवे को हानि ही होगी। अतः उद्योगों के लिए अधिक माल-डिब्बे उपलब्ध कराए जाएं।

कुछ समय से पूर्वी रेलवे पर मुगलसराय से हावड़ा के बीच चलने वाली गाड़ियां प्रतिदिन घण्टों देरी से आ-जा रही हैं। एक दूसरी बात यह है कि उपर्युक्त रेलवे पर यात्रियों को सवारी डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा करनी पड़ती है। क्यों नहीं गाड़ियों में चार-चार अथवा पांच-पांच डिब्बे और अधिक लगाए जाते? जो यात्री टिकट खरीदकर यात्रा करते हैं, उनके लिए तो यात्री-डिब्बा उपलब्ध होना ही चाहिए। बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए कड़ी-टिकट-जांच लगातार चलती रहनी चाहिए।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन समस्याओं पर ध्यान देंगे और आवश्यक कदम उठायेंगे।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : On every occasion, I got to speak, I made a mention of the light railway which runs through my constituency. I always requested that Government should pay attention to the deplorable condition of the S. S. Light Railway and do something to make improvement in its condition. Despite my repeated requests it was not nationalised by Government. Now it has been closed down by the private firm that was running it. Thus we lost what we earlier had. We requested the Government either to force the country to run it or lay a big line in its place as the public of this area is suffering to a great deal. But nothing so far has been done in this respect, though a period of 4 months has elapsed since its closure.

I am unable to understand the reason for which the hon. Minister is hesitant in taking over this light railway. Though he is controlling a concern with an investment of 30,000 crores of rupees, yet he is refusing to take over this 100-mile long line. I request the hon. Minister to take steps to get this railway run as soon as possible in this area which is the most fertile part of the country. The Minister should also do something to help the employees of the S. S. Light Railways in getting their dues, pension, gratuity and provident fund etc. Till the time their accounts are cleared by the Company, they should not be asked to vacate the quarters in which they have been residing.

The Minister had to bring up this proposal of supplementary demands on account of the increase in the pay bill of railway employees due to the grant of interim relief. I want to say that Government should make some firm policy in regard to enhancing the emoluments of their employees. The increase in the pay of Government employees should be linked with the increase in national income. We should not ignore those 27 crores of people who cannot spend more than eight annas a day and those 47 crores of people who cannot spend more than one rupee a day. The Government should take all factors into account while granting increase in the pay of their employees, otherwise in future the Parliament will not sanction each and every demand which will be brought before it.

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्णनगर) : यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अतिरिक्त अनुदानों का बड़ा भाग तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए अन्तरिम राहत के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय को स्मरण कराना चाहूंगी कि कनिष्ठ पर्यवेक्षण कर्मचारियों को मिस्त्रियों का पद दिया गया है और वेतन आयोग ने उन पर बिल्कुल ही गौर नहीं किया है। चूंकि वे मिस्त्री हैं—क्या इसीलिये उन्हें अन्तरिम राहत अथवा उच्च ग्रेड नहीं दिए जाते हैं ? जबकि रेलवे के कर्मचारियों को एक बड़ी राशि अन्तरिम राहत के रूप में दी जानी है तो इस वर्ग को इस लाभ से वंचित क्यों रखा जा रहा है ?

नैरो-गैज लाइनों का सर्वेक्षण किया गया है तथा मंत्री महोदय ने कहा है कि सर्वेक्षण पूरा हो गया है। नदिया जिले में नैरो-गैज लाइन के सर्वेक्षण के बारे में यह माना गया था कि वह लाइन विफल हो गई है तथा उसका काम पूरा होना शेष है परन्तु अब उसका क्या परिणाम रहा, यह मालूम नहीं है। यदि सरकार उस लाइन को बन्द करने जा रही है तो उससे लोगों को बड़ी असुविधा होगी। मुझे आशा है कि सरकार उसे बड़ी लाइन में बदल

देगी। बिना टिकट-यात्रा होने के कारण उस लाइन पर हानि हो रही थी परन्तु बड़ी लाइन बनाने से स्थिति में सुधार हो जाएगा।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान मार्टिन बर्न द्वारा चलाई जा रही रेलवे की ओर दिलाती हूं। यदि इन रेलवे लाइनों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा, और यदि उनको बन्द कर दिया गया तो 5000 से 6000 तक कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने का भय है।

यदि इन लाइनों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता है तो मार्टिन बर्न द्वारा संचालित लाइट रेलवे के कर्मचारियों को किसी न किसी प्रकार की राहत दी जानी चाहिए। वे संख्या में लगभग 6000 हैं तथा पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की स्थिति इतनी भीषण है कि यदि और अधिक बेरोजगारी हो गई तो विषम स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

पश्चिम बंगाल और नदिया के महान् नेता तारकदास बंद्योपाध्याय, जिन्होंने भारत की अपने जीवन-पर्यन्त सेवा की थी, के नाम पर राणाघाट-गेडे सेक्शन पर तारकनगर नामक हाल्ट स्टेशन है, उसे फ्लैग स्टेशन बनाया जाए।

श्री जि० मो० बिस्वास (बाँकुरा) : किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि रेलवे कर्मचारियों को अन्तरिम राहत दिए जाने के फलस्वरूप रेलवे को हानि हुई है। जब संसद सदस्यों का दैनिक भत्ता 31 रुपये से 51 रुपये तक बढ़ाया गया तो किसी ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की।

हाल ही में इस्पात कर्मचारियों को एक करार के अधीन न्यूनतम मजूरी 245 रुपये दी गई है तथा कुछ इस्पात संयन्त्रों की सरकार भी मालिक है और बैंकों में न्यूनतम मजूरी 240 रुपये तक बढ़ाई गई है जब कि रेलवे में अन्तरिम राहत दिए जाने से पहले न्यूनतम मंजूरी 141 रुपये थी जो 15 रुपये न्यूनतम अन्तरिम राहत दिए जाने के बाद 156 रुपये हुई।

रेलवे कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

इंजीनियरिंग उद्योग में भी 210 रुपये से 220 रुपये तक न्यूनतम मजूरी दी जाती है तो रेलवे के कर्मचारियों को 15 रुपये के स्थान पर 70 रुपये न्यूनतम अन्तरिम राहत के रूप में दिए जाने चाहियें। उन्हें उनके कानूनी अन्तरिम भत्ते से वंचित किया गया है।

मुझे कटिहार स्टेशन से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। वहां पर भारत सेवक समाज को रेलवे का ठेका दिया गया है तथा उसने ठेके को किसी अन्य गैर-सरकारी ठेकेदारों को दे दिया है और स्वयं भारी धन कमाते हुए बिचौलियों का कार्य कर रहा है। रेलवे के कर्मचारियों ने रेलवे मन्त्री से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया था। भारत सेवक समाज को ठेका देने के नाम पर रेलवे मंत्रालय तथा रेलवे प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। रेलवे मंत्री की अच्छी नजरों वाले एक व्यक्ति इस भारत सेवक समाज का संचालन करके यह गड़बड़ पैदा कर रहे हैं।

श्री नन्दा : आज तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए... (व्यवधान)*

सभापति महोदय : किसी को उनके भाषण के मध्य बाधा डालने की अनुमति नहीं है। It will not go on record.

श्री जि० मो० बिस्वास : यदि श्री नन्दा देखना चाहें तो मैं उन्हें इन आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य दिखा सकता हूं।

गाड़ियों के विलम्ब से पहुंचने के बारे में मैं श्री हिम्मतसिंहका द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करता हूँ।

कल मैं हावड़ा से दिल्ली जाने वाली 1 अप कालका मेल से यात्रा कर रहा था। यह नियमित रूप से विलम्ब से पहुंचती है। गया स्टेशन पर 2 टियर सवारी डिब्बा खराब हो जाने के कारण उक्त गाड़ी 4 घण्टे 25 मिनट विलम्ब से पहुंची।

मेरे क्षेत्र में आन्ध्र डिवीजन के दक्षिण-पूर्व रेलवे में 421 तथा 422 संख्या वाली गड़ियां कभी समय पर नहीं पहुंचती हैं। ये गाड़ियां रोजाना 3-4 घण्टे देर से पहुंचती हैं। यदि श्री नन्दा यह सिद्ध कर दें कि ये गाड़ियां समय पर पहुंचती हैं तो मैं अपना आरोप वापस लेने को तैयार हूँ।

रुई की स्थिति के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : COTTON SITUATION

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

विवरण

माननीय सदस्यों को याद होगा कि रूई की स्थिति पर 2 दिसम्बर 1970 को इस सदन में दिए गए वक्तव्य में मैंने यह कहा था कि मैं 7 दिसम्बर को सूती वस्त्र सलाहकार बोर्ड की एक बैठक बुलाऊंगा ताकि विभिन्न सम्बन्धित हितों के साथ परामर्श करके स्थिति को सुकर बनाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जा सकें।

2. तदनुसार 7 दिसम्बर को बैठक हुई थी। सभी के विचारों को सुनकर यह पुष्टि हो गई कि वर्तमान मौसम के दौरान 57 लाख गांठों से कम की फसल का अनुमान नहीं है। यह भी स्वीकार किया गया कि मिलों के एक साथ बन्द किए बिना भी रूई की कमी के कारण उत्पन्न

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* Not recorded.

स्थिति में सुधार करना सम्भव होगा। रूई के वास्तविक भण्डारों की कमी का भी कोई डर नहीं है। समस्या वास्तव में आगामी छः या सात सप्ताहों के दौरान रूई के न्यायोचित वितरण की है क्योंकि प्रतिकूल मौसम के कारण रूई की प्रारम्भिक फसल के परिमाण पर बुरा प्रभाव पड़ा है और उसके बाजार में पहुंचने में विलम्ब हुआ।

3. स्थिति में सुधार लाने के लिए हमने शीघ्र ही निम्नलिखित कार्यवाही करने का विनिश्चय किया है :

(1) कपास के वायदा व्यापार को निलम्बित कर दिया गया है।

(2) स्वदेशी रूई के सम्बन्ध में अहस्तांतरणीय विनिर्दिष्ट सुपुर्दगी संविदाओं की अवधि को 6 महीने से कम कर में 3 महीने कर दिया गया है।

(3) सांविधिक भंडार सीमाएं तत्काल कम की जा रही हैं और यह सीमा बम्बई तथा अहमदाबाद की मिलों के सम्बन्ध में एक मास, आसाम की मिलों तथा अपने उत्पादन के 20 प्रतिशत अथवा अधिक का निर्यात करने वाली मिलों के सम्बन्ध में $2\frac{1}{2}$ मास और अन्य सभी मामलों में $1\frac{1}{2}$ मास कर दी गई है। उपजकर्त्ता सहकारी समितियों की मिलों के मामले में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

(4) मिलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र आयुक्त को तत्काल एक विशेष स्टाक विवरणी प्रस्तुत करें और जिनके पास अब विहित की गई सीमाओं से अधिक माल होगा उन्हें भारतीय रूई की और खरीदारी करने की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उनका स्टाक अब विहित की गई घटी सीमा से कम नहीं हो जाता। खपत किए गए माल के बदले पूर्ति से सम्बन्धित यथार्थ मामलों पर वस्त्र आयुक्त द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा। विवरणी प्रस्तुत न करने वाली दोषी मिलों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार व्यापारी भी वस्त्र आयुक्त के पास विशेष स्टाक विवरणियां भेजेंगे। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने नियन्त्रण के अन्तर्गत सहकारी विपणन समितियों और व्यापारियों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की कार्यवाही करें।

(5) मिलों, व्यापार और सहकारी समितियों को दी जा रही ऋण सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है ताकि ऋण सीमाओं को कम किया जा सके।

(6) राज्य सरकारों से यथासंभव ऐसे सभी उपाय करने के लिए अनुरोध किया गया है जिनसे उपजकर्त्ताओं से मिलों के पास शीघ्रतापूर्वक रूई पहुंचाना सुनिश्चित हो सके।

(7) आशा है कि भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ रूई की उपलब्धि, या तो ऋणों द्वारा अथवा अन्य प्रकार से, सुनिश्चित करने के लिए जरूरतमंद मिलों को पारस्परिक आधार पर सहायता देने हेतु एक स्वैच्छिक योजना तैयार करेगा।

(8) जून 1970 में तैयार किया गया मूल आयात कार्यक्रम 8·25 लाख गांठों का था। जब स्थिति पर पुनः विचार किया गया, तो यह पाया गया कि पूर्ति तथा मांग के बीच अन्तर कुछ अधिक था। अतः तत्काल अतिरिक्त आयातों पर विचार किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका से रूई की एक लाख गांठों की तत्काल आयात करने के लिए निर्बाध विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई। स्टेपल फाइबर की 1·5 लाख गांठों के आयात की भी तत्काल व्यवस्था की गई है। मूल आयात कार्यक्रम पर 4·53 लाख गांठों की अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी। शेष की शीघ्र निकासी के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। जिन मिलों को कोटों का आवंटन किया गया है, उन्हें कहा गया है कि वे पहले ही आवंटित सूडान रूई के 75 प्रतिशत के आयात की 31 दिसम्बर, 1970 तक व्यवस्था करें, और पहले ही आवंटित संयुक्त अरब गणराज्य रूई के 50 प्रतिशत के आयात की 31 जनवरी, 1971 तक व्यवस्था करें और पहले ही आवंटित पी० एल० 480 रूई के आयात तत्काल करने की व्यवस्था करें। भारतीय निगम को भी कहा गया है कि वह व्यापारियों की सहायता से मूल आयात कार्यक्रम के भाग के रूप में सूडान तथा संयुक्त अरब गणराज्य के अलावा अन्य क्षेत्रों से उपलब्ध रूई का और भी आयात करे। रूई तथा मानव निर्मित रेशों के और भी आयात करने की व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(9) कमजोर तथा निर्यातक मिलों को वह रूई जिसकी सप्लाई कम है, उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान निकासियों के आधार पर आयातों के लिए स्टेपल लम्बाई की सामान्य सीमा $1\frac{1}{16}$ से कम करके 1" की जा रही है।

4. स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है और यथावश्यक अगले उपाय तत्काल किए जायेंगे। आशा है कि जो उपाय अब किए जा रहे हैं, उनसे कृषकों के उचित हितों को हानि पहुंचाये बिना ही लगातार उत्पादन बनाए रखना सम्भव हो सकेगा।

खेल-कूद सम्बन्धी नीति के बारे में चर्चा
DISCUSSION ON SPORTS POLICY

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं इस सदन में अपने देश की खेल-कूद सम्बन्धी नीति पर चर्चा करने के अवसर का स्वागत करता हूँ। जो विचार व्यक्त किये जायेंगे वे विचार उन्हीं लोगों के होंगे जो खेल-कूद के बारे में कुछ जानते हैं।

दस दिन पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के अध्यक्ष श्री एवरी ब्रन्डेज भारत आये थे और उनका प्रमुख ध्यान इस बात पर गया कि दुर्भाग्यवश भारत का खेल-कूद का स्तर नीचा है।

खेल-कूद का स्तर जितना ऊंचा होना चाहिए उतना नहीं होने का कारण सरकार की नीति का उसकी सीमा के अनुसार नहीं चलने का है ।

आज खेल-कूद पर बल दिया जाना अत्यावश्यक है क्योंकि देश के युवक दोपहर तथा संध्या का समय अस्वास्थ्यजनक गतिविधियों में बर्बाद कर देते हैं । न केवल प्रजातान्त्रिक देशों में ही अपितु जहां कठोर कानून हैं, उन देशों में भी खेल-कूद पर बल दिया जाता है । मैं स्वयं एक खिलाड़ी होने के नाते नहीं अपितु एक भारतीय होने के नाते अन्तर्राष्ट्रीय खेल के मैदानों में प्रदर्शन करने का गर्व महसूस करता हूं ।

हाकी में भारत बार-बार स्वर्ण पदक जीतता रहा है । सरकार की नीति दृढ़ न होने के कारण हाल ही में हमने यह ताज खो दिया है । अन्य खेलों में भारत का स्थान द्वितीय से लेकर षष्टम-सप्तम स्थान तक रहा है ।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

भारत जैसे देश में जहाँ सरकार खेल-कूद को प्रोत्साहन देने में इतनी गहन रुचि नहीं ले रही है तो भी विश्व स्तर पर हमारे स्थान कोई बुरे नहीं हैं । यदि मंत्रालय खेल-कूद संघों को अधिक सहयोग दे और सरकार और अधिक धन उपलब्ध करे तो आगामी दो-तीन वर्षों में हम अपने देश के लिए अधिकाधिक स्वर्ण पदक जीत सकेंगे ।

केवल दो वर्ष पूर्व ही मेक्सिको ओलम्पिक समाप्त हुए हैं । हमने इस की जांच की । परन्तु जांच से कोई परिणाम नहीं निकलता है । सरकार म्यूनिक ओलम्पिक के पश्चात् दूसरी जाँच करवायेगी । जब तक भारत सरकार इस बात पर गौर नहीं करती है कि खिलाड़ी हर प्रकार से स्वयं को म्यूनिक ओलम्पिक के लिए प्रशिक्षित करें, तो फिर हाकी का ताज खोया जाने वाला है । आज खेल कूद व्यवसायकृत होते जा रहे हैं । जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश खेल-कूद में आगे आ रहे हैं और हम सरीन जाँच जैसे विषयों पर भरोसा करते हैं तो मुझे भय है कि हम हाकी में ताज खोने जा रहे हैं और एक बार हार हुई तो भारत को किसी भी खेल में स्वर्ण पदक जीतने की संभावना नहीं है ।

अर्जुन एवाड्‌र्ज के अवसर पर माननीय मंत्री डा० वी० के० आर० वी० राव द्वारा दिये गये भाषण में जो बातें कहीं गई उन से सरकार की अच्छी नीति की झलक मिली । खेल-कूद में सुयोग्य व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां देने और अखिल भारत के स्तर पर अ-छात्र युवकों में प्रतिस्पर्धा की योजनाओं से हम गांवों से योग्य पुरुष-महिला खिलाड़ी ला सकते हैं ।

सब से अधिक खलने वाली बात तो यह है कि विना उचित तैयारी किये ही टीमें भारतीय झंडा हाथ में थामें चल पड़ती हैं । यह सही है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई है । लोगों को उचित ढंग से भोजन नहीं मिलता है. उनका पर्याप्त रूप से पोषण नहीं होता है, परन्तु फिर भी देश में

अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मिल जाते हैं, केवल तभी मिलते हैं जब हम आगे बढ़ने के मार्ग में लाल फीताशाही रूपी रोड़ा न अटकायें।

जब कभी किसी टीम को विदेश जाने की स्वीकृति दी जाती है तो संघ तथा शिक्षा मंत्रालय बहुत थोड़े समय पहले सूचना देते हैं फिर वह टीम या तो भेज दी जाती है या एक सप्ताह पूर्व वापस कर ली जाती है। ओलम्पिक जैसे खेलों में जहाँ विश्व के ख्याति प्राप्त खिलाड़ी भाग लेने आते हैं वहाँ सरकार सात दिन की सूचना देकर कैसी भी टीम को भाग लेने के लिए भेज देती है। यह युवकों के लिए न केवल अपमानजनक ही है बल्कि उनको हतोत्साहित करने वाली बात भी है। जब तक सरकार समय से तीन चार मास पूर्व पक्का निश्चय नहीं करती है तब तक पुरुषों और महिलाओं के लिए उस ऊंचे स्तर तक पहुंचना संभव नहीं है। अमरीका और रूस तो जब इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने आते हैं तो वह जीत को सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। यदि खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की जायेगी, उचित सामान तथा प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा तो क्या होगा? मंत्री महोदय मुंह मोड़कर सरलतापूर्वक कह देंगे कि टीम क्यों भेजी जाये? यह हमारे फेडरेशन्स का कार्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि स्पूतनिक देशों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए देश की टीमों को उचित प्रशिक्षण और समान अवसर प्रदान करें—अन्यथा हमारे लड़के-लड़कियों की धारणा ठीक नहीं बन सकती है।

मैंने स्वयं ओलम्पिक में अपनी हाकी की टीम के मुकाबले पाकिस्तान जैसे छोटे देश की टीम को अधिक अच्छी पाया। यदि आगामी ओलम्पिक खेलों के लिए शिक्षा मंत्रालय प्रमुख टीमों के प्रशिक्षण तथा सीधे पर्यवेक्षण का कार्य अपने हाथों में नहीं लेगा तो हम सदा के लिए हारते रहेंगे।

मैं एक खेल-कूद मंत्रालय की पृथक् स्थापना के लिए अपने पूर्व अनुरोध को फिर दोहराता हूँ तथा निवेदन करता हूँ कि एक ऐसा मंत्रालय बनाया जाये जो खिलाड़ियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा उठाने के मुख्य उद्देश्य से प्रशिक्षण पर ध्यान रखे तथा इस बात का भी ध्यान रख कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारे देश के खिलाड़ी राष्ट्र के लिए सम्मान तथा गरिमा प्राप्त करें। यदि एक ऐसे मंत्री महोदय, जो स्वयं खिलाड़ी हों, के अधीन अलग मंत्रालय होगा तो बहुत ही थोड़े समय में भारत का स्थान विश्व में बड़े देशों के समान हो जावेगा।

मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं कि खेल-कूद सम्बन्धी फेडरेशन्स में भी राजनीति रोड़ा अटका रही है। भारत सरकार को जहाँ कहीं भी इस बात का पता लगे कि ये फेडरेशन्स आशा के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो सरकार को उनका कार्य अपने हाथों में ले लेना चाहिए।

अब मैं एक बहुत ही विवादास्पद विषय के बारे में बोलने जा रहा हूं जो उस अन्तर्राष्ट्रीय घटना में भाग लेने के बारे में हैं जिसमें दक्षिणी अफ्रीका भाग लेता है। गोल्फ तथा शूटिंग टीमों को रद्द कर दिया गया था—इसमें महिलाओं के हाकी खेल का भी भाग्य निर्भर है। फेडरेशनों को चाहिये कि वह दक्षिण अफ्रीका को हराने में अपने प्रभाव का प्रयोग करें। परन्तु वह उनके अधिकार की बात नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में अपने को अलग रखना बुद्धिमानी की बात नहीं है। ऐसा

करने से दक्षिण अफ्रीका की जीत होती है। उदाहरण के लिए अगले वर्ष जापान में एक विश्व शूटिंग प्रतियोगिता होगी। यदि भारत दस शूटरों को प्रशिक्षित करके प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां भेजता है और दक्षिण अफ्रीका एक छोटे से लड़के को भेजता है और भारत पूरी टीम को वापस कर लेता है तो इसमें भारत की ही हार है, दक्षिण अफ्रीका की हार नहीं। अत: खेल-कूद और राजनीति को अलग-अलग रखा जाना चाहिए। यह विषय ऊंचे स्तर पर निर्णय करने के लिए न केवल भारत के लिए ही है अपितु एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के लिए भी है। मैं अफ्रीकी-एशियाई देशों से इस विषय पर पुनर्विचार करने के लिये निवेदन करता हूँ। दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध रूस हमारे देश का समर्थक रहा है। जहां दक्षिणी अफ्रीका भाग लेता है वहां वह भी भाग लेता है। इसी कारण भारत ने अपनी टीम को हाल ही में विश्व शूटिंग चैंम्पियनशिप से वापस ले लिया।

विभिन्न खेल-कूद संघों से मुझे जानकारी मिली है कि उनमें से जिमनास्टिक फेडरेशन को सरकारी अनुदान पर्याप्त रूप में नहीं मिलता है। उन्हें उचित प्रकार का सामान व्यायाम के लिए नहीं मिलता है और जो सामान मिलता है वह अवमानित सामान होता है। जो उद्योग खेल का सामान बनाते हैं, सरकार को चाहिए कि वे उन्हें विश्व के सामान के समकक्ष सर्वोत्तम प्रकार का सामान बनाने का अनुदेश दें।

विदेशी मुद्रा के अभाव में महिला हाकी टीम का पूरी तरह विकास नहीं हो पा रहा है। यही स्थिति अन्य खेलों के साथ है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी वह भाग नहीं ले पाती हैं। वर्ष 1962 में लंका में प्रतियोगिता में महिला हाकी टीम विजयी हुई थी।

बालीबाल के लिए तो अधिक भूमि की भी आवश्यकता नहीं है। सरकार सरलता से दे सकती है। बालीबाल फेडरेशन को भी पर्याप्त धन न मिलने की शिकायत है। वैसे वर्ष 1956 में इस दल ने स्वर्ण पदक जीता था जो कि बुरा प्रतिफल नहीं है।

बैडमिंटन की स्थिति भी अच्छे किस्म के मैदान, शटलकाक्स और बैट्स के अभाव में संतोषप्रद नहीं है। सामान के आयात पर भारी शुल्क लगाया हुआ है। गैर सरकारी तौर पर विश्व बैडमिंटन में भारत का द्वितीय स्थान है।

अब मैं शूटिंग के बारे में उल्लेख करूंगा। प्रतिरक्षा के लिए शूटिंग का दूसरा स्थान है अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य व्यापार निगम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को दिये जाने वाले कारतूसों की जांच करवायें। इन कारतूसों को एन० आर० ए० आई० को दिये जाने के पीछे उद्देश्य बहुत अच्छा था। इसमें खेल-कूद को प्रोत्साहन देने का विचार था परन्तु एन० आर० ए० आई० के अधिक सदस्य बनाने के दृष्टिकोण से उन कारतूसों का प्रयोग किया जाने लगा। अन्ततोगत्वा 150 अथवा 200 सदस्यों द्वारा अपेक्षित कारतूसों को काला-बाजार में बेचा जाने लगा। अत: मेरा विनम्र निवेदन है कि राज्य व्यापार निगम के उन कारतूसों को जिन पर विशेष रूप से खेल के लिए एन० आर० ए० आई० लिखा हो को न दिये जायें।

यदि कारतूस विशेष कर बकशोट कारतूस दिए जाने लगें तो मुझे इस पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि वैसे तो एक दो रुपये में कारतूस मिल जाते हैं परन्तु 14 रुपये में उन्हें काला बाजार

में बेचा जाता हैं। एन० आर० ए० आई० का मुख्य कर्त्तव्य शूटिंग प्रशिक्षण देने का है, शिकार करने अथवा मारने का कर्त्तव्य नहीं है। उसे केवल शूटिंग खेल-कूद के लिए कारतूस दिए जाने चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करते समय मैं इतना ही कहूंगा कि हमें दृढ़ और निश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए। मंत्री महोदय को चाहिए कि वह ओलम्पिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को वहां भेजने का निर्णय छः महीने पूर्व करें तथा उन्हें अच्छी तरह खिलाने-पिलाने, कपड़े देने और इस तरह से उन्हें इस भावना के साथ प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करें कि भारत का झंडा सर्व प्रथम फहराये और भारत में स्वर्ण पदक आयें। निस्सन्देह सुयोग्य व्यक्ति मिलते हैं। इसमें जरा सी स्पष्ट रूप से सोचने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से खेल-कूद सम्बन्धी नीति पर अच्छी तरह विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता - उत्तर पूर्व) : भारतीय खेल-कूद परिषद् का सदस्य होने के नाते मुझे इस विवाद में भाग लेने का बहुत हर्ष है।

जीवन में खेल-कूद का महत्त्व किसी से छिपा नहीं है। केवल संसद में भाषण करने से ही खेल-कूद को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता।

देश में खेल-कूद कार्यक्रम को न तो प्रोत्साहन दिया गया और न ही उसको क्रियान्वित किया गया है। स्कूल के विद्यार्थियों के लिए खेल के मैदानों के सम्बन्ध में कोई समन्वित योजना नहीं है।

अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् के दो सम्मेलन हुए थे जिनमें यह जोर दिया गया था कि खेल-कूद के बारे में देश की एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए और अधिक लोकप्रिय खेल-कूद जैसे फुटबाल आदि को अन्य खेल-कूदों को दी जाने वाली सहायता की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कबड्डी, खो-खो जैसे खेलों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। खेल-कूद सम्बन्धी अधिकारी अपने पदों पर जमे रहना चाहते हैं। देश में खेलों की स्थिति पहले से बिगड़ती जा रही है। भारतीय हाकी संघ राष्ट्रीय संघ होने के बजाए पुलिस संघ हो गया है। इसके परिणामस्वरूप देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पता लगाने का प्रयास नहीं किया जाता। देश के विभिन्न भागों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पता लगाने के बारे में कोई खोज नहीं की जाती। ईडन-गार्डन, कलकत्ता का क्रिकेट पिच सबसे अच्छा गिना जाता है लेकिन उसकी आज दुर्दशा हो रही है। जब तक देश में खेल-कूद सम्बन्धी नीति को क्रियान्वित करने के बारे में गम्भीर प्रयास नहीं किया जायेगा, स्थिति में सुधार नहीं होगा।

खेल-कूद में बड़ी संख्या में भाग लेना केवल एक स्वप्न ही रह गया है। देश में निर्धनता मुख्य समस्या है। देश के लोगों को खाने के लिए पौष्टिक खुराक उपलब्ध नहीं है तो वह कैसे अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं? चन्दगीराम तथा अन्य कुछ खिलाड़ी इसका अपवाद हैं। यह आवश्यक है कि खेल-कूद नीति के सम्बन्ध में चर्चा करते समय मूल आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में

चर्चा की जानी चाहिए । केवल प्रशिक्षण द्वारा खाने की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है । हम उनको वर्तमान परिस्थितियों में अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं । यदि यही स्थिति रही तो हम विश्व के खेल के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे । जब हमारे खिलाड़ी विदेशों में जाते हैं तो उनमें यह भावना नहीं होती कि वे एक महान देश के खिलाड़ी हैं और उनका उद्देश्य देश की महत्वाकांक्षा पूरी करना है ।

हमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बारे में अधिक चिन्तित नहीं होना चाहिए । हमें विश्व के किसी भाग में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेकर कीमती विदेशी मुद्रा को खर्च नहीं करना चाहिए । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे स्कूल तथा कालिज के विद्यार्थियों को अच्छे खिलाड़ी बनने के अवसर मिलें । देश के प्रत्येक शहर और कस्बे में खेल के मैदानों की स्थापना की जानी चाहिए । सरकार को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि देश के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होगा, उन्हें अच्छा खाना मिलेगा तथा उनके लिए रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था की जायेगी और वे कुपोषण से प्रभावित नहीं होंगे । गरीबी का देश में नामो-निशान नहीं रहेगा । इस समस्या का यही समाधान है ।

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : देश में खेल-कूदों को इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए । यहां तक कि खिलाड़ियों को भी इतनी सहायता नहीं दी जा रही है जितनी देनी चाहिए । हमारे खेल-कूदों में राजनीति ने प्रवेश कर लिया है ।

श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए

Shri K. N. Tiwari *in the Chair*

यदि हमारी राजनीति में जरा भी खेल की भावना होती तो हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी होती । स्कूलों और कालिजों में खेलकूद को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । जब तक इस सम्बन्ध में रुचि नहीं ली जायेगी तब तक खेल-कूद का विकास नहीं हो सकेगा ।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाली सहायता के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाए जाने चाहियें कि उक्त सहायता में से एक निर्धारित राशि शिक्षा पर तथा एक निश्चित राशि खेल-कूद के लिए आरक्षित रखी जायेगी । खिलाड़ियों को अच्छी खुराक देने पर भी ध्यान देना चाहिए । जब तक खिलाड़ियों को अच्छी खुराक नहीं दी जायेगी तब तक वे खेल-कूद में भाग नहीं ले सकेंगे । उन्हें अक्सर पौष्टिक खुराक नहीं मिलती ।

स्काटलैण्ड जाने वाले पहलवानों ने शिकायत की थी कि उन्हें पूरी जेब खर्च की राशि नहीं दी गई । जब कभी भी विदेशों में टीमें जाती हैं इसी प्रकार की शिकायतें सुनने में आती हैं । भविष्य में विदेशों को भेजी जाने वाली टीमों के मैनेजर को जेब खर्च की राशि न देकर प्रत्येक खिलाड़ी को जेब खर्च की राशि दी जानी चाहिए ।

देश के गांवों के खेलों को विश्व में लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है । बर्लिन में हुई ग्रामीण खेलों की प्रदर्शनी में हमारे देश का दूसरा स्थान रहा था । लेकिन यह दुःख की बात है कि सरकार ने इस ओर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया है ।

मैं डा० कर्णी सिंह के इस सुझाव से सहमत हूं कि खेल-कूद के लिए पृथक् मन्त्रालय की स्थापना की जानी चाहिए। यदि खेल-कूद के लिए एक विशेष पृथक् मन्त्रालय की स्थापना की जायेगी तो उक्त मन्त्रालय इस विषय में अधिक रुचि लेगा और खेल-कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जायेगा और जनता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।

विदेशों में जाने वाले खिलाड़ियों को अनुशासन में रखा जाना चाहिए। खेल में या खेल के बाहर अनुशासन न रखने वाले खिलाड़ी के कार्य के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि इन बातों का पालन किया गया तो आशा है हमारे देश में खेल-कूद को बहुत सफलता मिलेगी और इससे देश के नवयुवकों का कल्याण होगा।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेकानाल) : खेल की भावना का इससे पता नहीं लगता कि हमें कितने पदक प्राप्त हुए या हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया अथवा नहीं लेकिन इसका पता इससे लगता है कि हमने खेल को किस स्तर का खेला तथा हमारा वहां कैसा आचरण रहा। फिर भी हमने खेलों में कौनसा स्थान प्राप्त किया है इस बात की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यद्यपि हमारे देश की जनसंख्या 53·07 करोड़ है लेकिन हमारा खेलकूद में स्थान नीचे से पहला है।

इसके लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा कि क्या यह हमारे खिलाड़ियों का दोष है ? क्या हमने अपने खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधायें दी हुई हैं ? क्या हमने उनके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हुई है ?

आज हम मैक्सिको में हाकी में स्वर्ण पदक खोने के बाद इस विषय पर यहां चर्चा करने में सफल हुए हैं। हम अपनी गलतियों से सबक हासिल नहीं करते।

आज खेल-कूद में राजनीति का हस्तक्षेप होता है। श्री जरनैल सिंह निर्धारित स्तर प्राप्त करने में सफल नहीं हुए लेकिन उनका नाम बैंकाक जाने वाली टीम में था। मुझे आशा है इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री अपने विचार व्यक्त करेंगे।

सरकार ने अखिल भारतीय खेल-कूद संघ और वर्ष 1959 में नियुक्त खेल-कूद सम्बन्धी तदर्थ समिति द्वारा दिए गए उपयोगी सुझावों को कहां तक क्रियान्वित किया ? यदि उन सुझावों को क्रियान्वित किया गया होता तो अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद में हमारी यह दुर्दशा न होती।

ऐसे खेल-कूद संघों और परिषदों को, जो खिलाड़ियों द्वारा नहीं चलाई जा रही हैं, लाखों रुपया देना अनुचित है। हमारे देश में ऐसे ही व्यक्ति खेल-कूद का संचालन कर रहे हैं जिन्हें इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है।

पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा करके और खेल-कूद सम्बन्धी समान नीति निर्धारित करके और यह सुनिश्चित करके कि खेल-कूद निकायों का संचालन अनुभवी और योग्यताप्राप्त खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है, खेल-कूद का विकास किया जा सकता है तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। स्कूलों और कालिजों में

आरम्भ से शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए और इसको पाठ्य-क्रम में शामिल किया जाना चाहिए और युवकों को देश में उपलब्ध साधन उपलब्ध कराए जाने चाहियें। सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि स्कूल और कालिज के विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल-कूदों में पदक प्राप्त करें।

श्री साम नारिमन माडोरा को, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में नाव चलाने में 1954 से 1965 तक सर्वप्रथम रहे हैं, मान्यता नहीं दी गई है और यहां तक कि उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी नहीं दिया गया क्योंकि नाव चलाने वालों की कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं है।

1959 के खेलों तथा खेल-कूद के बारे में नियुक्त तदर्थ समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि यद्यपि मुक्केबाजी का कोई अखिल भारतीय संघ नहीं है फिर भी तीन मुक्केबाज हैलीसेंकी में होने वाले ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए भेजे गए थे और उन्हें एक रजत तथा दो कांस्य पदक प्राप्त हुए थे। अतः नाविकों को भी मान्यता दी जानी चाहिए।

सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ईडन गार्डेन पर, जो क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा मैदान माना जाता है, फुटबाल, हाकी आदि खेलने की अनुमति न दी जाए।

Shri Balraj Madhok (South Delhi): Government have allotted very little time for this important topic.

International competitions are only one aspect of sports. We have to discuss this topic taking into consideration the health of our people and with a view to create sportsmanship spirit. If the health of people in the country is good, we will naturally win in international competitions.

Nothing has been done for the encouragement of sports in public. Lakhs of rupees are spent on the construction of schools and college buildings but nothing is spent for the construction of play grounds and maintaining them. Government should supply hockey, football and other goods free of charge for the children in schools and colleges. Children should be given incentive to take part in sports. Encouragement should be given to sports in schools.

Undue importance is being given to cricket. Government should give encouragement to hockey, Kabaddi, Kho-Kho and wrestling. Unless importance is given to these sports, they cannot develop.

National and State Councils should be given recognition. Sportsmen should be included in those Councils. They can give better guidance to our sportsmen.

Sports should be held in rural areas to give encouragement to people living in villages.

Different types of competitions should be held in each village. Government should create an atmosphere in this regard.

Mountaineering is a good sport. The Government should pay special attention towards this.

There is prevailing nepotism and politics in the Selection Boards. Only those persons should be in the Selection Boards who have some knowledge of sports. There should not be any politics, favouritism and nepotism in the Selection Boards. The children should get good food in schools and their health should be maintained. A feeling of nationalism should be created in our sportsmen. The Government should decide its sports policy after taking all these aspects into consideration. The Central and State Sports Council should be reorganised. Sportsmanship spirit should be created in the country. The Government should make such well planned policy that the sports of country may develop.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आज देश में युवकों की उपेक्षा की जा रही है। देश में युवकों में शारीरिक योग्यता का लोप हो गया है।

युवकों के लिए देश में न खाना है, न मकान, न शिक्षा और न रोजगार।

पोषाहारी भोजन न मिलने के कारण चोटी के अनेक खिलाड़ी खेलों में खोई अपनी ताकत को पूरा नहीं कर पाते और बीमार हो जाते हैं।

हमारा खेल का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत नीचा है।

देश को युवकों के लिए खेल-कूद सम्बन्धी योजना की बहुत आवश्यकता है। बड़े-बड़े शहरों में कहीं भी ऐसे मैदान उपलब्ध नहीं हैं, जहां युवा वर्ग खेल सकें।

खेल-कूद में आज राजनीति का बोलबाला है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय फुटबाल संघ के अध्यक्ष पद के लिए श्री अतुल्य घोष को चुना जाएगा, जो मुश्किल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं ?

नेशनल फिटनेश कोर में प्रशंसनीय काम करने वाले व्यक्तियों की सरकार ने हालत खराब कर रखी है। नेशनल कैडिट कोर की भी यही दशा है। सरकार को अपनी कमियों और असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और युवकों को प्रोत्साहन देने के लिए भविष्य के लिए बनाई गई योजना का उल्लेख करना चाहिए।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : हमारा खेल-कूद का स्तर बहुत नीचा है और हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा।

हमारे खेल-कूद में अनेक कमियां हैं। हमने अपने खेल-कूद में गांवों में से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को नहीं चुना है। धन की कमी भी हमारे खेल-कूद में बाधक रही है। हमारे खेल-कूद में राजनीति, पक्षपात और क्षेत्रवाद का बोलबाला है। इन कमियों के विरुद्ध हमें युद्ध करना है।

शारीरिक शिक्षा के बारे में नियुक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि विश्वविद्यालयों में खेल-कूद में 5 से 20 प्रतिशत के बीच और कालिजों में 3 से 15 प्रतिशत के बीच विद्यार्थी भाग लेते हैं। सब वर्गों के व्यक्तियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के, लोगों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

सरकार खेल-कूद के प्रोत्साहन को कोई महत्त्व नहीं देती ।

खेल-कूद में क्षेत्रवाद इस कदर फैल गया है कि खेल-कूद में खिलाड़ियों की प्रतिभा को नहीं पहचाना जाता । खेल-कूद में खेल की भावना न होना खेल-कूद के विकास में बाधक है । केरल की महिला वालीबाल टीम पर पत्थर फेंके जाने के बारे में जांच की जानी चाहिए और दोषी व्यक्तियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए । जब तक लोगों के व्यवहार में सुधार नहीं होगा तब तक खेल-कूद के स्तर के विकास का वातावरण उत्पन्न नहीं होगा । देश में खेल-कूद को नया रूप दिया जाना चाहिए । आशा है सरकार अभी भी इस ओर ध्यान देगी ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Dr. Karani Singh has not only done a great service to the country but to the sports also by raising this discussion. Government should give encouragement to local sports like Kabaddi, Kho-Kho etc. The Government should give recognition to these small local games. Government has done nothing for the encouragement of these games. Government should do something for the sports in the country. It is really shameful that our sportsmen are not treated properly in other countries.

The sportsmen have not been paid their daily allowances. They do not have money to purchase their kits. They have to purchase their kits after collecting money from others. We have so many Chandgi Rams in our country, but the thing is that Government should take interest in this matter. Politics should be removed from sports.

We are not sportsmen. The main thing is that Government should take interest in the matter of the development of sports. Government should allot more funds for the development of sports. It should also give directions to the states that attention should be paid to see that more and more children take part in sports.

I am of the opinion that a separate Sports Ministry should be established for the development of sports in the country. If that Ministry works in a well organised way, we are sure that we will be able to produce better sportsmen than America and Russia. But in fact it needs Government's interest and funds.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अभी व्यक्त किए गए इन विचारों के साथ मैं सहमत हूं । भारत में योग्यता की तो प्रचुरता है परन्तु हमें समुचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है । भारत में क्रिकेट के उत्तम खिलाड़ी हुए हैं । परन्तु समुचित प्रशिक्षण की कमी के कारण स्तर नीचे ही गिर रहा है । हाकी के खेल में आस्ट्रेलिया बहुत आगे बढ़ रहा है । उसके खिलाड़ियों के प्रशिक्षक भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें हम देश में नहीं रख सके । हाकी के क्षेत्र में हमें आदिवासियों की योग्यता का उपयोग करना चाहिए । वे अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं । हमारे खिलाड़ी अधिक समय फुटबाल नहीं खेल सकते । उनका सांस फूल जाता है । खिलाड़ियों को अच्छा खाना तथा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । खेलों में राजनीति का दखल न होकर सरकार इनकी अवस्था सुधारने के प्रति ईमानदारी बरते ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Swami Viveka Nand also used to lay much stress on sports. I had thought that sports would develop in this country after attainment of Independence but their standard has started going down. After independence our efforts

should have been to encourage our indigenous sports, but it has not happened. Now Hockey, Football and Cricket are not foreign games to us. But we have no clearcut policy about developing these games. Wrestling and swimming are our two National games but the Government has not done anything to improve the standard of players in these. Government should set up a Committee to evolve sports policy so that our country could make progress in this direction.

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं। डा० कर्णी सिंह जी का जो कि हमारे देश के विख्यात खिलाड़ी हैं मैं विशेष रूप से आभारी हूं।

इस चर्चा के दौरान कई उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि मैं जो भी बातें आज कही गुई हैं उन सब पर व्यक्तिगत रूप से विचार करूंगा। इन सभी उपयोगी सुझावों से मैं भारतीय ओलम्पिक संघ तथा विभिन्न खेल-कूद संस्थाओं के राष्ट्रीय संगठनों को अवगत करवाने का भी प्रयास करूंगा।

डा० कर्णी सिंह ने खेल-कूद मंत्रालय की स्थापना की मांग की है। इस बारे में कुछ कहने की सक्षम प्रधान-मंत्री हैं अतः मैं कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकता। परन्तु एक बात अवश्य है कि मेरे मंत्रालय का नाम अभी हाल ही में बदल कर शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय रखा गया है और खेल-कूद स्वाभाविक रूप से युवक सेवाओं में सम्मिलित हैं। खेलों के बिना तो युवक सेवा हो ही नहीं सकती। इस प्रकार कुछ सीमा तक उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। परन्तु फिर भी वह चाहें तो प्रधान मंत्री से इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं।

उनके इस सुझाव के सम्बन्ध में कि हम उन खेलों में भी भाग लें जिनमें दक्षिण अफ्रीका भाग लेता है, मुझे दुःख है कि मैं इससे सहमत नहीं हो सकता क्योंकि यह हमारी विदेशी नीति का मूल आधार है। रंग-भेद के सिद्धान्त का हमने हमेशा विरोध किया है। डा० कर्णी सिंह भी इसे जानते हैं अतः मुझे विश्वास है कि वह इसके लिए जोर नहीं डालेंगे।

एक बात मैं प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दूं कि हमारे मंत्रालय का सम्बन्ध खेलों को बढ़ावा देने से है न कि उनके नियन्त्रण से। खेल-कूद संस्थाओं के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना हमारी नीति है। उन्हें हम तब तक पूर्ण स्वतन्त्रता देते हैं जब तक कि उसमें राष्ट्रीय मर्यादा की बात न हो। जब इस प्रकार की कोई बात हो तो हस्तक्षेप करना ही पड़ता है।

यह ठीक है कि हम खेलों पर देश के आकार एवं जनसंख्या के अनुरूप पर्याप्त व्यय नहीं कर रहे परन्तु इतना अवश्य है कि इस सम्बन्ध में व्यय निरन्तर बढ़ रहा है। केन्द्रीय क्षेत्र में इस सम्बन्ध में पहली योजना में जो आवंटन नगण्य सा था वह बढ़ कर चौथी योजना में 4·75 करोड़ रुपये है हालांकि हमारे स्वयं के विचारों से यह सन्तोषजनक नहीं है। राज्यों के द्वारा किया जाने वाला व्यय उसके अतिरिक्त है।

हमने जो खेल-कूद निपुणता छात्रवृत्तियां योजना बनाई है उसके अनुसार राज्य स्तर पर दक्षता दर्शाने वाले स्कूल विद्यार्थियों को 25 रुपये प्रतिमास की 4 0 छात्रवृत्तियां तथा

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में दक्षता दर्शाने वाले स्कूल विद्यार्थियों को 50 रुपये प्रतिमास की 300 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी।

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी गई है। 150 लाख रुपये की राशि इस वर्ष उन्हें दी गई है। राज्यीय खेल परिषदों को अनुदान दिया जाता है जिनमें ग्रामीण खेल कूद केन्द्र विशेष रूप से हैं। इस योजना के अन्तर्गत न केवल ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है अपितु आदिम जाति एवं जन-जाति क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित हैं। नई प्रतिभा के ढूंढ़ने में इस योजना से सहायता मिलेगी।

मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारी राज्यीय खेल-कूद परिषदें सन्तोषजनक ढंग पर कार्य नहीं कर रहीं। अधिकतम राज्यों में वे सुप्तप्राय हैं। उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का भी पर्याप्त लाभ नहीं उठाया जाता। इस दृष्टि से हमने पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र की बैठक बुलाई है तथा शीघ्र ही दक्षिणी एवं उत्तरी क्षेत्र की बैठक बुलाकर उन्हें इसके प्रति अवगत कराएंगे। खेल-कूद प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना से भी इस दिशा में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना है।

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के राष्ट्रीय खेल-कूद संगठन के प्रयत्नों की प्रगति भी सन्तोषजनक नहीं है। इसके लिए हम सलाहकारी समिति की बैठक बुला रहे हैं तथा एक अखिल-भारतीय गोष्ठी आयोजित करेंगे।

माननीय सदस्यों के साथ मैं इस बात में भी सहमत हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में हमारा निष्पादन सन्तोषजनक नहीं है। हाकी, जो कि हमारा स्पृहणीय खेल है, के खेल में भी हमारे खिलाड़ी अन्तिम क्षणों में असफल हो जाते हैं। शारीरक वल तथा दक्षता की कमी मेरे विचार से इसका कारण है। इस सम्बन्ध में उचित विचार की आवश्यकता है तथा हम इस पहलू पर गौर करेंगे।

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने खेल-कूद के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। इसके अध्यक्ष की प्रत्येक सलाह को हमने माना और उसे कार्यान्वित किया। इस संस्था के स्थान पर खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् स्थापित करने का निश्चय किया गया है। हमें आशा है कि यह संस्था हमारी आशाओं के अनुकूल कार्य करने में सफल होगी।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री इस उपरोक्त परिषद् के अध्यक्ष होंगे तथा राज्यों में खेल-कूद तथा शारीरिक शिक्षा से सम्बन्धित मन्त्री इसके सदस्य होंगे। इण्डियन ओलम्पिक एसोसियेशन तथा कुछ राष्ट्रीय खेल-कूद संगठनों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। संसद सदस्यों, खेल-कूद एवं शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञों को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

इस परिषद् के अन्तर्गत दो राष्ट्रीय स्थायी समितियां होंगी जिनमें से एक का संबन्ध खेल-कूद के साथ तथा दूसरी का शारीरिक शिक्षा से होगा। इन स्थायी समितियों के अधीन विशेषज्ञ सलाहकार समितियां होंगी, जिनमें केवल विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। इस सारे नये संगठन के संबंध में घोषणा एक या दो दिन में की जाने वाली है।

इसके द्वारा खेल-कूद एवं शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में समन्वय होगा, उनके संबन्ध में विचारों में आदान-प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय फोरम होगा तथा राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त होगा। इस सब के परिणामस्वरूप देश में खेल-कूद एवं शारीरिक दक्षता का स्तर ऊंचा उठाने के राष्ट्रीय प्रयास संभव हो सकेंगे।

अन्त में मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि इस बार एशियन खेलों में हमने बहुत अधिक संख्या में खिलाड़ी दल भेजा है। उन सभी खिलाड़ियों को जिन्हें दक्ष पाया गया भेजा गया है। एशियन तथा ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ी दल है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि इन खेलों में भाग लेने से ही हमारे खिलाड़ियों को अनुभव प्राप्त होगा।

छठी एशियायी खेल-कूद प्रतियोगिता कल से प्रारंभ हो रही है। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से, इस सदन में उपस्थित सदस्यों की ओर से खिलाड़ियों को अपनी सद्भावनाएं प्रेषित करता हूं। हमें आशा है कि वे खेल को खेल की भावना के साथ खेलेंगे, जैसा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू कहा करते थे।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 9 दिसम्बर, 1970/18 अग्रहायण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 9th December, 1970/Agrahayana 18, 1892 (Saka).

Printed at : Shahdara Printing Press, K-18, Navin Shahdara, Delhi-32